खण्ड-367, अंक-1
बुधवार, 15 चैत्र, शक संवत् 1906
(4 अप्रैल, 1984 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 367 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय सूची


| विषय | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| उपस्थित सदस्य | .. | 1—4 |
| प्रश्नोत्तर | .. | 5—54 |
| बाराबंकी जनपद की पुलिस द्वारा पैसा लेकर अवैध रूप से मोटर वाहन चलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | . | 54 |
| उन्नयन बस्ती, कानपुर में अवैध रूप से बन रही शराब पीने से अंधे होने एवं मृत्यु होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 54—55 |
| प्रदेश के भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में मैकेनिकल एक्सपर्ट की कमी होने से कार्य की प्रगति में अवरोध होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 55 |
| हजरतगंज, लखनऊ में स्कूटर पार्किंग के ठेकेदार द्वारा जबरन पैसा वसूलने से जनपथ मार्केट के बन्द होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 55—56 |
| सगरा, जिला बस्ती में अग्निकाण्ड से हुई क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 56 |
| रचना बचत कम्पनी द्वारा जमा पूंजी लेकर फरार हो जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 56—57 |
| रसूलपुर, जिला बाराबंकी निवासी, श्री उत्तम सिंह की हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 57 |
| औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं | .. | 57—58 |
| नेता विरोधी दल को कैबिनेट स्तर का दर्जा न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न | .. | 58—61 |
| उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1983—84) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) | .. | 62 |
| बिना मंत्री परिषद की स्वीकृति के शासनादेश जारी किये जाने तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा समितियों की अध्यक्षता किये जाने के संबंध में उठाये गये औचित्य के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय | .. | 62—63 |
| उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) | .. | 63 |

| विषय | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं | .. | 63–75 |
| 1984–85 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या 2––आवास एवं नगर भूमि विभाग तथा अनुदान संख्या 22––नगर विकास विभाग (स्वीकृत) | .. | 75–123 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं | .. | 123 |
| श्रीमती प्रभा, निवासिनी सहपानी बुलन्दशहर को उसके ससुराल वालों द्वारा आग लगा कर कथित हत्या किय जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य | . | 123–126 |
| कानपुर जिले में देशी शराब के ठेके की नीलामी में अनियमितता के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य | .. | 127–129 |
| औरंगाबाद–बादशाहपुर तालाब, जिला बुलन्दशहर नामक प्रस्तावित ड्रेन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सिंचाई मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर स्पष्टीकरण | .. | 129 |
| मानव उपयोग के लिये अनुपयुक्त घोषित गेहूं राज्य सरकार द्वारा आटा मिलों को जबरन दिये जाने के संबंध में वक्तव्य | .. | 129–134 |
| उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थाओं में एक अरब रुपये से अधिक के घोटाले के संबंध में वक्तव्य | .. | 134–138 |
| इनायतनगर, फैजाबाद के थाना इंचार्ज व पुलिस कर्मियों को जातियों के विरुद्ध किये जा रहे कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदर्शन कारियों पर लाठी चार्ज के संबंध में वक्तव्य | .. | 138–139 |
| परिशिष्ट | .. | 151–152 |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## बुधवार, दिनांक 4 अप्रैल, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में दिन के 11 बज कर 2 मिनट पर अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 319

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्दू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्लू राम रत्नाकर, श्री (मिर्जापुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल) (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्ण वीर सिंह श्री (बदायूं)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशो राम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, (एडवोकेट) श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपीनाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र भान सिंह, श्री (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)

जंग बहादुर, श्री, (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती' श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर भंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दलसिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नारायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव प्रसाद राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
निजाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्धपाल सिंह "खुर्जेवाला", श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)

मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोण्डा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद,)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपूर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोण्डा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)

यदुनाथ सिंह श्री, (मिर्जापुर)
यमुना प्रसाद श्री (बाराबंकी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द, श्री (वाराणसी)।
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय ,श्री (आजमगढ़)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पांडेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)

राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
ललू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)

लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
बासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ, श्री (देवरिया)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बख्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीता राम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ बुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरबंश प्रसाद पांडेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पांडेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकुम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

## प्रश्नोत्तर

बुधवार, 4 अप्रैल, 1984

### अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के पद पर कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता

**1--श्री श्रीकृष्ण गोयल (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पद पिछले तीन वर्षों से रिक्त है ? क्या यह सही है कि इस रिक्त पद पर अस्थायी रूप से एक अधीक्षण अभियन्ता से कार्य कराया जा रहा है जो विभाग में कनिष्ठ ह ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया यह भी बतायें कि क्या उक्त अधीक्षण अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता का वेतन दिया जा रहा है जिस पर वित्त विभाग ने आपत्ति की है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

जी हां। यह सही है कि इस रिक्त पद पर अस्थायी रूप से एक अधीक्षण अभियन्ता अपने उत्तरदायित्व के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता का कार्य भी कर रहे हैं परन्तु विभाग में "इण्टरसे" वरिष्ठता का मामला अभी तक निर्णित नहीं है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि ये कनिष्ठ है। उक्त अधीक्षण अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता के पद का वेतन दिया जा रहा है। मुख्य असियन्ता के पद पर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही भी की जा रही है।

### प्रोटोकाल अनुभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों का परिपालन

**2--श्री कुंवर सिंह नेगी, डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रोटोकाल अनुभाग द्वारा जारी किये गये आदेश सं0 984-प्रोटोकाल-19 (2)-79, दिनांक 26 फरवरी, 1979 का कड़ाई से पालन किये जाने के लिये शासन ने कोई प्रभावी कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन आदेशों का सख्ती से पालन किये जाने के सम्बन्ध में शासन के समस्त सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा जिलाधिकारियों को निदेशित किया जायेगा ?

जेल प्रोटोकाल एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

संदर्भित शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 1979 के उपरान्त† इसी विषय पर प्रोटोकाल अनुभाग से आदेश संख्या-6640-प्रो0/79, दिनांक 22 दिसम्बर, 1979, अर्धशासकीय पत्र संख्या 556-प्रो-20(56)/80, दिनांक 13 फरवरी, 1981 तथा आदेश संख्या 181/प्रो-18(2)/78, दिनांक 1 जुलाई, 1982 प्रसारित किये गये। उक्त निर्देशों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि शिष्टाचार प्रदर्शन में किसी भी ढिलाई को शासन द्वारा अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिया जायगा एवं दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि कड़ाई से उसका पालन कर रहे हैं। मान्यवर, यह हमेशा इस सदन में आता रहा है और 7 मामले विशेषाधिकार समिति के पास हैं कि फलां डी0 एम0 ने ऐसा अभद्र व्यवहार किया, तहसीलदार और थानेदार ने ऐसा अभद्र व्यवहार किया, यहां तक कि प्रदेश के सहकारिता मंत्री के खिलाफ उनकी कान्स्टीट्यून्सी के राजपत्रित अधिकारियों ने वहां के ए0 डी0 एम0 के नेतृत्व में एक ज्ञापन सरकार को दिया कि श्री बच्चा पाठक की मीटिंगों में नहीं जायेंगे, उनके बुलाने पर भी नहीं जायेंगे। मान्यवर, कहीं विधायक जाता है, जिलों की बात छोड़ दीजिये, इसी सचिवालय

† (छापा नहीं गया।)

में किस प्रकार से सचिव विधायकों से व्यवहार करते हैं, जिलों में डी० एम०, एस० पी० को टेलीफोन कीजिए तो जवाब आता है कि बाथरूम में हैं, पूजा कर रहे हैं। मान्यवर, इसका कहीं भी कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। आप कहते हैं कि उद्घाटन अधिकारियों से नहीं करायेंगे, और सब जगह यही हो रहा है कि कोई समारोह है, उद्घाटन होना है, पांच विधायक मौजूद हैं, परन्तु सरकारी अधिकारी उद्घाटन करता है। आपका जो प्रोटोकाल है, उसका कहीं भी परिपालन नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसका परिपालन कराने के लिए वे क्या कदम उठायेंगे ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

मान्यवर, इस सिलसिले में हमारे विभाग को अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, किसी माननीय सदस्य की ओर से कि उनके साथ कहीं पर कोई ऐसा व्यवहार हुआ है जो शिष्टाचार के खिलाफ हो। मान्यवर, हम खुद इस विचार के हैं और सरकार इस विचार की है और हम डेमोक्रेसी के मानने वाले जानते हैं, कि जनप्रतिनिधियों की जो इज्जत है, बेकार है, वह उनको दी जाय। अगर उनकी इज्जत या वकार कम होगा तो मान्यवर, यह चीज ऐसी है कि हम या आप कोई भी जनप्रतिनिधि इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें किसी को बचाने या छिपाने के लिए ऐसा जवाब नहीं दे रहा हूं, परन्तु कोई शिकायत प्राप्त होती तो कड़ाई से कार्यवाही की जाती। इस सिलसिले में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक पत्र भी जनप्रतिनिधियों और विधायक भाइयों को लिखा था।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि जो कुछ भी आपने यहां पर बताया है, उन निदेशों का जिलों में पालन नहीं हो रहा है, उसके लिए आप क्या तरकीब करेंगे ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

मान्यवर, जहां पालन नहीं हो रहा है, इत्तला दी जाय तो कार्यवाही करेंगे।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, यह प्रश्न ऐसा नहीं है। इस माननीय सदन के इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले, किसी भी माननीय सदस्य की मंशा यह नहीं है कि हमारे जाने पर माननीय सचिव या जिलाधिकारी उठकर खड़े हों, परन्तु मान्यवर, यहां पर जो प्रोटोकाल की बात कही गयी, जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया और हवाला दिया कि अम्मार रिजवी साहब ने 13, 1981 को जो पत्र को भेजा। उसके सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या स्वयं इसी सचिवालय में जो सेक्रेटरी हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वे इसका पालन करते हैं, यह आपने कभी देखने की चेष्टा की है? मान्यवर, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं और इधर और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य बतावें कि जब उन सेक्रेटरी से मिलने जाते हैं तो सेक्रेटरी या तो सिगरेट पीते रहते हैं, मंत्रियों के सामने और उठने की तो बात ही नहीं है। पत्रों का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं होते। मान्यवर, जो यह प्रोटोकाल की बात विशेषकर दिनांक 26, 1979 संख्या 1984 की बात कही, उसके परिपालन के सम्बन्ध में क्या माननीय मंत्री जी इस सचिवालय से लेकर जिले के अधिकारियों तक कार्यवाही कराने के लिए ऐसे कदम उठाएंगे जिससे मालूम हो कि इस सम्बन्ध में सचमुच विधायकों के मान और सम्मान की रक्षा करने के लिए सरकार कदम उठा रही है ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा था कि कोई स्पेसिफिक उदाहरण या कोई वाकया बतावें तो पता किया जाय कि

ऐसा है या नहीं । जहां तक कदम उठाने की बात है, मान्यवर, हम खुद चाहते हैं कि ऐसे कदम कड़ाई से उठाये जायं । जिससे जनप्रतिनिधियों के सम्मान की रक्षा हो सके । इज्जत और सम्मान ही जनप्रतिनिधि को प्राप्त नहीं होगा, तो जनप्रतिनिधि और चाहते ही क्या हैं । ऐसी कोई शिकायत हमारे सामने आये जिसको हम जांच करा सकें । इस प्रकार जनरल बात करने से तो इस मसले का हल होने वाला नहीं है यदि इस प्रकार की कोई घटना हुई हो तो आप हमें बतायें ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

मान्यवर, यह प्रोटोकाल 1 जुलाई, 1982 का है । इसमें लिखा गया है कि माननीय संसद सदस्यों एवम् विधायकों को जिलाधिकारीगण एक घंटे का समय नित्य प्रातः मिलने के लिए नियत करें । परन्तु इसका कहीं भी कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है । यह सब इसलिए प्रोटोकाल में लिखा गया ताकि माननीय संसद सदस्य एवम् विधायकगण, जिलाधिकारी के निवास स्थान पर जाकर अपनी समस्याओं को रख सकें और वहां पर उनका समाधान भी हो सके । परन्तु देखा यह गया है कि अक्सर जिलाधिकारियों का जवाब आता है कि दफ्तर आने के बाद ही मैं आपसे भेंट करने की बात करूंगा । इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इसका कड़ाई से पालन करने के लिए आप जिलाधिकारियों को निर्देशित करें कि जब भी क्षेत्रीय विधायक प्रातःकाल आपसे मिलने आता है, तो आप उनसे मिलने की व्यवस्था करें । दूसरा यह है कि जितने भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त आदि की अध्यक्षता वह स्वयं करते हैं । झंडारोहण वे लोग स्वयं करते हैं । आज तक कहीं भी और किसी भी माननीय विधायक को जिलाधिकारी ने सम्मानजनक स्थान दिया हो । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप जिलाधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि यदि मंत्री उपस्थित न हो तो, क्षेत्रीय विधायक से झंडारोहण करवायेंगे ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, जैसाकि अभी माननीय विधायक जी ने कहा, इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जा चुके हैं । जहां निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, यदि कोई लिखित शिकायत हमारे पास आये तो हम उसके बारे में कार्यवाही करेंगे । यदि निर्देश देने से ही और डी0 ओ0 लेटर लिखने से ही आपको सन्तोष होता है तो मैं आज ही एक निर्देश जारी कर देता हूं ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

अभी बताया गया कि 1 जुलाई, 1982 को प्रोटोकाल जारी किया गया ताकि माननीय संसद सदस्यों और विधायकों का सम्मान रहे । सेक्रेटरी तो बड़ी चीज है, कमिश्नर तो बड़ी चीज है, डी0 एम0 तो बड़ी चीज है, क्या कभी नायब-तहसीलदार और सब-इन्सपेक्टर ने माननीय विधायक को सम्मान व्यक्त किया है ? दूसरा, यह कि मंत्री जी आपकी विकास योजनायें चल रही हैं जैसे सड़कों को बनाने का काम चल रहा है और पुलों को बनाने का काम चल रहा है । क्या माननीय मंत्री जी यह आदेश करने का कष्ट करेंगे कि जिस विधायक के क्षेत्र में पुल बन रहा है या सड़क बन रही है, उसका अनिवार्य रूप से उद्घाटन वहां के क्षेत्रीय विधायक द्वारा किया जायेगा, अधिकारी द्वारा नहीं ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, हालांकि, माननीय विधायक जी ने जो प्रश्न किया है, उसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह तो हमारा कर्तव्य है और हमारी नीति है ही कि इसमें कोई अधिकारी के मुकाबले में हमारे माननीय सदस्य ही सम्मानजनक रहें और उनका सम्मान

बराबर बरकरार रक्खा जाय । इस सम्बन्ध में बराबर निर्देश जारी किए गये हैं, परन्तु सवाल यह है कि आज तक हमारे विभाग को इस प्रकार की कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है । अब मान्यवर, आप ही बतायें कि इसमें कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाय ताकि माननीय सदस्यों की शंका का समाधान हो सके,

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, भार साधक मंत्री जी ने अपने हर उत्तर में एक बात कही है कि हमें यदि कोई शिकायत मिलेगी तो हम कार्यवाही करेंगे । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि बहराइच के जिलाधिकारी श्री पंकज ने एक सड़क का निर्माण अपने नाम से कराया । पंकज मार्ग उसमें लिखवाया गया । यह मामला विधान परिषद् में उठा । जब यह मामला विधान परिषद् में श्री राम शरण दास ने उठाया तो मान्यवर, उस पंकज जिलाधिकारी ने कहा था कि मैं श्री राम शरण दास के हाथ पैर तुड़ाऊंगा, उन्होंने यह कैसे मामला विधान परिषद् में उठाया । क्या यह मामला उनकी संज्ञान में नहीं है ? दूसरे जो इस जी0 ओ0 का संदर्भ दिया है, 1982 के इस जी0 ओ0 क संदर्भ दिया है, इसमें भी हवाला 1979 के जी0 ओ0 का दिया गया है । 1979 का जी0 ओ0 भी मेरे पास है, उसको कुछ पंक्तियों की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विधायकों के प्रोटीकाल के बारे में कोई जी0 ओ0 जारी किया है ? मान्यवर, नहीं जारी किया है ।

1979 का जी0 ओ0 भी आपके पास होगा, इसमें आप देखें । लिखा ह--भारत सरकार ने समय-समय पर जनप्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार बरतने के लिय अनुदेश जारी किये हैं और राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है कि संलग्नक में दिये हुए अनुदेशों के अनुसार संसद सदस्यों एवं विधान मंडल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार एवं सौजन्यता बरती जाय । मान्यवर, जो केन्द्र सरकार ने जारी किया है, उसको इन्होंने जैसे का तैसा भेज दिया । आप देखें, केन्द्र ने क्या जारी किया ह ? जो केन्द्र ने जारी किया है, जहां पर एक वारन्ट आफ प्रिसिडेंस दिया हुआ है उसको क्रमिका-6 पर देखें लिखा है राज्य विधान मंडल के जो सदस्य दिल्ली में होने के कारण राजकीय समारोहों में आमंत्रित किये जायं उनके बैठने का स्थान संसद सदस्यों के ठीक बाद में होना चाहिए । यह दिया हुआ है । यह दिल्ली का जी0 ओ0 है, दिल्ली की केन्द्र सरकार ने इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई विधान मंडल सदस्य संयोग से दिल्ली आ जायं तो उनके बैठने की व्यवस्था कहां होगी । मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ से इसका क्या मतलब है ? अगर आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश वारंट आफ प्रिसिडेंस कोई जारी किया है और उसमें विधायकों का संदर्भ दिया गया है, तो उसकी चर्चा बताने की कृपा करें ।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मान्यवर, पत्र संख्या 5333/तीन-72 (1)-73 प्रोटोकाल अनुभाग द्वारा जो जारी हुआ वह यह शासनादेश है, मान्यवर, इसमें पूरा प्रिसिडेंस है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सेन्टेंस पढ़कर सुनाइये । मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि यह हाउस को गुमराह न करें । मेरे पास भी सब चीज है ।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

मैं बतला रहा हूं, आप सुन तो लीजिए ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, आज विधायकों को जुड़वा दीजिए, अभी तक विधायक का नाम कहीं पर है नहीं ।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

22-अ विधान परिषद् तथा विधान सभा के सदस्य 22 (अ) पेज-2 पर यह शब्द है वह मैं आपके पास भिजवा दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जी0 ओ0 दिखवा लीजिए, तभी सही स्थिति आपको मालूम होगी ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सदन की भावना को देखा मैं स्वयं इस पक्ष का हूं कि जो भी आपने आदेश भेजे हैं या भारत सरकार के आदेश हैं, उसमें जहां तक विधायकों का सम्बन्ध है, या संसद सदस्यों का सम्बन्ध है, उसका पालन नहीं होता । मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप पुनः इस मामले पर विचार करें मान-सम्मान विधायकों को मिलना चाहिए जैसा उनका जी0 ओ0 है, और जैसा आपका जी0 ओ0 है । यदि उसके बाद फिर भी पालन नहीं होता है, तो आप यथोचित कार्यवाही करें । मैं इसके बारे में आपको निदेश देता हूं ।

## तारांकित प्रश्न

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

### परिवहन निगम में अनुबन्धित निजी बसें

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

*1--क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम में 14-12-83 को कितनी निजी बसें अनुबन्धित की गई है ? क्या अनुबन्धित बसों का पेमेन्ट नियमानुसार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

आप यह देखें कि यह मेरा प्रश्न 21-12-83 का है और सरकार को 9-1-84 को दिया गया । इससे पहले भी यह प्रश्न आया था, उसमें भी टाइम लिया गया । लगभग 3 महीने हो गये, इसमें सूचना ही एकत्रित कर रहे हैं । यह बसें जो अनुबन्धित की जा रही हैं, उसमें भी घूस ली जा रही है । बरेली, बदायूं और मुरादाबाद में, मुरादाबाद का आर0 एम0 खुले आम घूस ले रहा है । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें क्या व्यवस्था करेंगे घूस को रोकने के लिये ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

पिछले बुद्धवार को प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत यह बात श्री अबरार अहमद ने उठायी थी कि घूस ली जा रही है और घूस के माध्यम से पेमेन्ट किया जा रहा है । इसकी जानकारी कराये जाने के लिये आपने आदेश दिया था, इसीलिये सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द करता हूं ।

## इन्टर कालेज क्वेराला, सल्ट अल्मोड़ा के प्रान्तोयकरण की मांग

*2--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्वेराला इन्टर कालेज, सल्ट विकास क्षेत्र, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के प्रान्तीयु-करण किये जाने बाबत सन् 1975 से लगातार सन् 1978 तक प्रस्ताव प्रबन्ध समिति द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रान्तीयकरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

इन्टर कालेज, क्वेराला, सल्ट, अल्मोड़ा के प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में कालेज के प्रबन्धक समिति द्वारा वर्ष 1976-77, 77-78 व 78-79 में पारित किये गये प्रस्ताव शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुये थे। परन्तु अपूर्ण होने के कारण शिक्षा निदेशक द्वारा उन्हें शासन को नहीं भेजा गया। अतः प्रान्तीयकरण किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

अब आप यह देखिये कि माननीय मन्त्री जी तो स्वीकार करते हैं कि प्रबन्ध समिति द्वारा वर्ष 1976-77, 77-78 व 78-79 में बराबर प्रस्ताव किये गये थे, लेकिन वे शिक्षा निदेशक के द्वारा वापस कर दिये गये। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन सी ऐसी बातें हैं जो अपूर्ण थीं, उनको बताने का कष्ट करें ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

प्रबन्ध समिति द्वारा प्रेषित प्रस्तावों में जो कमियां पायी गयीं, वे निम्न प्रकार हैं--

1--प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया-नुसार पारित नहीं किया गया। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि समिति की बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया तथा कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया।

2--विद्यालय द्वारा चल और अचल सम्पत्ति का विवरण प्रेषित नहीं किया गया। भवन आदि का मूल्यांकन भी माल विभाग द्वारा प्रमाणित नहीं कराया गया।

3--अध्यापक एवं कर्मचारियों द्वारा कोई अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

4--विद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में जो भूमि दिखायी गयी है, उस पर कई व्यक्तियों का वर्ग-4 में नाम अंकित होना प्रदर्शित है। उन व्यक्तियों द्वारा विद्यालय को भूमि दिये जाने का उनके द्वारा कोई इकरारनामा प्रस्तुत नहीं किया गया।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

कई बार मैंने कहा है कि इलाहाबाद के शिक्षा निदेशालय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। 6 वर्ष से लगातार वह प्रस्ताव में कुछ न कुछ कमी बताते आये हैं। तमाम कमियों को पूरा किया गया लेकिन फिर भी चूंकि वहां से ग्रामीण अंचल से इलाहाबाद पहुंचना और माननीय मन्त्री जी तक पहुंचना इन सबमें हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं आखिर कहां-कहां आदमी पैसा दे। मैं निश्चित यह कह रहा हूं क्योंकि मैं भुक्तभोगी भी हूं, अल्मोड़ा से इलाहाबाद और इलाहाबाद से यहां तक हजारों रुपया इनके बाबुओं और डायरेक्टर को देना पड़ता है।

तो क्या माननीय मंत्री जी अब इस विद्यालय के प्रांतीयकरण किए जाने पर विचार करेंगे यदि हम सारे कागजात सीधे निदेशालय न देकर आपके कार्यालय भेज दें ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

यदि सारी शर्तें पूरी होंगी और हमारे पास संसाधन मौजूद होगें तो अवश्य विचार किया जा सकता है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम ऐसे विद्यालय हैं जिनको प्रांतीयकरण करने की मांग है । वैसे अधिकांश विद्यालय तो सरकारी हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ विद्यालय प्राइवेट रूप में चल रहे हैं । जिनकी स्थिति बहुत खराब है, प्रबन्ध कमेटी में जाने के लिए जो निर्धारित शुल्क होता है, वह भी यह विद्यालय गरीबी की वजह से जमा नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए वह विद्यालय डी0 आई0 ओ0 एस0 के प्रबन्ध में चले गए हैं तो इन सारी स्थिति को देखते हुए क्या माननीय-मंत्री जी इन विद्यालयों का भी प्रांतीय करण करने का कोई प्राविधान करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं इन विद्यालयों का प्रांतीयकरण करने के बाद उनके प्लान आदि में बहुत बड़ा व्यय भार होता है और हमारे पास संसाधनों की कमी है, इसलिए हम ऐसी अवस्था में नहीं हैं कि इन विद्यालयों का प्रांतीयकरण कर सकें ।

## भिक्षुक गृह फैजाबाद, में हुई भिक्षुकों की मौतों का कारण तथा कृत कार्यवाही

*3-श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण भिक्षुक गृह, फैजाबाद के 10 भिक्षुक इस सर्दी में मर गए ? यदि हां, तो क्या भिक्षुकों की बीमारी, मौत, दवा व इलाज के सम्बन्ध में भिक्षुक गृह के अधीक्षक ने जिला अधिकारी, फैजाबाद व अपने विभाग के उप निदेशक को समय समय पर सूचना देते रहे ? यदि हां, तो अधीक्षक की सूचना अलग-अलग दोनों अधिकारियों को कब-कब मिली व उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गोपाल रामदास)--

राजकीय प्रमाणित-संस्था (भिक्षुक गृह) (पुरुष) अयोध्या, फैजाबाद के अंशकालिक चिकित्सक द्वारा संस्था के अधीक्षक को गम्भीर रूप से बीमार 24 भिक्षुक संवासियों को चिकित्सालय में प्रवेश कराने का परामर्श दिनांक 14-12-1983 को दिया गया था परन्तु अधीक्षक द्वारा परामर्श पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया ऐसे भिक्षुकों को चिकित्सालय में प्रवेश न कराने तथा समय से समुचित उपचार न हो सकने के कारण 10 भिक्षुकों की 16 दिसम्बर, 1983 से 29 दिसम्बर, 1983 के बीच मृत्यु हो गई ।

निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार अधीक्षक का कोई पत्र जिलाधिकारी, फैजाबाद को भिक्षुकों की बीमारी, मौत व इलाज के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुआ । दिनांक 22-12-83 को एक भिक्षुक के मृत्यु की सूचना सहायक निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को दिनांक 30-12-83 को अधीक्षक भिक्षुक गृह से प्राप्त हुई । अन्य कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित

यह जानना चाहता हूं कि, जिन बहुत से भिक्षुओं की मृत्यु हुई है, उनके नाम और पते क्या हैं और उनकी मृत्यु किन-किन तारीखों में हुई है तथा उनके कारण क्या हैं ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--)

सत्तन पुत्र काशी पता अज्ञात, मृत्यु की तारीख 16-12-83 नगीर अहमद पुत्र युसुफ, खैराबाद आजमगढ़, मृत्यु की तारीख 18-12-83, रमबृज पुत्र श्री मुरली, अज्ञात 22-12-83 पूरन पुत्र चंचल यमुना पार नन्द नगरी आगरा 23-12-83, यासीन पुत्र अलीदास अज्ञात 27-12-83, श्रीमती जानकी अज्ञात 25-12-83 गोकुल, पुत्र बद्री, मकान नम्बर 290, हरवारा कोमलगंज, इलाहाबाद। इनकी मृत्यु 27-12-83 को हुई। नान्हू पुत्र लीला, अज्ञात की मृत्यु 27-12-83 को हुई। बालम पुत्र तुलीराम, अलहक्पुर संवन गांव, बर्दवान की मृत्यु 29-12-83 को हुई। खुशीराम पुत्र लाल सिंह, अज्ञात इनकी मृत्यु 20-1-84 को हुई।

इसके साथ ही दूसरा प्रश्न है कि इन भिक्षुकों की मृत्यु किन कारणों से हुई तो उसका उत्तर यह है कि जब वे दिल्ली से आए और उनको प्रवेश दिया गया भिक्षुक गृह में तो उसी दिन डाक्टर डी0 के0 श्रीवास्तव ने उनका परीक्षण किया और उन्होंने कहा कि इनकी दशा असन्तोषजनक है। उन्होंने अंग्रजी में अपनी रिपोर्ट लिखी ह पहले मैं उसको पढ़े देती हूं फिर उसका हिन्दी में अनुवाद कर दूंगी कि :--

देयर कन्डीशन इज वैरी अनसेरिस फैक्टरी, दे आर सफरिंग फ्राम सीवियर मैल न्यूट्रेशन एनीमिया एन्ड क्रानिक ब्रोनकाइटिस विद ऐस्थमा

यानी कि उनको खाना-पीना ठीक से नहीं मिला, खून की कमी पाई गई तथा खांसी व दमें की पुरानी शिकायत पाई गई। इसके कारण उनको तुरन्त अस्पताल में भेजा जाना चाहिए था।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हू कि दिनांक 14 दिसम्बर, 1983 को वहां के अधीक्षक को कोई पत्र निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश का लिखा हुआ कि 24 भिक्षुओं की हालत गम्भीर है, उनमें से किसी भी समय स्वर्गवास हो सकता है, मिला ? इसकी प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को, सहायक निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण मण्डल, फैजाबाद को तथा जिलाधिकारी फैजाबाद को दी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, उनका एक पत्र 14 दिसम्बर, 1983 का निदेशालय में प्राप्त हुआ था जिसके अनुसार उन्होंने निदेशालय को सूचित किया था कि इस प्रकार के 25 भिक्षुक अस्वस्थ हैं और उनकी दशा असन्तोषजनक है। उसकी प्रतिलिपि जो प्रेषित की बताई जाती है जैसा कि माननीय विधायक ने कहा है कि भेजी गई है लेकिन जिले की सूचना यह है कि इसकी प्रतिलिपि उप निदेशक को प्राप्त नहीं हुई। जब 13-12-83 को उनको यह ज्ञात हुआ और डाक्टर ने कहा कि इनकी दशा असन्तोषजनक है तो यह बात सही है कि उस भिक्षुक गृह के अधीक्षक का यह उत्तरदायित्व था और उनका यह पुनीत कर्तव्य था कि 13 तारीख को ही वे उन्हें फैजाबाद अस्पताल में भर्ती करा देते परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैं माननीय मंत्री जी से यह बताना चाहता हूं कि जो पत्र की प्रतिलिपि सहायक निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, फैजाबाद मन्डल को भेजी गई उनकी तिथि इस प्रकार से है :--

14-12-83, 16-12-83, 19-12-83, 22-12-83 23-12-83, 27-12-83 तथा 29-12-83 इन तिथियों में उन्हें पत्र दिए गए और उनकी प्राप्ति भी हुई जिसका स्पष्ट उदाहरण हैं मेरे पास पिओन बुक की फोटो स्टेट कापी हैं मेरे पास उसे देख कर यह विदित होता है कि इन पत्रों को कापियां बराबर उनको मिलती रही हैं उनके दफ्तर के कर्मचारी बराबर उस पिओन बुक पर पत्र लेकर हस्ताक्षर बनाते रहे हैंयह तो बिल्कुल गलत बताया गया कि उन्हें कोई सूचना समय से नहीं मिली हैं । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि सूचना समय से मिली । इस विभाग के अधिकारी इस मामले को दबा रहे हैं ताकि यहां के उप निदेशक और उनसे सम्बन्धित लोग मामले में फंस रहे हैं, उनको बचाया जा सके । मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से कराने का कष्ट करेंगी जिससे कि दोषी व्यक्तियों को दण्ड मिल सके ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जो हेड होता है, वह अधीक्षक होता है । उसका यह कर्तव्य था कि पत्र लिख देने से उसका उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाता है । मान लीजिए मैं एक विद्यालय की प्रिंसिपल हूं, मैं प्रिंसिपल रह भी चुकी हूं और एक कन्या विद्यालय प्रांगण में बीमार हो जाती है, तो जिलाधिकारी को नोट लिखने के बजाय उसे अस्पताल भेजना ज्यादा जरूरी है । पत्र लिखकर क्य, कर्त्तव्य पूरा हो जाता है । जांच रिपोर्ट मेरे पास है । अस्पताल में उन लोगों को नहीं भर्ती कराया और चिकित्सा का इन्तजाम नहीं किया । इस सम्बन्ध में हम लोग सम्पूर्ण कार्यवाही कर चुके हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

फैजाबाद के जो उप निदेशक हैं, वह वहां के वरिष्ठतम अधिकारी हैं और अधीक्षक ने उनको 7 पत्र लिखे । अधीक्षक की जिम्मेदारी थी और आपने उसके खिलाफ कार्यवाही की, यह अच्छी बात है लेकिन जो वहां पर उप निदेशक हैं जिसको पत्र लिखे गये और 10-10 लोगों की जिन्दगी और मौत का सवाल है, इस सम्बन्ध में उप निदेशक ने जो अनुदारता का परिचय दिया है, उसके विरुद्ध आपने अब तक कौन सी कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्सी--

मान्यवर, जिले की सूचना के अनुसार जैसा कि मैंने निवेदन किया कि उनको सूचना 30-12-1983 को मिली । पहली तारीख को अखबार में निकला तो जिलाधिकारी ने सिटी मैजिस्ट्रेट को जांच के लिए भेजा और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ ऐक्शन लिया गया । 4 व्यक्तियों को जांच में दोषी पाया गया, जिन्होंने वहां पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी नहीं निभायी, उनके नाम हैं, दया शंकर सिंह, अधीक्षक, राज कुमार सिंह, कम्पाउन्डर, मुन्नी लाल राम, वरिष्ठ परीक्षक और उमा शंकर श्रीवास्तव, वरिष्ठ लिपिक । इन चारों अधिकारियों को बन्दी बना लिया गया । सिटी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट 1-1-1984 की है और सिटी मजिस्ट्रेट ने एफ0 आई0 आर0 भी लिखायी ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बीच में क्यों बोलने लगते हैं, जब वह बोल रही हैं तो बीच में क्यों बोलना चाहिये, उन्हें बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । मेरा तो स्पष्ट प्रश्न था कि जो उप-

निदेशक, फैजाबाद मंडल के हैं उनको अधीक्षक ने 7 पत्र लिखे, मेरे पास फोटो स्टेट कापी है, उनको भी जिम्मेदारी हो जाती है, तो उनके खिलाफ माननीय मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उनकी देखरेख और उनको भरती कराने की जिम्मेदारी अधीक्षक की थी जब उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो उसके विरुद्ध हमने ऐक्शन लिया । उप निदेशक को यह समाचार 30 तारीख को मिला और उस पर कार्यवाही पहली तारीख से शुरू हो गयी । जिले से जो सूचना हमे मिली है उसके अनुसार 30 तारीख को खबर मिली । जैसा कि आपने कहा कि पहले से पत्र भेजे गये तो मान्यवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम उस पर भी इन्क्वारी करा देंगे और जो उचित कार्यवाही होगी वह हम करेंगे । उस समय जिम्मेदारी अधीक्षक की थी और उसके ऊपर ऐक्शन लिया गया उसकी आप तारीफ नहीं कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

## डी0 सी0 होस्टल, गोरखपुर के हरिजन छात्रों को बाहर किये जाने से उत्पन्न आक्रोश

*4--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--(अनुपस्थित) ।

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के डी0 सी0 होस्टल, गोलघर, गोरखपुर के समस्त हरिजन छात्रों को पुस्तकें व सामान अभी हाल में हरिजन कल्याण अधिकारी ने मकान मालिक से मिलकर बाहर फेंकवा दिया है जिससे उत्पन्न स्थिति के कारण सभी छात्र (विश्व-विद्यालय, डिग्री कालेज व इन्टर कालेज) आन्दोलन पर हैं और उनका पठन ठप्प हो गया है ? इस पर सरकार क्या कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अभी छात्रगण पूर्ववत् डी0 सी0 छात्रावास गोलघर, गोरखपुर में रह रहे हैं यद्यपि भवन स्वामी ने अदालत से भवन खाली कराने का मुकदमा जीत लिया है अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील करने पर विचार किया जा रहा है ।

## बलिया में भर जाति के छात्रों को अनुसूचित जनजाति मान कर दी गयी छात्रवृत्ति

*5--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लेखा परीक्षा में यह पाया गया है कि वर्ष 1974-75 से 1976-77 के मध्य 19,000 रुपये भर जाति के विद्यार्थियों को स्वीकृत किया गया जबकि इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा भर जाति को अनुसूचित जनजाति नहीं घोषित किया गया था ? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे तथा उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपाल राम दास--

जनपद बलिया में भर जाति के विद्यार्थियों को वर्ष 1974-75 से 1976-77 के मध्य छात्रवृत्ति की स्वीकृति अनुसूचित जनजाति मानकर नहीं किया गया था । बल्कि विमुक्त जाति के आधार पर किया गया था ।

कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह जानना चाहता हूं कि जो छात्रवृत्ति दी गयी जैसा कि उत्तर में कहा गया है, वह

विमुक्त जाति मानकर दी गयी है । जब सरकार ने पैसा इसके लिए आवंटित किया होगा तो हरिजन छात्रों के लिये अलग से किया होगा और विमुक्त जाति के छोत्रों के लिये अलग से किया होगा । मंत्री जी यह बतायें कि इन वर्षों में बलिया जनपद में विमुक्त जाति के छात्रों के लिये कोई पैसा आवंटित किया गया था या नहीं ? दूसरा मेरा सवाल यह है कि सरकार ने उनको विमुक्त जाति कब घोषित किया और तीसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस समय नहीं घोषित किया गया था तो क्या इस समय अनुसूचित जाति मान कर किया है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, यह अनुसूचित जाति नहीं है और मैंने पहले ही निवेदन किया किये वंजारे हैं और भारत सरकार ने इनको विमुक्त जाति घोषित किया है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । प्रतिदिन यह हो रहा है । मैं आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हूं कि हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति गलत लोगों को दी जा रही है उत्तर प्रदेश में । आडिट ने भी इस पर आपत्ति की कि हरिजन छात्रों के लिये जो पैसा आया वह दूसरे लोगों को बांट दिया गया । इस सम्बन्ध में महालेखाकार की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की गयी । मंत्री जी कह रही हैं कि ये अनुसूचित जाति के नहीं थे, विमुक्त जाति के थे। मैंने यह पूछा था कि इस संदर्भित वर्ष में विमुक्त जाति के विद्यार्थियों को बलिया में छात्रवृत्ति देने के लिये कोई धन आवंटित किया गया था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, इसकी सूचना उपलब्ध करा कर आपके माध्यम से माननीय विधायक को प्रस्तुत कर दी जायेगी । लेकिन इतना अवश्य है कि इनका जो प्रश्न था कि उनको हरिजन समझ कर दिया गया ऐसी बात नहीं है । विमुक्त जाति के विद्यार्थी समझ कर ही इनको पैसा दिया गया है । हरिजन समाज कल्याण की ओर से हरिजनों को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, विमुक्त जाति को और पिछड़ी जाति को पैसा देने का प्राविधान है ।

श्री गौरी शंकर भैंण्या—

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि भर जाति बलिया में बंजारे के अन्तर्गत आती है । यह हमारे जनपद का मामला है । वहां पर भर जाति, गौड़ और गौड़ जाति के लड़के पांच वर्षों से अनवरत रूप से आन्दोलन कर रहे हैं और शासन पर दबाव डाल रहे हैं कि उनका नाम अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया जाय । क्या माननीय मन्त्री जी हमारी सूचना को सही मानकर कि यह बंजारे नहीं हैं, बल्कि वहां के स्थायी निवासी हैं उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की कृपा करेंगे ?

दूसरा यह कि क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि बलिया जनपद के अन्दर जो सूची जारी की गयी है उसमें गौड़ और भर जाति के लोगों के नाम इस सूची में नहीं आते हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, भर जाति अनुसूचित जाति में नहीं है वे विमुक्त जाति में आते हैं। अगर माननीय विधायक जैसा उन्होंने कहा उस तरह का आवेदन कर दें कि भर जाति और गौड जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाय तो हम आपके पत्र को भारत सरकार को अग्रसारित कर देंगे ।

श्री माधव प्रसाद—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से

जानना चाहता हूं कि विमुक्त जाति में कौन कौन सी जातियां आती हैं ? क्या उसमें भर जाति के लोग आते हैं या अनुसूचित जाति में यह लोग आते हैं और उनको इसकी छात्रवृत्ति दी जाती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

## ड्रेनेज मण्डल, आजमगढ़ के अन्तर्गत बलिया स्थित प्रखन्डों में स्थायी वाहन चालकों को बिना कार्य वेतन भुगतान

*6---श्री गौरी शंकर भैंरया---

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि ड्रेनेज मण्डल, आजमगढ़ के अन्तर्गत बलिया स्थित प्रखन्डों में सरकारी अधिकारियों द्वारा तीन स्थाई वाहन चालकों को कई वर्षों से बिना सरकारी वाहन चलाये अनवरत वेतन का भुगतान किया जा रहा है एवं इनके वाहनों पर दैनिक मजदूरी चालकों से वाहनों को चलवा कर सरकारी धन का अपव्यय एवं दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)---

ड्रेनेज मण्डल, आजमगढ़ के अन्तर्गत जनपद बलिया में तीन नियमित वाहन चालकों को बिना वाहन चलाये वेतन का भुगतान किया जा रहा है । इनमें से दो को आवंटित ट्रक निष्प्रयोज्य हैं और एक नियमित चालक को कोई वाहन आवंटित नहीं है ।

दैनिक मजदूरी पर एक चालक से वाहन चलवाई जा रही है ।

श्री गौरी शंकर भैंरया---

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से सवाल किया था कि क्या सिंचाई मन्त्री जी को ज्ञात है कि ड्रेनेज मण्डल आजमगढ़ के अन्तर्गत बलिया स्थित प्रखण्डों में सरकारी अधिकारियों द्वारा तीन स्थायी वाहन चालकों को कई वर्षों से बिना सरकारी वाहन चलाये अनवरत वेतन का भुगतान किया जा रहा है एवं उनके स्थान पर दैनिक मजदूरी चालकों से वाहन को चलवा कर सरकारी धन का अपव्यय एवं दुरुपयोग किया जा रहा है ? जिसका माननीय मन्त्री जी ने जवाब दिया है बलिया में तीन नियमित वाहन चालकों को बिना वाहन चलाये वेतन का भुगतान किया जा रहा है । इनमें से दो को आवंटित ट्रक निष्प्रयोज्य हैं और एक नियमित चालक को कोई वाहन आवंटित नहीं है । जब मान्यवर, तीन ड्राइवर स्थायी तौर पर बेकार हैं और उनको वेतन दिया जा रहा है तो फिर दैनिक मजदूरी पर रखने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, यह बात सही है कि 17 लोग वहां काम कर रहे हैं जबकि आवश्यकता केवल 16 की थी । उसके बाद भी कुछ वाहन खराब पड़े हुए हैं । लेकिन उनके लिए जो कर्मचारी रखे गये हैं, उनको निकालना मुश्किल होता है । लेकिन यह देखा जाता है कि जब वाहन खराब होता है तो उसके बदले दूसरा वाहन दिया जाता है । लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है । दूसरा डेली वेजेज से वाहन चलवाया जा रहा है, यह कहा गया है तो माननीय सदस्य की भावना सही है कि जब 16 लोगों की आवश्यकता थी तो एक और आदमी क्यों रखा गया है । तो इसके लिए कहा गया है कि जिसकी आवश्यकता नहीं है वहां से उसे स्थानान्तरित कर दिया जाय और जो नियम हैं काम करने के लिए जो रेगुलेशन्स हैं, उनको पहले मौका मिलना चाहिए, यह आदेश कर दिये गये हैं ।

श्री गौरी शंकर भैंरया---

यह जो दो वाहन खराब हो गये हैं, उनकी जगह नये वाहन देने का कष्ट करेंगे ? जो तीन चालक नियुक्त हैं और दो वाहन खराब हो गये है एक को

आप ऐसे ही तनखा दे रहे हैं । तो क्या वहां 3 अच्छी गाड़ियां दे कर चलवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वाहन जब मिलेगा तो उस पर विचार किया जायेगा ।

[बुधवार, 4 अप्रैल, 1984, के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

## प्रदेश में दहेज से हुई मौतें

*1--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु सरकार क्या कोई कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों ? 1 जनवरी, 83 से 1 मई, 83 तक दहेज की वजह से कितनी महिलाओं की मौतें हुई हैं ?

श्री गोपाल राम दास--

जी हां ।

प्रदेश में दहेज के कारण महिलाओं की होनें वाली मौतों के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन का विषय शासन के विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त यह इस सम्बन्ध में जो घटनायें प्रकाश में आती हैं, उन पर दहेज प्रतिबेध अधिनियम, 1961 के अधीन कार्यवाही की जाती है ।

1 जनवरी, 1983 से 1 मई, 1983 की अवधि में दहेज सम्बन्धी मृत्यु की 54 घटनाओं की रिपोर्ट प्रदेश पुलिस में की गयी । माहवार सूचना निम्न प्रकार है :

| | |
|---|---|
| अनवरी, 1983 | 5 |
| फरवरी, 1983 | 13 |
| मार्च, 1983 | 16 |
| अप्रैल, 1983 | 19 |
| मई, 1983 (1 मई, 83 तक) | 1 |

श्री कुंवर सिंह नेगी--

माननीय, हमारे प्रदेश में दहेज से होने वाली मौतों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है और जो सूचना आयी है, उसमें कितनी ऐसी मौतें होंगी जो शासन के संज्ञान में नहीं आयी होंगी । लेकिन जो सूचना दी गयी है, वह 4 महीने में 54 मौतें होना बताया जो बहुत ही गम्भीर बात है और इस विषय में जवाब दिया कि इसको रोकने के लिए एक समिति का गठन कर रही है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति का प्रारूप क्या है और कब तक इस समिति का गठन कर दिया जायेगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय, इसके ऊपर जो समिति के गठन करने का विचार है वह शासन के विचाराधीन है, तो जब प्रारूप तैयार हो जायेगा तो वह आपके समक्ष रख दिया जायेगा । दूसरी बात इसको बनाने में हम शीघ्रता करेंगे और यह बात सही है कि यह गम्भीर बात है, इसमें दो राय नहीं है और मैं महिला होने के नाते इसको मससूस कर रही हूं । हम प्रयास कर रहे ह कि किसी प्रकार इस देश की इस प्रथा को समाप्त किया जाये और जो दोषी व्यक्ति हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे ।

माननीय, इसी सम्बन्ध में मैं एक सूचना देना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष पुलिस सेल बनाने का निर्णय लिया है, जो केवल इसी तरह के मामलों की देखेगी और मेरा निवेदन है कि यह एक सामाजिक कुरीति है जिसे हम सब को मिल कर इसको समाप्त करने का अभियान चलाना चाहिए जिसमें सरकार योगदान दे सकती है लेकिन सामाजिक जागृति की बहुत आवश्यकता है ।

श्री भीखा लाल--

क्या मन्त्री जी बतायेंगी कि महिलाओं में दहेज की प्रथा को समाप्त करने के

लिए, उनमें चेतना पैदा करने के लिये, 1 अप्रैल को लखनऊ में कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें समस्त जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों को हिदायत दी गयी थी कि अधिक से अधिक महिलाओं को भेजें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गयी थी ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, 54 केसेज हो गये, जैसा कि उत्तर में बताया गया है, तो क्या मंत्री जी यह बतायेगी कि, जैसा उन्होंने कहा कि एक कमेटी के गठन की बात शासन के विचाराधीन है तो इसमें कब तक निर्णय होगा, कब संस्तुति आयेगी, अमल उसका होगा कि नहीं ? यह लम्बा प्रोसेस हो गया, तो क्राइम्स को रोकने के लिए, जो दहेज के कारण होती हैं, तुरन्त क्या कदम उठा रही हैं कि यह घटनायें न घटें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आज हम सब, पक्ष और विपक्ष, यहां बैठे हैं तो हम सब इस बात का प्रण करें कि हम दहेज अपने बेटों की शादी पर नहीं लेंगे और न लड़कियों की शादी में दहेज देंगे ।

(व्यवधान)

कितने विपक्ष के ऐसे लोग हैं जिनके बहुवें आई हैं, लेकिन उन्होंने दहेज नहीं लिया है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मुझे खेद है कि इतने गम्भीर विषय को माननीय समाज कल्याण मंत्री बहुत ही अगम्भीरता के साथ ले रही हैं, अभी दो दिन पहले, अपने विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान, जितनी पीड़ा उनके मन में है, मैं उनके मन की पीड़ा को समझता हूं, फिर भी उनके मंत्रित्व काल में 54 महिलायें दहेज की बलिवेदी पर चढ़ गयीं, इस बात का दर्द कहीं दिखाई नहीं दे रहा है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी जानकारी में है कि केन्द्र सरकार ने कोई ऐसा कानून दहेज के विरोध में बनाया है, जिसमें जो अब तक की पुलिस की औपचारिकतायें थीं और जिसका बहाना लेकर लोग बच जाते थे, उनको नहीं रखा गया है और जिसमें कठोर दण्ड का प्राविधान किया गया है ? क्या उसको उत्तर प्रदेश में अविलम्ब लागू कर दिया गया है या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए कि 1961 के दहेज विरोधी अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं, हम एक समिति को गठित करने पर विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही उसका गठन हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

यह मामला बहुत संगीन है, इसलिए मेरी सलाह यह है कि मंत्री जी इस पर विचार कर लें कि इस सदन की तीन सदस्यों की आपकी अध्यक्षता में एक समिति बना दी जाये, जिसमें अलग से एक महिला सदस्य भी होगी । एक कोई समिति बना दी जाये वह एक महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे, जिसकी रोशनी में सरकार उचित कार्यवाही करे ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य होगी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, उस पर विचार किया जायेगा । मेरा आपसे निवेदन है कि इस सामाजिक कुरीति को कम से कम हम सब लोग समाप्त करने के लिए भगवान को साक्षी करके यह कसम खायें कि अपने बेटे की शादी में हम दहेज नहीं लेंगे और अपनी बेटी की शादी में कोई किसी किस्म का दहेज नहीं देंगे ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, मोहन सिंह जी को उक्त समिति में जरूर रखा जाये, क्योंकि इनके दर्द होता है ।

*2—श्री पंचानन राय—

[दिनांक 15 फरवरी, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 49 द्वारा उत्तरित ।]

*3—श्री रेवती रमण सिंह—

[करण संख्या—26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित ।]

सिंचाई विभाग में प्रभारी सहायक अभियन्ताओं का अधिशासी अभियन्ता के पदों पर कार्यरत होने का औचित्य

*4—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 में 104 प्रभारी सहायक अभियन्ताओं के अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यरत होने का औचित्य व कारण क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सिविल संवर्ग के सहायक अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्यष्ठता विवादग्रस्त होने के कारण खंडों के कार्य संचालन हेतु यह व्यवस्था वर्ष 1973 में प्रारम्भ की गई थी । चूंकि ज्येष्ठता निर्धारण के सिद्धान्त सम्बन्धी कई वाद अब भी उच्चतम न्यायालय में लम्बित हैं, इसलिए यह व्यवस्था जारी है ।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि विवादों का निपटारा करने हेतु क्या किया जा रहा है तथा विवाद कब तक बटा दिये जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह तो उच्चतम न्यायालय में विवाद चल रहा है और हम यह चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय से जब यह निर्णय हो जाये तब इसका कर लें ।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि 104 में से ऐसे कितने हैं जिनके पदों का विवाद न्यायालयों में नहीं हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जब एक कोई मामला उच्चतम न्यायालय में चला जाता है तो उसका असर अन्य लोगों पर भी जरूर पड़ता है, इसलिए निश्चय किया गया है कि जब उच्चतम न्यायालय से निर्णय हो जाये तो इसको किया जाये ।

श्री मोहन सिंह—

यह इस विभाग का ऐसा विवाद है जिसको हल करने में शासन और विभाग के उच्चाधिकारियों की कोई रुचि नहीं है । अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची न बनाने के लिए उसने आपको कान्टम्प्ट आफ कोर्ट की और विभाग की अदालत की मानहानि की नोटिस दी थी । उस पर भी तुरन्त कोई कार्यवाही आपके विभाग ने नहीं की । तो मैं जानना चाहता हूं कि अभियन्ताओं की वरिष्ठता की सूची जिसके लिये कि आपको उच्च न्यायालय के भी आदेश हैं, आप कब तक तैयार करवा लेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, 477 लोगों की वरिष्ठता सूची बन गयी थी, पर बाद में कुछ लोग उच्चतम न्यायालय में चले गए। जब देखा गया कि मामला झगड़े में पड़ गया है, तो जब तक अब उच्चतम न्यायालय के आदेश नहीं हो जाते, वह रोक दिया गया है ।

## हल्द्वानी सब जेल में बन्दी श्री सुरेन्द्र पाल सिंह की मृत्यु तथा जांच

*5---श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हल्द्वानी जेल में सरदार पाल सिंह को विषाक्त जूस पिला कर माह मई, 1983 में मार डाला गया है, यदि हां, तो घटना का पूर्व विवरण क्या है तथा जिन व्यक्तियों ने जूस दिया है उनके निरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

जी नहीं ।

सरदार पाल सिंह नाम के किसी बन्दी को हल्द्वानी सब जेल में मई 1983 में विषाक्त रस पिला कर नहीं मारा गया । वरन् एक अन्य बन्दी सुरेन्द्र पाल सिंह की मृत्यु दिनांक 20-5-83 को सदर अस्पताल हल्द्वानी में 8·55 बजे सायंकाल हुई थी । घटना का विवरण निम्नवत् है :--

बन्दी रक्षक फकीरी खां उर्फ लियाकत अली ने आधा लीटर रस प्लास्टिक के डिब्बे में जेल के बाहर बाजार से खरीद कर बंदी रक्षक श्री बहादुर सिंह को दिया और उसे बन्दी सुरेन्द्र पाल सिंह को देने को कहा उक्त रस का कुछ भाग बन्दी सुरेन्द्र सिंह ने पिया और शेष भाग को दो अन्य बन्दियों को दिया । रस पीकर तीनों बन्दी बेहोश हो गये । तीनों बन्दियों को सदर अस्पताल हल्द्वानी भेजा गया । बन्दी सुरेन्द्र पाल सिंह की मृत्यु अस्पताल में उसी दिन 8.55 बजे सायंकाल हो गयी । शेष 2 बन्दी आवश्यक उपचार के बाद स्वस्थ हो गये ।

इस घटना की मैजिस्ट्रेटी जांच कराई गई है । उसमें बन्दी रक्षक फकीरी खां द्वारा रस जेल के बाहर से लाकर बंदियों को पहुंचाने तथा रस में विषाक्त पदार्थ मिला होने का संदेह व्यक्त किया गया है ।

उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस में दिनांक 20-5-83 को रात्रि 8·45 पर की गई । बन्दी रक्षक फकीरी खां के विरुद्ध अपराध संख्या-31/83 धारा 328, 307, 302 भा0 दं वि0 के अन्तर्गत कायम किया गया है, जो विवेचनाधीन है । पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हुआ । मृतक के बिस्तरे की रासायनिक जांच कराई गई है । रिपोर्ट में कथित रस में विष का पाया जाना निश्चित नहीं हुआ है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रक्षक फकीरी खां द्वारा जो यह प्लास्टिक की थैली में रस पिलाया गया, इसके पीछे राज क्या था ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर--

राज की जानकारी तो हमें नहीं है । लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया, आज भी उसके खिलाफ केस चल रहा है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

मान्यवर, सरदार पाल सिंह के परिवार की एक दूसरे परिवार से दुश्मनी थी । आपसी दुश्मनी के कारण यह जहर पिलाया गया । तो जिनकी दुश्मनी थी और जिनके कारण यह जहर पिलाया गया, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही करेंगे ? मान्यवर, एक बात और बता देना चाहता हूं कि जब इस लड़के की मृत्यु हुई तो पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो इस लड़के का जो पिता था, वह महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पास पहुंचा, भारत सरकार की प्रधान मंत्री के पास पहुंचा और यहां के मुख्य मंत्री के पास पहुंचा और जब कोई कार्यवाही नहीं

हुयी तो मैंने यह प्रश्न लगाया था। तो माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जो इनके प्रतिद्वंदी थे क्या आप उनके विरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे और कोई उच्चस्तरीय जांच भी करायेंगे ?

श्री अब्दुल रहमान खां नइतर---

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा हम इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने को भी तैयार हैं लेकिन मान्यवर, जैसे जानकारी में आया वैसे इस पर तुरन्त कार्यवाही की गयी। पुलिस में रिपोर्ट लिखायी गयी और उनको बन्द कराया गया और उनकी जमानत हुई। आज भी मामले की जांच हो रही है और मुकदमा कायम है। अगर उच्चस्तरीय जांच की आवश्यकता आप बता रहे हैं तो इसमें मुझे जांच कराने में कोई एतराज नहीं है।

राजकीय सूक्ष्म उपयन्त्र निर्माण शाखा, लखनऊ के डिस्चार्ज कर्मचारियों के बकाया पेन्शन व ग्रेच्युटी के भुगतान की मांग

*6---श्री राम गोविन्द तथा श्री गौरी शंकर भैया---

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सूक्ष्म उपयन्त्र निर्माण शाखा, लखनऊ के कितने ऐसे कर्मचारी व अधिकारी हैं जिनको दिनांक 1-3-1975 से सेवा से डिस्चार्ज कर दिये जाने के फलस्वरूप देय पेन्शन ग्रेच्युटी आदि का भुगतान नहीं किया गया है ? इनको इतनी अवधि बीतने के उपरान्त भी पेन्शन, ग्रेच्युटी का भुगतान क्यों नहीं किया गया और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गयी है तथा इसका भुगतान कब तक किया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गौरी शंकर भैया---

मान्यवर, मैंने सवाल किया था कि क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सूक्ष्म उपयन्त्र निर्माणशाला, लखनऊ के कितने ऐसे कर्मचारी व अधिकारी हैं जिनको दिनांक 1-3-1975 से सेवा से डिस्चार्ज कर दिये जाने के फलस्वरूप देय पेन्शन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान नहीं किया गया है। तो इसका जवाब आया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। यह कानपुर का मामला है। यह सवाल मैंने आपके विभाग को 6-2-84 को दिया था और 21-2-84 को यह कानपुर भेजा गया था। लेकिन आज 4-4-84 हो गया है और सूचना एकत्रित की जा रही है। 9 वर्ष हो गये हैं, 5 आदमियों को पेन्शन और ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है जबकि माननीय मंत्री जी का निर्देश है और नियम है कि 6 महीने के अन्दर उनको पेन्शन और ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया जाय। अगर न कर पायें तो अंतरिम भुगतान कर दिया जाय। लेकिन आज 9 वर्ष हो गये है भुगतान नहीं किया गया है। मान्यवर, क्या आप आदेश देंगे कि इसको अगले बुधवार को लगाकर पूरी सूचना एकत्रित करके माननीय मन्त्री जी लायें ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, उत्तर दे दिया जायगा।

(श्री सरदार सिंह के सोने पर।)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सरदार सिंह आप सदन में सो नहीं सकते।

गंगा नदी में बाढ़ से तरबूजा आदि फसलों की क्षति

*7---श्री मोतीलाल देहलवी---

क्या सरकार को जानकारी है कि गंगा नदी में अचानक अत्यधिक पानी अ

जाने के कारण फर्रुखाबाद, कानपुर तथा इलाहाबाद आदि गंगा पटरी के अनेकों स्थानों की करोड़ों रुपयों की तरबूज-खरबूजा तथा सब्जियों की फसलें विगत 1981 से माह अप्रैल, 1983 की अवधि में बर्बाद हुई हैं ? यदि हां, तो शासन ने इस हानि को रोकने के सम्बन्ध में अब तक क्या उपाय किये ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । सिंचाई विभाग में कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं है । जहां तक नदी में पानी आने से होने वाली हानि को रोकने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में कोई उपाय किया जाना संभव नहीं है क्योंकि यह फसलें नदी की तली में उगाई जाती हैं, जहां पानी को रोका जाना सम्भव नहीं होगा ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि गंगा नदी में अचानक काफी पानी छोड़ दिया गया है जिससे फर्रुखाबाद से लेकर, कानपुर, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में जहां-जहां गंगा नदी बहती है, वहां पर जो उसके किनारों पर तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, जैसी फसलों को जो खेती है उसका करोड़ों का नुकसान हो गया है । एक बात ध्यान देने योग्य है कि अप्रैल और मई में गंगा नदी में बाढ़ नहीं आती है । मंत्री जी कहते हैं कि ऐसी कोई सूचना नहीं मिली । तो मैं जानना चाहता हूं कि जब मेरा प्रश्न आपके द्वारा स्वीकार किया गया और शासन को गया तो क्या मंत्री जी ने इसकी कोई जांच करवायी कि यह पानी कहां से आ गया गरमी के महीने में ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह बात कहना गलत है कि गंगा नदी सूख जाती है, पानी नहीं रहता, और आप जानते हैं कि जो नहरें हमारी बनाई गयी हैं, पूरे गाजीपुर तक लिफ्ट कैनाल लगी हुई हैं, जो हमारा पानी सिंचाई के बाद बचता है, वह गंगा में जाता है । हमने लिफ्ट कैनाल लगा दिया है, उसको बन्द कर दें, खाली आपके तरबूजे-खरबूजे के लिए ? जो लोग नदी की तली में यह लगाते हैं, इसलिए यह सवाल करना कहां तक ठीक है कि गंगा की तली में खरबूजे-तरबूजे को बचाने के लिए हम सिंचाई बन्द कर दें । यह मान्यवर, सम्भव नहीं है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, हमने जो प्रश्न किया, उसका उत्तर नहीं आया ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, करैला भी बोया जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

क्या आपको करैले से चिढ़ है ?

श्री मोती लाल देहलवी--

आखिर गांव में रहने वाले गरीब लोग जब अप्रैल और मई में फसल को बोते हैं और उससे बेचारे साल भर उसकी कमाई खाते हैं, उसका महत्व माननीय मंत्री के दिमाग में नहीं है । ये कहते हैं कि खरबूजे-तरबूज और ककड़ी की क्या जरूरत है । मान्यवर, हमने प्रश्न किया था कि क्या आपने कोई इसकी जांच की, यह पानी कहां से आ गया ? मान्यवर, उसका उत्तर उन्होंने यह दे दिया कि तरबूजे-खरबूजे की कोई जरूरत ही नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भविष्य के लिए आप इन गरीबों की फसलों के नुकसान को देखते हुए . . .

श्री अध्यक्ष--

माननीय गौरी भैया, आप इधर से उधर से क्यों जा रहे हैं ?

श्री मोती लाल देहलवी--

तो मैं मान्यवर, यह प्रश्न कर रहा था कि भविष्य के लिए आप इन गरीबों की फसल के नुकसान को देखते हुए आप

कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाने के लिए तैयार हैं कि भविष्य में इनकी फसलों का नुकसान न हो ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं तो यही चाहूंगा कि जो नदी की तली में खरबूजे-तरबूजे लगाते हैं, वे ऊंची जगह पर लगायें, नहीं तो पानी आयेगा, तो वह बह जायेगा ।

श्री मोती लाल देहलवी--

ये मान्यवर, कहां पर रहते हैं ? ये इंग्लैंड में रहते हैं या हिन्दुस्तान में रहते हैं ? मान्यवर, ये नहीं जानते हैं कि खरबूजे और तरबूजे तलहटी में ही बोये जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप उनको तरबूजे पहुंचा दीजिए ।

## कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम म गबन

*8--श्री रियासत हुसैन--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ज्ञात है कि हाल ही में जनजाति निगम कुमायूं मण्डल विकास निगम में 4 लाख रुपये का गबन हुआ है ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों का नाम क्या है ? क्या मन्त्री जी दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम में 52,500 रुपये के गबन का मामला प्रकाश में आया है ।

इस सम्बन्ध में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के जनजाति निरीक्षक श्री सत्यव्रत सिंह राना को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद उन्हें उनके विभाग द्वारा निलम्बित किया जा चुका है तथा कुमायूं मण्डल विकास निगम के प्राविधिक अधिकारी, श्री एन0 एन0 शुक्ला जो उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये हैं को भी संदेह के कारण कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के कार्यों से हटा दिया गया है । मामले की तफतीश पुलिस द्वारा की जा रही है तथा निगम द्वारा भी विभागीय जांच की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन् क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो 52,500 रुपये का गबन प्रकाश में आया, जिसका सारा दोष एक इन्सपेक्टर के ऊपर आपने उतार दिया, क्या उसमें कार्यालय के, आपके जनजाति निगम के कार्यालय के कुछ और कर्मचारी भी दोषी पाये गये या नहीं ? यदि दोषी पाये गये, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है और क्या यह सही है, आपके जो यह अधिकारी हैं शुक्ला जी, जिन्हें आपने अब हटाया, इनसे ही परेशान होकर झील में कूद कर आत्महत्या भी किया ? यदि हां, तो उसका क्या अन्त हुआ ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

इसके अलावा कौन अधिकारी दोषी हैं, इसकी जानकारी विस्तृत जांच से मिल सकेगी । लेकिन जो सूचना मेरे पास है, उसके द्वारा एम0 एन0 शुक्ल को निलम्बित कर दिया है, उनके विभाग ने ।

श्री रियासत हुसैन--

वह तो कर दिया । अधिकारी नहीं, कार्यालय के कर्मचारी एक इंस्पेक्टर को निलम्बित किया, अधिकारी को अब कर दिया, प्रश्न होने के बाद । जो कर्मचारी से सम्बन्धित थी, जिन्होंने यह सारा गड़बड़ घुटाला किया, 52 हजार 500 रुपये का गबन पकड़ लिया गया । जो कार्यालय के कर्मचारी हैं, जिनकी साठ-गांठ से हुआ था, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही

की गई ? नहीं की गई, तो क्यों नहीं की गई ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

एक तो गिरफ्तार किया गया है, निलम्बित भी किये जा चुके हैं । एक दूसरे विभाग से सम्बन्धित थे, उन्हें निलम्बित किया जा रहा है, बाकी की जांच चल रही है, जांच के बाद जो कुछ पाया जायगा, विभागीय एवं पुलिस की जांच से उस पर कार्यवाही की जायेगी । इसके अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है 420,468 का मुकदमा कायम हुआ है । क्राइम नम्बर 77/78, 8-12-83 का है ।

## देवरिया जिले में कम्पोनेंट योजना के तहत अनुदान

*9--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के अन्तर्गत बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्दर कम्पोनेंट योजना के तहत हरिजनों को 50 प्रतिशत की जगह पर 33 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपाल राम दास--

शासनादेश संख्या 7164/26-3-82-11(42)-81, दिनांक 9-6-82 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश जारी होने की तिथि से स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के तहत ऋण के 50 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । इसके पहले शासनादेश संख्या 4895/26-3-81-7(21)-80, दिनांक 26-5-81 के अनुपालन में 25 प्रतिशत अथवा 33-1/3 प्रतिशत दिया जाता था ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मैं मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि 9-6-82 को जो आदेश हरिजन विभाग द्वारा प्रसारित हुआ है, मेरे यहां 1982-83 में हरिजनों को जो ऋण दिया गया उसमें 33 प्रतिशत का अनुदान दिया गया, उन सबों का कहना है, उसके बाद मैंने प्रश्न किया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी जांच कराकर 1982-83 में 3 हरिजनों को ऋण दिया गया उनको 33 प्रतिशत अनुदान दिया गया है, उसको 50 प्रतिशत करायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय विधायक ऐसे केसेज हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, आवेदन या प्रतिवेदन देंगे, तो उनके सम्बन्ध में जी० ओ० के अनुसार कार्यवाही करने का मैं आपको आश्वासन देती हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त ।

## नलकूप निर्माण खण्ड प्रथम, बरेली के सहायक अभियन्ता श्री वीरेन्द्र सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

*10--श्री रामेश्वर नाथ चौबे--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें प्रश्नकर्ता का रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 1983 जो नलकूप निर्माण खण्ड प्रथम बरेली के सहायक अभियन्ता, द्वितीय (श्री वीरेन्द्र सिंह) द्वारा सीमेंट की कैरिज तुरन्त न कराने तथा राजकीय वाहनों से न कराकर ठेकेदारों से कैरिज कराने व निरीक्षण भवन फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली पर ली गयी गलत साइज की खरीदी हुई बजरी आदि की जांच करने के सम्बन्ध में था,

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त ।

प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । प्रश्नगत पत्र में वर्णित आरोपों की जांच हेतु एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री धीरेन्द्र वर्मा, आबकारी निरीक्षक के रामपुर डिस्ट्रिलरी में तैनाती के समय मारा गया छापा

*11—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि धीरेन्द्र वर्मा, श्री आबकारी निरीक्षक, 1982 में जब रामपुर डिस्टिलरी में तैनात थे, तब वहां विभाग के अधिकारियों ने छापा मार कर कई लाख रुपये की तस्करी एवं बिना ड्यूटी पेड शराब पकड़ी थी ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेध मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)--

श्री धीरेन्द्र वर्मा, आबकारी निरीक्षक न तो वर्ष 1982 में रामपुर आसवनी में नियुक्त थे और न ही उक्त वर्ष में विभाग के अधिकारियों द्वारा रामपुर आसवनी में कोई छापा मारा गया था ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

राज्य कताई मिल, बाराबंकी में प्रबन्धकों की अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं जांच रिपोर्ट

*12--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी स्थित राज्य कताई मिल में श्रमिकों के शोषण तथा अनियमित रूप से प्रबन्धकों द्वारा कार्य करने के सम्बन्ध में दिनांक 23 सितम्बर, 1982 से 3 अक्तूबर, 1982 की अवधि में उक्त मिल के एक यूनियन का प्रार्थना-पत्र तथा उक्त सम्बन्ध में दो विधायकों का पत्र, प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो क्या सम्बन्धित मामलों की जांच उप श्रमायुक्त लखनऊ को दी गयी थी ? आयुक्त द्वारा जांच के मुख्य मुद्दे क्या-क्या थे और उन मुद्दों पर क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जी हां ।

जांच के मुख्य मुद्दे तथा उन पर प्रकाश में आये तथ्य† संलग्न हैं ।

श्री विभूति नारायण ग्लास फैक्ट्री, रामनगर, वाराणसी में घाटा

*13--श्री ऊदल--

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि श्री विभूति नारायण ग्लास फैक्ट्री, रामनगर, वाराणसी में अब तक एक करोड़ से ऊपर घाटा हो चुका है और उत्पादन भी पूरा नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित व्यवस्था करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विभूति ग्लास फैक्ट्री, रामनगर, वाराणसी में उत्पादन कार्य 1975 से बन्द है तथा 31 मार्च, 1982 तक क्रमागत हानि 34,69,506 रु0 हुई है । शासन द्वारा इसे मूल मालिकों को वापस करने के उद्देश्य से 25 फरवरी,

†(छापा नहीं गया ।)

1984 को समझौता डोड पर हस्ताक्षर हो गए हैं ।

*14—श्री धनीराम वर्मा—

[9वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

## प्रदेश में आवर्तक अनुदानित प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों को पेंशन आदि सुविधा दिये जाने की मांग

*15—श्री सन्त बख्श रावत—

प्रश्नकर्ता के अता० प्र० सं० 77, दिनांक 15 फरवरी, 1984 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों/अध्यापिकाओं को पशन और ग्रेच्युटी देने में जब शासन पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा तो प्रदेश के आवर्तक अनुदानित प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापक/अध्यापिकाओं को पेंशन ग्रेच्युटी की सुविधा प्रदान करने में क्या कठिनाई है ? शासन उनके निदान के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मामला शासन के विचाराधीन नहीं है ।

## अधीक्षक, जिला कारागार, वाराणसी के विरुद्ध कार्यवाही

*16—श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार के मामले में दिनांक 13-14 दिसम्बर, 1983 को उप कारागार महानिरीक्षक मुख्यालय को जांच में दोषी सिद्ध हो जाने के बाद भी अब तक वर्तमान अधीक्षक, जिला कारागार, वाराणसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही उन्हें वहां से हटाया गया ? यदि हां, क्यों ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

मामले की जांच चल रही है । अधीक्षक का तबादला कर दिया गया है ।

*17—श्री भीखा लाल—

[9वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

## दोषी पाये गये आबकारी निरीक्षकों को पुनर्स्थापित किये जाने का कारण

*18—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अता० प्र० सं० 158 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आबकारी मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि दोषी आबकारी निरीक्षकों को 6 माह के अन्दर आरोप-पत्र क्यों नहीं दिए गए ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ? एवं आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट आरोप के बाद भी 20 अगस्त, 1982 को पुनर्स्थापित किन परिस्थितियों में किया ?

श्री वासुदेव सिंह—

दोषी आबकारी निरीक्षकों को छः माह के अन्दर ही आरोप पत्र दे दिये गये थे । अतएव किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

चूंकि आबकारी निरीक्षकों को निलम्बित हुए छः माह पूरे हो चुके थे तथा इसी मामले में अपराध अनुसंधान विभाग की अर्थ विषयक अभिसूचना तथा अनुसंधान इकाई द्वारा जांच की जा रही है जिसको पूर्ण होने में समय लगने की सम्भावना पाई गई इसलिए आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 20 अगस्त, 1983 द्वारा आबकारी निरीक्षकों को सेवा में पुनर्स्थापित कर दिया था ।

*19--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

[7वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

## नोएडा, गाजियाबाद में अधिगृहीत की गई भूमि के मालिकों को आवंटन में प्राथमिकता

*20--श्री विजय पाल सिंह--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा दिसम्बर, 1983 तक कितने कैंटीन, दुकान, आवासीय क्वार्टरों का निर्माण करा दिया गया है, कितने निर्माणाधीन हैं ? जिन लोगों की भूमि एक्वायर हुई है क्या उनको अथवा उनके परिवार के सदस्यों को कैंटीन, दुकान, आवासीय क्वार्टर के आवंटन के समय प्राथमिकता दी जाती है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर, 1983 तक 445 कैन्टीन/दुकानें और 8308 आवासीय भवन का निर्माण किया गया। इस समय 50 कैन्टीन/दुकानें और 1954 आवासीय भवन निर्माणाधीन हैं। जिन व्यक्तियों की भूमि नोयडा द्वारा अधिग्रहीत की गई उनको तथा उनके परिवार के सदस्यों को कैन्टीन/दुकान में 10 प्रतिशत का आरक्षण उपलब्ध है। ऐसे व्यक्तियों के लिए आवासीय भवन में 1983 तक 2 से 4 प्रतिशत तक आरक्षण रहा किन्तु वर्तमान नियमानुसार उनको "सर्वोच्च प्राथमिकता" दी जाती है।

अतारांकित प्रश्न

1-2--श्रीमती गेंदा देवी--

[9वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

## श्रीमती माधुरी पाण्डेय, सहायक अध्यापिका के बकायों का भुगतान

3--श्री तपेश्वर राम--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले बुधवार को उत्तरित अता0 प्र0 संख्या 131 के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि टी0 सी0 (महिला) परीक्षा, 1978 का परीक्षाफल किस दिनांक को घोषित किया गया तथा श्रीमती पाण्डेय को शिक्षित अध्यापिका का वेतनमान देने का प्रकरण निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण को विद्यालय द्वारा सन्दर्भित किया गया था ? यदि हां, तो जब श्रीमती पाण्डेय परीक्षाफल घोषित होने के दिनांक को सेवारत थीं और उन्हें कार्यरत अध्यापिका के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई थी तब उन्हें परीक्षाफल घोषित होने के दिनांक से शिक्षित अध्यापिका का वेतनमान किस नियम के अनुसार नहीं दिया गया ? 1-11-1978 से मकान किराया भत्ता का भुगतान प्रबन्धाधिकरण द्वारा क्यों रोका गया था ? अतिरिक्त महंगाई भत्ता के बकाए का भुगतान अब तक न किये जाने के लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा इस बकाए का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

4--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

[9वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

## उ0 प्र0 में चल रही डी0 टी0 सी0 की बसों में विधायकों का आरक्षण

5--श्री बिहारी लाल तथा श्री शिव नारायण सिंह नेगी--

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के अन्तर्गत

जो डी0 टी0 सी0 की बसें चल रही हैं, उन बसों में उ0 प्र0 के विधायकों और सहवर्ती को आरक्षण दिया जाता है ? यदि हां, तो कब से ?

परिवहन मंत्री (श्री गुलाब सेहरा) —

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## देवा नदी में बाढ़ से कटाई

6—श्री बिहारी लाल तथा श्री शिव नारायण सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवा नदी में जो बाढ़ आती है उससे जो कटान होता है, सरकार उस भूमि कटाव को रोकने की कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## प्रतापपुर, खटीमा में काली कोंच पर पुलिया बनाने की मांग

7—श्री बिहारी लाल तथा श्री शिव नारायण सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खटीमा के अन्तर्गत प्रतापपुर ग्राम में काली कोंच पर बंधा व पुलिया बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## खटीमा में बाढ़ से हुई क्षति तथा मुआवजा

8—श्री बिहारी लाल तथा श्री शिव नारायण सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विधान सभा 14 खटीमा क्षेत्र में पिछले 4 साल से किन-किन स्थानों पर बाढ़ आई और इस बाढ़ से कितनी भूमि कटी और इस कटान को रोकने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इन्हें कोई मुआवजा सरकार द्वारा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

9—श्री बिहारी लाल तथा श्री शिव नारायण सिंह नेगी—

[8वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

10—श्रीमती गेंदा देवी—

[9वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

11—श्री विश्वनाथ—

[9वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

## बिजनौर में बिना रोड टैक्स जमा कराये चल रही निजी बसें

12—श्री सूबेदार सिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बिजनौर में कितनी रूटों पर निजी बसें चल रही हैं और इन रूटों पर कितने परमिट होल्डर मालिकों ने 1980 से जनवरी, 1983 तक रोड टैक्स नहीं जमा किया है ? क्या सरकार इनका परमिट निलम्बित करेगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## भिक्षुक गृह शिवकुटी, इलाहाबाद के भिक्षुओं के शवों को दफनाये जाने की शिकायत तथा पोस्टमार्टम

13—श्री ऊदल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भिक्षुक

गृह शिवकुटी, इलाहाबाद के तीन भिक्षुकों के शव को गंगा नदी के किनारे गाड़ दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, इलाहाबाद के आदेश से नगराधीश श्री आर० एन० सिंह ने शव को खोदवा कर निकलवाया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उक्त भिक्षुक संस्था के खिलाफ क्या कार्यवाही अब तक की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री हृदय नारायण शुक्ला, महामंत्री, जनता पार्टी एवं श्री अनुग्रह नारायण सिंह अध्यक्ष, श्रमजीवी जन कल्याण समिति विद्युत द्वारा सूचना दी गयी कि भिक्षुक गृह तेलियर गंज के तीन संवासियों सर्वश्री राम जी, रामा स्वामी एवं ईदू की मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई और उक्त मृतकों के शव फाफामऊ पुल के पास अधीक्षिका द्वारा गड़वा दिए गए हैं, उक्त शव को निकाल कर पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की गयी । अतः उक्त मामले की जांच हेतु नगर मजिस्ट्रेट को आदेशित किया गया, नगर मजिस्ट्रेट ने द० प्र० सं० की धारा 174 (2) के अन्तर्गत थानाध्यक्ष, कर्नलगंज को आदेशित किया कि वे उक्त कथित स्थल पर जा कर अन्वेषण करें जहां शव का दफनाया जाना बताया गया है और शव प्राप्त होने की स्थिति में अन्वेषणोपरान्त पास पड़ोस के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार करें और शव को पोस्टमार्टम हेतु चिकित्सालय भेजवायें तथा पंचनामें की रिपोर्ट उन्हें प्रेषित करें थानाध्यक्ष, कर्नलगंज ने अन्वेषण के पश्चात् अपनी आख्या दिनांक 30-1-1984 प्रेषित करते हुए स्पष्ट किया कि संवासी राम जी 12-11-1983 को संस्था में प्रविष्ट किया गया और 5-12-1983 को उसकी मृत्यु हो गयी तथा उसे फाफामऊ पुल के समीप गंगा नदी के किनारे दफना दिया गया । दूसरा भिक्षुक ईदू जिसका प्रवेश संस्था में 27-8-1983 दर्शाया गया है की मृत्यु दिनांक 9-1-1984 को हो गई और उक्त शव को अन्जुमन कमेटी तेलियरगंज को दफन करने हेतु सौंप दिया गया जिसे तेलियर गंज कब्रिस्तान में उक्त कमेटी ने दफना दिया । इसी प्रकार तीसरे भिक्षुक रामा स्वामी जिन्हें इस संस्था में दिनांक 9-8-1983 को प्रविष्ट दिखाया गया है की मृत्यु दिनांक 3-11-1983 को हो गई और उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया ।

थानाध्यक्ष, कर्नलगंज की आख्या प्राप्त होने पर नगर मजिस्ट्रेट श्री आर० एन० सिंह ने द० प्र० सं० की धारा 176 (3) के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुए संवासी राम जी एवं ईदू के शव को खुदवाकर मृत्यु के कारणों की जांच हेतु डाक्टरी परीक्षण कराने का आदेश दिया । दिनांक 3-2-1984 को थानाध्यक्ष, कर्नलगंज ने नगर मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद, उपनिदेशक, हरिजन समाज कल्याण, इलाहाबाद क्षेत्राधिकारी (नगर), द्वितीय एवं जनता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उक्त शवों की खुदाई कराई । भिक्षुक गृह की अधीक्षिका श्रीमती माया विरमानी, सूचना के पश्चात् भी बाहर चली गयीं और शव खुदाई के समय स्थल पर उपस्थित नहीं हुईं । भिक्षुक गृह के कर्मचारियों द्वारा बताये गये स्थल पर पर्याप्त खुदाई की गयी । मृतक राम जी का शव खुदाई में प्राप्त नहीं हुआ ईदू की शव जिसे अंजुमन कब्रिस्तान कमेटी के माध्यम से दफनाया गया था तथा तेलियरगंज कब्रिस्तान में प्राप्त हुआ और उसका पंचनामा कराने के पश्चात् पोस्टमार्टम हेतु स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल भेज दिया गया । मृतक ईदू के पोस्टमार्टम किये जाने के पश्चात् उसके मृत्यु के कारणों के बारे में स्थिति स्पष्ट होने की दशा में उसका विसरा जांच हेतु आगरा भेजा गया किन्तु विशेषज्ञ की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है । जहां तक मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है लोगों के बयान नगर मजिस्ट्रेट द्वारा

अभिलिखित किए जा रहे हैं । अग्रेतर कार्यवाही जांच पूर्ण होने पर सम्भव होगी ।

मेरठ–परीक्षतगढ़ मार्ग के लिये श्री जय प्रकाश को दिया गया बस परमिट

14––श्री दामोदर शर्मा––

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि दि0 12–1–84 को जो बस परमिट मेरठ–परीक्षतगढ़ मार्ग के दिये गये हैं जिनमें श्री जय प्रकाश, जो जाति के धुन्ना हैं, को हरिजन कोटे में परमिट दिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री गुलाब सेहरा––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बुलन्दशहर के स्याना–देहरा ड्रेन एवं बिगराऊ नाला के मिलन स्थल पर स्वीकृत पुल

15––श्री छतर सिंह––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्याना–देहरा ड्रेन एवं बिगराऊ नाला के मिलने के स्थान पर वि0 खं0 स्याना, जनपद बुलन्दशहर में पुल स्वीकृत है ? यदि हां, तो अभी तक उसका निर्माण क्यों नहीं हो पाया ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी हां ।

पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पुल प्रयोग में आ रहा है ।

हुसैनपुर सकरवारी, फैजाबाद में नलकूल लगाने की मांग

16––श्री नत्थू लाल––

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले बुधवार के अता0 प्र0 सं0 78 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हुसैनपुर सकरवारी, जिला फैजाबाद में सेहरुआ पर विश्व बैंक परियोजना के फेज तृतीय के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नलकूपों के क्लस्टर में उक्त ग्राम का नाम सम्मिलित कराने की कृपा करेंगे ? क्योंकि वहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं ? क्या यह सच है कि उक्त नलकूप लग जाने से लगभग 400 बीघे जमीन सिंचित हो जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

विश्व बैंक परियोजना का फेज तृतीय वर्तमान में शासन के विचाराधीन नहीं है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

सर्वेक्षण के पश्चात् ही यह जाना जा सकेगा कि उक्त ग्राम में कितनी भूमि असिंचित है और यदि नलकूप लगा तो कितनी भूमि सिंचित हो जावेगी ।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में शिशिक्षु–प्रशिक्षण के लिए साक्षात्कार

17––श्री सन्त बख्श रावत––

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में दिनांक 25–5–83 को मोनोकास्टर तथा दिनांक 3–6–83 को हैंड कम्पोजीटर ट्रेड में शिशिक्षु प्रशिक्षण के लिए कोई साक्षात्कार हुआ था तथा सफल अभ्यर्थियों के नाम दिनांक 30–6–83 को पत्र संख्या स्था0 4–2073–83 नियुक्त पत्र जारी किये गये थे ? यदि हां, तो उनसे बाण्ड जमानतें, मेडिकल सर्टीफिकेट, चरित्र प्रमाण–पत्र आदि लेने के बाद उन्हें अभी तक प्रशिक्षण में क्यों नहीं रखा गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी हां ।

नियुक्ति पत्र जारी नहीं किये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

18, 19—श्री जनर्दन प्रसाद ओझा—

[9वे बुधवार के लिए स्थगित ।]

20—श्री धनीराम वर्मा—

[9वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

## हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने की मांग

21—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री प्रश्नकर्ता के अता० प्र० सं० 77, दि० 15 फरवरी, 1984 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों/अध्यापिकाओं के पुनरीक्षित नये वेतनमान शासनादेश सं० 6048 (1)/26-1-83, दि० 17 जनवरी, 1984 के अनुसार सरकार कब से देना प्रारम्भ कर देगी तथा 1 जुलाई, 1979 से शेष धनराशि का भुगतान कब तक किया जायगा ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक सितम्बर, 1983 से लागू किये गये हैं । वेतन का अन्तर के स्वरूप देय धनराशि का भुगतान वर्ष 1983-84 में बजट प्राविधान पर्याप्त न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका । चालू वर्ष 1984-85 में भुगतान किया जावेगा ।

## बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के निर्माण व मरम्मत के लिये धन की मांग

22—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना (जिला ग्राम विकास अभिकरण) द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद् के भवनों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु धन आवंटित किया जाता है, तो प्रदेश के हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण एवं मरम्मत के लिये 20—सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं, शासन के सीमित साधनों के कारण स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं को भवन निर्माण अथवा भवन की मरम्मत के लिये कोई धनराशि स्वीकर किया जाना संभव नहीं है ।

## बिलासपुर डाकघर, मुरादाबाद की डाक को परिवहन निगम की बसों द्वारा उठवाई

23—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 29 नवम्बर 1983 को एक पत्र रीजनल मनेजर, मुरादाबाद रीजन उ० प्र० परिवहन निगम को लिख कर निगम की बसों द्वारा बिलासपुर डाकघर की डाक को नियमित रूप से न उठाए जाने के सम्बन्ध में शिकायत की थी ? यदि हां, तो रीजनल मैनेजर ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की । यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां ।

क्षेत्रीय प्रबंधक, मुरादाबाद ने वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी रामपुर को बिलासपुर डाक घर की डाक नियमित रूप से लाने एवं ले जाने के आदेश दिनांक 2-12-1983 को नोट करा दिये तथा दिनांक 6-12-1983 को आदेश-पत्र भी निर्गत किया ।

अब विलासपुर डाकघर को डाक नियमित रूप से लायी एवं ले जायी जा रही है ।

**प्रत्येक जनपद में आर० टी० ओ० कार्यालय खोलने की मांग**

24--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री राम गोविन्द--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लर्निंग लाइसेन्स बनवाने हेतु सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से जनता को आर० टी० ओ० कार्यालय में जाना पड़ता है जिसकी सरकारी फीस केवल 2 रु० है तथा यात्रा आदि में जनता को 50 रु० व्यय करना पड़ता है तथा अन्य असुविधाएं भी होती हैं ? यदि हां, तो क्या जनता को सुविधा हेतु शासन प्रत्येक जनपद में आर० टी० ओ० कार्यालय खोलने पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां, इस समय लर्निंग लाइसेन्स बनवाने हेतु जनता को प्रदेश में स्थापित 14 संभागीय एवं 12 उप सम्भागीय कार्यालयों को जाना पड़ता है । जनता की सुविधाओं हेतु प्रत्येक जनपद में आर० टी० ओ० कार्यालय नहीं, वरन् आवश्यकतानुसार अलग-अलग श्रेणियों के परिवहन कार्यालय स्थापित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । विभिन्न प्रशासनिक एवं वित्तीय कारणों से प्रत्येक जिले में आर० टी० ओ० कार्यालय खोला जाना उपयुक्त नहीं है ।

25-26--श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय--

[6ठे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 29-30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

27--श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय--

[6ठे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

28-29--श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय--

[6ठे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 32-33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

**श्री रघुराज सिंह ग्राम फरीदपुर उन्नाव की अधिगृहित भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग**

30--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977 से 1979 के मध्य ग्राम फरीदपुर, ब्लाक हसनगंज, जनपद उन्नाव के भू० पू० प्रधान श्री रघुराज सिंह के भूमि पर खाता नं० 152 पर सरकारी नलकूप नं० 3 का निर्माण कराया जा चुका है ? यदि, हां, तो क्या यह भी सही है कि उपरोक्त प्रधान को उसकी जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इस कार्य में शिथिलता एवं अनियमितता के कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और सरकार उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही करेगी और कब तक भू०पू० प्रधान को जमीन का मुआवजा दिला देगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

31--श्री धनी राम वर्मा--

[9वें बुधवार से लिए स्थगित ।]

32-33--श्री ऊदल--

[9वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 98-99 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

**जागो फीडर, मिर्जापुर में रेगुलेटर लगाये जाने की मांग**

34--श्री रामचरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने उन्हें एक पत्र

दिनांक 19-10-83 को जागो फीडर, जनपद मिर्जापुर में कुलाबा नं0 16 के नीचे रेगुलेटर लगाये जाने के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

रेगुलेटर का निर्माण तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है ।

सेमरी बन्धी नं0 2, मिर्जापुर का अवशेष कार्य

35--श्री राम चरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 19-10-83 को एक पत्र उन्हें सेमरी बन्धी नं0 2, जनपद मिर्जापुर के अधूरे कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? और उसे कब तक पूर्ण कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । सेमरी बन्धी नं0 2 (तात्पर्य सेमरी बन्धी) के अवशेष कार्यों की लागत 11.00 लाख है । इन कार्यों को वर्ष 84-85 में आयोजनागत मद में अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मद में जिसमें भी धन उपलब्ध होगा, के अन्तर्गत पूरा कराने का लक्ष्य है ।

अमुआरी नरायनपुर, आजमगढ़ में हरिजन कालोनी का निर्माण

36--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अमुआरी नरायनपुर, वि0 खं0 अजमतगढ़, जनपद आजमगढ़ में हरिजन कालोनी का निर्माण होना है ? यदि हां, तो यह निर्माण कब प्रारम्भ होगा और कब तक पूरा हो जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रायबरेली जनपद में बन्द पड़े सरकारी नलकूप

37--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1983-84 में रायबरेली जनपद के वि0 खं0 हरचन्दपुर एवं खीरों में कितने सरकारी नलकूप बन्द पड़े हैं ? सरकार उन्हें कब तक ठीक करवायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वित्तीय वर्ष 1983-84 में जनपद रायबरेली के विकास खंड हरचन्दपुर तथा खीरों में एक-एक नलकूप बन्द हैं ।

विकास खंड हरचन्दपुर के ग्राम अजमतउल्लापुर के राजकीय नलकूप पर पुनः विस्तारण का कार्य प्रगति पर है जिसके परिणाम के अध्ययन के पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो पुनः निर्माण कराने का कार्य आरम्भ किया जायेगा । विकास खंड खीरों के राजकीय नलकूप पर पुनः छिद्रण हो चुका है ।

38--श्री विश्वनाथ--

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों का सिंचाई एवं उद्योग विभाग में नियुक्ति की मांग

39--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, सिंचाई विभाग को विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन (श्री हरिमोहन) प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग (2) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 यू0 ओ0- 87 ई डी-18 घ-79, दिनांक 28 मार्च, 1979 प्राप्त हुआ जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिप्लोमा (3 वर्षीय) प्राविधिक शिक्षा परि0 उ0 प्र0 द्वा

संचालित को अन्य इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों के समकक्ष बताते हुए नियुक्तियों के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस राजाज्ञा की प्राप्ति के बाद से अब तक विभाग में कितने अवर अभियन्ताओं की नियुक्तियां हुई तथा उसमें कितने कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों में से नियुक्त किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । दिनांक 28-3-79 के बाद सिंचाई विभाग में 234 अवर अभियन्ता (यांत्रिक) की नियुक्तियां की गयी हैं । इनमें किसी कृषि अभियन्त्रण डिप्लोमा धारक की नियुक्ति नहीं की गयी ह सिंचाई विभाग में, अवर अभियन्ता विद्युत् तथा यांत्रिक के पद पर भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता में उक्त डिप्लोमा सम्मिलित नहीं है ।

40--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, उद्योग विभाग को विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन (श्री हरिमोहन) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 यू0 ओ0-87 ई डी-18 घ-79, दिनांक 28 मार्च, 1979 प्राप्त हुआ जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिप्लोमा (3 वर्षीय) प्राविधिक शिक्षा परि0 उ0 प्र0 द्वारा संचालित को अन्य इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों के समकक्ष बताते हुए नियुक्तियों के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस राजाज्ञा की प्राप्ति के बाद अब तक विभाग में कितने अवर अभियन्ताओं की नियुक्तियां हुईं तथा उसमें कितने कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों में से नियुक्त किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां ।

इस राजाज्ञा की प्राप्ति के बाद से विभाग में अब तक अवर अभियन्ताओं के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## पर्वतीय अंचल में अवैध शराब बनाने व बेचने के विरोध में जन आन्दोलन

41--श्री जसवन्त सिंह विष्ट

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पर्वतीय अंचल में युवकों द्वारा अवैध शराब बनाने व बेचने के विरोध में जन आन्दोलन 1982 से चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

पर्वतीय अंचल में युवकों द्वारा अवैध शराब बनाने व बेचने के विरोध में जन आन्दोलन 1982 से चलाये जाने के सम्बन्ध में शासन को कोई सूचना नहीं है ।

इस सम्बन्ध में शिकायत अथवा सूचना प्राप्त होने पर ऐसे अपराधों को रोकथाम के लिए विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

42--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[9वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

## श्याम नारायन दुबे बनाम उत्तर प्रदेश शासन आदि के नाम से लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिये निर्णय के अनुपालन की मांग

43--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री श्याम नारायन दुबे बनाम उत्तर प्रदेश शासन

आदि के नाम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण संख्या 4, लखनऊ में छात्र मुकदमे के वाद संख्य 997 (टी)/4/1979 के दिनांक 26 अप्रैल, 1980 को दिये गये निर्णय का जो कि विशेष वेतन के भुगतान किये जाने से संबंधित है, बार-बार अनुरोध करने के बावजूद अब तक पालन नहीं किया गया है? यदि हां, तो उसका क्या कारण है और सरकार उक्त आदेश का पालन कब तक करा देगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

44--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[9वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

श्री जगमोहन लाल रखेजा, मुख्य अभियन्ता, मत्स्य विकास निगम की प्रतिनियुक्ति से वापसी की मांग

45--श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगमोहन लाल रखेजा, प्रभारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जो मत्स्य विकास निगम में मुख्य अभियन्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, के खिलाफ शिकायती-पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 1983 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले में प्रतिनियुक्ति से वापस करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो उनके प्रतिनियुक्ति से वापसी के आदेश किस तिथि तक दिये जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री जगमोहन लाल रखेजा, प्रभारी सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग जो मत्स्य विकास निगम में अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था । जांचोपरान्त शिकायतें सही नहीं पाई गई । प्रतिनियुक्ति से वर्तमान में वापस बुलाने का कोई औचित्य नहीं है ।

46--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

[6ठे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

47--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

[6ठे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

48--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

[10वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सहारनपुर में मंगलौर से लन्ढोरा मार्ग पर दिये गये निजी बस परमिटों के दिये जाने का औचित्य

49--श्री काजी मोहिउद्दीन--

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद सहारनपुर में मंगलौर से लन्ढोरा तक नेशनलाइज्ड रूट है, जिस पर रोडवेज की बसें चलती हैं परन्तु इस रूट पर प्राइवेट बसों को परमिट दे दिये गये हैं जिससे न केवल रोडवेज को लाखों रुपये की हानि हो रही है, बल्कि सैकड़ों रिक्शा, तांगे वालों के भी परिवार बेरोजगार हो गये हैं ? यदि हां, तो प्राइवेट बसों को मंगलौर से लन्ढोरा तक चलने की आज्ञा किन परिस्थितियों में दी गई ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इटावा, कानपुर तथा लखनऊ रीजन परिवहन निगम में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा किये जाने की मांग

50--श्री बिहारी लाल दोहरे--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि इटावा, कानपुर, लखनऊ

रीजन में कुल कितने सीनियर व जूनियर लिपिक हैं ? क्या उपरोक्त रीजनों में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब रिजर्व कोटा की पूर्ति कर दी जावेगी ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## देवरिया जनपद के आवर्तक अनावर्तक अनुदान प्राप्त हरिजन प्राइमरी पाठ-शालाओं तथा अध्यापकों का वेतन क्रम

51--श्री विश्वनाथ--

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में 31 मार्च, 1983 को हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या क्या थी ? उसमें से आवर्तक अनुदान प्राप्त कितने हैं तथा अनावर्तक अनुदान से प्रस्तावित विद्यालयों की संख्या कितनी थी ? उनके अध्यापकों का वेतन-क्रम क्या है और कब से लागू किया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

52--श्री विश्वनाथ--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में कितने हरिजन प्राइमरी पाठशाला इस समय तक ऐसे हैं जिनमें प्रस्तावित आवर्तक सूची के तहत 12 वर्षों से कार्यरत अध्यापकों को आवर्तक सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक सम्मिलित किया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## कानपुर में हरिजन छात्रों को दी गयी छात्रवृत्ति

53--श्री भूधर नारायण मिश्र--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर एवं कानपुर देहात में वित्तीय वर्ष 1982-83 में कितना रुपया हरिजनों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया तथा विद्यालयों में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों की शुल्क के मद में कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## हरिजन छात्रावासों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने की मांग

54--भूधर नारायण मिश्र--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने हरिजन छात्रावास हैं तथा इन छात्रावासों का निर्माण निजी व्यक्तियों के स्थान पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराये जाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## पर्वतीय क्षेत्र में इन्टर कालेजों का प्रान्तीयकरण

55--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि योजना संकेत संख्या 60/02022 के अन्तर्गत 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 में पर्वतीय क्षेत्र के कितने इन्टर कालेजों का प्रान्तीयकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

केवल वर्ष 1981-82 में एक इन्टर कालेज का प्रान्तीयकरण किया गया । वर्ष 1982-83 व 1983-84 के सीमित परिव्यय के कारण प्रान्तीयकरण का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सका है ।

## जनता इन्टर कालेज, नैनीताल के प्रान्तीयकरण की मांग

56--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप शिक्षा निदेशक कुमायूं मण्डल ने अपने 2 मार्च, 1983 तथा 7 जून, 1983 के आदेश द्वारा जनता इन्टर कालेज,, नैनीताल के प्रान्तीयकरण हेतु प्रबल संस्तुति की है ? यदि हां, तो उसका प्रान्तीयकरण अब तक न किये जाने का क्या कारण है और कब यह प्रान्तीयकरण कर दिया जायगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक कुमायूं मण्डल ने 2 मार्च, 1983 व 7 जून, 1983 के पत्र द्वारा जनता इन्टर कालेज बौलतपुर (नैनीताल) के प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव शिक्षा निदेशक को प्राप्त हुआ था परन्तु 1982-83 व 1983-84 में कोई लक्ष्य न होने के कारण शिक्षा निदेशक द्वारा कोई संस्तुति शासन को प्रस्तुत नहीं की गयी ।

57--श्री फिरंगी प्रसाद शिशारद--

[6ठे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

58-59--डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

[9वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

60--डाक्टर बृजकिशोर मिश्र---

[9वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

## स्कूटर फैक्ट्री, देवरिया का निर्माण स्थान

61--श्री हरिवंश सहाय--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्कूटर फैक्ट्री, देवरिया जनपद के किस स्थान पर लगायी जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## भड़ेवल, मिर्जापुर की बाढ़ के पानी को निकालने की मांग

62--श्री राम चरण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र दिनांक 1-9-83 को ग्राम भड़ेवल, विकास खंड, जमालपुर, मिर्जापुर के बाढ़ के पानी को निकालने हेतु लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## झांसी क्षेत्र में परिवहन कर्मियों की सेवा समाप्त

63--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या परिवहन मंत्री को यह जानकारी है कि झांसी क्षेत्र में 28 जुलाई, 1983 से अब तक 28 चालक, 2 परिचालक, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मुख्यालय से इतने ही कर्मचारी निकालने के अलग से आदेश प्राप्त हुए हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## श्री अनिरुद्ध पाण्डेय, क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा की गयी अनियमितताओं की शिकायत

64--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उप प्रधान प्रबन्धक अर्ध जोन) परिवहन निगम, लखनऊ के अर्ध शासकीय पत्रांक 2232/म0 जो0/स्था0/ प्रोन्नति/83, दिनांक 13-6-83 के सन्दर्भ में श्री अनिरुद्ध पाण्डेय द्वारा जो

अवैध अनियमित नियुक्तियां/प्रोन्नतियां की गई हैं, उनको अभी तक निरस्त न करने के क्या कारण हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

उप प्रधान प्रबन्धक (मध्य जोन), लखनऊ के पत्र संख्या 2232/म0 जो0/स्था0/प्रोन्नति/83 के परिपालन में क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा 28 चालक, 2 परिचालक, 2 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गयीं। इसके अतिरिक्त एक लेखाकार, एक यातायात अधीक्षक, 6 यातायात निरीक्षक प्रथम, दो कनिष्ठ केन्द्र प्रभारी को निम्न पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

शेष कर्मचारियों के मामलों में शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

## क्षेत्रीय प्रबन्धक, झांसी द्वारा मुख्यालय के आदेशों का पालन न किये जाने की शिकायत

65--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयोजक, संयुक्त संघर्ष समिति, झांसी क्षेत्र के जगत सिंह यादव का 8-12-83 के आस पास की तिथियों में वर्तमान क्षेत्रीय प्रबन्धक झांसी क्षेत्र द्वारा मुख्यालय के आदेशों का शत प्रतिशत अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में कोई नोटिस मिला है? यदि हां, तो शासन के द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां।

इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक झांसी द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त 28 चालक, 2 परिचालक, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त एक लेखाकार, एक यातायात अधीक्षक, 6 यातायात निरीक्षक प्रथम, दो कनिष्ठ केन्द्र प्रभारी को प्रत्यावर्तित कर दिया गया। क्षेत्रीय प्रबन्धक, झांसी द्वारा संघर्ष समिति को तदनुसार सूचित भी कर दिया गया है।

## जनपद ललितपुर में व्यक्तिगत बसों के परमिट तथा बसें न चलने की शिकायत

66--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या परिवहन मन्त्री को यह जानकारी है कि राजघाट से बाला बेहट (ललितपुर जनपद) मार्ग पर व्यक्तिगत बसों के परमिट ह ? यदि हां, तो क्या कारण है कि बसें नहीं चल रही हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

67--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या परिवहन मन्त्री को यह जानकारी है कि ललितपुर जनपद में शासन के द्वारा ललितपुर से धौरी सागर के लिये व्यक्तिगत बसों के परमिट दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या कारण है कि धौरी सागर तक उक्त परमिट की बसें नहीं चलती हैं ? क्या मन्त्री जी उक्त बसों के दिये गये परमिट को समाप्त करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

## तहसील महाराजगंज, गोरखपुर में फसलों की गलत परताल के सम्बन्ध में जांच

68--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम गोबिन्द--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 9-1-84 जिसमें ग्राम रामपुर, बरडिहा इत्यादि, तहसील महाराजगंज, जिला गोरखपुर में खरीफ की फसलों के गलत परताल के सम्बन्ध में था, कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कब ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

69-70—श्री ऊदल—

[9वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

सामान्य प्रबन्धक, उद्योग केन्द्र बांदा श्री जे0 एन0 एस0 निरंजन के विरुद्ध शिकायती-पत्र

71—प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद बांदा में सामान्य प्रबन्धक, उद्योग केन्द्र (श्री जे0 एन0 एस0 निरंजन) के विरुद्ध श्री विश्वनाथ कक्कड़, भारत बाक्स मैन्युफैक्चरिंग, बांदा ने अप्रैल, 83 तथा जून 83 के मध्य शिकायती पत्र शासन को दिया था ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र पर शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत अवधि में ऐसा कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उस्का लखनापार बांध में मौजा हथबड़ताल के पास नीची जमीन में भरे जल की पाइप द्वारा निकासी की मांग

72—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में उस्का लखनापार बांध मे मौजा हथबड़-ताल के पास की जमीन नीची होन के कारण पानी रुक जाता है जिसके कारण अपने खेतों की बुआई किस न समय से नहीं कर पाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नीची जमीन में पाइप लगाकर नीची जमीन का पानी निकालने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला बस्ती के नौगढ़ तहसील के अन्तर्गत बनने वाले उस्का लखनापार बांध के टूटे हुए भाग के निर्माण की मांग

73—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में बनने वाली उस्का लखनापार बांध जिसका कि वह भाग जो छितरापार, सियरापार, चोखर आदि गांव होकर जाता है वहां बांध नहीं बना है और अगर वह बांध आगामी बरसात के पहले न बना दिया गया तो ऊपर लिखे कई गांव बाढ़ से तबाह हो जायेंगे ? यदि हां, तो उक्त बांध का टूटा हुआ भाग कब तक बन कर तैयार हो जाएगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

74—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

75—श्री हरगोविन्द वर्मा—

[8वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कानपुर स्थित एरीस एग्रो वेट इंडस्ट्रीज में छापा

76—श्री माधव प्रसाद—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कानपुर स्थित एरीस एग्रो वेट इंडस्ट्रीज जो पशु आहार बनाती है, में दिनांक 22-12-83 को आबकारी विभाग ने छापा मारा था ? यदि हां, तो मन्त्री जी बतायेंगे कि यह छापा किन कारणों से डाला गया ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी नहीं ।

राज्य आबकारी विभाग द्वारा उक्त विनांक को कोई छापा नहीं मारा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

77--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

## हरिजन छात्रों के लिए विशेष कोचिंग योजना

78--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुछ मान्यता प्राप्त सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान वित्तीय वर्ष (83-84) में कक्षा 10 व इंटर अन्तिम वर्ष में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों के अतिरिक्त घंटे अध्यापकों को अतिरिक्त धनराशि देकर हरिजन छात्रों को पढ़वाने का शासन ने कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इसके क्या-क्या आधार हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

अनुसूचित जातियों के छात्रों के सम्बन्ध में यह अनुभव किया गया कि कक्षा 10 व 12 में इन छात्रों के अनुत्तीर्ण होने की संख्या अधिक है । अतः विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषयों में 6 माह की विशेष कोचिंग योजना/व्यवस्था वर्ष 1981-82 से शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हायर सेकेन्ड्री तथा इन्टरमीडिएट कालेजों में कार्यरत योग्यतम अध्यापकों द्वारा मासिक मानदेय पर प्रदेश के 81 केन्द्रों पर की गई है ।

## पौड़ी गढ़वाल के मरोड़ा व्यास-घाट मोटर मार्ग का विस्तार

79--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के मरोड़ा व्यासघाट मोटर मार्ग पर सिंचाई विभाग द्वारा धनगढ़ चोपड़ा नहर का विस्तार खन्डासैण तक किया गया है ? यदि हां, तो क्या सिंचाई विभाग द्वारा सा0 नि0 विभाग से इस मोटर मार्ग पर नहर निर्माण की पूर्व स्वीकृति ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों और मोटर मार्ग पर नहर निर्माण का औचित्य क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

धनगढ़-चोपड़ा नहर के विस्तार का प्रस्ताव मरोड़ा-व्यासघाट मोटर मार्ग के निर्माण से पूर्व ही स्वीकृत हो चुका था परन्तु नहर विस्तार के पूर्व ही सड़क का निर्माण कर लिया गया । अतः 22-11-1982 को सिंचाई तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया व यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस नहर का विस्तार केवल सड़क के किनारे-किनारे ही किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहर विस्तार का नहीं है । अतः धनगढ़-चोपड़ा नहर का विस्तार सड़क के किनारे-किनारे किया गया है ।

## जनपद पौड़ी गढ़वाल में पेयजल समस्या

80--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड द्वारीखाल के अन्तर्गत 1972 की सर्वे के अनुसार अभावग्रस्त ग्राम किनसुरा तैड़ी कैण्डल मल्ला, कैण्डुल, तल्ला, खाड़ी और विकास खंड कलजखाल के अन्तर्गत ग्राम कुस्याण, चोपड़ा और विकास खंड कोट के अन्तर्गत ग्राम कोलू की पेयजल समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और कब तक इन गांवों की पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल कल्जीखाल एवं कोट नामक विकास खंडों में स्थित प्रइनगत अभावग्रस्त ग्रामों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है—

विकास खन्ड द्वारीखाल--

(अ) ग्राम किन्सुर (कोड सं0 695) द्वारीखाल विकास खंड में है। ग्राम किन्सुर की पेयजल योजना का प्राक्कलन वर्ष 1980-81 में स्वीकृत हुआ था। इस योजना के लिए प्रस्तावित जल स्रोत पर विवाद के कारण योजना का निर्माण नहीं करवाया जा सका। अन्य जल स्रोत का सर्वेक्षण कराकर दूसरा जल स्रोत उपलब्ध हो गया है, जिससे इस ग्राम की पेयजल योजना का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। यदि जल स्रोत पर पुनः विवाद नहीं होता है तो जल निगम द्वारा मार्च, 85 तक किन्सुर ग्राम में पेयजल उपलब्ध कराने की आशा है।

(ब) तंड़ी ग्राम-ग्राम तंड़ी (कोड सं0 448) को वर्ष 1983-84 में पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है।

(स) कंन्डुल मल्ला--ग्राम कंन्डुल मल्ला (कोड संख्या 710) के ग्रामवासी अपने, ग्राम में पेयजल योजना के लिए इच्छुक नहीं है, अतः जल निगम द्वारा योजना नहीं बनाई गई है।

(द) कंन्डुल तल्ला-.ग्राम कंन्डुल तल्ला (कोड सं0 711) के ग्रामवासी अपने ग्राम में पेयजल योजना के लिए इच्छुक नहीं है, अतः जल निगम द्वारा योजना नहीं बनाई गई है।

(ध) ग्वाड़ी ग्राम--ग्राम ग्वाड़ी (कोड सं. 549) को वर्ष 1979-80 में पेयजल उपलब्ध करा दिया गया था व योजना का रख-रखाव जल संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

विकास खण्ड कल्जीखाल--

(अ) ग्राम कुस्यान--ग्राम कुस्यान (कोड सं0 741) की पेयजल योजना हेतु एक प्राक्कलन अनुमानित लागत रु0 0.43 लाख स्वीकृत है परन्तु इस योजना के लिए प्रस्तावित जल स्रोत पर विवाद होने के कारण जल निगम द्वारा निर्माण कार्य आरम्भ नहीं कराया जा सका है। यदि जल स्रोत पर ग्रामवासियों द्वारा उठाए गए विवाद का निराकरण शीघ्र हो जाता है, तो जल निगम द्वारा मार्च, 1985 तक इस ग्राम में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की आशा है।

(ब) चोपड़ा--ग्राम चोपड़ा (कोड सं0 814) की पेयजल योजना का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है जिसके स्वीकृत होने पर मार्च, 1985 तक जल निगम द्वारा ग्राम चोपड़ा में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

विकास खन्ड कोट--

(अ) ग्राम कोलू--ग्राम कोलू (कोड संख्या 703) की पेयजल योजना के लिए गुरुत्व जल स्रोत उपलब्ध नहीं हो पाया है। आगामी ग्रीष्म काल में इस ग्राम की पेयजल योजना के लिए जल निगम द्वारा जल स्रोत का सर्वेक्षण व अनुसंधान पुनः कराया जाएगा। यदि गुरुत्व जल स्रोत उपलब्ध हो जाता है तो जल निगम द्वारा इस ग्राम की पेयजल योजना पर निर्माण कार्य कराया जायेगा।

## जल निगम की पर्वतीय जनपदों की नवीन शाखाओं का प्रशासनिक व्यय

81—श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल

निगम की पर्वतीय जनपदों में वर्ष 83 में स्थापित 11 नवीन शाखाओं का विवरण उनकी जनवरी 1984 तक की अलग-अलग उपलब्धि तथा उनका जनवरी, 1984 तक का प्रशासनिक व्यय क्या है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नगी—

जून 1983 में स्थापित 11 नवीन शाखाओं का विवरण, उनकी योजना विरचन तथा निर्माण कार्य सम्बन्धी जनवरी, 1984 तक की अलग-अलग उपलब्धि तथा उनके प्रशासनिक व्यय की सूचना निम्नवत् है :—

| क्रम सं० | शाखा का नाम | योजना विरचन कार्य | | निर्माण कार्य | जनवरी, 1984 तक का प्रशासनिक व्यय रुपयों में |
|---|---|---|---|---|---|
| | | योजनाओं की संख्या | योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों की संख्या | जिसके फलस्वरूप लाभान्वित ग्रामों की संख्या | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | अस्थाई प्रकल्प शाखा, पिथौरागढ़ | 7 | 9 | 1 | 3,68,558.18 |
| 2 | अस्थाई प्रकल्प शाखा, गंगोलीहाट | 11 | 12 | 2 | 2,93,093.57 |
| 3 | अस्थाई प्रकल्प शाखा, रानीखेत | 21 | 28 | .. | 3,09,518.08 |
| 4 | अस्थाई प्रकल्प शाखा, बागेश्वर | 23 | 37 | .. | 3,42,271.31 |
| 5 | अस्थाई प्रकल्प शाखा, अल्मोड़ा | 14 | 20 | 5 | 4,13,008.80 |
| 6 | अस्थाई प्रकल्प शाखा, रामनगर | 12 | 22 | .. | 4,18,600.00 |
| 7 | अस्थाई प्रकल्प शाखा, कर्ण प्रयाग | 11 | 16 | 6 | 2,72,173.93 |
| 8 | अस्थाई प्रकल्प शाखा, थराली | 12 | 18 | 6 | 1,83,054.30 |
| 9 | अस्थाई प्रकल्प शाखा, पौड़ी | 14 | 24 | 4 | 3,03,700.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | अस्थायी प्रकल्प शाखा, चम्बा | 3 | 4 | 7 | 1,95,633.00 |
| 11 | अस्थायी प्रकल्प शाखा, नरेन्द्र नगर | 11 | 16 | 17 | 3,76,528.00 |
| | योग .. | 139 | 206 | 48 | 34,75,939.17 |

उपरोक्त शाखाओं ने कालम 3 में उल्लिखित योजनाओं के विरचन का कार्य किया है । कालम 5 में जनवरी, 1984 तक पूर्व स्वीकृत योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों की संख्या दिखायी गयी है ।

## पर्वतीय जनपदों में स्कूलों की स्वीकृति

82--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन-किन पर्वतीय जनपदों में वर्ष 1983-84 के लिये कितने प्राइमरी तथा कितने जूनियर हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति शासन द्वारा कब दी गई हैं और स्वीकृत स्कूल किन-किन जनपदों में कब-कब स्थापित किये गये हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

वांछित सूचना संलग्न है ।

( देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 151 पर ।)

## पैंतेपुर, सीतापुर में नहर निर्माण हेतु अध्याप्त की गई भूमि का मुआवजा

83--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर के ग्राम पैंतेपुर, परगना व तहसील महमूदाबाद में वर्ष 1970 में शारदा सहायक परियोजना में पोषक नहर के लिए किसानों की जमीन को अध्याप्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या किसानों को उनकी अध्यापित जमीन का मुआवजा दे दिया गया ? यदि नहीं, तो अभी तक मुआवजा न दिये जाने का क्या कारण है तथा किसानों को जमीन का मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1972-73 में भूमि ली गई थी । भूमि का औपचारिक अधिकार जुलाई, 1983 में हस्तांतरित हुआ है । किसानों को उनकी अध्यापित भूमि का प्रतिकर अभी तक नहीं दिया जा सका है ।

भूमि के प्रतिकर हेतु आवश्यक धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखीमपुर को मार्च, 1984 में कर गया है तथा भूस्वामियों को भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

## भदान, मैनपुरी में पुल निर्माण की मांग

84--श्री शिव मंगल सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त वर्ष 1981-82 में जनपद मैनपुरी की नहर शाखा भोगनीपुर पर देहुली से परियर जाने वाले रास्ते पर भदान ग्राम के सामने एक पुल का

निर्माण को स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई थी ? उस पुल का निर्माण आज तक क्यों नहीं हुआ, निर्माण कार्य होगा, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

पुल के निर्माण हेतु सर्वप्रथम 12 जनवरी, 1982 को निविदायें आमंत्रित की गई थी परन्तु निर्धारित शर्तों को पूर्ण न करने के कारण निविदायें निरस्त कर दी गई । वर्ष 1982-83 में धनाभाव के कारण पुल का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका ।

वर्ष 1983-84 में उक्त पुल के निर्माण हेतु दिनांक 22-11-1983 को निविदायें आमंत्रित की गई परन्तु इस बार भी निविदा दाताओं द्वारा निविदा की शर्तें पूर्ण न किये जाने के कारण निर्णय नहीं लिया जा सका ।

वर्ष 1983-84 में अधिशासी अभियन्ता द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित कर कार्यों हेतु अनुबन्ध कर दिया गया है तथा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

## पौड़ी गढ़वाल में सिंचाई योजनाओं का निरीक्षण

85—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 19-10-1983 से 22-10-1983 तक जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कतिपय नहरों एवं सिंचाई योजनाओं के निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था ? यदि हां तो इस कार्यक्रम की सूचना सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को कब प्राप्त हुई ? क्या यह भी सत्य है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के निरीक्षण के समय सिंचाई विभाग का कोई भी अधिकारी कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हुआ ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके प्रति कौन उत्तरदायी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

निरीक्षण के कार्यक्रम की सूचना सिंचाई निर्माण खण्ड, श्रीनगर के अधिशासी अभियन्ता स्वर्गीय एस० के० रस्तोगी को दिनांक 7-10-1983 को प्राप्त हुई । परन्तु उनके द्वारा यह सूचना सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को नहीं भेजी जा सकी, जिसके कारण निरीक्षण हेतु सिंचाई विभाग के अधिकारी पहुंच नहीं सके ।

चूंकि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का स्वर्गवास हो चुका है, अतः उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

## मेसर्स मालिकों रबर इंडस्ट्रीज, सर्फराज गंज, लखनऊ पर शासकीय देय

86—श्री धर्मवीर सिंह तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित मेसर्स मालिकों रबर इंडस्ट्रीज, सर्फराज, गंज जिन्हें रबर फैक्ट्री लगाने हेतु मई, 1975 में 1,24,000 रुपये उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था तथा यू० पी० फाइनेन्शियल कारपोरेशन, लखनऊ द्वारा मार्च, 1978 में रु० 1,83,000 की वसूली हेतु मेमो भेजा गया ? क्या इसके बाद भी सरकारी धन की वसूली हेतु रिकवरी मेमो फर्म के मालिक को भेजा गया ? शासकीय धन की वसूली न किए जाने हेतु कौन-कौन उत्तरदायी हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? सम्पूर्ण स्थिति से सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मेसर्स मालिकों रबर इण्डस्ट्रीज सर्फराजगंज, लखनऊ को उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा 1,24,000 रुपये

का ऋण वर्ष 1975 तथा 1976 में दिया गया था। इकाई के विरुद्ध देय लोक धन रु0 1,83,173.13 की वसूली हेतु उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा दिनांक 31-3-1978 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया किन्तु तहसीलदार लखनऊ ने दिनांक 18 अगस्त, 1981 को वसूली प्रमाण पत्र बिना वसूली के निगम को वापस कर दिया। धन की वसूली न किए जाने के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के बारे में स्थिति निगम से स्पष्ट करायी जा रही है।

**बाल विकास परियोजना अधिकारियों को आहरण-वितरण का अधिकार**

87--प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सरकार यह बतायेगी कि उत्तर प्रदेश हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत कितने बाल विकास परियोजना अधिकारियों को अब तक आहरण वितरण अधिकार दिये गये हैं और शेष बाल विकास परियोजना अधिकारियों को आहरण वितरण अधिकार अब तक क्यों नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उत्तर प्रदेश में संचालित समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत 31 बाल विकास परियोजना अधिकारियों को अब तक आहरण एवं वितरण अधिकार दिए गए हैं। शेष बाल विकास परियोजना अधिकारियों को आहरण एवं वितरण अधिकार दिए जाने का मामला शासन के विचाराधीन है।

**कुमायूं जनजाति विकास निगम के अधिकारी के घर पर छापा**

88--श्री रियासत हुसैन--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनजाति निगम कुमायूं मंडल विकास निगम के एक अधिकारी के यहां जनवरी 1984 में छापा मारा गया और निगम के कालीन गलीचे व थुलमे आदि पाये गये ? यदि हां, तो उस अधिकारी का नाम क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुमायूं मंडल विकास निगम के कुमायूं जन जाति विकास निगम के किसी अधिकारी के घर पर छापा मारे जाने की सूचना नहीं है।

अतः शेष प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते।

**परिवहन निगम की बस से कुचल कर हुई पुत्र की मृत्यु के सम्बन्ध में श्री गंगादीन निवासी मिश्रापुर, उन्नाव द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग**

89--श्री भोला लाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गंगादीन पुत्र घरू निवासी ग्राम मिश्रापुर, थाना साहरामऊ, जिला उन्नाव जिसका लड़का बैजनाथ उर्फ चतुरी, दिनांक 28 अक्तूबर, 1983 को परिवहन निगम की बस नं0 यू0 एच0 एफ0 9147 द्वारा कुचल कर मर गया था, को क्षतिपूर्ति के लिए प्रार्थना-पत्र, दिनांक 2 नवम्बर, 1983 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 6 नवम्बर, 1983 के साथ उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा--

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 6 नवम्बर, 1983 के साथ श्री गंगादीन का क्षति-पूर्ति विषयक प्रार्थना-पत्र दिनांक 2 नवम्बर, 1983 प्राप्त हुआ था। कथित दुर्घटना दिनांक 28 अक्तूबर, 1983

को बस सं0 यू0 एच0 एफ0 9147 द्वारा नहीं हुई थी। अतः इस सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री पान सिंह निवासी, पैठाणी, चमोली की सम्पत्ति की नीलामी

90—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 14 जनवरी, 1982 का पत्र प्राप्त हुआ है जोकि भूतपूर्व सैनिक श्री पान सिंह विष्ट पुत्र श्री चन्द्र सिंह विष्ट, निवासी ग्राम पैठाणी, पोस्ट पैठाणी, तहसील कर्णप्रयाग, जिला चमोली द्वारा वर्ष 1974-75 में मोटर रिपेयर वर्कशाप हेतु उद्योग विभाग चमोली से लिए गए ऋण की राजस्व विभाग द्वारा गलत एवं गैर-कानूनी तरीके से उनकी अचल सम्पत्ति की नीलामी कर वसूली किए जाने के सम्बन्ध में था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

इस मामले में अभी छान-बीन की जा रही है।

जलालपुर, फैजाबाद में आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत दिये गये ऋण में छूट

91—श्री शेरबहादुर तथा श्री विलायती राम कत्याल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के जलालपुर ब्लाक में सन् 1980 से 1 फरवरी, 1984 तक कितने हरिजनों को आई0 आर0 डी0 तथा स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत ऋण दिया गया है तथा उनमें से कितनों को छूट नहीं मिल पाई है ? जिन हरिजनों को छूट समय से नहीं मिली है उसके दोषी कर्मचारियों या अधिकारियों को सरकार दन्डित करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद फैजाबाद के जलालपुर विकास खंड में वर्ष 1980 से 1-2-84 तक स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत 238 अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण दिलाया गया जिन्हें अनुदान की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत 293 अनुसूचित जाति के लोगों को लाभान्वित किया गया जिसमें से 8 लाभार्थियों का अनुदान समायोजन हेतु अवशेष है। अनुदान का समायोजन 15 दिन में कर दिया जाएगा। अतः किसी कर्मचारी या अधिकारी को दन्डित करने का प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में पारस्परिक वरिष्ठता हेतु प्रत्यावेदन पर कार्यवाही

92—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17 दिसम्बर, 1983 को समाज कल्याण विभाग एवं हरिजन कल्याण विभागों के दिनांक 12 जनवरी, 1978 को पारस्परिक विलीनीकरण की तिथि को दोनों विभागों के मुख्यालय पर कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गयी है जिसके विरुद्ध समाज कल्याण विभाग के समस्त कर्मचारियों ने प्रत्यावेदन देकर मांग की है कि इस अनियमित रूप से तयार की गयी वरिष्ठता सूची का कार्यान्वयन न किया जाय और नियमानुसार पारस्परिक वरिष्ठता सूची तैयार की जाय किन्तु कर्मचारियों के संगठन द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 1983 के पत्र पर बिना कार्यवाही किए उक्त वरिष्ठता सूची का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जिससे समाज कल्याण के कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थायीकरण नियमितीकरण इत्यादि सेवा सम्बन्धी मामलों में क्षति पहुंच रही है ? यदि हां, तो कर्मचारियों के

प्रत्यावेदन पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

दिनांक 17 दिसम्बर, 1983 को समाज कल्याण विभाग एवं हरिजन कल्याण विभागों के दिनांक 12 जनवरी, 1978 को विलोनीकरण के पश्चात् एक विभाग मानते हुये लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गयी है । इस वरिष्ठता सूची के विरुद्ध समाज कल्याण खंड से 59 कर्मचारियों में केवल पच्चीस कर्मचारियों द्वारा शासन को आपत्ति की गयी है जिसमें मुख्यतः यही कहा गया है कि सूचा का कार्यान्वयन न किया जाय । इसके अतिरिक्त इस संगठन (जिसको शासन से मान्यता प्राप्त नहीं है) द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 1983 न कि दिनांक 22 दिसम्बर, 1983 का पत्र जो सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है । पत्र दिनांक 20 दिसम्बर, 1983 में भी मुख्य मांग यही की गयी है कि अनियमित रूप से जारी की गयी वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया जाय । अनन्तिम कोटिक्रम सूची 3-12-80 को प्रकाशित की गयी थी और उसी के आधार पर तदर्थ पदोन्नतियां नियमितीकरण दिये जाते रहे । लगभग तीन वर्ष बाद इसी संघ के आन्दोलन एवं मांग पर विशेष प्रयास करके इस अनन्तिम कोटिक्रम सूची को अन्तिम रूप दिया गया तथापि इनके प्रत्यावेदन का शासन स्तर से परीक्षण किया जा रहा है ।

## दोहरी घाट लिंक कैनाल के शेष कार्य को पूरा किये जाने की मांग

93.--पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 1ले बुधवार के अता0 प्र0 सं0 61 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरी घाट लिंक कैनाल के शेष कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक 450 लाख रुपए कब तक उपलब्ध करा देंगे ? क्या सरकार इस योजना को जून, 84 तक पूरा कराने का कष्ट करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शेष 450 लाख की धनराशि जून, 86 तक उपलब्ध होने की आशा है ।

इस योजना को जून, 1986 तक पूरा करना प्रस्तावित है ।

## मर्यादपट्टी, वाराणसी का खराब नलकूप

94--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप नं0 59 मर्यादपट्टी, भदोही, जिला वाराणसी जून, 83 से खराब पड़ा है ? यदि हां, तो जून, 83 से 12 फरवरी, 84 तक इसको ठीक न करने का कारण क्या है ? क्या सरकार इसकी पूरी जांच कराकर सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी और नलकूप तुरन्त चालू करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नलकूप सं0 59 मर्यादपट्टी, भदोही, जनपद वाराणसी जून, 83 से फरवरी 84 तक लगातार खराब नहीं रहा । इस अवधि में प्रश्नगत कूप जब खराब हुआ तब उसको ठीक कराकर चालू किया गया । जांच कराने तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं हुई ।

## ज्ञानपुर पम्प कैनाल के समरेखन को जनपद वाराणसी में टेढ़ा करने की शिकायत

95--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञानपुर पम्प कैनाल के मुख्य

नहर के समरेखन को गांव बरवां के पश्चिमी सीमा से जगन्नाथपुर की सीमा, परगना भदोई, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में बदल कर टेढ़ा कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि वहां के किसानों ने इसके खिलाफ रिट दाखिल करके रोक दिया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## विश्व बैंक के नलकूपों की कलस्टर पच्चीस योजना बनाने की मांग

96--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक के नलकूप जहां 25 से कम यानी 10 तक लगे हैं उन्हें कलस्टर की योजना में बनाकर 25 करने की योजना स्वीकार की गयी है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा किया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

## विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत वाराणसी के कतिपय स्थानों में लगने वाले ट्यूब वैलों का स्थगन

97--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में 1983-84 में भी ट्यूबवेल (विश्व बैंक) लगाने का निर्णय किया गया था ? क्या यह सही है कि पिंडरा उत्तरी, समोगरा, बडेपुरा बेलवा, फतेहपुर, कठिरांव, कठिरांव पूर्वी उत्तरी एवं बिन्दा रामपुर तहसील व जिला वाराणसी में ट्यूबवेल लगाने हेतु ईंट के टेंडर भी मांग लिए गए थे ? यदि हां, तो उनको बाद में स्थगित कर दिया गया, ऐसा क्यों ? क्या सरकार 1984-85 में इस योजना को लागू करके पूरा कलस्टर पच्चीस का बना देगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । यह सही है कि ग्राम रामपुर, चहरा पिण्डा पूर्वी, समोगरा, बेलवा मलहथ एवं कठिरांव तहसील व जनपद वाराणसी में ईंट की आपूर्ति हेतु टेण्डर मांगे गये थे परन्तु बाद में वाराणसी जनपद को विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित न किये जाने के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया । वर्ष 1984-85 में भी वाराणसी जनपद को विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है ।

## पौड़ी गढ़वाल के स्कूलों के निर्माण की मांग

98--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज थलीसैंण, वि० खं० थलीसैंण, राजकीय हाई स्कूल बूगीधार, वि० खं० थलीसैंण, राजकीय हाई स्कूल टांडा, वि० खं० बोरोखाल तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चोलीसैंण, विकास खण्ड पावो, जिला पौड़ी गढ़वाल के भवनों के निर्माण के लिए जो धनराशि स्वीकार की गयी थी उन भवनों की 31-1-1984 तक क्या प्रगति हुई है और कब तक इनके भवन बनकर तैयार हो जायेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

दिनांक 31-1-1984 तक प्रश्नगत चारों विद्यालय भवनों के निर्माण की भौतिक प्रगति नगण्य है । राजकीय इन्टर कालेज थलीसैंण के भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है । सम्प्रति यह बताना संभव नहीं है कि यह कार्य कब तक पूरा हो सकेगा । शेष तीन विद्यालयों के भवनों के निर्माणार्थ अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है । इन भवनों का निर्माण कार्य भूमि उपलब्ध हो जाने के उपरान्त ही प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

बस्ती जिले के सरकारी नलकूप

99—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने-कितने सरकारी नलकूप लगे है और इस वर्ष प्रत्येक क्षेत्र में कितने-कितने नलकूप लगाने की स्वीकृति सरकार द्वारा की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बस्ती जिले के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी नलकूपों की स्थिति निम्न प्रकार है:—

| क्र0 सं0 | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा संख्या | | लगे नलकूपों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 165 | हरैया | 63 |
| 2 | 166 | कप्तानगंज | 74 |
| 3 | 167 | नगर पूरक | (सुरक्षित) 36 |
| 4 | 168 | बस्ती सदर | 108 |
| 5 | 169 | रामनगर | 85 |
| 6 | 170 | डुमरियागंज | 43 |
| 7 | 171 | इटवा | 26 |
| 8 | 172 | शोहरतगढ़ | 14 |
| 9 | 173 | नौगढ़ | 23 |
| 10 | 174 | बांसी | 49 |
| 11 | 175 | खेसरहा | 56 |
| 12 | 176 | मेहदावल | 42 |
| 13 | 177 | खलीलाबाद | (सुरक्षित) 92 |
| 14 | 178 | हैरवाजार | (सुरक्षित) 40 |

इस वर्ष बस्ती जनपद में 7 नलकूप लगाने की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें से निर्वाचन क्षेत्रवार लगाये जाने वाले नलकूपों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

| 1 | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 165 | हरैया | 1 |
| 2 | 169 | रामनगर | 1 |
| 3 | 177 | खलीलाबाद | (सुरक्षित) 3 |
| 4 | 168 | बस्ती सदर | 1 |
| 5 | 174 | बांसी | 1 |

लखनापार बांध, बस्ती में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

100—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में जो उसका लखनापार बांध बनाया गया है और उस बांध बनाने में जिन किसानों की जमीन निकली है उनको अब तक उस जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है ? सरकार उन किसानों को उनके जमीन का मुआवजा कब तक देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

सिंचाई विभाग द्वारा मुआवजे की धनराशि रु0 3,12,530 विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर को प्रदान कर दी गई है परन्तु सम्बन्धित ग्रामों की चकबन्दी की प्रक्रिया लागू होने के कारण भूमि अध्याप्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है ।

मुआवजे की सभी धनराशि भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पास उपलब्ध है तथा भूमि अध्याप्ति की प्रक्रिया पूरी होते ही मुआवजे का भुगतान कर दिया जायगा ।

## महमूदपुर, जौनपुर में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग

101—श्री जंग बहादुर—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर विकास खंड खुटहन तहसील शाहगंज के महमूदपुर के कृषकों की भूमि शारदा सहायक के कादीपुर माइनर खंड 36 के निर्माण हेतु 7–8 वर्ष पूर्व अध्यपित की गयी थी जिसका प्रतिकर बीस से अधिक कृषकों को अब तक नहीं दिया गया ? उक्त भूमि के मुआवजा न देने के क्या कारण हैं ? क्या शासन शीघ्र प्रतिकर भुगतान की व्यवस्था करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद जौनपुर विकास खंड खुटहन में कादीपुर माइनर के निर्माण हेतु महमूदपुर परगना चांदा, तहसील शाहगंज में 5.688 एकड़ तथा ग्राम जगदीशपुर परगना चांदा, तहसील शाहगंज में 1.500 एकड़ के अध्याप्ति हेतु अधिसूचनायें जारी की जा चुकी हैं तथा राजकीय गजट में प्रकाशित होने के उपरान्त विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायगा ।

## अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन), मथुरा के माध्यम से कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत ऋण

102—श्री कन्हैया लाल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी (हरिजन), मथुरा के माध्यम से 1 अप्रैल, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 तक कुल कितने व्यक्तियों को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत (बैंक ऋण पर सबसिडी) लाभान्वित किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) मथुरा के माध्यम से 1 अप्रैल, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 तक कुल 2347 व्यक्तियों को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत (बैंक ऋण पर सबसिडी) लाभान्वित किया गया ।

## नलकूप निर्माण खंड, जौनपुर में मरम्मत पर व्यय

103—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप निर्माण खंड, जौनपुर में 1982–83 व 1983–84 में मशीनों की मरम्मत इत्यादि पर कुल कितना धन व्यय किया गया, आपूर्ति व मरम्मत का कितना अनुमोदन अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मंडल जौनपुर व अधिशासी अभियन्ता निर्माण द्वारा किया गया ? मरम्मत के पश्चात् प्रश्नगत मशीनों ने कितने नलकूपों का छिद्रण व विकास उपरोक्त अवधि में किया ? यदि लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की गयी तो अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मंडल, जौनपुर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप निर्माण खंड, जौनपुर के अन्तर्गत वर्ष 1982–83 व 1983–84 में पांच रिग मशीनों और एक कम्प्रेशर की मरम्मत इत्यादि पर कुल 4,38,786रु0 व्यय किया गया जिसमें से क्रमशः आपूर्ति एवं मरम्मत का रुपया 3,49,767 का अनुमोदन अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मंडल जौनपुर द्वारा व रु0 33,784 रु0 का अनुमोदन अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खंड, जौनपुर द्वारा किया गया । शेष

55,235 रु 0 की आपूर्ति व मरम्मत का कार्य सहायक अभियन्ताओं द्वारा उनके स्वयं के क्रय एवं मरम्मत अधिकार के अन्तर्गत सम्पादित कराया गया। मरम्मत के पश्चात् प्रश्नगत मशीनों से उक्त अवधि में माह फरवरी 1984 तक 53 नलकूपों का। छिद्रण तथा 21 का विकास कार्य कराया गया।

वर्ष 1982-83 में छिद्रण के लक्ष्यों की पूर्ति कर ली गयी है, परन्तु कम्प्रेशर के अभाव में विकासन का लक्ष्य पूर्ण करना सम्भव नहीं था जिसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

## टांडा, फैजाबाद में थिरुआ ड्रेन हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

104--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि टांडा जनपद फैजाबाद में थिरुवा ड्रेन निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर भुगतान कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ कोई आवेदन-पत्र श्री गया प्रसाद व श्री रामलोट वर्मा, ग्राम बमावेनपुर, ब्लाक टांडा, फैजाबाद कर दिनांक 12-1-84 का भेजा हुआ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्राप्त आवेदन-पत्र का पूर्व विवरण बिन्दुवार क्या है तथा जांच पश्चात् सम्बन्धित किसानों की भूमि का प्रतिकर भुगतान कर दिया गया है ? भुगतान धनराशि अलग-अलग क्या है तथा भुगतान तिथि क्या है ? यदि नहीं, तो अब तक भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, किन्तु उसमें ग्राम का नाम बसावनपुर है।

आवेदन-पत्र में थिरूवा नाला के निर्माण में आवेदकों तथा अन्य कृषकों की 30-40 बीघा जमीन लिए जाने का जिक्र किया गया है। उक्त जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। इसे दिलाने हेतु प्रार्थना की गयी है।

जी नहीं।

भूमि अध्याप्ति की धारा 4 (1) और (6) का प्रकाशन हो चुका है। भूमि अध्याप्ति अधिकारी, फैजाबाद द्वारा प्रतिकर बांटने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

## चिरकुटराम, प्रधान अमियाबावन-पुर, फैजाबाद का शिकायती पत्र

105--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ श्री चिरकुट राम, प्रधान ग्राम अमिया बावनपुर, फैजाबाद का पत्र दिनांक 12-1-1984 का अमियापुर माइनर निर्माण व पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित माइनर निर्माण व पुलिया निर्माण कराकर सम्बन्धित ग्राम प्रधान को अवगत कराया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

अमिया माइनर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पुलियों का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण अभी तक नहीं हुआ है। सम्बन्धित ग्राम प्रधान को अवगत करा दिया गया है।

## मुड़ेरातालाब, फैजाबाद में ड्रेन से प्रभावित भूमि का प्रतिकर

106--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में टांडा तहसील

के अन्तर्गत स्थित ग्राम मुड़ेरातोल वाया चौरहरा नौरहनी ड्रेन का सन् 79–82 के बीच निर्माण किया गया ? यदि हां, तो क्या श्री राजाराम पुत्र श्री मुनेश्वर भूमि चक नं0 5 रकबा 5 बिस्वा तथा श्री केशव पुत्र श्री रामनाथ भूमि चक नं0 4 रकबा 3 बिस्वा तथा श्री राम जतन पुत्र भागीरथ भूमि चक नं0 3 रकबा 3 बिस्वा तथा राजाराम पुत्र तीजू भूमि चक नं0 2 रकबा 3 बिस्वा ग्राम ओझोपुर, डांडा फैजाबाद की भूमि उक्त ड्रेन निर्माण से प्रभावित है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि का प्रतिकर सम्बन्धित प्रभावित किसान परिवारों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो प्रतिकर भुगतान की धनराशि अलग–अलग क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी हां ।

ग्राम बांझोपुर की भूमि इस नाले के निर्माण में नहीं ली गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

## महेशानन्द निवासी त्रियुगी नारायण, चमोली की बस से कुचल कर मृत्यु तथा क्षति पूर्ति की कार्यवाही

107––श्री मित्रसेन––

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 24 जून, 1983 को गौरी–कुन्ड––सोन प्रयाग मार्ग पर बस नं0 यू0 टी0 एस0 853 से, आठवीं कक्षा का विद्यार्थी, महेशानन्द पुत्र श्री सुरेशानन्द निवासी ग्राम त्रियुगो नारायण, तहसील ऊखीमठ, जनपद चमोली आयु 16 वर्ष कुचल कर मर गया था ? यदि हां, तो क्या उसके पिता को इस सम्बन्ध में कोई क्षति पूर्ति दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा––

जी हां । श्री महेशानन्द की गौरी–कुन्ड के निकट दिनांक 24–6–1983 को बस संख्या यू0 टी0 एस0––853 से कुचल कर मृत्यु हो गयी । उनके वारिसों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकी, क्योंकि जिलाधिकारी, चमोली को इस दुर्घटना की सूचना अथवा शिकायत नहीं प्राप्त हुई थी । शासनादेश संख्या 2791 प/30–3–13–डब्लू/81, दिनांक 25–7–1981 के अन्तर्गत मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु जिलाधिकारी चमोली को नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए लिखा गया है ।

## कार्यशाला नलकूप भदोही, वाराणसी के खराब वाहनों की नीलामी की मांग

108––श्री ऊदल––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यशाला नलकूप भदोही, जिला वाराणसी के मैदान में गाड़ी नं0 यू0 पी0 एल0––6583 व यू0 पी0 एल–08460 यू0 पी0 एल0–1258 एवं एक राजकीय वाहन जिसका नम्बर मिट गया है 10/15 वर्षों से खराब हालत में खड़ी है, उसको नीलाम न करने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी हां । नलकूप खंड भदोही के केन्द्रीय भंडार के प्रांगण में गाड़ी नम्बर यू0 पी0 एल0–8583, यू0 पी0 एल0–8450, यू0 पी0 एल0–1359 (न कि यू0 पी0 एल0–1259) खराब हालत में खड़ी है ।

परिवहन आयुक्त से गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है, तदुपरान्त नीलाम किया जायेगा ।

## ड्रेनेज और बाढ़ विभाग, गोरखपुर के अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायत

109--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्त्ता ने जिला कमेटी गोरखपुर की बैठक में चन्द माह पूर्व यह आरोप लगाया था कि ड्रेनेज और बाढ़ विभाग के अभियन्ताओं ने 25 लाख रुपये का फर्जी मस्टर रोल बनवाकर सरकारी धन का अपहरण किया है तथा इसी सन्दर्भ में प्रश्नकर्त्ता के लिखित अनुरोध पर जिलाधिकारी गोरखपुर ने अतिरिक्त जिलाधिकारी (योजना) को जांच के लिये भी लिखा है ? यदि हां, तो क्या जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

प्रश्नकर्त्ता के लिखित अनुरोध पर अपर जिलाधिकारी (परियोजना) को लिखा गया था कि वे इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को जांच कर आख्या भेजने हेतु लिखें तथा आख्या प्राप्त होने पर जिलाधिकारी, गोरखपुर को अवगत करायें । चूंकि मामले में अभी जांच चल रही है, अतः पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

## आगरा-बिचपुरी मार्ग पर बसों के परमिट

110--विजय सिंह राना--

क्या परिवहन मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि आगरा-बिचपुरी मार्ग पर रोडवेज की बसें चल रही हैं ? यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो कितनी बसों के प्राइवेट परमिट दिए गये हैं तथा उनके नाम क्या हैं और परमिट दिये जाने का आधार क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त मार्ग पर 3 प्राइवेट बसों को परमिट दिये गये हैं जिनके धारकों के नाम निम्न प्रकार हैं :--

(1) श्री अमीर चन्द्र गोयल, राजामन्डी, आगरा ।

(2) श्री राम स्वरूप व्यारा, आगरा ।

(3) श्री संतोष कुमार, व्यारा, आगरा ।

परमिट दिये जाने का आधार जनता की आवश्यकता है ।

111--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[दिनांक 26-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 193 द्वारा उत्तरित ।]

## श्री हरिश चन्द्र वर्मा, वार्डेन, मूल भारतीय छात्रावास, रायबरेली के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा जांच का परिणाम

112--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित श्री राम सेवक वर्मा, अध्यक्ष, छात्र संघ, मूल भारतीय छात्रावास, सिविल लाइन, जिला राय-बरेली का प्रार्थना-पत्र दिनांक 7-10-83 को उक्त छात्रावास के वार्डेन श्री हरिश्चन्द्र वर्मा द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त मामले की जांच किस अधिकारी से करायी और जांच का परिणाम क्या निकला ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 7-10-83 जिसके साथ श्री रामसेवक वर्मा, अध्यक्ष, (छात्र संघ) मूल भारतीय छात्रावास, सिविल लाइन्स, रायबरेली का आवेदन पत्र दिनांक 5-10-83 संलग्न था, प्राप्त हुआ है । मूल भारतीय छात्रावास, सिविल लाइन्स, जिला रायबरेली के प्रबन्धक श्री हरिश्चन्द्र निर्मल के विरुद्ध आरोपों की जांच श्री राजू शर्मा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा करायी गयी जिसमें अनधिकृत व्यय के मामले प्रकाश में आये हैं जिनके बारे में कार्यवाही की जा रही है । श्री निर्मल ने छात्रावास के प्रबन्धकीय कार्य से त्याग-पत्र दे दिया है अब छात्रावास की देखरेख जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की जा रही है और छात्रावास में वातावरण शांत है ।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

## बाराबंकी जनपद की पुलिस द्वारा पैसा लेकर अवैध रूप से मोटर वाहन चलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

नियम 301 के अन्तर्गत 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। माननीय श्याम लाल बाजपेयी, माननीय मोती लाल देहलवी, माननीय सन्त बख्श रावत, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, माननीय रियासत हुसैन एवं माननीय अकबर हुसैन तथा माननीय अकबाल हुसैन की सूचना को स्वीकार किया है, बाकी को अस्वीकार किया है ।

*श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आपके माध्यम से आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर सरकार का ध्यान बाराबंकी जनपद में जिला पुलिस द्वारा हरे पेड़ की अधाधुंध कटाई तथा अवैध रूप से बस, मिनी बस, टेकर चलवा कर पैसा वसूलने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

बाराबंकी जनपद के थाना कोतवाली, सफदरगंज, जैदपुर, कोठी राम सनेही-घाट कदौली, सफदरगंज, टिकैत नगर, देवा, फतेहपुर, असन्दरा, हैदरगढ़ एवं लोनी कटरा खुले रूप से अवैध मोटर वाहन चलवा कर मनमाना पैसा वसूल रहे हैं । इस सम्बन्ध में अकेले थाना--कोतवाली मोटर मालिकों से पैंतीस हजार रुपया मासिक वसूलता है ।

जब-जब बाराबंकी पुलिस को मोटर मालिकों से पैसा बढ़वाना होता है तो दो-चार दिन के लिए गाड़ियों का चलना बन्द हो जाता है, किन्तु जैसे ही रेट तय हो जाता है गाड़ियों का चलना फिर शुरू हो जाता है ।

आपसे अनुरोध है कि आप शासन को आदेश देकर बाराबंकी में पुलिस द्वारा मोटर चालकों से धन वसूली को रुकवाकर अवैध चलने वाली गाड़ियों को परमिट देकर या परिवहन निगम में अनुबन्धित कराकर राज्यकोष में बढ़ोत्तरी करवाने की कृपा करें ।

## उन्नयन बस्ती (कानपुर) में अवैध रूप से बन रही शराब पीने से अन्धे होने एवं मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय, कानपुर महानगर के अन्तर्गत थाना कल्याणपुर के निकट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उन्नयन बस्ती में अवैध शराब बनाने का कारखाना सा खुला हुआ है। लगभग प्रत्येक घर में शराब की भट्ठियां चल रही हैं। यह शराब जहरीली है। इसे पीकर अनेक लोग अन्धे हो चुके हैं और कई अकाल मौतों के शिकार हुए हैं। यह शराब थाना कल्याणपुर व उससे सम्बद्ध चौकी इन्दिरानगर की पुलिस की संरक्षण में बनती व बिकती है। एक हेड कांस्टेबिल द्वारा 100 रुपये प्रति भट्ठी प्रति माह वसूला जाता है, और वसूला धन पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है। यों तो यह शराब कल्याणपुर जी० टी० रोड के किनारे कई होटलों में खुलेआम बिकती है, किन्तु थाने के सामने "तिवारी होटल" में धड़ल्ले से शराब बिकना, पुलिस राज्य का परिचायक है। कल्याणपुर शराबियों का पर्यटन केन्द्र बना हुआ है। 21 मार्च, 1984 को कोहना थानान्तर्गत मन्नूपुरवा निवासी, कैलाश चन्द्र उक्त तिवारी होटल की शराब पीकर आंख की रोशनी गंवा बैठा। कैलाश के पिता मुन्ना लाल ने थाना कोहना में इसकी रिपोर्ट दर्ज करायी। रिपोर्ट के आधार पर छापा पड़ने की सूचना पुलिस ने होटल मालिक को देकर बोतलें तुड़वा दीं। अपेक्षा है कि सरकार सख्ती के साथ अकाल मौत का यह सौदा बन्द करायेगी।

## प्रदेश के भूगर्भ जल में सर्वेक्षण संगठन मेकैनिकल एक्सपर्ट की कमी होने से कार्य की प्रगति में अवरोध होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त बख्श रावत--

इस सदन में कई बार माननीय सदस्यों द्वारा यह कहा गया है कि प्रदेश के भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में मेकैनिकल एक्सपरटाइज के अभाव में ग्राउन्ड वाटर स्ट्रक्चर्स के डिजाइन एवं नलकूपों से सम्बन्धित अन्वेषण का कार्य पिछड़ रहा है जिसके कारण इस प्रदेश के असंख्य कृषकों के लाभार्थ स्वीकृत पुरोनिधानित योजना लगभग असफल रही है एवं वर्तमान समय में भी यह विभाग पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहा है। पहले तो विभाग ने मेकैनिकल एक्सपरटाइज के अधिकारियों की संख्या आवश्यकता से बहुत कम है। केवल कुछ उच्च पदों पर अधिकतर प्रतिनियुक्ति के अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें से अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता स्तर के कई अधिकारियों ने इस विभाग में स्थायी रूप में बने रहने का विकल्प भी दे दिया है परन्तु इन यांत्रिक अधिकारियों को वापस किये जाने की कार्यवाही की जा रही है जोकि जनहित में नहीं है। अतः आपके माध्यम से मैं ग्राम्य विकास मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेकैनिकल के जिन अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंताओं ने 31-12-1983 तक इस विभाग में बने रहने का विकल्प दे दिया है उनको इस विभाग में रोका जाय एवं उनके संविलीनीकरण के आदेश तुरन्त निर्गत करें।

## हजरतगंज, लखनऊ में स्कूटर पार्किंग के ठेकेदार द्वारा जबरन पैसा वसूलने से जनपथ मार्केट के बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से इस आदरणीय सदन और शासन के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि लखनऊ के हजरतगंज बाजार में कार, स्कूटर और साइकिलों को आने जाने से रोकने तथा हथियार के बल पर उनके मालिकों से पैसा वसूलने से व्यापक जन असंतोष

है । समस्या यह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वाहन स्टैंड का ठेका बिना सार्वजनिक सूचना के प्रकाशित कराए कि वाहनों के खड़ा करने की जगह क्या होगी तथा खड़े करने का किराया क्या होगा, ठेका दे दिया । 1 अप्रल से लागू इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि हजरतगंज में इलाहाबाद बैंक के चौराहे से लेकर जिलाधिकारी निवास तक 12 स्टैंड बना दिये गये और प्रत्येक कार, स्कूटर तथा साइकिल वाले को जबरिया उन स्टैंडों पर खड़ा करा कर जबरिया धन वसूला जाने लगा है । जनपथ मार्केट में वाहनों के आने पर रोक लगा दी गयी । मान्यवर, इस व्यवस्था के विरोध में जनपथ के लोग थाने पर गये । वहां एक नहीं सुनी गयी । परिणामस्वरूप पूरा जनपथ मार्केट बन्द रहा । जनता तथा व्यापारियों में भय तथा आतंक व्याप्त है, क्योंकि ठेकेदार जबर किस्म के लोग हैं । अतएव, अविलम्बनीय लोक महत्व की इस समस्या में शासन के त्वरित हस्तक्षेप की मांग कर जनता को राहत दिलाने की मांग करता हूं ।

## सगरा, जिला बस्ती में अग्निकांड से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, कल दिनांक 3-4-83 को दिन में दो बजे के लगभग मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम सगरा में भीषण अग्निकांड हुआ । चूंकि कल हवा बहुत तेज चल रही थी इसलिये पश्चिम किनारे से पूरब किनारे तक 20 घर जलकर राख हो गये । किसी भी परिवार के पास खाने पहनने का कोई सामान नहीं है । इन घरों के सौ से ज्यादा व्यक्ति बेघर हो गये हैं....

श्री अध्यक्ष--

यह जो आप हिप्पी कट बाल रखे हैं, इसका कोई इलाज है ?

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, इनके बाल काटने की व्यवस्था करा दें ।

(हंसी)

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

सम्पूर्ण सामान, कपड़ा, लकड़ी, बर्तन सब जल गया है । मैंने तुरन्त मौके पर पहुंचकर अपनी आंखों से स्थिति देखी है । मिट्ठू यादव का सम्पूर्ण बदन जल गया है । उसे मरणासन्न अवस्था में बस्ती अस्पताल में दाखिल किया गया है । पूरे गांव में शोक का वातावरण व्याप्त है । अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि सम्पूर्ण जले हुए परिवारों का लगभग एक लाख से अधिक का नुकसान हुआ है, उसे मुआवजा देकर सरकार पूरा करे तथा भविष्य में अग्निकांड पर काबू पाया जा सके उसके लिये तहसील हेडक्वार्टर, डुमरियागंज के थाने पर एक फायर ब्रिग्रेड स्टेशन की स्थापना की जाय ।

## रचना बचत कम्पनी द्वारा जमा पूंजी लेकर फरार हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन--

मान्यवर, जनपद रामपुर, मुरादाबाद तथा नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में चिटफण्ड नाम से कुछ कम्पनियों ने अपने दफ्तर चलाए हैं जिन्होंने भिन्न-भिन्न प्रकार के आकर्षण देकर नागरिकों का लगभग 50 लाख रुपये जमा करा लिये । इन कम्पनियों में से 'रचना बचत कम्पनी' के नाम से इन सारे जनपदों के क्षत्र में दफ्तर खोले गये । ज्ञात हुआ है कि मद्रास की एक वित्त सहायता कार्पोरेशन ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी अपने दफ्तर खोले जो लखनऊ में रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज द्वारा रजिस्टर की गयी फर्म है और प्रदेश भर में उसने अपने दफ्तर खोले हैं । इन कम्पनियों ने एकाएक मुरादाबाद, हल्द्वानी और रामपुर के दफ्तर बन्द कर दिये हैं। दफ्तर बन्द होने के बाद जिन लोगों का रुपया जमा है, उन्होंने रजिस्टर्ड नोटिस भी दी है परन्तु उसका कोई उत्तर उन्हें नहीं प्राप्त हुआ है । इस तरह से इन बोगस कम्पनियों द्वारा जालसाजी और धोखे से जनपद रामपुर, मुरादाबाद और हल्द्वानी की जनता का लगभग 50 लाख रुपया मार लिया गया है । इन विषयों में सम्बन्धित अधिकारियों को भी सूचित किया गया है परन्तु कोई भी प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया है । जिसके कारण इन सारे क्षेत्रों की जनता में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है । अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर माननीय सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

## रसूलपुर, जिला बाराबंकी निवासी, श्री उत्तम सिंह की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर आपकी आज्ञा से मैं अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की सूचना सदन में देना चाहता हूं कि 10 मार्च, 1984 को रात लगभग 8 बजे उत्तम सिंह पुत्र श्री गुरुदयाल, निवासी मोहल्ला रसूलपुर, बाराबंकी जो कि कांग्रेस (एस0) के बार बंकी जनपद के उपाध्यक्ष थे की हत्या बदमाशों ने कर दी जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और मुलिजम भी पकड़ कर दिया गया परन्तु पुलिस ने उसे छोड़ दिया । जिस पर उनके भाई डा0 सोहन लाल ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो डाक्टर सोहन लाल के ऊपर पुलिस की शह पर बदमाशों ने दिनांक 26 मार्च को 7 बजे शाम सिविल लाइन्स में श्री डी0 के0 सिंह, एडवोकेट के घर पर जीप में आए और डा0 सोहन लाल के ऊपर दो हथगोलों से प्राणघातक हमला किया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल होकर मेडिकल कालेज, लखनऊ में भर्ती हैं । इस तरह कानून व्यवस्था बाराबंकी में समाप्त हो चुकी है व भय व आतंक का वातावरण व्याप्त है । अतः मैं मांग करता हूं कि मुलिजमान को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय और डा0 सोहन लाल को रक्षा की व्यवस्था की जाय ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

## औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

यह औचित्य के प्रश्न की मुझे 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । माननीय मोहन सिंह के विषय को मैंने सुनने के लिये स्वीकार किया है इसका मैंने अपने कक्ष में परीक्षण किया, नियमावली जो दी है, उसको देखा । यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता, फिर भी इस मामले को मैं मुख्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा प्रोटोकाल मंत्री को भेज रहा हूं । श्री जसवन्त सिंह बिष्ट की इस सूचना का जहां तक सम्बन्ध है, जो सत्र के सातवें बुद्धवार के अतारांकित प्रश्न 41 के उत्तर के सम्बन्ध में है, यह औचित्य का प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य यदि चाहें तो नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा को मांग कर सकते हैं । जहां तक श्री मसरूर जाफरी का सम्बन्ध है, जो बलरामपुर के बालिका इण्टर कालेज की नौकरानी की लाश के बारे में है, नियम 300 में यह प्रश्न नहीं आता है, फिर भी इस सूचना को मैं शिक्षा मंत्री जी के पास उचित कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं । जहां तक श्री माता प्रसाद पाण्डेय का सम्बन्ध है जो श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय, सदस्य विधान सभा द्वारा तथाकथित त्याग-पत्र के विषय में है, यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता । संविधान

के अनुच्छेद 190 (3) (ख) के अन्तर्गत मुझे कोई त्याग-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह अस्वीकार किया जाता है। कोई त्याग-पत्र आता तो मैं नियमों के अनुसार स्वीकार करता या न करता, अतः यह औचित्य का प्रश्न अस्वीकार करता हूं।

जहां तक श्री सरदार सिंह की सूचना भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में है, नियम 300 में औचित्य का प्रश्न सदन के कार्य के विनियमन से सम्बन्धित होना चाहिये, अतः मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं। जहां तक श्री केदार नाथ सिंह के चौथे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के बारे में है, यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता, अतः इसे मैं अस्वीकार करता हूं। श्री राम स्वरूप निम की सूचना सातवें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के बारे में है, यदि माननीय सदस्य प्रश्नोत्तर से सन्तुष्ट न हों तो नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग कर सकते हैं। अतः नियम 300 म इसे अस्वीकार करता हूं। जहां तक श्री किरन पाल सिंह की--श्री हरि सिंह, राज्य मंत्री द्वारा वसूली रोकने विषयक वक्तव्य के बारे में है, इस तरह की सूचना कल भी दी गयी थी। उसमें मैंने आज बैठक बुलायी है, तभी निर्णय लिया जायगा। कल मुझे स्वास्थ्य खराब होने की वजह से जाना पड़ा। अतः आज 4 बजे अपने कक्ष में बैठक बुलायी है, वहां सुनने के बाद निर्णय दूंगा। जहां तक श्री गोपी नाथ वर्मा का सम्बन्ध है जो वेतन भुगतान सम्बन्धी आश्वासन की पूर्ति न होने के बारे में है, माननीय मंत्री जी आप उनको अपने कक्ष में बुलाकर विशेष रूप से सुन लें। ये बहुत परेशान हैं और कई बार कह चुके हैं। इनके मामले में कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इसलिये आप विशेष रूप से इन्हें अपने कक्ष में बुला लें, या मेरे कक्ष में बुला कर निर्णय ले लें। यह बहुत जरूरी है। वैसे यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता, इसे आश्वासन समिति को भेजा जा रहा है।

## नेता विरोधी दल को कैबिनेट स्तर का दर्जा न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मोहन सिंह--

माननीय, जहां से हमने इस संसदीय प्रणाली की नकल की है उन देशों के नेता, विरोधी दल को नेता सदन के बराबर मान्यता प्राप्त है। अपने प्रदेश में इस पर अनेक बार चर्चायें हुईं। जहां तक केन्द्र सरकार का प्रश्न है, लोक सभा में नेता विरोधी दल को कैबिनेट स्तर की मान्यता दी जाती है। हमें अफसोस है कि अभी इसी आदरणीय सदन में प्रश्न प्रहर के दौरान प्रोटोकाल में विधायकों का क्या स्थान है, तो यह सरकार उनका स्थान बतलाने में असमर्थ रही। माननीय नेता विरोधी दल के बारे में 2 साल पहले प्रदेश सरकार ने बहुत ही कृपापूर्वक प्रोटोकल में कहा था कि हमने नेता विरोधी दल को अमुक-अमुक सुविधायें दे दी हैं, लेकिन उसका स्टेटस क्या है, उसका राज्य सरकार द्वारा निर्धारण नहीं किया गया। निर्धारण न करते हुए भी उनकी विशिष्ट स्थिति इस प्रदेश में सरकार ने बना रखी थी, इसीलिये 1981 में उनकी सुख-सुविधाओं हेतु एक असाधारण गजट प्रदेश सरकार की ओर से प्रकाशित हुआ था, जिसे "उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के नेता और विरोधी दल के लिए सुविधा नियमावली, 1981" नाम दिया गया था। इसके अध्याय 3 के खण्ड 9 (1) का माननीय, आप अवलोकन करें। इसमें लिखा गया है कि "मोटर-कार का उपयोग नेता विरोधी दल द्वारा लोक प्रयोजनार्थ सरकारी व्यय पर किया जा सकेगा,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परन्तु लखनऊ नगर महापालिका की सीमा के बाहर यात्रा के लिए पेट्रोल का उपभोग प्रतिमास 150 लीटर से ज्यादा नहीं होगा।" मान्यवर, 150 लीटर प्रतिमास पेट्रोल कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के लिए भी था, इसलिए स्वभाविक ढंग से यह स्वीकार कर लेते थ कि माननीय नेता विरोधी दल का स्तर राज्य सरकार ने कैबिनेट मिनिस्टर का तय किया है। ऐसी एक मान्यता हो गई थी। लेकिन अभी प्रदेश सरकार ने एक नियमावली प्रकाशित की है।

(समाज कल्याण मंत्री द्वारा सदन से उठकर जाने पर।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय समाज कल्याण मंत्री जी, अभी आप कहीं न जायं, क्योंकि नियम 56 के अन्तर्गत आपसे सम्बन्धित काफी सूचनाएं हैं।

श्री मोहन सिंह--

राज्य सम्पत्ति अनुभाग, लखनऊ दिनांक 27 मार्च, 1984 को एक राजाज्ञा, अविसूचना के जरिये प्रसारित की गयी है। इसमें जो विभिन्न कोटियां निर्धारित की गयी हैं, उसमें मुख्य मंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के लिए जो प्राविधान किया गया है, वह डेढ़ सौ लीटर पेट्रोल प्रति मास है। इसके दूसरे पेज पर नम्बर 2 को आप देखें। इसमें राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों और विधान मण्डल के दोनों सदनों के माननीय नेता विरोधी दलों के लिये 100 लीटर प्रतिमास पेट्रोल का प्राविधान किया गया है। मुझे 100 लीटर और 150 लीटर से आपत्ति नहीं है। आपत्ति यह है कि 1981 में जो आपने कोटि निर्धारित की थी, माननीय नेता विरोधी दल को कैबिनेट मिनिस्टर के समान सुख-सुविधाओं की, उसे आपने 1984 में कटकर राज्य मन्त्री और उप-राज्य मन्त्री के स्तर के साथ निर्धारित किया। नेता विरोधी दल की जो विशिष्ट स्थिति राज्य सरकार द्वारा बनाई गई थी, उसके लिये अलग से प्राविधान किया गया था, उसे काटकर राज्य मन्त्री और उप-मन्त्री के साथ मिलाकर प्रदेश सरकार ने नेता विरोधी दल के स्तर का अवमूल्यन कर एक घृणित कम किया है, इसलिये मान्यवर, मैं इस पर सरकार का स्पष्टीकरण चाहता हूं। पहला तो यह कि इस सदन के अन्दर और इस सदन के बाहर नेता विरोधी दल का प्रोटोकाल के अन्तर्गत क्या स्तर है? दूसरा, यह कि उनकी सुख-सुविधाओं के बारे में जो एक विशिष्ट प्राविधान था, उसे काटकर राज्य मन्त्री और उप-मन्त्री के स्तर के साथ निर्धारण करने में सरकार की क्या मंशा है? डेढ़ सौ लीटर पेट्रोल को कम कर 100 लीटर पेट्रोल करने का औचित्य क्या है?

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि 1980 में माननीय नेता विरोधी दल को, चाहे वह इस सदन के हों, और चाहे उस सदन के हों, कुछ सुविधायें और एक स्टेटस देने की बात आयी थी। उस समय यह साफ-साफ कहा गया था, और बहुत दिनों से यह कोशिश चल रही है, 1977 में भी प्रयास किया गया है और 1979 में भी प्रयास किया गया, परन्तु किन्हीं कारणवश यह नहीं हो सका। 1980 में पहली बार इस सरकार ने, यह जितना प्राविधान था, वह किया। माननीय मोहन सिंह जी ने तीन प्रश्न मान्यवर उठाये हैं, पहला तो प्रोटोकाल से सम्बन्धित है, दूसरा राज्य मन्त्रियों के साथ ग्रेडिंग से सम्बन्धित है और तीसरा पेट्रोल से सम्बन्धित है, जो 100 लीटर हो गया है। मान्यवर, जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है कि प्रोटोकाल में उनका क्या स्टेटस है इसका परीक्षण कराया जा रहा है कि परीक्षण करने के बाद ही हम इस

पोजीशन मे होंगे कि आपके माध्यम से सम्मानित सदन को सूचित कर सकें। रही पेट्रोल की बात कि यह जो 50 लीटर कम कर दिया गया है, मान्यवर, मुझे खुद आश्चर्य है और मैं समझता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं कि जो इस बात को बल देते हैं, इस बात को कहते हैं कि विरोधी दल के नेता के जो अधिकार हैं, जो उनकी पोजीशन है, वह बराबर रहनी चाहिये, क्योंकि डेमोक्रेसी में विरोधी दलों का एक अपना स्थान है और कहीं पर उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो यह 50 लीटर की कटौती हुई है, उसको रिस्टोर किया जाता है और बाकी जिन चीजों पर माननीय मोहन सिंह ने अपने बिन्दु उठाये हैं, उनका परीक्षण कराके उत्तर दिया जायेगा।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपको माननीय मोहन सिंह के बाद ही कोई बात कहनी चाहिये थी।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने अपने उत्तर में एक नयी बात कह दी। वरना मैं माननीय मोहन सिंह जी के बाद ही खड़ा होता।

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने जो इसमें लफ्ज 'परीक्षण' का जोड़ दिया है, यह मेरी समझ में नहीं आया। यह शासन का निर्णय, इस सदन का सम्मान करने के लिये और प्रजातन्त्र को मजबूत बनाने के लिये यह निर्णय हुआ था और आपने घोषणा की थी....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्य —

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी, मैंने माननीया हरिजन समाज कल्याण मन्त्री जी को रुकने के लिये कहा था, क्योंकि उनसे सम्बन्धित नियम 56 के अन्तर्गत कई सूचनायें थी। वह उठ-कर चली गयी हैं, आप उनको बुलवायें।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, वे कुछ ऐसे कार्य से गयी हैं, उनको रोकना मुनासिब नहीं था, अभी आ जायेंगी।

(हंसी)

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि प्रजातन्त्र को मजबूत बनाने और यह सब चीज करने के लिये और सदन के सम्मान के लिये शासन ने यह निर्णय लिया था और घोषणा की थी कि नेता विरोधी दल को एक केबिनेट स्तर के मन्त्री के बराबर का दर्जा दिया जायेगा, जो सुविधायें केबिनेट स्तर के मन्त्रियों को मिलती है, वह उनको मिलेंगी। आज संसदीय कार्य मन्त्री यह कह रहे हैं कि इसका हम परीक्षण करा रहे हैं कि नेता विरोधी दल को क्या-क्या सुख-सुविधायें दी जायें। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि शासन की घोषणा के बाद भी परीक्षण किस चीज का करा रहे हैं? होना तो यह चाहिये था कि अगर किसी चीज में उनका ध्यान आकर्षित किया गया है, तो उनको आदेश देना चाहिये था। यह सदन की सारी परम्पराओं, अन्य सारी मर्यादाओं को और सदन के सम्मान को ध्यान में रखकर शासन के निर्णय के अनुसार जब नेता विरोधी दल को कैबिनेट स्तर के मन्त्री का दर्जा हर मायने में दिया गया तो उसमें अगर कमी हो रही है तो उसको पूरा

करने के लिये आदेश भी देने चाहिये थे और अगर किसी के वजह से यह कमी हो रही है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश भी देने चाहिये थे। लेकिन यह जो परीक्षण की बात कह दी है, यह तो एक नयी बात हो गयी है। अब इसमें कौन परीक्षण कर रहा है, किस चीज का कर रहा है ? यह बात मेरी समझ में नहीं आयी।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अभी सूचना दी कि 1972 से चल रहा है। मान्यवर, मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि 1967 में जब मैं वित्त मन्त्री था, तब मैंने माननीय चन्द्र भानु गुप्त जी को बुलाया था और यह तय किया था कि कैबिनेट स्तर के मन्त्री के बराबर का दर्जा विरोधी दल के नेता को दिया जाय। वे इस पर सहमत हुये थे। उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि मकान नहीं लेना चाहता हूं और बाकी जो सुविधायें केबिनेट स्तर के मन्त्री को उपलब्ध है, उससे मैं एग्री करता हूं। मैंने कहा था कि अगर मैं घोषणा करूं सदन में कि मैं यह सुविधा दे रहा हूं और अगर उससे आप इन्कार किये, तो परेशानी होगी। इसलिये मैं कहता हूं कि रहनुमाई का दावा न करें, यह काम 67 में हुआ था तब रुतबा तय हुआ था, अब इन्होंने घटा दिया हो तो यह जानें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा बोलने का इरादा नहीं था, क्योंकि माननीय मोहन सिंह जी ने बात को विस्तार से कह दिया था, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने जो कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिये मैंने अधिसूचना देखने का फैसला किया। मुझे बहुत आश्चर्य है कि इस अधिसूचना की जानकारी उन्हें क्यों नहीं थी इसमें उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों और विधान मंडल के अधिकारियों तक का प्राविधान है, नेता विरोधी दल का प्राविधान है, तो मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई राजाज्ञा जारी करने से पहले आपसे सम्पर्क करना जरूरी है। मेरी जानकारी के अनुसार इस मामले में माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी से भी सम्पर्क हुआ होगा, आपसे भी सम्पर्क होना चाहिये था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में आपसे सम्पर्क किया गया ? माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी का यह कहना कि उनको जानकारी नहीं थी, क्या यह जानबूझकर सदन को गुमराह करने का प्रयत्न नहीं है ? इसके साथ ही मैं माननीय मोहन सिंह की बात पर बल देता हूं कि अगर संसदीय परम्पराओं की रक्षा करनी है तो नेता विरोधी दल को केवल कागज पर नहीं, बल्कि वास्तव में उनके लिये वही स्तर, सम्मान और व्यवस्था होनी चाहिये, जो उधर के नेता, सदन की है। इसके साथ ही मैं अपनी आपत्ति पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय सदस्यों को सुना, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी को भी सुना। पहले मेरा इरादा था कि इस औचित्य के प्रश्न पर निर्णय कर दूं, लेकिन बाद में जब मैंने माननीय सदस्यों की बात सुना, तो मैंने तय किया है कि मैं इसका परीक्षण करूंगा। जब तक मैं परीक्षण न कर लूं कि दूसरे सूबों में क्या परम्परा है, क्या हमारे ऐक्ट में है, क्या नियमों में है, तब तक के लिये अपने निर्णय को सुरक्षित रखता हूं। निर्णय बाद में दिया जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

## उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1983-84) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री अध्यक्ष—

अब हम मद संख्या 4 लेते हैं, इसकी मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और सभापति लोक लेखा समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1983-84) का चतुर्थ प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1980-81 के सिविल प्रतिवेदन पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, नियम 216 के अन्दर, पे० ए० सी० के ऊपर ही स्पष्टीकरण करा दीजिये । जो इशूज इससे सम्बन्धित हैं, कोई तारीख निर्धारित हो जाय, जिस दिन इस पर चर्चा हो जाय ।

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

आप जो भी तारीख निर्धारित करें, हमें स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आज कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक 3.30 बजे है, उसमें रख लेते हैं ।

---

†छापा नहीं गया ।

## बिना मन्त्रि परिषद् की स्वीकृति के शासनादेश जारी किये जाने तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा समितियों की अध्यक्षता किये जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

विगत सत्र में दिनांक 7 सितम्बर, 1983 को श्री मोहन सिंह तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने औचित्य के प्रश्नों की पृथक्-पृथक् सूचनायें दी थीं । उन पर सदन में भी चर्चा हुई थी । उपरोक्त चर्चा में श्री मोहन सिंह और श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के अतिरिक्त माननीय नेता, विरोधी दल तथा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी भाग लिया था । उस वक्त मैंने यह कहा था कि कार्यवाही को देखने के उपरान्त नियमों और अपने कक्ष में हुए निर्णयों को देखकर, मैं बाद में निर्णय दूंगा ।

उपरोक्त औचित्य के प्रश्नों में जो मुख्य बिन्दु उठाये गये थे वे निम्नवत् हैं :

(1) क्या मंत्रि परिषद् अथवा विभागीय मंत्री की स्वीकृति के बिना कोई शासनादेश जारी किया जा सकता है ? और यदि ऐसे आदेश जारी नहीं हो सकते तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जानी चाहिए ?

(2) क्या किसी ऐसी समिति, जिसमें माननीय विधायक भी सदस्य हों, की अध्यक्षता कोई सरकारी अधिकारी कर सकता है ?

मैंने सभी अभिलेखों का अवलोकन किया है और संविधान तथा संसदीय प्रणाली में निहित सिद्धान्तों पर भी

विचार किया है। तदुपरान्त, जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, मैं इस मत का हूं कि उस पर "प्रश्न एवं संदर्भ समिति द्वारा विचार किया जाए और उस प्रश्न को मैं उपरोक्त समिति को सुपुर्द करता हूं।

जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 1983 को सदन में दिये गये आश्वासन का अवलोकन किया है। माननीय मुख्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि किसी ऐसी कमेटी की अध्यक्षता सरकारी अधिकारी नहीं करेंगे, जब तक तकनीकी विषयों से संबंधित होने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से, कोई मजबूरी न हो। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि यदि कहीं पर ऐसा आदेश होने से छूट गया है तो उसे भी ठीक कर दिया जायेगा। मेरे विचार से इस प्रश्न पर "आश्वासन समिति" परीक्षण करे और अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

## उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों को उपलब्धियां एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

"चूंकि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों को उपलब्धियां एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 सदन के 17 फरवरी एवं 12 मार्च, 1984 के निश्चयानुसार इस निर्देश के साथ सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया है कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिन के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें;

और चूंकि उक्त समिति इस अवधि में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है।

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 258 के उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय प्रस्ताव किए जाने पर निदेश दे सकेगा कि समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाए;

अतएव यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति के द्वारा सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन तक के लिये बढ़ाया जाए।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अभी जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस आदरणीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, सदन उससे सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(समय 12 बजकर 55 मिनट)

## कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत 13 सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं जिसमें से सर्वश्री मसरूर जफरी और गोपीनाथ वर्मा की बांदा के डाक बंगले में आनन्द मार्ग के नेता, श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा बगैर आवंटित कराए रहना तथा वहां विदेशी सेंट की शीशियां प्राप्त किये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री राम स्वरूप निम की जी0 बी0 पंत पालिटेक्निक, लखनऊ के प्राइवेट छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित न किये जाने के संबंध में है। इन दोनों को मैंने शासन

का ध्यान आकृष्ट करने के लिये भेज दिया है तथा सर्वश्री हुकुम सिंह, राजेन्द्र कुमार गुप्त, भीखा लाल व श्री रियासत हुसैन की सूचना सुनने के लिये स्वीकार की है तथा श्री सरदार सिंह की सूचना नियम 301 में स्वीकार हो चुकी है।

(शोर)

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, मेरी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर के इसलपुर टोला गांव में हरियाणा के लोगों के द्वारा फसल काटने के संबंध में जो घटना हुई है उसकी ओर में आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह प्रकरण 31 मार्च को शुरू हुआ। 31 मार्च को दोपहर के बद हरियाणा के सौ-सवा सौ आपराधिक तत्व व पुलिस जवान उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस आये और इसलपुर टोला नामक गांव में खड़ी फसल को काटना शुरू कर दिया। जब वहां के लोगों ने यह देखा तो सभी ग्राम निवासी, औरतें, बच्चे और बूढ़े सब आकर अपने खेतों की मेड़ पर लेट गये तब जा कर वे लोग वापस गये। 1 अप्रैल को पुनः वह लोग आये और वहां की पुलिस ने तमाम घरों को घेर लिया। घटना की सूचना मिलने पर उत्तर प्रदेश पुलिस के 14 आदमी वहां गये थे परन्तु जब हरियाणा की पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी तो वह भी वापस चले गये। तमाम क्षेत्र में जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बाउन्ड्री से मिलते हैं, वहां पर हरियाणा की पुलिस का आतंक व्याप्त है। हम लोग इसके लिये चिल्लाते हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा किया जाय क्योंकि शासन हमारी समस्यायों पर ध्यान नहीं देता है।

इतनी गम्भीर घटना की जानकारी शासन को अभी तक नहीं होगी कि 12 और 13 लाख की फसल को वहां के लोग काट चुके हैं। कांधला थाना जो कि वहां से नजदीक है लेकिन आपके पुलिस कर्मी हरियाणा की पुलिस के भया से वहां जायेंगे नहीं, एस0 पी0 जायेगा नहीं, जिलाधिकारी जायेगा नहीं तो इन जनजीवन की सुरक्षा कौन करेगा? वहां के जन-जीवन में खतरा पैदा हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस विषय पर कार्यवाही रोक कर यहां जिरूर विचार करवा दें। मान्यवर, बरलन्द-शहर के आप हैं, वहां की बात तो आप अनभिज्ञ नहीं हैं कि वहां सेप भी इस प्रकार की घटना कई बार दोहराई जा चुकी है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस विषय पर आप सदन में चर्चा करा दें।

(श्री मसरूर जाफरी और श्री किरन पाल सिंह के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिये। नियम यह है कि जब अध्यक्ष खड़े हों तो माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिये, यह हमेशा से परम्परा रही है। गलती से एक सूचना देनी रह गयी है जो कुंवर सिंह नेगी, डा0 शिवानन्द नौटियाल व श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की सूचना है, प्रदेश में पेय जल संकट से उत्पन्न आक्रोश के बारे में है। श्री रेवती रमण सिंह की प्रदेश में जूनियर हाई स्कूलों के अनुदान की धनराशि के वितरण न किये जाने के संबंध में है और श्री ललू सिंह चौहान की आलू के भाव के गिरावट के संबंध में है। यह 11 तारीख के वक्तव्य के लिये लगी हुई है। मेरे कक्ष में आज आप आये थे और इसे जल्दी लगवाने के संबंध में कहा था परन्तु श्री विमल प्रसाद तिवारी ने खुद ही कहा है कि इसे 7 तारीख के बाद लगवाइये। तो इसमें क्या किया जाय?

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, आलू के दामों में बहुत गिरावट आ गयी है 20 रुपये क्विंटल हो गया है। बेचारे किसान का क्या होगा? फर्रुखाबाद और मैनपुरी में आलू सड़ रहा है। मान्यवर, जब आप इसे 11 को लायेंगे तब तो बहुत देर हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

आप मुझको समय दीजिएगा, फिर इसको देखेंगे।

श्री किरनपाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय हुकुम सिंह जी ने सदन में सूचना दी है मुजफ्फरनगर के बारे में, इससे भी भयानक स्थिति बुलन्दशहर में खुर्जा और सिकन्दराराऊ की है। वहां के 47 गांव हरियाणा की सीमा पर पड़ते हैं। हरियाणा सरकार ने एक्स सर्विस वालों को वहां पर बसा रखा है। पिछली बार वह लोग हरियाणा की पुलिस के सहयोग से उत्तर प्रदेश की सीमा में, हमारे यहां घुस आये और दो आदमियों की हत्या करके फसल काट ले गये थे। और इस बार भी फसल काटना शुरू कर दिया है। हमारे यहां की पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है। मैंने डी0 एम0 और एस0 पी0 से कहा लेकिन उनके कान पर जू नहीं रेंगी। और हमारे यहां की फसल काट कर हरियाणा के लोग लिये जा रहे हैं। उन लोगों ने कहा यह सरकार की नीति से संबंधित मामला है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम जिला स्तर के एस0 पी0 और डी0 एम0 से कुछ नहीं कह सकते हैं। तमाम क्षेत्र की फसल काटकर हरियाणा के लोग लिये जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जब तक फसल कट न जाय तब तक आप वहां पर पी0 ए0 सी0 लगा दें और हमारे प्रदेश की फसल को हरियाणा के लोगों द्वारा काटे जाने से बचा लें।

श्री गौरी शंकर भैंटया--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बार्डर डिस्प्यूट है। यह केवल हरियाना का ही नहीं है बल्कि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों में भी जहां पर इसकी सीमा बिहार से मिलती है, वहां की पुलिस और डाकू मिल कर आते हैं और चोरी-डकैती डालते हैं। हमारे यहां की पुलिस उनके सामने अपनी रायफल नीची करके भागकर चली आती है। मान्यवर, यह मामला पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है। मेरा निवेदन है कि आप निश्चित रूप से इस पर काम रोको प्रस्ताव स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष--

जो बलिया और बिहार से सम्बन्धित मामला है, वह 6 तारीख को दक्षिण्य के लिए लगा हुआ है, जिसे काशी नाथ मिश्र ने दिया था।

श्री गौरी शंकर भैंटया--

जो काशी नाथ मिश्र ने दिया है, उन्होंने अपने क्षेत्र की कटाई का दिया है। एक गांव का है। मैं पूरे बलिया जिले की बात कह रहा हूं। बलिया जिले के दोनों ओर बिहार है। उन्होंने अपने क्षेत्र की कटाई का दिया है, मैं चाहता हूं कि आप पूरे जिले का मामला ले लें।

श्री सरदार सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मथुरा जिले की सीमा हरियाणा से मिलती है यहां पर भी वही हाल है जो दूसरी जगह पर है। हरियाणा के लोग हमारे जिले की सीमा में घुस आते हैं और फसल को जानवरों से जबरदस्ती चुरा ले जाते हैं, चोरी करते हैं और कई तरह के क्राइम करते हैं। हमारे यहां की पुलिस कुछ नहीं करती है। लोगों का वह अपहरण कर ले जाते हैं, चोरी और डकैती कर ले जाते हैं इस सम्बन्ध में बहुत सारी

शिकायतें हुयी हैं लेकिन शासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा करायें ।

*संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर और मथुरा के माननीय सदस्यों ने उठाया है और बार्डर की समस्या से अवगत कराया । यह प्रश्न इससे पहले भी यहां पर आ चुका है और उसपर चर्चा हुई थी । इन समस्याओं के सम्बन्ध में हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है हरियाणा सरकार को लिख रही है । यह दो प्रान्तों का मामला है अभी इस पर कोई चर्चा न हो और वक्तव्य देना भी उचित नहीं है । मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक पत्र हरियाणा सरकार को भिजवा दूंगा । जिसमें मान्यवर, वहां के आई० जी० और यहां के आई० जी० तथा रेवेन्यू के जो कुछ उच्च अधिकारी हैं, उस बार्डर की समस्या पर विचार कर लेंगे । जिन समस्याओं के बारे में हुकुम सिंह जी ने और जो माननीय किरनपाल सिंह और सरदार सिंह ने बताया, उन घटनाओं का जिक्र भी उसमें होगा और साथ ही साथ उस पर कार्यवाही के लिए आज ही आदेश दिए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त जो वहां पर उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, जो गांव हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी फसलों की पूरी व्यवस्था की जायेगी । इसलिए मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसको आप किसी वक्तव्य अथवा चर्चा के लिए स्वीकार न करें और इस पर प्रशासनिक कार्यवाही करने के लिए हमें अवसर दें ।

(श्री गौरीशंकर भैय्या के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

गौरी भैय्या जी मैं बाद में निर्णय दूंगा ।

*श्री मोहन सिंह--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मान्यवर, गत वर्ष मैंने इस प्रश्न का इस सदन में उठाया था और उसके पूर्व जब यही पर माननीय बनारसी दास जी मुख्य मंत्री थे, उस समय माननीय सोहन वीर सिंह तोमर ने इसे उठाया था । श्रीमन्, यह हर साल की समस्या है । मेरे प्रश्न के उत्तर में आपकी सरकार ने और उसके पहले बनारसी दास जी की सरकार ने इसी मौके पर उत्तर प्रदेश की पुलिस और पी० ए० सी० की पूरी पलटन लगा दी थी ताकि बिहार और हरियाणा की पुलिस उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी भी हालत में घुसने न पाये । तो उसी प्रकार की व्यवस्था आपके शासन द्वारा अविलम्ब कराने की कोशिश की जायेगी जिससे हरियाणा की दानवी और राक्षसी पुलिस से उत्तर प्रदेश के किसानों की रक्षा की जा सके ;

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आपको विदित है कि जो हरियाणा और यू० पी० के बार्डर का मसला था, उसके लिए एक कमीशन एप्वाइन्ट हो गया था और उस पर उसकी फाइंडिंग्स भी हो गई थीं । उसके बाद कमीशन की रिकमन्डेशन के मुताबिक कार्यवाही नहीं की जा सकी, वह इनइफेक्टिव हो गई । जब इरीगेशन का मामला आता है तो हरियाणा और यू० पी० में डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, फसलों के बारे में खड़ा हो जाता है । उसमें आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाई । इसलिए श्रीमन्, कुछ ऐसे आदेश दिए जायें, या इस तरह का कोई प्रभावकारी कदम उठाये जायें जिससे हर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

साल जो यह मसला उठता है, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाय ।

( व्यवधान )

श्री सुरेन्द्र कपिल--

माननीय अध्यक्ष जी, म यह जानकारी चाहूंगा म ननीय मंत्री जी से कि मेरी यह सुनिश्चित जानकारी है कि बार्डर का जो यह डिस्प्यूट है, वह पहले भी कई बार हो चुका है और जैसा कि माननीय मोहन सिंह जी ने कहा उनको पुलिस फोर्स का हमारी पुलिस के साथ कई बार टकराव हो चुका है और जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसके बारे में हम अधिकारियों से बात करेंगे। मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि हमारे उच्च लेबुल के अधिकारियों की बैठक उनके साथ पहले भी हो चुकी है, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि उसका क्या परिणाम हुआ ? यदि कोई परिणाम नहीं निकला तो जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं उससे कोई परिणाम निकलने की सम्भावना है या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि हमारे मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक ने टेलीफोन पर करनाल के एस0 एस0 पी0 से बात करनी चाही किन्तु उन्होंने ऐरोगेन्स में बात करने से मना कर दिया । उनके दिमाग बहुत खराब हो चुके हैं । वे इनको इन्फीरियर समझते हैं । बात तक नहीं करना चाहते । इसलिए मान्यवर, जब तक आप कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है । किसानों की फसल काट रहे हैं । इसलिए 24 घन्टे के अन्दर आप इसके लिए कोई व्यवस्था करें नहीं तो हमें छुट्टी दें ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

यह केवल हरियाणा की बात नहीं है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में जब हमारे यहां कमीशन बैठ चुका है, सचिव स्तर की बैठक हो चुकी है, मंत्रियों की बैठक हो चुकी है लेकिन कोई हल नहीं निकाला जा सका है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि....

श्री अध्यक्ष--

मैंने अभी कहा था कि अलिया के सम्बन्ध में जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं और इधर से भी इसके बारे में जिक्र किया गया है, उसके लिए मैंने इसको स्वीकार कर लिया है और इस पर 6 तारीख को वक्तव्य लगा हुआ है । आपको विशेष रूप से उस दिन इसके बारे में बोलने की आज्ञा दी जायेगी ।

श्री यशपाल सिंह (बुलन्दशहर)--

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्यों ने बताया माननीय कपिल और माननीय हुकम सिंह जी ने जैसा कहा, तो मैं बुलन्दशहर के बारे में बताना चाहता हूं जहां तक दोनों तरफ के एस0 पी0 और डी0 आई0 जी0 की बात का तालुक है । मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि 10 से 15 बार यह लोग बैठ चुके हैं लेकिन उसके पश्चात् भी कोई नतीजा नहीं निकला है । जब फसल पकती है या बोई जाती है तो वह लोग बराबर ऐसा करते हैं । हमारे काश्तकार बुलन्दशहर और सिकंदराराऊ के मारे जाते रहे हैं और मारे जाते रहेंगे और उनकी फसल बरबाद होती रहेगी । मेरा आग्रह है कि जितनी जल्दी हो सके पुलिस का पूरा इंतजाम किया जाय ताकि उधर से आने वाले अवांछनीय तत्व हमारी फसल को न काट सकें ।

( व्यवधान )

श्री गौरी शंकर भैय्या--

बुलंदशहर के लोग तो पहलवान होते हैं । शिकारपुर के लोग खासकर ।

श्री अध्यक्ष--

आप भी बुलंदशहर बस जाइये ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

वहां के लोग यहां डकैती डालते हैं और सामान लेकर भाग जाते हैं लेकिन यहां की पुलिस कुछ नहीं कर सकती है । यहां तक कि यहां के डकैतों को वहां पर आत्मसमर्पण कराया जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय जसवन्त सिंह विष्ट बैठें ।

( व्यवधान )

सन् 1952 से लेकर आज तक यह सदन की परम्परा रही है कि कोई न कोई सदस्य किसी न किसी जिले से जो पोलिटिकली क्रैक होता है, यहां आ जाते हैं लेकिन आप उसमें नहीं हैं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जो माननीय विष्ट जी की पोलिटिकली क्रेक की बात कही है उनको उसके लिए बधाई देना चाहता हूं ।

मान्यवर, यह जो समस्या अभी माननीय मोहन सिंह जी ने, माननीय हुकुम सिंह जी ने और माननीय यशपाल सिंह जी ने रखी है. . .

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं सरकार तो हमको कुचल देती है और आप पर हमारा भरोसा है । आपने मुझे क्रैक कह दिया । मैंने ठीक से सुना नहीं । तो मेरी अस्पताल में जांच करा ली जाय या फिर इस शब्द को हटा दिया जाय ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यहां पर जो बात कही गई इससे पहले भी माननीय मोहन सिंह जी ने वह मामला उठाया था उसके बाद कार्यवाही हुई, पी० ए० सी० को भेजा गया और यह सुनिश्चित किया गया था कि सीमा पर रहने वाले किसान भाई जो हैं उनकी सुरक्षा की जाय क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के कुछ तत्व आते हैं जिनका हरियाणा की सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है, एंटीसोसियल एलीमेंट जो कि बार्डर के उस पार से आते हैं, उसका फायदा उठाते हैं ।

श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, यह गलत सूचना दे रहे हैं, वह लोग पुलिस के साथ आते हैं ।

( व्यवधान )

यह सदन को गुमराह कर रहे हैं । पुलिस उनके साथ आती है ।

श्री अध्यक्ष--

आप उनको पहले सुन लीजिये ।

श्री अम्मार रिजवी--

पुलिस उनके साथ आती है कहना गलत है । बहुत से डकैत भी पुलिस की वर्दी पहन कर आते हैं । तो यह कौन सी बात हुई किसी राज्य के बारे में एकदम यह बात कहना उचित नहीं है । मैंने जैसा निवेदन किया एक उच्चस्तरीय कमेटी जो आफिसियल्स की हो सकती है, जिसमें यहां के मुख्य सचिव और डी० जी० पी० और हरियाणा के मुख्य सचिव और डी० जी० पी० चार आदमी बैठ कर इस मामले को तय करेंगे और साथ-साथ जो यह समस्या फसल काटने की, चाहे मथुरा की हो, चाहे मुजफ्फर-नगर की हो या बुलन्दशहर की हो या बिहार का हो, जहां पर भी यह हो रहा है, उन लोगों की फसल की सम्पति का और जहां पर जान का खतरा है, उसकी सुरक्षा की जायेगी । हम इन स्थानों पर पी० ए० सी० भेज कर सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किसानों की पूरी तरह सुरक्षा हो सके ।

**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--**

मान्यवर, आज कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना इसलिये दी है कि मेरे पास यह जानकारी है कि हरिजनों के नाम पर जो बहुत बड़ी धनराशि खर्च होने की बात की जाती है उसमें 7 करोड 14 लाख रुपये के घोटाले को दबाने की चेष्टा की जा रही है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रदेश में जो हरिजन बाहुल्य गांव हैं, वहां बोरिंग और पंम्पिंग सेट लगाने की व्यवस्था है। जो आंकड़े हैं वह मैं बताना चाहता हूं कि 1980-81 में 227, 1981-82 में 732, 1982-83 में 1173 और 83-84 में जनवरी 1984 तक 426 बोरिंग की गयी हैं। इस प्रकार कुल 2558 बोरिंग की गयी और इस पर 7 करोड़ 14 लाख रपये खर्च हुआ। मान्यवर, मेरी यह जानकारी है कि यह सब रुपया बरबाद किया गया और कागज पर नहीं है और बोरिंग खर्च किया गया है, मौके पर बोरिंग न होने के तीन कारण हैं। अभिलेखों से जानकारी हुई कि पहली बात तो यह कि बोरिंग हुई तो वह निगम की संपत्ति हुई तो उसकी जो बैलेंसशीट बनती है, उसमें संपत्ति के खाते में कुछ जानकारी होनी चाहिये थी लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 1982-83 की बैलेंसशीट में 13 लख रुपये की संपत्ति दिखायी गयी।

इसके अलावा किसी बैलेंसशीट में एक पैसे की संपत्ति नहीं दिखायी गयी। चूंकि व्यापारिक तरीके से काश्तकारों को दिया गया और उनसे पैसा लिया जा रहा है। इसलिये 7 करोड़ 14 लाख रुपये जो खर्चा हुआ है, उसके ऊपर कोई लाभांश आना चाहिये था किन्तु बैलेंसशीट में एक पैसे की आय नहीं अंकित है। इसके साथ ही साथ दो हजार से ऊपर नलकूप लगाये किन्तु उनके रखरखाव के लिये कोई कर्मचारी नियुक्त होने चाहिये थे किन्तु उन पर कोई खर्चा नहीं दिखाया गया। जब 7 करोड़ 14 लाख रुपये का मामला प्रकाश में आया तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी 17-11-83 को जिसने उद्देश्यों का सिंहावलकन किया और फैसला लिया और प्रदर्शन में बात सही पायी कि रुपया खर्च हो गया किन्तु मौके पर कुछ नहीं, इसलिये प्रस्ताव पास किया जो उस कमेटी की कार्यवाही के प्रस्तर 4 पर अंकित है कि कुछ प्रतिशत योजनाओं का सार्वजनिक उद्यम विभाग पब्लिक अन्डरटेकिंग डपूरो के कर्मचारी मौके पर जाकर सत्यापन करें कि मौके पर बोरिंग हुई कि नहीं, इसकी जब तैयारी हो गयी, तो इसी सप्ताह मुझे जानकारी मिली है कि अब यह फैसला कर दिया गया कि मौके पर गांव गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इससे महत्वपूर्ण कोई दूसरा मामला नही हो सकता है कि 7 करोड़ 14 लाख रुपये का भ्रष्टाचार, जो हरिजनों के नाम पर कागज पर खर्च करके गबन कर दिया गया है जिसकी जांच के लिये योजना बनी लेकिन कुछ अधिकारियों ने अड़ंगा लगाकर उसका मना कर दिया।

इसलिये यह प्रस्ताव लाकर मैंने सरकार को यह जानकारी दी जबकि सरकार को चाहिये था इसकी वह भर्त्सना करती कि हरिजनों के नाम पर गोलमाल किया जा रहा है किन्तु सरकार उसको छिपाने को बात कर रही है और यह रुपया वरिष्ठ अधिकारियों की जेबों में चला जायेगा, जिसको प्रदेश की जनता बरदाश्त करने को तैयार नहीं है। इसलिये मैंने प्रस्ताव दिया है चूंकि घटना तत्काल घटी है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 17-11-83 को हुई बैठक के फैसले के कार्यान्वयन को रोका जा रहा है, इसलिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है और मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा आप करायें ।

*हरिजन एंव समाज कल्याण मंत्री— (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मान्यवर, यह जो कार्यस्थगन का प्रस्ताव आया है, इसको मैं समझती हूं कि कोई आवश्यकता नहीं है । मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस विषय में संपूर्ण तरीके से जांच करवाकर, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । जैसा माननीय सदस्य ने कहा की जांच रोक दी गयी तो ऐसी मेरे पास कोई सूचना नहीं है । जांच को दबाने और कार्यान्वित न करने का प्रश्न ही नहीं उठता है । मैं आश्वासन देती हूं कि इसकी पूरी तरह जानकारी करके मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

श्रीमन्, मैं केवल एक वाक्य कहना चाहूंगा, व्यवस्था के सम्बन्ध में मैंने कल भी कहा था, आज भी चेतावनी दी थी । जब हमारी सूचना 10 बजे गई थी और इसमें मैंने तरीका इंगित कर दी है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, थी, तो इस संबंध में यदि जागरूक मंत्री हैं और वह गबन को रोकना चाहते तो उनके लिए सबसे पहले आवश्यक था कि वह उद्देश्यों के सिंहावलोकन की जो मीटिंग हुई थी, उसके मिनट्स वह तुरन्त मंगा लेते और 3/4 घंटे में यह आ जाती । मैंने अपने प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार को कोट किया है । इस पर भी उन्होंने नहीं मंगाया है तो उससे एक बात बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का यह रवैया है कि पैसे की बरबादी होने दो जाए, हरिजनों के प्रति यह इनका तथाकथित प्रेम है और पब्लिक एक्सचेकर को वह इस ढंग से देखते हैं ।

श्री भीखालाल—

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न नियम 56 में दिया है, वह उसी जिले में हरिजन विभाग के भ्रष्टाचार के सम्बंध में है । मेरे जिले में हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी कुमारी सरोज पन्त हैं । मैंने जब उनके पुराने इतिहास का पता लगाने का प्रयास किया तो मुझे पता चला है कि गबन, भ्रष्टाचार, लूटमार और सरकारी धन के गोलमाल का नाम ही सरोज पंत है । मान्यवर, आप भी उनसे परिचित रहे होंगे, यह बुलन्दशहर में भी रही हैं, वहां भी इन्होंने कई लाख का गबन किया था और वहां के विधायकों ने बड़ी लिखा-पढ़ी करके उनको वहां से निकलवाया था । इनका दिमाग इस वक्त इतना बिगड़ा हुआ है कि वह अपने कारनामों के लिए एक केन्द्रीय सम्मानित मंत्री को भी सदैव बदनाम करने में लगी रहती हैं । यह कहती हैं कि जब तक नारायण दत्त तिवारी का हम पर वरदहस्त है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है । यह उनका कहना है और यह हरिजनों और दबे हुए लोगों का खूब शोषण किया करता हैं । विभाग का बजट, प्रायः हर विभाग का मार्च के अन्त में बंटता है, मार्च होता है और इस वर्ष हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा जो अनुदान बंटा है, उसमें पन्त ने किसी से 10 प्रतिशत, किसी से 20 प्रतिशत और किसी से 30 प्रतिशत धन अवैध रूप से वसूल किया है । यहां तक कि हरिजन छात्रों से उनकी छात्रवृत्तियों से भी खूब अनाप-शनाप धन वसूल किया गया है । यह किस नाम पर वसूल किया गया है ? उन्होंने अनुदान गृहीताओं तथा विद्यालयों के प्रधानाचार्यों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से यह लिखवाया है कि पहली अप्रैल को लखनऊ में आयोजित महिला सम्मेलन के सम्बन्ध में मैं यह धन स्वेच्छा से दे रहा हूं । इस तरह से जबरिया धन वसूल करने के लिए धन देने से पहले उनसे ऐसा लिखवा लिया गया है तभी उनको कोई पैसा दिया गया है ।

मैंने आज प्रश्नकाल में एक अनुपूरक प्रश्न हरिजन विभाग के बारे में किया था जब दहेज का सवाल चल रहा रहा था कि पहली अप्रैल को लखनऊ में महिला सम्मेलन हुआ था, उसके लिए क्या शासन से सभी हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों को यह आदेश भेजे गये थे कि वह अपने-अपने जिलों से महिलाओं को ज्यादा से संख्या में भेजे मंत्री महोदय ने उस पर कहा नहीं । मैं समझता हूं कि कि अगर कोई शासनादेश होगा तो गुप्त होगा वह सरकारी सम्मेलन नहीं था कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन था और आल इण्डिया कांग्रेस (आई) को प्रेसीडेन्ट श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सम्बोधित किया । इस सम्मेलन के नाम पर उन्होंने वहां पर एक सप्ताह में 1 लाख रुपया इकट्ठा किया है और जबरिया उनसे रसदें लिखवाई हैं । उन्होंने कहा हमें ता 60 बसें भरकर महिलाएं लखनऊ भेजनी हैं । इसलिए हम मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वह तुरन्त किसी अधिकारी को लखनऊ से वहां भेजें जो कम से कम पहले उन रसीदों को हस्तगत करके रख ले । उन्होंने रसदें इकट्ठा करके रख ली हैं कि यदि किसी तरह वह फंसें तो फंसने न पावे । यह बहुत बड़ा हरिजनों के सम्बन्ध में विभाग का भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामला है । बस आई या नहीं आई, इससे मुझे मतलब नहीं है, हरिजनों को जो आपने पैसा दिया है उसमें कटौती का मामला है भ्रष्टाचार का मामला है । मैं चाहता हूं कि आप इसको स्वीकार करें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इसमें जो प्रस्ताव भेजा गया है, 9वीं व 10 वीं कक्षा के छात्रों को छात्रवृति देने का सवाल है । जितना भी पैसा दिया जा रहा है, अब हमने सब जिलों के लिये यह आदेश दे दिया है कि विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बैंकों ने उनके खाते खोल कर उसमें जमा किया जाये । यह भी शिकायत आयी है कि कुछ बैंकों ने खाता खोलने से मना किया है, उसके लिये भी हमने जिलाधिकारियों को यह आदेश भेजे हैं कि वे बैंक के प्रबन्धकों से बात करके इसकी व्यवस्था करावें । यह इसीलिये किया गया है ताकि भ्रष्ट चार न होने पाये ।

*श्री गौरीशंकर एडवोकेट—

मान्यवर, माननीय भोखलाल जी ने जितने दुख के साथ इस प्रश्न को उठाया है, इस संबंध में मैं भी यह कहना चाहता हूं कि इस सारे प्रसंग की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिये । यह बहुत आवश्यक है ताकि ऐसे अधिकारी का सदन के सामने पर्दाफाश हो सके । मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर यह बात सही है कि उस अधिकारी को किसी का प्रश्रय मिला हुआ है और यह महिला अधिकारी जिनका नाम लिया गया है, बहुत ही चर्चा का विषय बन गयी है । ना मालूम कितने रुपयों के घोटाले के मामले इनके खिलाफ उठ चुके हैं । ऐसे अधिकारी को तुरन्त हटाकर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये और उच्च स्तरीय जांच होना चाहिये ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, इसकी जांच कराकर अवश्य कार्यवाही की जायेगी । भ्रष्टाचार जहां भी है उसको संरक्षण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देने का हमारे विभाग की ओर से, यह सरकार की ओर से या श्री श्रीपति मिश्र की सरकार की ओर से कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब भी हमारे सामने इस तरह के केसेज आते हैं जांच की जाती है और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाती है।

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल—

मैंने यह अनुरोध किया था कि जो रसीदें लिखवायी गयी हैं, उनको ले लिया जायें।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, आज 4 अप्रैल है और 4 फरवरी को यह मामला उठा था। आज दो माह हो गये। मोदीनगर के श्रमिकों के बारे में यह था। 4 हजार श्रमिकों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री और माननीय श्रम मंत्री की ओर से यह आश्वासन दिया था और उनका व्रत खुलवाया गया था कि उनकी मांगों पर विचार होगा और उनकी मांगें स्वीकार की जायेंगी। जो आश्वासन दिये गये थे, वे आज तक पूरे नहीं हुए। एक को भी पूर्ति नहीं हुई। इस मामले में आपने भी प्रयास किया कि यह मसला किसी तरह से हल हो जाये। लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। उसी का यह असर हुआ कि एक तिवारी भुखमरी का शिकार होकर मर गया। जो आयोजक हैं, मैनेजर हैं, उन्होंने यह नोटिस दे दिया है कि वे 5 तारीख को मिल बन्द कर देंगे। इस नोटिस को दिये हुये एक माह पूरा हो रहा है। कल से यह मिल बन्द हो जायेगी और 4 हजार श्रमिक बेकार हो जायेंगे। इसलिये यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का है और गम्भीर है। आप इस पर दफा 56 के अन्तर्गत चर्चा करा दें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इस पर काफी चर्चा पहले हो चुकी है और वक्तव्य आ चुका है। आपके कक्ष में बातचीत हुयी थी। तो यहां पर कार्य स्थगन में इसको उठाना मैं समझता हूं कि किसी प्रकार नियमानुसार नहीं है। लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा यह वाकई गम्भीर है। आज श्रम राज्य मंत्री यहां पर नहीं हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कल आपके कक्ष में वह बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैं अपने कक्ष में नहीं बुलाऊंगा।

श्री अम्मार रिजवी—

इस पर हम शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, एक नयी बात माननीय मंत्री जी ने कह दी। कल मेरी बात श्रम राज्य मंत्री जी से हुई थी और मैंने उनसे यह कहा था, उन्होंने स्वयं तसलीम किया था कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि मैं स्वयं मोदीनगर जाऊं और आपको साथ लूं और वहां सबको बुलाकर बैठक करके इस मामले का निपटारा किया जाय। कल जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं टेलेक्स से रिपोर्ट मंगा रहा हूं कल आपको बताऊंगा। संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि वह लखनऊ छोड़कर बाहर चले गये हैं, तो मामला उलझ गया है।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि गोरखपुर का माफिया गैंग अब लखनऊ में राजधानी में, सचिवालय में नाक के नीचे उतर आया है। राइफलों और आटोमेटिक राइफलों से लैस होकर परसों सचिवालय के बगल में जो जनपथ है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और जो सचिवालय का हिस्सा है, वहां उन लोगों न परेड की और एक डिप्टी सेक्रेटरी को मारा । जो अधिकारी हैं, उनकी जो गाड़ी रखने का स्टैंड था। उस जगह का उन्होंने पैसा वसूलना शुरू किया । लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव, श्री पी० एन० मिश्र वहां गये और उन्होंने कहा कि आप कहां-कहां से वसूलेंगे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गयी । पूरे जनपथ मार्केट के जो दूकानदार हैं, उन्होंने हड़ताल की, प्रदर्शन किया और हजरतगंज थाने का घेराव किया । बड़ा आतंकपूर्ण वातावरण है । आपके डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी तथा राज्य कर्मचारियों की जीवन रक्षा का प्रश्न है । जो दूकानदार हैं उनकी रक्षा का प्रश्न है । ऐसी आतंकपूर्ण स्थिति से अगर नहीं बचाया गया तो सचिवालय में आपके रक्षक हमारी रक्षा नहीं कर पायेंगे । इसलिये इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि शासन वक्तव्य दे ।

श्री कुबेर भण्डारी--

यह मुख्य मंत्री के रिश्तेदार लोग हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सभी माननीय सदस्यों को सुना। जहां तक माननीय हुकुम सिंह जी का प्रश्न है मैंने 45 मिनट की चर्चा इसके लिए स्वीकार किया है । तिथि 6-4-84 को यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है । मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बहुत से माननीय सदस्य जो पश्चिमी जिलों से सम्बन्धित हैं और जो मंत्रिगण हैं, वह इस बात को जानते हैं । इसलिए इस पर मैं 45 मिनट की चर्चा 6-4-84 को निर्धारित करता हूं ।

माननीय मोहन सिंह जी की जो सूचना है उस सम्बन्ध में मैं शासन का ध्यान उधर आकर्षित करता हूं । जहां तक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सूचना का सम्बन्ध है इस मामले को मैं सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति को सुपुर्द करता हूं और निर्देश देता हूं कि वह अगले सत्र तक इस मामले में एक स्पेशल तरीके से रिपोर्ट बनाकर, इसी मामले को लेकर, इस सदन को सूचित करें ।

जहां तक माननीय भीखा लाल जी की सूचना का सम्बन्ध है, एक उच्च स्तरीय अधिकारी लखनऊ से जाय । मंत्री जी नोट कीजिए यह बात और जो रिकार्ड इत्यादि इससे सम्बन्धित हैं पहले उस पर काबू करें और कार्यवाही करें । जहां तक माननीय रियासत हुसैन की सूचना का सम्बन्ध है, तो माननीय रियासत हुसैन और माननीय मंत्री जी में जो बात हुई है, मैं निर्देश करता हूं कि वे दोनों जायं और दोनों आपस में बैठकर अपनी-अपनी बात को कहकर उन तमाम चीजों का निपटारा करें ।

(व्यवधान)

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिये ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, एक मिनट का समय मुझे दे दें ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, माननीय लल्लू सिंह चौहान की सूचना बहुत महत्वपूर्ण है । मान्यवर, आलू सड़ रहा है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आलू सड़ने के बारे में अभी कार्य-मंत्रणा समिति में विचार कर लूंगा ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

माान्यवर, आगरा मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, आगरा दुर्घटनाओं का केन्द्र बना हुआ है ।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का तो प्रश्न है नहीं ।

(व्यवधान)

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, मेरी बात तो सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है । यह कुछ नहीं लिखा जायगा । मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, एक मिनट का आप मुझे समय दे दें ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है । आप कृपया बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

[× × ×]

आप महान हैं, आपकी महान व्यवस्था में सर आंखों पर रखता हूं और इस व्यवस्था के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र सदन त्याग कर चले गये ।)

---

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री लल्लू सिंह चौहान--

एक मिनट का समय मुझे दे दें । मैं कल आपके कक्ष में गया था और इस आलू की समस्या के बारे में लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करने का आपसे आग्रह किया था । आपने कहा कि चूंकि 4 को वक्तव्य पहले स्वीकार हो चुका है, इसलिये आपका यहां स्वीकार नहीं करूंगा, उस समय आप बोले । मैं सन्तुष्ट हो गया । आज जब मैंने एजेन्डे में नहीं देखा, तो मान्यवर, आपसे मैंने कहा कि एजेन्डे में नहीं है । आपने सेक्रेटरी को टेली-फोन किया तो उन्होंने बताया कि विमल प्रसाद तिवारी ने लिख कर दिया है कि वह नहीं रहेंगे, इसलिये 11 तारीख हो गया । आपने आदेश दिया कि आज ही रहेगा, मैं सन्तुष्ट हो गया । लेकिन अभी आपने बताया कि विमल प्रसाद तिवारी ने कहा है कि वह नहीं रहेंगे इसलिये 11 को होगो । श्री तिवारी का सवाल कोल्ड स्टोरेज को बिजली न मिलने से सम्बन्धित है । हमारा दूसरा है । इसलिये हमें सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । मैंने विचार विमर्श किया, यह बात सही है कि 2 तारीख को चर्चा लगी थी । मन्त्री जो आये और उन्होंने कहा 4 को लगा दें । हमें यही ज्ञान था । विमल प्रसाद तिवारी को नियम 51 में स्वीकार हुई थी, लिख कर दिया कि 7 तारीख के बाद चाहते हैं । कार्यमंत्रणा समिति में...

(व्यवधान)

इसलिये परसों आपकी चर्चा विमल प्रसाद तिवारी से सम्बन्धित जो नियम 51 में स्वीकार है और जिन और माननीय सदस्यों ने दिया है, सबको स्वीकार करते हुये, जो पहले कर चुके हैं, परसों चर्चा करा दूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लल्लू सिंह चौहान—

धन्यवाद

(समय 1 बजकर 14 मिनट)

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान सं0 2-आवास एवं नगर भूमि विभाग, अनुदान संख्या 22—नगर विकास विभाग

.पंचायतीराज नगर विकास एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 2—आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,71,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जय ।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22—नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 58,67,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश की लगभग 18 प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है और इधर देखने में पिछले एक दशक से यह आया है कि इन नगरों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है । इस जनसंख्या के लगातार बढ़ने से हमारी स्थानीयनिकायों के सामने विभिन्न प्रकार की समस्यायें उत्पन्न हो गई है । मान्यवर, सन् 1971 में जो जनगणना थी उसके अनुसार 123-89 लाख की जनसंख्या हमारे नगरीय क्षेत्रों में थी । (इस समय 1 बजकर 43 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हुकुम सिंह पीठासीन हुए) सन् 1981 में यह बढ़कर 199 लाख के करीब हो गई । इस प्रकार इन दस वर्षों के अन्दर हमारे प्रदेश के नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 61 प्रतिशत बढ़ी है । मान्यवर, आज हम महसूस करते हैं कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से स्वच्छ पानी, बिजली, रोशनी आदि की समस्या हमारी स्थानीय निकायों के सामने खड़ी हो गई है । सन् 1971-72 में स्थानीय निकायों की संख्या 503 थी और अब बढ़कर यह संख्या 675 हो गयी है । मान्यवर, हम सभी जानते हैं कि इन निकायों के द्वारा स्वच्छ पानी, प्रकाश, बिजली, जलनिस्तारण मार्गों का निर्माण, दुकानें सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, पार्क का निर्माण, वाचनालय एवं पुस्तकालय आदि के कार्यक्रम स्थानीय निकायों द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं । मान्यवर, हमारे प्रदेश में स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है । इसकी वजह से जो कार्य करने चाहिए जितने कार्य होने चाहिए, वह नहीं हो पा रहे हैं । इधर आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है । दूसरे महंगाई के कारण जो जन सुविधायें उपलब्ध करानी हैं, उनकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि स्थानीय निकायों के सामने गम्भीर समस्या बन गई है । इसके अलावा लगातार कर्मचारियों के वेतन भत्ते में वृद्धि हो जाने की वजह से एक जटिल समस्या स्थानीय निकायों के सामने है ।

मान्यवर, सितम्बर, 1982 से हमारे प्रदेश की सरकार ने यह फैसला दिया था कि कोई भी कर स्थानीय निकाय सामान्य तया न लगायें न ही वृद्धि करें । मान्यवर, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को बोनस आदि की सुविधा सरकारी कर्मचारियों की भांति दी जायगी । नियमित कर्मचारियों को 1 मार्च, 1984

से सामूहिक बीमा योजना लागू की गई है। श्रेणी 1, 2, 3 के नियमित कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू की गई है। सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर जो राशि 12 हजार थी, उसको बढ़ाकर 25 हजार कर दिया गया है। इसी तरह से श्रेणी चार के कर्मचारियों के बारे में भी सरकार विचार कर रही है और उनको बोनस दिए जाने पर भी सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। मान्यवर, पेंशन की योजना अप्रैल, 1984 से लागू करने का सरकार ने फैसला लिया है कि स्थानीय निकायों के जो कर्मचारी हैं, उन पर पेंशन योजना लागू कर दी जाए। मान्यवर, अकेन्द्रीय कर्मचारी हैं, स्थानीय निकायों के, उनके लिए भी पेंशन की योजना सरकार के विचाराधीन है। मैं समझता हूं इस पर निर्णय होगा तो इस योजना से 90 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। जो अकेन्द्रीयत कर्मचारी हैं उनके लिए सेवा नियमावली भी बनाई जा रही है।

हमारे प्रदेश में आवास विभाग के जरिए से आवास एवं भवनों की व्यवस्था का काम चल रहा है। 1971 में जो मकान उपलब्ध कराए गये थे, उस समय 5.43 लाख मकानों की हमारे प्रदेश में कमी थी, और अब यह कमी बढ़कर, जैसी की आशा की जाती है, 1985 तक बढ़कर 14.84 लाख हो जाएगी। दुर्बल वर्ग आय के लोगों के लिए 1984-85 में 75 प्रतिशत मकान बनेंगे। ऐसा हमारी सरकार का निर्णय है। मान्यवर, भवन बनाने का लक्ष्य 1983-84 में 27 हजार का रखा गया था, उसके समक्ष 1984 फरवरी तक 8,883 भवन निर्मित हो गये हैं। इसके अतिरिक्त मान्यवर, 18,264 निर्माणाधीन हैं। 1984-85 के लिए 30 हजार भवन के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। आवास विकास परिषद् हमारे प्रदेश के अन्दर लगभग 113 नगरों में अपना कार्य कर रहा है। 13 हजार भू-खंड उसने विकसित किए हैं।

इसके अलावा 59,660 भवन आवास विकास परिषद् द्वारा हमारे जिसके कमजोर वर्ग प्रदेश के अन्दर बनाए गये हैं। अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए 86 प्रतिशत मकान बनाए गये हैं। आवास विकास परिषद् के बढ़ते हुए काम को देखते हुए हमारे प्रदेश के अन्दर पहले 35 डिवीजन थे। अब 10 डिवीजन (इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भीखालाल पीठासीन हुए।) और बढ़ाये जा रहे हैं। 20 प्रतिशत स्टाफ में वृद्धि की जा रही है और 6 सर्किल की जगह 8 सर्किल कायम किये जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में 15 विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं और ये विकास प्राधिकरण भूमि अर्जन और उस पर भवन बनाने का कार्य करते हैं। इसी के साथ-साथ ये व्यवसायिक केन्द्र, ट्रान्सपोर्ट नगर, सौन्दर्यीकरण, सामुदायिक केन्द्र, इस तरह जो योजनाएं हैं, उनको संचालित करते हैं। मान्यवर, हुडकों द्वारा 121.16 करोड़ रुपये की लागत से 95 हजार भवनों का निर्माण वर्ष 1982-83 तक किया गया, 1983-84 में 30 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ और 1984-85 में 50 करोड़ के प्रोजेक्ट की हुडको द्वारा स्वीकृति प्राप्त करनी है। इसी प्रकार मान्यवर, आवास एवं नगर विकास विभाग द्वारा जो पूरे नगरीय क्षेत्र हैं उनकी समीक्षा की योजना अपने हाथ में ली गयी है। इस योजना के लिये विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ बात हो चुकी है और उन्होंने सैद्धान्तिक रूप से यह स्वीकार भी कर लिया है। विश्व बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु भी राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने विधायकों

को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये घोषणा करके दस-दस हजार रुपये जमीन के लिये ले लिया, आप उसका सूद खा रहे हैं। उसके बारे में एक भी बात नहीं कही।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, हमने भी पैसा जमा किया है, मैं उस समिति का सदस्य भी हूं, तो जब तक माननीय मन्त्री जी का भाषण पूरा न हो जाय, इन्हें नहीं बोलना चाहिए था।

श्री अधिष्ठाता—

जब माननीय मंत्री जी बैठ गये और उन्होंने बोलने दिया तभी श्री राना जी बोले। मंत्री ने खुद उनको मौका दिया। अतः मैं यह व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार नहीं करता।

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, अभी माननीय विधायकों के लिये आवास उपलब्ध कराने की माननीय सदस्य ने कही। इस सम्बन्ध में सरकार शीघ्रता के साथ कार्य कर रही है और मान्यवर, इसके लिये भूखंड भी सेलेक्ट कर लिया गया है। सिर्फ वित्तीय प्रबन्ध कैसा हो, इस सम्बन्ध में आज समिति की बैठक होनी है, जिसमें वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को बुलाया गया है। समझता हूं कि जो एक लाख रुपया ऋण देने की बात है, वह किस एजेंसी से हो और कैसे हो, इस पर निर्णय होने की आशा है। जहां तक भूखंड की बात है, उसका प्रबन्ध कर लिया गया है, और निशातगंज और वजीर हसन रोड पर प्लाट चयनित कर लिये गये हैं। आप देखना चाहें तो दिखा दिये जायेंगे। रात को मीटिंग के बाद मिल जाइये, चले चलते हैं।

मान्यवर, इस प्रदेश में मलिन बस्ती पर्यावरण योजना 45 नगरों में चल रही है और मान्यवर, जो प्रधान मंत्री जी का 20 सूत्री कार्यक्रम है, उसका 10वां सूत्र है। मान्यवर, यह योजना एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले तथा आई० डी० एस एम० टी० नगर हैं, उसमें यह योजना चलायी जा रही है। मान्यवर, 1983-84 में इसमें 1.75 लाख व्यक्तियों को इससे लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके विरुद्ध 1984-85 में 1.75 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं।

इसी प्रकार मान्यवर, छोटे और मध्यम आकार के नगरों में संगठित विकास योजना भी हमारे प्रदेश में चल रही है। इसमें 50 प्रतिशत धन भारत सरकार से मिलता है और 50 प्रतिशत सरकार अपने संसाधनों से जुटाती है। मान्यवर, इसमें 2241.45 लाख रुपया व्यय का अनुमान रखा गया है। मान्यवर, सरकार द्वारा 31 दिसम्बर, 1983 तक स्थानीय निकायों को कुल 594.20 लाख रुपये उपलब्ध कराये जा चुके हैं। इसी प्रकार नगर भूमि सीमारोपण विभाग के जरिये से अतिरिक्त भूमि के अर्जन के द्वारा अभी तक कुल 3.17 करोड़ वर्ग मीटर जमीन निकाली गयी और सरकार द्वारा 41 लाख वर्ग मीटर पर कब्जा भी ले लिया गया है।

मान्यवर, अधिगृहीत भूमि के निस्तारण के लिये सरकार एक नयी नीति बनाने जा रही है, जो मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। मान्यवर, अधिगृहीत भूमि धारा 23 के अन्तर्गत व्ययन (डिस्पोजल) करती है उसके लिये राज्य सरकार द्वारा नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया जा चुका है। यह महत्वपूर्ण योजनाओं में निर्धारित भूमि के प्रयोग के आधार पर आवासीय, औद्योगिक प्रयोग हेतु की जायेगी। इसका आधंटन मात्र राज्य सरकार के विभागों और उपक्रमों को सर्वोच्च

प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, तत्पश्चात् विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद् हरिजन एवं दुर्बल आवास निगम एवं पंजीकृत आवास सरकारी समितियों तथा स्थानीय निकायों को ही आवंटन किया जायेगा। जो भूखण्ड उपरोक्त संस्थाओं द्वारा आवंटित नहीं होंगे, उनका सार्वजनिक नीलाम द्वारा निस्तारण किया जायगा। यह अभी कुछ दिन पहले मंत्रिपरिषद् ने नीति निर्धारित की माननीय, इससे जो भी धन मिलेगा, पैसा मिलेगा वह सार्वजनिक, नागरिक जन सुविधाएं जो हैं, उन पर खर्च किया जायगा और उसके लिये एक फन्ड बनाया जायगा जो नागरिक सुविधाओं के लिये खर्च किया जायगा। माननीय, जल सम्पूर्ति और जल निस्तारण का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना न तो शहरों में काम चल सकता है और न गांवों में ही चल सकता है। माननीय, इस योजना के अन्तर्गत....

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

दारुलशफा का पानी खराब हो गया है।

श्री बलराम सिंह यादव—

आप अपना बता दीजिये, आपका पाइप ठीक करा दिया जायगा। माननीय, मार्च, 1982 तक आयोजनागत कार्यों हेतु 316 करोड़ रुपये का व्यय इन योजनाओं के अन्तर्गत किया जा चुका है।

माननीय, इसमें 455 नगर क्षेत्र इससे लाभान्वित हुए हैं और 1370 गांवों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार दूसरा जल सम्पूर्ति एवम् स्वच्छता दशक मनाया जा रहा है उसके अन्तर्गत 1990 तक यह उम्मीद की जाती है कि हम शत-प्रतिशत पानी के पानी की सुविधा शहर में और गांवों में दे सकेंगे। इसके लिए मास्टर प्लान बनाकर भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

(इस समय 2 बजे अधिष्ठाता श्री हुकुम सिंह पुनः पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, जल निगम के कार्य-कलापों का विस्तार किया जा रहा है। अभी तक 8 जनपदों में डिवीजन नहीं थे। इन 8 जनपदों में डिव जन खोले जा रहे हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा समस्या जो हैण्ड पम्पों के रख-रखाव की है अब उसका जिम्मेदारी भी जल निगम ही को दी गयी है। आये दिन शिकायत आती है कि नल खराब हैं, इसीलिए इनका देख-भाल के लिए 8 जनपदों में डिवीजन खोले जा रहे हैं।

श्रीमन्, नगर पेयजल योजना के अन्तर्गत 1982-83 में 21.49 करोड़ रुपया का व्यय किया गया, 1983-84 में लगभग 15.77 करोड़ रुपया का परिव्यय स्वीकृत हुआ था और 1984-85 के लिए 14.50 करोड़ रुपया का प्राविधान प्रस्तावित है।

नगर जलोत्सारण योजना के तहत 1983-84 में 1.70 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत हुआ था। पंच महानगरों में जनवरी, 1984 तक जलोत्सारण पर 1.85 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है और 1984-85 के लिए 1.90 करोड़ रुपए का प्राविधान प्रस्तावित है।

नगर में जो गन्दा पानी है। उसे मलोपयोग योजना के अन्तर्गत उस पानी को कृषि भूमि में देकर उसका सदुपयोग करने के लिए भी एक योजना है, जिस पर 1982-83 में 0.152 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। 1983-84 में 0.13 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ था और 1984-85 के लिए 0.18 करोड़ रुपए का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

माननीय, इस प्रकार जो मोटी-मोटी बातें थीं, इस विभाग से सम्बन्धित, वह मैंने माननीय सदस्यों को बता दी हैं। इस बारे में माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे और जो शिकायत करेंगे, हम वह कोशिश करेंगे कि अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत उन्हें पूरा करें।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, माननीय नगर विकास मंत्री जी ने सभी माननीय सदस्यों को एक-एक कलम का सेट दे दिया है किन्तु उसके साथ दावात नहीं दी, मैं चाहूंगा कि आप इस पर व्यवस्था दें कि माननीय सदस्यों को दावात भी मिल जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

यदि कोई आदमी आपको कोई चीज सप्रेम भेंट करे तो, यह आपका कर्तव्य है कि आप उसे स्वीकार करें या न करें ।

श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, मैं आपके अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-2 आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपए कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-22, नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपए कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की अलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अनमने भाव से इस विभाग के बजट को प्रस्तुत किया । मान्यवर, नगर विकास के अन्तर्गत प्रदेश में 8 नगर महापालिकायें और 198 नगर पालिकायें, 59 नोटिफाइड एरिया और 627 टाउन एरिया हैं । इसके चुनाव सन् 1975 से नहीं हुए हैं । तब से यह संस्थायें सुपरसीड हैं । मान्यवर, इसके चुनाव का बाबत 1983 में इस विभाग के मंत्री तथा मुख्य मंत्री बराबर घोषणा करते रहे हैं 3-3, 4-0 महीने के अंतराल में आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, अभी पिछली जनवरी में इसके चुनाव कराने की घोषणा की गयी थी, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए । अब आगे घोषणा की जा रही है कि आने वाले दिनों में यह चुनाव होंगे ।

माननीय अधिष्ठाता जी, जब भारत का संविधान बन रहा था, उस समय पूज्य महात्मा गांधी जी ने एक लेख 'हरिजन' में लिखा था कि "संविधान सभा की कार्यवाही हो रही है, इससे मैं अवगत नहीं हूं । सुनता हूं कि संविधान में ग्राम्य पंचायत तथा विकेन्द्रीकरण की ओर किसी प्रकार का दिशा निर्देश भी नहीं है, इससे मैं चिंतित हूं । यदि हमारी आजादी में जनता की आवाज सुनना चाहते हैं तो उपर्युक्त मूल की ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए । इस बात को लेकर स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्वायत्त शासन मंत्रियों की एक बैठक की थी, उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि स्वायत्त शासन विभाग ही प्रजातंत्र की रीढ़ है । लेकिन उनके चेले इस बात को कभी नहीं कर रहे हैं, चुनाव नहीं करा रहे हैं । मैं चाहूंगा कि चाहे, भले हीं, कांग्रेस के लोग ही उस स्वायत्त शासन इकाइयों के प्रमुख बना दिये जायं, लेकिन सरकारी कमचारियों के हाथ में इसे न दिया जाय । क्यों कि सरकारी कर्मचारी यह नहीं जानते कि कहां रोशनी की आवश्यकता है, कहां सड़क की आवश्यकता है ? वहां बसने वाले लोग ही इस बात की जानकारी रखते हैं कि इस स्थान पर रोशनी की आवश्यकता है, यहां सड़क की आवश्यकता है । उस इलाके के एम0 एल0 ए0 भी सही तरीके से नहीं जानते हैं कि वहां रोशनी या सड़क की आवश्यकता है ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

माननीय कुबेर मण्डारी जानते हैं ।

श्री हरवंश सहाय--

मैं चाहूंगा कि इन संस्था की जनता के लिये किसी प्रबुद्ध व्यक्तियों के जिम्मे सौप दिया जाय या जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जायं, यह मेरा सुझाव है ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

कुबेर जी इसका परीक्षण कराके प्रोफेसर साहब को सूचित करें ।

श्री हरिवंश सहाय--

इस विभाग को प्रशासकों के जिम्मे सौप दिया गया है । समस्त प्रशासक आई० ए० एस० और पी० सी० एस० हैं, वे इस विभाग को खा रहे हैं, जो सरकारी जमीन ह, उनको अपने नाम से या अपने रिश्तेदारों के नाम से पट्टे पर ले लिए हैं इस तरह से वह जो जमीन ह, जो गरीबों को मिलनी चाहिये वह गरीबों को नहीं मिल रही है । उस पर असरदार लोगों ने कब्जा कर लिया है, वह अवैध कब्जा भी नहीं हटाया जा रहा है । माननीय मंत्री जो अभी कहे हैं कि काफी घाटा इस विभाग को हो रहा है । जो चुंगी निरीक्षक हैं, प्रतिदिन दो हजार रुपये वे कमाते हैं, घाटा तो इसलिये है कि वह उसका रुपया ठीक से जमा नहीं कराते हैं, इसलिये घटा होता जा रहा है । अधिष्ठाता जी, जो अधिकारी जितना अधिक टैक्स वसूलता है, यह माना जाता है कि वह बहुत अच्छा है, यह बात नहीं होनी चाहिये । वह आदमी अच्छा है जो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा के अन्दर पानी की व्यवस्था करता है, बिजली की व्यवस्था करता है, सड़क बनवाता है । मान यह लिया गया है कि वह अधिकारी अच्छा है जो टैक्स की वसूली अधिक करता है । मैं चाहूंगा कि इस तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान होना चाहिये । जब से प्रशासक नियुक्त हुये हैं, अपने रिश्तेदारों को नियुक्त कर रहे हैं । अब हाई कोर्ट के जज ने ऐसा आदेश दिया है कि नियुक्तियों पर आगे प्रतिबन्ध लगाया जाय, जब तक कि जो पहले से नियुक्त हैं, उनकी पदोन्नति न हो जाय।

पी० डब्लू० डी० से जो सड़कें बनती हैं, उन पर 12 प्रतिशत कमीशन लिया जा रहा है, लेकिन नगर विकास की सड़कों में वहां के प्रशासक 45 प्रतिशत कमीशन लेते हैं । टाउन एरिया से लेकर नगर महापालिका तक भारी मात्रा में कमीशन लिया जा रहा है, जिससे सड़कें और अन्य भवन घटिया किस्म के बन रहे हैं । इसका एक मात्र कारण है कि प्रशासन भारी मात्रा में कमीशन ले रहा है । आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीलिंग हुई है लेकिन शहरी क्षेत्रों में नहीं हुई है । मेरा सुझाव है कि शहरी क्षेत्र में भी सीलिंग तत्काल लागू की जाय । पटरियों के किनारे, सड़कों के किनारे कफी इनक्रोचमेन्ट किया जा रहा है, उसको रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाया जाय । गरीब आदमी का इनक्रोचमेन्ट हटा दिया जाता है, लेकिन असरदार लोग अपने घरों के सामने इनक्रोचमेन्ट किये बैठे हैं, उनको हटाना चाहिये ।

नजूल की जमीन है, उस पर बड़े और असरदार लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसको 99 वर्ष के पट्टे पर दिया जाता है । उनको पट्टा समाप्ति के बाद भी बेदखल नहीं किया जा रहा है । मैं चाहूंगा कि प्रदेश में जिन लोगों को नजूल की जमीन 99 वर्ष के पट्टे पर दी गयी है और पट्टे की अवधि खत्म हो गयी है, उनको बेदखल किया जाय । नगरपालिका, टाउन एरिया या नगरमहापालिका में जो छोटे तबके के मजदूर हैं, जो झाड़ू लगाते हैं या सफाई करते हैं, और गन्दगी को फेंकते हैं, उनकी हालत यह है कि उनके पास फावड़ा तक नहीं है और वही पुराना सिस्टम चल रहा है, वे खचौलो लिए रहते हैं । गन्दी बस्तियों में जहां पर गन्दे नाले हैं, उनके किनारे झोपड़ी डालकर वे पड़े रहते हैं । इस विभाग में सबसे बड़ा कोई काम अगर होना चाहिये तो वह है गरीब तबके के आदमी के लिये रहने की व्यवस्था होनी चाहिये । उसके रहने की व्यवस्था पहले होनी चाहिये तब जाकर बड़े अफसर और नेताओं की व्यवस्था होना चाहिये । सबसे पहले कमजोर तबके के लोगों के रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिये । अभी किताब में पढ़ा कि स्वच्छ प्रसाधन योजना चला रहे हैं । जो कम शौचालय हैं और जिस स्पीड से इस

योजना को चलाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि 50 वर्ष से ऊपर लगेगा कि मजदूर अपने सर पर मैले को न ढोयें । मैं चाहूंगा कि आप उस तरफ ध्यान दें ।

आपने आय के स्रोत की बात की है । आप जानते हैं कि सड़कों के ऊपर, नगरपालिका और नगरमहापालिका की जितनी सड़कें हैं, उन पर मोटर चलती हैं और टैक्स राज्य सरकार वसूलती है । सिनेमा नगरपालिका, टाउन एरिया में चलता है और उसका मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश सरकार वसूल करती है, सड़क की सफाई आपके विभाग से होती है । इसका कोई कानून बनाना चाहिये कि उस टैक्स में आपको भी हिस्सा मिले, तभी इस विभाग की आमदनी बढ़ेगी । टोल टैक्स के रूप में किसान वगैरह जो सामान कहीं से लाते हैं, उनसे वसूला जाता है, बिजली बोर्ड व अन्य विभाग जो सामान लाते हैं, उनसे कोई टैक्स वसूला नहीं जाता है, उनसे भी वसूल किया जाना चाहिये, इससे भी इस विभाग की आय बढ़ सकती है । टाउन एरियाज को अनुदान देने में भी आप भेद-भाव से काम लेते हैं । इसी सम्बन्ध में अभी आपने एक एनाउन्समेन्ट किया है कि 18 निकायों को 22 लाख 87 हजार रु0 सड़कों के निर्माण के लिए देने जा रहे हैं । इसमें भी आपने भेद-भाव की नीति अपनाई है, जिन टाउन एरिया में धन के आबंटन की आवश्यकता थी, वहां आपने दिया नहीं है, जहां पर कई-कई वर्षों से सड़क बनने पर विचार हो रहा है और वहां सड़कें अभी तक बन नहीं सकीं हैं, उन्हें धन आबंटित किया जाना चाहिये ।

नगरपालिका के अधीन चलने वाले चिकित्सालयों की हालत भी आज अच्छी नहीं है, उनमें कहीं डाक्टर नहीं हैं और कहीं डाक्टर हैं तो दवा नहीं है, दवा है तो उन्हें सुनिश्चित ढंग से देने वाला कोई नहीं है, कुल मिलाकर कोई अच्छा इंतजाम नहीं है । गोरखपुर नगरमहापालिका बनी है परन्तु उसमें अभी तक वह सुविधाएं जो जनता को दूसरे अन्य महापालिकाओं से प्राप्त होती हैं, वहां से प्राप्त नहीं हो पा रही है तो इस तरह जो अन्य नगर महापालिकाओं में सुविधा दी जाती है, वह सारी सुविधाएं वहां भी दी जाएं ।

इसी प्रकार से आपके अधीन चलने वाले स्कूलों की भी स्थिति यह है कि स्कूल है तो भवन नहीं है, भवन है तो अध्यापक नहीं है और यदि अध्यापक भी हैं तो उनकी व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल रही है, जिससे गरीबों के बच्चे कहीं शिशु-मंदिर में या अन्य स्कूलों में शिक्षा के लिए मजबूर होकर जाते हैं, जिन्हें वहां पर जाकर काफी पैसा व्यय करना पड़ता है, इसलिए इन स्कूलों की स्थिति पर ध्यान दिया जाए ।

इसी प्रकार से आपके वाचनालयों की स्थिति भी बड़ी शोचनीय है क्योंकि उसमें पढ़ने के लिए पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं और यदि कुछ हैं भी तो उनमें पाठकों की रुचि नहीं है इसलिए कुछ अच्छी पुस्तकों की संख्या बढ़ायी जाए । और यही स्थिति सड़कों के विषय में है भेद-भाव नीति इस ओर अपनायी जा रही है, जितनी भी सड़कें बनती हैं वह आपकी सिफारिश से ही बनती हैं । हमारे विधान सभाई क्षेत्र में भाटपार सलेमपुर, भटनी और लार टाउन एरिया हैं जिनमें 10 सालों पहले घोषणा हुयी थी सड़कों के निर्माण सम्बन्धी पर ध्यान नहीं दिया गया । यही स्थिति शहर के सुन्दरीकरण के नाम पर खम्भों पर कहीं-कहीं कुछ बल्ब या मरकरी ट्यूबस लगा दिए जाते हैं, इस प्रकार से सुन्दरीकरण शहरों का नहीं हो सकता है ।

जल निगम के बारे में आपने बड़े-जोरशोर से वर्णन किया । जबकि सबसे ज्यादा भ्रष्ट इस विभाग को कहा जाए तो गलत न होगा, आपके इस जल निगम के अन्दर अभी जो वर्तमान चेयरमैन हैं, उन्होंने 97 नई कारें खरीदी हैं जिसमें टेप रिकार्ड भी लगा हुआ है । डीजल से चलने वाली जीपें थी,

उससे उनका काम नहीं चल सका, यह कोई एक गरीब देश और प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है। साथ ही में यह भी कहना चाहता हूं, अधिष्ठाता महोदय उत्तर प्रदेश में 1 लाख 12 हजार 568 गांव राजस्व गांव हैं जिसमें 97,551 गांव मैदानी क्षेत्र में हैं और 15 हजार 10 सौ गांव पहाड़ी क्षेत्र में हैं और इसे आपके अधिकारियों ने एक्सेप्ट किया है। कि मैदानी क्षेत्र में 35 हजार 506 गांवों में पेयजल योजना लागू होना चाहिये और पहाड़ी क्षेत्र में 7 हजार 771।

इसके लिये आपने चौथी पंचवर्षीय योजना में 15 करोड़ 63 लाख रु0 खर्च किये, पांचवा पंचवर्षीय योजना में 30 करोड़ 68 लाख रु0 खर्च किये और छठी पंचवर्षीय योजना में 204·55 करोड़ रु0 व्यय किया जायेगा और जबकि गांवों का को संख्या जहां कि आप हैण्ड पाईप लगायेंगे वह है 45,277। अगर इस रुपए को आप गांव में बंटवा देते तो 57 हजार रु0 प्रत्येक गांव के हिसाब से आता है। आप गांव में केवल हैण्ड पाईप लगायें तथा प्रत्येक हैण्ड पाइप पर 500 रुपये खर्च करें तो इस तरह से 114 हैण्ड पाईप लग सकते थे। अगर आप 1000 रु0 में एक हैण्ड पाईप लगाते हैं तो भी 57 हैण्ड पाईप प्रत्येक गांव में आप लगा सकते थे। आप ऐसे हैण्ड पाईप लगा रहे हैं जो लग तो रहे हैं परन्तु पानी नहीं दे रहे हैं और उसकी कीमत प्रत्येक पाइप 18 या 19 हजार रुपया। आपके अधिकारियों ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में भी हैण्ड पाईप की इतनी ही कीमत होनी चाहिये। लेकिन लोगों ने कहा कि दक्षिण भारत में बहुत नीचे तक डालना पड़ता है इसलिये 12-13 हजार इस पर खर्च हो रहा है। उसे 30 मीटर नीचे गाड़ने का प्राविधान है। लेकिन साहो माप में जमीन के नीचे वह मात्र 20 मीटर ही गाड़ा जा रहा है हमारे क्षेत्र भाटपाररानी में मैंने पता लगाया है कि 20 मीटर ही गाड़ा जा रहा है। महाराजगंज जहां से ओझा जी आते हैं वहां भी 20 मीटर नीचे ही गाड़ा जा रहा है।

माननीय अधिष्ठाता जी, जब गांव में हैण्ड पाईप गड़वाने के लिये अधिकारी लोग जाते हैं तो गांव-गांव में उत्सव मनाया जाता है और उसमें पैसा खर्च किया जाता है क्योंकि 2400 रु0 एक हैण्ड पाईप के गाड़ने की कीमत है और आपका विभाग इसे 2400 रु0 में गड़वा रहा है। एक ठेकेदार ने कहा कि हम इसे 1600 रु0 में गाड़ देंगे लेकिन उसको करने के लिये यह काम नहीं दिया गया। सात बोरी सीमेन्ट हैण्ड पाईप का चबूतरा बनने के लिये खर्च को जा रही है जबकि केवल दो बोरी सीमेन्ट वहां पर खर्च होती है और 5 बोरी ये लोग हड़प रहे हैं।

अधिष्ठाता महोदय, माननीय प्रधान मंत्री के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हैण्ड पाईप पर एक लेबिल लगाया जा रहा है (लेबिल का सैम्पुल सदन में दिखाते हुए) यह लेबिल उत्तर प्रदेश में लगाये जा रहे हैं। देवरिया जिले में खासतौर से इसको लगाया जा रहा है जिसकी कीमत 18 रु0 90 पैसा है और 7 रु0 70 पैसा नट-बोल्ट लगा कर वहां गाड़ देने के हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, इस तरह से 26 रु0 60 पैसा इसका हुआ। आप अगर चाहें तो लखनऊ में कहीं भी 5 रु0 में टीन, रंगाई व लिखाई लगा कर यह काम हो सकता है। 1 रु0 60 पैसा में उस पर नट और बोल्ट लगा कर गाड़ा भी जा सकता है। इस तरह से काफी लूट मची हुई है। 20 रु0 प्रति लेबुल की लूट है।

माननीय अधिष्ठाता जी, देवरिया के लोगों ने वहां के एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, श्री वी0 बी0 सिंह के भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत की है कि उन्होंने भ्रष्टाचार करके 50 लाख रुपया

कमाया, जिसकी सूची आपको दी है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहूंगा कि इसको माननीय मंत्री जी जांच करा लें, तो आपको मालूम हो जायेगा कि जल निगम पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई को लूट रहा है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दूसरी बात कहकर बन्द करूंगा । आपके लखनऊ में योजना भवन बन रहा ह और प्रधान मंत्री के संयुक्त सचिव, श्री अरोरा साहेब ने लिखा कि 2-3 मंजिल से अधिक का नहीं बनना चाहिए । आपके चीफ सेक्रेटरी जो रिटायर हो गये हैं उन्होंने दिसम्बर में लिखा कि 6 मंजिल से अधिक का नहीं बनना चाहिए और आप मेरी बात मानें, अपनी कार लीजिए और उसको देख लीजिए, 8 मंजिल का बन रहा है । माननीय अधिष्ठाता महोदय अगर कोई निजी मकान बनता है तो इनकी नगर पालिका उसको तुड़वा देती है, लेकिन इस ओर इनका ध्यान नहीं गया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इसको 8 मंजिल नहीं बनना चाहिए, तो उन्होंने इसको क्यों नहीं गिरवाया ?

मान्यवर, दूसरी बात जो बहुत ही आवश्यक है, उसकी ओर आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । जो इसका ठेकेदार है, उसने प्लम्बर से पानी लिया, अनियमित रूप से पानी लिया । जल निगम के जनरल मैनेजर ने ठेकेदार को नोटिस दिया कि 80 हजार रुपये का पानी अनधिकृत रूप से लिया गया है और उसके ऊपर कुछ पेनाल्टी भी लगाया, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि वह नोटिस वापस ले ली गयी । मैं चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दें तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें । मुझे नहीं पता है कि वह कौन सा आदमी है, जिसके विरुद्ध चीफ सेक्रेटरी, प्रधान मंत्री के संयुक्त सचिव और जल निगम के जनरल मैनेजर ने लिखा फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, उस पर जो नोटिस दी गयी वह वापस हो गयी । न चीफ सेक्रेटरी की चल रही है और न आपकी चल रही है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब मैं आखिरी बात कह कर समाप्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हरिवंश सहाय जी आप अब समाप्त करें, दुबारा फिर मौका मिलेगा, तब अपनी बात पूरी कर लें ।

श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, लखनऊ में गोपाल अपार्टमेंट बन रहा है । विकास प्राधिकरण की ओर से यह 8 मंजिला बन रहा है । हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह 4 मंजिला ही रहना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी यह 8 मंजिला बन रहा है । आप जवाब देंगे कि हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा कर देना चाहिए मानहानि का मुकदमा होता रहेगा, तब तक मकान बन जायेगा । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बारे में जरूर बतायें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है । इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य मेरे कटौती के प्रस्ताव को पास करें ।

*श्री धरमपाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने नगर विकास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध करता हूं और मैं तो यह कहता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसको रखने वाले सदस्य को नगर विकास विभाग का कुछ ज्ञान ही नहीं है । विपक्ष में कोई ऐसा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वस्त नहीं है जिसमें कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की क्षमता होती।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य विपक्ष की क्षमता को चुनौती दे रहे हैं। इनकी क्षमता की जानकारी मुझे है।

श्री अधिष्ठाता--

यह चेयरमैन रह चुके हैं।

श्री धरमपाल--

1916 में नगरपालिकाओं का गठन हुआ और उसके एक्ट के हिसाब से उनका संचालन हो रहा है। सन् 51 में उनके लिए इन्डेपेन्डेट बाइलाज बनाये गये। श्रीमन्, यह दुर्भाग्य की बात है नगरपालिकायें अभी उन्हीं बाइलाज के आधार पर फंक्शन कर रही हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि एक नये आयोग का गठन किया जाय जो कि प्रत्येक नगरपालिका की समस्यायों का अध्ययन करे और उसके लिये बाईलाज बनायें जो कि समान रूप से सभी नगर-पालिकाओं के ऊपर लागू हों।

इसके साथ ही साथ मान्यवर, काफी समय पहले नगरपालिकाओं के द्वारा जो विद्यालय चलाये जाते थे उनको शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ले लिया गया था और वे विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हो रहे हैं लेकिन उन विद्यालयों की मरम्मत आदि की जिम्मेदारी आज भी नगर नगरपालिकाओं के ऊपर है जो कि पालिकाओं के लिये एक बडंन बना हुआ है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि ऐसे विद्यालयों की मरम्मत आदि का पैसा शिक्षा विभाग से लेकर नगर-पालिकाओं को दे दिया जाय।

श्रीमन्, प्रदेश में पेयजल की समस्या बहुत गम्भीर है। पूरे उत्तर प्रदेश की नगरपालिकायें इस समस्या से ग्रस्त हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रदेश के अन्दर जितनी भी नगर-पालिकायें हैं, उन सब में क्लोरीन प्लांट लगाने की शर्त पूरी होनी चाहिये। मेरी जानकारी है कि किसी भी नगरपालिका के पास यह प्लांट नहीं है। आज नगरपालिकाओं द्वारा क्लोरीन की जगह पर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है और वाटर सप्लाई किया जाता है। मान्यवर, ब्लीचिंग पाउडर का काम सफाई करने का होता है, नालियों में छिड़काव के लिये होता है लेकिन आज ये नगरपालिकाय क्लोरीन के स्थान पर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही हैं।

आवास विकास की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यही लखनऊ में गोमती नगर में एक आवास योजना चल रही है और वह एक आधुनिक बस्ती के रूप में बन रही है। उसमें जो मैटीरियल का इस्तेमाल हो रहा है, वह तीसरे-चौथे नम्बर का मैटीरियल लगाया जा रहा है। मैंने स्वयं वहां जाकर देखा है। सुरखी के नाम पर बालू का प्रयोग किया जा रहा है। और जो रेशियो उसमें लग रहा है वह 1/4 के स्थान पर 1/12 का लगाया जा रहा है और रूफ टेरेसिंग में दो-दो इंच मोटी ब्लास्ट डाली जा रही है। इस ओर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज जितनी भी नगरपालिकायें हैं, उनमें प्रभारी अधिकारियों की जो नियुक्तियां होती हैं, वे विभागीय अधिकारी ही होने चाहिए। जो एस0 डी0 एम0 प्रभारी अधिकारी बनाए जाते हैं, उनको नगर पालिकाओं का कोई ज्ञान नहीं होता है। इसलिए उनमें विभागीय अधि-कारी ही नियुक्त होने चाहिए। इससे उनकी प्रोन्नति के रास्ते तो खुलते ही हैं साथ ही उनका संचालन भी सुचारु रूप से हो सकता है।

इसके अतिरिक्त मैं शासन का ध्यान चुंगी घरों में होने वाली चोरियों की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि इन चुंगी घरों का आक्शन किया जाय।

इससे नगरपालिकाओं की आमदनी और संसाधनों में वृद्धि होगी। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि इधर तीन चार वर्षों से नगरपालिकाओं के कर्मचारियों आदि के लिए नए पे-स्केल लागू किए गए हैं किन्तु मेरी निश्चित जानकारी है कि बहराइच में 11 लाख रुपये नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के सेलरी एरियर्स बाकी हैं। शासन सफाई कर्मचारियों के वेतन सब्सिडी के रूप में देता है और बाकी रुपया नगरपालिकाओं को देना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि प्रत्येक नगरपालिका के कर्मचारियों को चाहे वह पूर्वांचल की हो या पश्चिमी क्षेत्र की हो, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको भुगतान कराया जाय।

इसके साथ ही इन्क्रोचमेन्ट की ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहीं लखनऊ में अशोक मार्ग में निशातगंज पुल के पहले एक बस्ती खड़ी हो गई है। इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए इन्क्रोचमेन्ट हटाने के लिए सक्रिय अभियान चलाना चाहिए। साथ ही नगरपालिका क्षेत्र से शासन को करके रूप में जो पैसा मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा नगरपालिकाओं को भी दिया जाना चाहिए। प्रत्येक शराब की दुकान को होने वाली आमदनी का एक हिस्सा नगरपालिका को दिया जाना चाहिए, नगरपालिका क्षेत्र से बिक्रीकर का 1/4 हिस्सा उनको दिया जाय और सिनेमा हाल से होने वाली आमदनी का मनोरंजन करके रूप में जो लिया जाता है, उसका एक हिस्सा नगरपालिका को मिलना चाहिए जिससे ये नगरपालिकायें सुचारु रूप से चल सकें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव की निन्दा करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह नगर विकास मंत्री भी हैं और ग्राम्य विकास मंत्री भी हैं और हम लोग उम्मीद यह करते थे कि माननीय मंत्री जी ग्रामों का इस तरह से विकास करेंगे कि वह नगर बनेंगे लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इनके राज्य में नगर भी ग्रामों की तरह दिखाई देने लगे हैं। मैं लखनऊ से शुरू करता हूं अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया और लखनऊ शहर को भी अपने कब्जे में किया लेकिन अंग्रेजों ने लखनऊ की सभ्यता और संस्कृति पर हमला नहीं किया। आजादी के बाद यह जो हमारी सरकार आई उसने हमारी कला पर हमला करना शुरू कर दिया यहां की जो कला थी, उसे कुंठित कर दिया। अंग्रेजों के जमाने में जो चारबाग रेलवे स्टेशन बना था उसे देखकर ऐसा लगता है कि हम लखनऊ में हैं। अगर उसका नक्शा बाहर से देखा जाय समझ में आ जाएगा कि यह लखनऊ है और कायदे से बना है। लेकिन मौजूदा शासन ने लखनऊ की आकार रेखा को खंडित कर दिया है आज इस आदरणीय विधान भवन के दोनों तरफ एक तरफ एनेक्सी बन गई है और दूसरी तरफ सहकारिता भवन बन गया है। चारबाग रेलवे स्टेशन से इमामबाड़े तक जितनी हमारी पुरानी इमारतें बनी हैं, उन सबको ढकने का काम शुरू हो गया है क्योंकि माननीय मंत्री जी को यह सब सोचने की फुरसत नहीं है कि उनके मातहत काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनके सोचने का तरीका अलग है।

मान्यवर, गोमती के किनारे पर होटल क्लार्क अवध खुल गया जो एक बहुमंजिली इमारत है लेकिन यहां से दूर रामसागर मिश्र नगर कालोनी है जिसमें 6-7 सौ एकड़ जमीन ली गई है वहां पर एक मंजिला भवन बनाए गए हैं इसी तरह तालकटोरा में एक मंजिला भवन बनाए गए हैं लेकिन नगर के अन्दर आसमान छूने वाली 16,17 मंजिला भवन बन गए हैं। पास ही में पुराना विधायक निवास के पास 15 मंजिला भवन बन

गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर नगर के बाहर बड़े भवन बनाए जायं तो इससे काश्तकारों की जमीन बचेगी लेकिन जो विकास प्राधिकरण बने हैं, वह काश्तकारों को हटा कर उनके हल की मूठ पर चोट कर रहे हैं । मैं निवेदन करूंगा कि वे इस प्रवृत्ति को समाप्त करें । वह नगर विकास मंत्री भी हैं और ग्राम्य विकास मंत्री भी हैं ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनी की रेती तपोबन स्वर्गाश्रम में अलग अलग नगरपालिकायें हैं । वहां पर छोटे-छोटे दरबे बना लिए हैं । मैं निवेदन करूंगा कि हरिद्वार से लेकर तपोवन, लक्ष्मण झूला तक एक नगर पालिका हो । यहां पर हर 6 साल में अर्ध कुम्भ और 12 साल में कुम्भ का मेला लगता है । तो उस समय सवाल आता है कि कौन इसका संचालन करे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पहाड़ों में नगरपालिकायें हैं और इन नगरपालिकाओं के पास अपनी भूमि नहीं है जहां पर नगरपालिकायें हैं, यह भूमि किसी की नहीं रह गई है, लिहाजा उनके ऊपर जो चाहे अतिक्रमण करता चला जा रहा है । मैं निवेदन करूंगा कि पहाड़ों के अन्दर जो नगरपालिकायें हैं, उनको उनके क्षेत्र में आने वाली भूमि जो सरकारी भूमि है, उसका स्वामित्व प्रदान किया जाय ताकि वहां पर व्यवस्था ठीक हो सके ।

मैं थोड़ा सा जल-निगम के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे पहाड़ों में जल निगम जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, उससे हम बहुत ज्यादा नाखुश हैं । रुड़की में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का दफ्तर है, वह मसूरी से 40 कि0 मी0 दूर थत्यूड़ में कार्य करता है और ऋषिकेष में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का कार्यालय है जो मेरे जिले में देा प्रयाग से काफी दूर हिन्डोला खाल में योजना पर काम करते हैं, इसलिए निवेदन है कि पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों को बुलाकर बात कर लें और उसके बाद ठीक समझें तो उस हिसाब से व्यवस्था को बदलें । इन शब्दों के साथ मैं मान्यवर, आपका आभारी हूं ।

श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए उसमें कुछ सुझाव देना चाहता हूं । पहला सुझाव यह है कि मैं नगर विकास मंत्री जी का ध्यान लखनऊ की सफाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि लखनऊ के गली कूचों की हालत बहुत दुखदाई है और 6-6 महीने से वहां कूड़ा सड़ रहा है । इस सम्बन्ध में मैंने अधिकारियों और मंत्री जी को कई पत्र लिखे लेकिन दुख है कि सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, सिवाय अधिकारियों के झूठे जवाब मिलने के अलावा कुछ नहीं किया गया । मान्यवर, खासकर भदेवा, बलौचपुरा, चित्ताखेड़ा, करेहटा, बीबीगंज सहादतगंज, समरही, वजीरगंज, मोलवी-गंज, भीमनगर, अहियागंज, कुंडरी रकाब गंज, निवाजखेड़ा खंजवा मोहल्लों की हालत बहुत गम्भीर है और बारबार लिखने की बावजूद सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

मान्यवर, यही हालत रोशनी की है । इन मोहल्लों में 80 प्रतिशत लाइट एक साल से बन्द पड़ी हैं और कोई लाइट ठीक नहीं की जा रही हैं ।

मान्यवर, इन मोहल्लों में सीवर लाइनें चोक पड़ी हैं जिनकी ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

मान्यवर, तमाम पार्कों में इंक्रोचमेन्ट किए जा रहे हैं और उनको हटाने की तरफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । शहर में लगभग 200 छोटे-छोटे पार्क हैं, जहां गरीब रहते हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है जब कि वी0 आई0 पी0 पार्कों के लि

ध्यान दिया जाता है, इसमें निवेदन है कि छोटे पार्कों की तरफ ध्यान दिया जाये ।

मान्यवर, लखनऊ में सड़कों और गलियों की हालत बहुत खराब है, विशेषकर पुराने लखनऊ में हालत बहुत खराब है । 18 मार्च, 1983 को 25 किलोमीटर सड़कें बनाने हेतु पी0 डब्लू0 डी0 को दी गयीं थीं । उन सड़कों के नाम हैं—गुरु गोबिन्द सिंह मार्ग, ऐशबाग रोड, तुलसीदास मार्ग, मोहान रोड, राना प्रताप मार्ग, फैजाबाद रोड, निराला नगर, मोहान रोड आदि लेकिन आज तक यह सड़कें लावारिस हालत में पड़ी हैं और इनकी ओर न पी0 डब्लू0 डी0 और न नगरपालिका ही ध्यान दे रही है ।

मान्यवर, नगरपालिका लखनऊ की हालत बहुत खराब है और पैसा न होने के कारण उसके पास न कोई सामान है और यहां तक कि वह अपनी बिल्डिंगों को नहीं छड़ा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि लखनऊ को विशेष ग्रान्ट दें, चूंकि यह कैपिटल शहर है और फिर भी इसको दूसरे शहरों की अपेक्षा कम ग्रान्ट दी गयी है, इसलिये मैं चाहूंगा कि स्पेशल ग्रान्ट देकर गंगा प्रसाद स्ट्रीट, नादान-महल रोड को ठीक कराया जाये ।

इसके अलावा लाईट, सीवर, छोटे पार्क और नालों की सफाई के लिये भी विशेष ग्रान्ट की व्यवस्था की जाये । केवल चन्द सड़कों की ही तरफ ध्यान दिया जाता है ।

मान्यवर, अब मैं जल निगम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां बेईमान अधिकारियों को तरक्की दी जाती है । जल निगम के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री शर्मा का सेलेक्शन नं0 दो पर हुआ था और श्री त्यागी का नं0 एक पर सेलेक्शन हुआ था किन्तु त्यागी को चार्ज नहीं दिया गया । इसी तरह राज कुमार भार्गव, चेयरमैन, जल निगम से दो पदों का, एक तो वह चेयरमैन हैं और दूसरे स्पोर्ट सेक्रेटरी का काम लिया जा रहा है तो इसकी क्या जरूरत है ? इसलिये इसकी ओर ध्यान दें । चूंकि पानी की समस्या काफी गम्भीर है । जल निगम की ओर से तीन अन्डरग्राउन्ड टैंक कश्मीरी मोहल्ला, राजेन्द्र नगर और पतंग वाला मैदान में, बने पड़े हैं जिसमें करोड़ों रुपया इसमें लग गया है, लेकिन यह खराब पड़े हैं और इनको पानी सप्लाई से कोई फायदा नहीं उठाया जा रहा है । तो अविलम्ब यह तीनों खराब पड़े अन्डरग्राउन्ड टैंक पूरी तरह से ठीक कराये जाएं और पानी के लिए तरसते जो हमारे मोहल्ले हैं, उनको पानी दिलाने की कृपा की जाय । इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं और इस बजट का स्वागत करता हूं । धन्यवाद

श्री अधिष्ठाता—

अब श्री फखरे आलम । इसके पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, लेकिन आप इसमें अधीर न हों । समय बहुत है, जितने सदस्य बोलना चाहते हैं बोलें, वह बोल पायेंगे । लेकिन अधीर होने की आवश्यकत नहीं है, यहां आने की या किसी किस्म की कन्वेसिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

[समय 2 बजकर 45 मिनट]

*श्री फखरे आलम—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे अफसोस यह है कि यहां हमारे मन्त्री जी मौजूद नहीं हैं, उनके स्टेट मिनिस्टर हैं । मैं यह कहना चाहता था—"सियासत की बुलन्दी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पर बैठे हो, वह टूट भी सकती है ।" म्युनिसिपल एलेक्शन को हम 8

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

साल से ज्यादा से टाल रहे हैं और वह बाडीज डिफेक्ट पड़ी हैं । बाहरी जनता इस इन्तजार में बठी है, कब उसको इस बात का मौका मिले वह अपने वोटिंग के राईट को इस्तेमाल कर सके और वह आपको बता सके कि वह आपके शासन से कितना परेशान हो चुकी है और वह आपसे कितना नाराज है । लेकिन आप उनको अपने राईट का इस्तेमाल करने का, अपने गुस्से का इजहार करने का मौका नहीं देते हैं । मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

म्युनिस्पैल्टीज जो हैं, चाहे वह नगरपालिकाएं हों, चाहे नोटीफाइड एरियाज हों या टाउन एरियाज हों, उनकी सड़कों की आज हालत यह है कि यदि उन पर जोर से कोई चला जाए तो वह टूट जाती हैं । भले लखनऊ को ही देख लिया जाए । खासकर उन म्युनिस्पिल्टीज में, जिनको आप सुपरसीड कर चुके हैं और उससे पहले जितनी म्युनिस्पैल्टीज आप सुपरसीड कर चुके थे, उनकी हालत बहुत ही बदतर है । वहां आज सड़कें हैं ही नहीं, और सड़क के नाम पर केवल गड्ढे हैं । मैं अपने जिले बदायूं की म्यूनिस्पैल्टी ककराला और टाउन एरिया शकानू, उसहयत और अलापुर का जिक्र करना चाहता हूं जहां पर कोई सड़क नहीं है और सड़क के नाम पर जो कुछ है, उन पर अगर कोई गर्भवती महिला चली जाए, चलती हुई चली जाए तो उसकी क्या हालत हो जाएगी, यह मैं आपको बता नहीं सकता हूं । इस प्रदेश में 8 कारपोरेशन्स हैं, करीब 200 नगरपालिकाएं हैं, 600 के करीब टाउन एरियाज हैं, उनके लिए आपने क्या किया है ? 8 साल में उनमें आपने क्या किया है

(व्यवधान)

4 साल में उनमें आपने क्या किया है, कहां-कहां क्या किया गया है ? तो 8 साल के अर्से में क्या उन्नति वहां हुई, क्या फायदा हुआ और 4 साल में म्युनिस्पिल बोर्ड कहां से कहां पहुंच गये हैं, इसको देखने और ठीक करने की आपको फुरसत नहीं है । जितनी ग्रान्ट आपने दी, उसका कोई यूटीलाइजेशन हुआ ? पहले के एक नगरपालिका के मन्त्री हमारे जिले के रहने वाले थे लेकिन हमारी बदनसीबी थी कि वह कुछ नहीं कर पाए हैं । उसके बाद दूसरे मन्त्री थे, वह भी हमारे पड़ोस के थे, और वह भी कुछ कर नहीं पाये हैं । लेकिन हमारे यहां की किसी म्युनिस्पैल्टी को इन दोनों के जमाने में कोई फायदा नहीं पहुंचा है ।

हमारे यहां के स्टेट मिनिस्टर बैठे हैं, वह अच्छी तरह जानते हैं । हमारे जो नये विकास मन्त्री हुए हैं, वह हमारे पुराने साथी हैं, उनको हमारा सुझाव है कि म्युनिस्पिल रोड्स को बनाने के लिए आप एक रोड कारपोरेशन बनाइये ।

यह जो आप अपने ठेकेदारों को ठेके देते हैं, इसमें मन्त्री से लेकर एक्जीक्यूटिव आफिसर्स तक कमीशन पहुंचता है । इसलिये इस प्रथा को आप बन्द कर दीजिये ।

एक सुझाव में पेय जल की समस्या की तरफ देना चाहता हूं । आपके यह जल निगम एक बड़े सफेद हाथी बन गये हैं और वह पोरस के हाथी की तरह हो गये हैं जिसने अपनी ही फौज को रौंद डाला था । इनके द्वारा जगह-जगह ऐसे टैंक बनाये गये हैं जिन पर लाखों, करोड़ों रुपये खर्च हुआ पर जिनसे एक कतरा भी पानी किसी को नहीं मिला । मेरे ही क्षेत्र सखानू टाऊन एरिया में एक टैंक बना, पर उससे एक कतरा पानी हासिल नहीं हो सका । इसलिये इस जल निगम को आप समाप्त कीजिये ।

एक सुझाव में शहरी शिक्षा की तरफ दिलाना चाहता हूं । शहरी शिक्षा की हालत बहुत खराब हो रही है । आपने उसे ले लिया और उसे लेकर

बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन कर दिया और उसे एक जगह सेन्ट्रलाइज कर दिया। अब जनता के चुने हुए मेम्बरों का जैसे एम० एल० ए० वगैरह हैं, उनका कोई कन्ट्रोल नहीं रह गया है। मेरा सुझाव है कि आप म्युनिस्पिल शिक्षा को बेसिक शिक्षा से निकाल दीजिये और उसको सुप्रिन्टेंडेंट आफ एजूकेशन को दे दीजिये। आपने जो इसे सेन्ट्रलइज्ड कर दिया है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। ट्रान्सफर होता है तब सिफारिश चलती है। उसको रुकवाया जाता है तब सिफारिश चलती है। मेरा सम्बन्ध म्युनिस्पिल बोर्ड से रहा है, पिछली तीन जनरेशन का रहा है, उसके आधार पर मैं यह बता रहा हूं। जब से आपने एक्जीक्यूटिव आफिसर को सेन्ट्रल इज्ड सर्विसेज में रख दिया है, वह अपनी कोई जिम्मेदारी अब नहीं समझता है। इसलिये आप सेन्ट्रलाइज्ड सर्विसेज से एग्जीक्यूटिव आफिसर्स को निकाल दीजिये। जो पुरानी प्रथा थी, उसी को रखिये। इन सुझावों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती सुमनलता--

आपने मुझे नगर विकास विभाग के बजट पर बोलने के लिये जो अवसर दिया उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं। मान्यवर, प्रदेश में 8 नगरमहापालिकायें हैं जिनमें कानपुर सबसे बड़ी है। म कानपुर नगरमहापालिका से ही चुनकर आयी हूं। कई माननीय सदस्यों ने, सता पक्ष से और विपक्ष से, इन नगरमहापालिकओं की समस्याओं का जिक्र किया। मैं समझती हूं कि उन सभी समस्याओं का हल तभी हो सकता है जब कि जल संस्थान, नगर महापालिका और विकास प्राधिकरण को एक कर दिया जाये। ऐसा कर देने से निश्चित रूप से जनता को राहत मिलेगी, उसकी बहुत सी परेशानियां दूर होंगी और जनता के हित का काम हो सकेगा। जब तक ऐसा नहीं होगा इनका काम सुचारु रूप से नहीं चल पायेगा। पुराने भूतपूर्व मन्त्री जी ने यह आश्वासन भी इस दिशा में दिया था और यह भी बताया था कि एक कमेटी इस पर विचार करने के लिये बना दी गयी है। पता नहीं अभी तक उसका क्या हुआ? मैं निवेदन करूंगी कि माननीय मन्त्री जी शीघ्र ही इस ओर ध्यान दें। उक्त तीनों अंगों को एक करने की कृपा करें।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे कानपुर में सीवरेज की बहुत गम्भीर समस्या है इसके लिये मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि जैसे दिल्ली में कनाट प्लेस की व्यवस्था है उसी प्रकार से कानपुर में व्यवस्था की जाय। कानपुर में सीवरेज की समस्या है, वहां पानी भर जाता है और लोगों को परेशानी होती है तो इस समस्या से उनको मुक्ति दिलायी जाय। दूसरा सुझाव देना चाहती हूं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो भी पैसा ट्यूबवेल खोदने के लिये करीब 75 करोड़ रुपया दिया गया है, उसमें 22 ट्यूबवेल काम कर रहे हैं और बाकी बेकार पड़े हैं। तो मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि वह इसके लिये एक जांच समिति बनायें और जांच समिति में जनता का कोई प्रतिनिधि, हम लोगों में से होना चाहिये ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और जो पैसा बरबाद हो रहा है, उसको बचाया जा सके। चौथी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि जो मलिन बस्तियां हैं उनके लिये एक मलिन बस्ती सुधार योजना है। लेकिन उसके अन्तर्गत अधिकारी लोग जाकर गलत अहातों को मलिन बस्ती घोषित कर देते हैं। जहां पर सीवर लाइन, खड़ंजा, पक्के मकान, पाइप आदि की व्यवस्था होती है, वह तो मलिन बस्ती घोषित हो जाती है लेकिन जहां पर यह सुविधायें नहीं हैं, वह मलिन बस्ती के अन्तर्गत नहीं आ पाती हैं। तो मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुनः इसकी जांच करवायें ताकि जो वास्तव में मलिन बस्तियां हैं, उनको उसका लाभ मिल सके ।

मान्यवर, मैं एक सुझाव और देना चाहती हूं कि हमारे जो गरीब हरिजन किसान हैं, जो लखनऊ में जियामऊ ग्राम है, वहां पर उनको खेती करने के लिये नजूल की जमीन दी गयी थी । लेकिन उसको नजूल अधिकारी ने स्टेट डिपार्टमेन्ट को एलाट कर दिया है, जो कि बिलकुल गलत है । वह किसानों की जमीन है उनको वापस मिलनी चाहिये । वह गड्ढे वाली जमीन है, उसमें पानी भर जाता है । अगर यह जमीन वहां पर कर्मचारियों के आवास के लिये दी गयी तो निश्चित रूप से सरकार का बहुत पैसा इसमें खराब जायगा और कोई लाभ नहीं मिल पायेगा ।

मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहती हूं कि कारपोरेशन के चुनाव का जैसा कि उन्होंने वादा किया है कि मैं शीघ्र ही इस ओर ध्यान दूंगा और कारपोरेशन के चुनाव करा दूंगा, मुझे विश्वास है कि वह निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देंगे और चुनाव शीघ्र करा लेंगे ताकि जो छोटी-छोटी मुश्किले हैं, वह विधायकों के पास न आयें और कारपोरेटर के पास आयें और उनका सही रूप से निदान हो सके । कानपुर नगर महापालिका, जैसा सबको मालूम है, सबसे बड़ी है लेकिन इलाहाबाद नगरपालिका को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है तो मेरा कोई द्वेष नहीं है लेकिन मैं मांग करती हूं कि कानपुर नगर महापालिका को ज्यादा से ज्यादा पैसा दें ताकि वह खड़ंजे, पानी, सड़कों आदि की व्यवस्था कर सकें और वहां के नागरिकों को परेशानी न हो । मान्यवर, जहां तक स्कूलों और होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज की बात है, इनमें भी बड़ी धांधली है । इसकी इन्क्वायरी की जाय और इनको ढंग से चलाया जाय । ज्यादा न खोलें लेकिन जो पुराने हैं, उसको सही रूप से चलाया जाय, इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

श्रीमती विमला राकेश—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि अपने नगर विकास का जो बजट है, उस पर बोलने की आज्ञा दी । माननीय हरिवंश सहाय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करती हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 अगस्त, 1977 को एक अध्यादेश जारी कर समस्त नगरपालिकाओं को भंग कर दिया और यह आश्वासन दिया गया कि नगरपालिकाओं के चुनाव 6 माह के अन्दर करा दिये जायेंगे । मान्यवर, 7 वर्ष होने को जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं करा सकी । उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरपालिकाओं को भंग करते समय यह सोचा था कि शासन के अधीन हो जाने पर समस्त नगरपालिकाओं में पर्याप्त सुधार होगा, परन्तु मान्यवर, सुधार के बजाय नगरपालिकाओं में निरन्तर गिरावट आ रही है । अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग स्वच्छन्द हो गये हैं । उन्होंने जनहित के कार्यों में उदासीनता बरती और अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा, जिसके कारण नगरपालिकाओं की स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ गयी है ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने जनपद सहारनपुर की नगरपालिका की ओर ले जाना चाहती हूं । मान्यवर, नगरपालिका, सहारनपुर की आय में निरन्तर गिरावट आ रही है । टोल-टैक्स की चोरियां हो रही हैं । अधिकारी वर्ग ठेकेदारों से मिल कर काफी घोटाला कर रहे हैं । मान्यवर, बोरिंग त्रुटिपुर्ण हैं । ट्यूबवेल खराब रहते हैं । पानी के मीटर सरकारी फैक्टरियों से न खरीद कर प्राइवेट फर्मों से अधिक कीमतों पर खरीदे जाते हैं । मान्यवर, अवैध निर्माण दिनों दिन बढ़ कर सड़कों को छोटा कर रहे हैं । पुल और

पुलिया के बीच में खोखे रखे हुए हैं, जगह-जगह रेढ़ियां खड़ी हैं। रिक्शा वालों को कहीं भी खड़े होने की छूट है। मान्यवर, गंदे ढाबे भी रेढ़ियों पर चल रहे हैं, जिनसे रोज की वसूली की छाया में कुछ नहीं कहा जाता। इस प्रकार यह पूरा प्रदेश रेढ़ियों, खोखों और रिक्शावालों का प्रदेश बन कर रह गया है। मान्यवर, सड़कों पर चलना दूभर है। कितने व्यक्ति लाइसेंसदार हैं और कितने बगैर लाइसेंस के इसका कोई अनुमान नहीं है। मान्यवर, जनहित के नाम पर जनहित के कार्यों के नाम पर प्रशासक, प्रभारी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी लाखों, करोड़ों रुपये बटोरने में लगे हैं।

मान्यवर, इतना ही नहीं, पुरानी ईंटों को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, उनको बेच दिया जाता है, नई ईंटें लगायी नहीं जातीं, पेमेंट ले लिया जाता है। मान्यवर, सफाई अधिकारियों का मासिक बंधा होने के कारण जगह-जगह गंदगियों के ढेर देखने को मिलते हैं। सड़कें जीर्णशीर्ण हैं, बिजली नहीं है, टंकी में पानी नहीं है। खाद्य पदार्थों में मिलावट अपनी चरम सीमा पर है। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि मेरे जनपद के भ्रष्ट अधिकारी, श्री दुबे को उनके कारनामों के कारण, मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे उनको वहां से हटाकर उनके भ्रष्ट कार्यों की जांच करायें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगी कि जनहित का ध्यान में रखते हुए नगरपालिकाओं के चनाव शीघ्रातिशीघ्र कराये जायं, जिससे चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा नगर का कार्य सुचारू रूप से चल सके। इन शब्दों के साथ मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री श्रीनाथ सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए आज लोगों के शहरों में बसने के रुझान को देखते हुए, शहरों की आबादी बहुत बढ़ रही है और उसकी समस्यायें भी बहुत बढ़ता जा रही हैं मैं वाराणसी से आता हूं, जो दुनिया का प्राचीनतम नगर है, साथ ही देश की सांस्कृतिक राजधानी है। वहां के घाटों की शोभा को देखने के लिये हजारों पर्यटक वहां आते हैं। लेकिन वहां की नगरपालिका की दुर्व्यवस्था को देखते हुये, सफाई की दुर्व्यवस्था को देखते ही बनता है। ट्रैक्टर और ट्रालियां पुरानी हैं, उनकी मरम्मत में जितना पैसा खर्च किया जाता है, अगर नया खरीदा जाता तो इससे कम पैसा लगता, जितना उनकी मरम्मत पर खर्च किया जा रहा है।

जल वितरण की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जितनी भी पानी की टंकियां बनीं, वह सब फेल कर गयी और कई वर्ष पुराना जो पानी को पम्प करने का सिस्टम हमारे यहां था, वही काम कर रहा है। बनारस एक तीर्थ स्थल है, 50 हजार तीर्थयात्री रोज आते हैं, उनके संकट को देखते हुये, जैसा पानी का पम्प करने का पुराना सिस्टम है, उसी प्रकार एक और सिस्टम लगवा दें।

मैं बनारस विकास प्राधिकरण का सदस्य हूं। मान्यवर, इनके यहां भवन बनाने का दो संस्थायें हैं। एक आवास विकास निगम और एक विकास प्राधिकरण। एक साल पहले मेरे यहां आवास विकास निगम ने कुछ मकान दुर्गा कुन्ड के पास बनाया। अभी वहां कोई बसने भी नहीं गया था कि पहली बरसात में ही उसकी छत बैठ गयी। कोई घायल नहीं हुआ, यह सौभाग्य की बात रही। मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि आवास विकास निगम या विकास प्राधिकरण के द्वारा जो भी मकान निर्मित किये जायं, वह कम से कम अच्छे स्तर के हों, मजबूत हों, अच्छे हों। मेरे क्षेत्र में शहर और देहात दोनों का हिस्सा पड़ता

हैं । मेरे शहर के क्षेत्र में 6 वार्ड हैं, सारनाथ, पान्डेपुर, अर्दलीबाजार, हुकुलगंज, शिवपुर तथा सिकरौल । इनमें नाली और सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है । इनमें दो इन्टरनेशनल स्थान हैं । पहला सारनाथ जो महात्मा बुद्ध की सिद्ध स्थली है और दूसरा पान्डेपुर, जो उपन्यास सम्राट स्वर्गीय प्रेम चन्द्र के रहने का स्थान रहा है । यहां पर इस दृष्टि से भी सीवरेज एवं ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन 6 वार्डों में शीघ्र से शीघ्र सीवरेज आदि की व्यवस्था कराने का कष्ट करें । एक बात चुंगी के बारे में कहना चाहता हूं । चुंगी की हमारे यहां समस्या है । हमारे यहां 10 साल पहले चुंगी से प्रतिदिन एक लाख रुपये की आय थी, वह घटते घटते अब 30-40 हजार रह गई । अब पुनः कुछ बढ़ने लगी है । अगर चुंगी से जो आय हो रही है, उसी पर निगरानी हो तो हमारे यहां चुंगी की आय इतनी है कि नगर पालिका के आय के संसाधन में उसका बड़ा भारी योगदान हो सकता है ।

अनुदान के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि नगरपालिका, बनारस को बरेली नगरपालिका से कम अनुदान मिला है । मैं बरेली नगरपालिका के बारे में कोई द्वेष की भावना से नहीं कह रहा हूं । लेकिन विगत 2 वर्षों में बनारस नगरपालिका को उत्तर प्रदेश की सभी महापालिकाओं से कम अनुदान मिला है । मंत्री जी आप बराबर बनारस से सम्बन्ध रखते हैं, वह कासमोपोलिटन नगर है । वहां पर मराठी, गुजराती, मद्रासी, बंगाली तथा देश के अन्य वर्ग के लोग वहां रहते हैं । इस चीज को देखते हुए उसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । वहां की पानी की समस्या की ओर आप विशेष ध्यान दें । एक साल पहले अतिक्रमण से नगरपालिका ने बड़ी जमीन कब्जे में किया था । वहां के अधिकारियों की असावधानी के कारण उस पर पुनः लोगों ने कब्जा कर लिया है । इसको वापस लिया जाय । अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं । मान्यवर, यह नगर विकास का बजट जो है यह वस्तव में देश को विकास की तरफ ले जाने वाला है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने जनपद गोरखपुर की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । मान्यवर, गोरखपुर जनपद नगर महापालिका हो गया । लेकिन मैं समझती हूं वहां कोई विकास कार्य और कोई सुधार कार्य नहीं हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेष रुप से गोरखपुर जनपद की तरफ ले जाते हुए कहना चाहती हूं कि गोरखपुर नगरमहापालिका हो गया, लेकिन गोरखपुर की सड़कों की दशा आज भी दयनीय है । सड़कों पर कूड़े के ढ़ेर लगे हुए हैं । किसी किसी मोहल्ले में तो कूड़े का ढेर के कारण गन्दगी का फैलाव और पानी का जमाव हो गया है । तो मैं चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी विशेष रुप से इस ओर ध्यान दें । हमारे क्षेत्र की बड़ी गहन समस्या है । बहुत से गांव हमारे क्षेत्र के नगरपालिका में चले गये हैं और सीमा भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं बड़े ही दुख और खेद के साथ कहना चाहती हूं कि सीमा तो बढ़ा दी गयी है । लेकिन वहां की जनता को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है । जो ब्लाक से सुविधा मिलनी चाहिए, तहसील से मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है । जो आवास की सुविधा है, जो पेयजल की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सुविधा है, वह नहीं मिल पा रही है तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगी कि जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए, उनको दिलाने हेतु माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान दें और पेयजल की व्यवस्था करावें और आवास की व्यवस्था करावें ।

इसके साथ ही जो उन्हें ऋण मिलना चाहिए वह दिलाने की कृपा करें । हमारा क्षेत्र नौसर ह, वहां दस हजार की आबादी हो गयी है लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल रही है । मान्यवर, गोरखपुर में राजघाट पुल है । वहां बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है । जहां से गोला रोड और लखनऊ रोड जाती है वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है । वहां आए दिन घटनायें होती रहती ह । अंधेरा रहने के कारण डकैतियां होती हैं, लूट-खसोट होती है, तो मैं चाहूंगी कि राजघाट पुल पर बिजली की व्यवस्था करवायें । इसी तरह से मेरे क्षेत्र में दो-तीन ब्लाक जो आपकी नगर महा-पालिका में आ गये है, इसमें मैं समझती हूं कि करीब 30-40 गांव आ गये ह । वहां पर एक झरखंडी है जो कई गांव को जोड़ती है । वहां पर पुल की आवश्यकता है । मैं चाहूंगी कि वहां पुल बनवा दिया जाए ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में पिपरौली बाजार गजपुर बाजार हैं । जहां जनसंख्या ज्यादा है मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करुगी कि यह टाऊन एरिया घोषित कर दिया जाए । इसके अलावा मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहती हू । हमारे बहुत से गांव जो महापालिका में आ गये हैं, जहां सड़कों की अवश्यकता है, और जहां सड़के नहीं हैं, वहां जनता को बड़ी परेशानी होती है । जब मैं जाती हुं तो मुझे स्वयं भी बहुत परेशानी का अनुभव होता है । मैं चाहूंगी मन्त्री जी सड़क की तरफ ध्यान दें । मान्यवर, इसी तरह से पुलिया की बहुत आवश्यकता है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप खत्म करें ।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, जहां पुलिया नहीं है, वहां पुलिया बनवा दें । मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगी कि वह नगरमहा-पालिका के चुनाव जल्दी से जल्दी करा दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

*श्री कमला प्रसाद सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नगर विकास मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं हृदय से स्वागत करता हूं । मेरा क्षेत्र जौनपुर नगर एक एतिहासिक नगर है जहां पर अटाला मस्जिद, बड़ी मस्जिद और चौकिया देवी के धाम आदि जैसे ऐतिहासिक धर्म स्थल हैं । मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इन धार्मिक स्थलों की सफाई की ओर विशेष ध्यान दें ।

मान्यवर, जब मैं इस सम्मानित सदन में सन् 1977 में चुनकर आया था तो उस समय नगर क्षेत्र के निवासी पानी के लिए तरस रहे थे । मैं जब चुनाव के दौरान अपन क्षेत्र में जाता था तो देखता था कि वहां पर हमारी मातायें, बहनें और हमारे नौनिहाल बच्चे पाइप को काटकर अपनी बाल्टियां व तसले लगाकर पानी ले जाते थे और उस गन्दे पानी को पीते थे । मैं माननीय मन्त्री जी को अपनी ओर से तथा अपने नगर क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई देता हु कि आज वहां पर दक्षिणी क्षेत्र में चार ट्यूबवेल लगा दिये गये है तथा उत्तरी क्षेत्र में तीन ट्यूबवेल लगा दिये गये हैं । फलस्वरूप आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वहां पर लोगों को पानी मोहैय्या हो गया है। पूरे नगर क्षेत्र में हमारे पुराने पाइप को परिवर्तित कर नये प्लास्टिक के टैप लगाये जाने की व्यवस्था हो रही है परन्तु इसी के साथ ही साथ में माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहुंगा कि जहां इतना धन लगभग सवा चार करोड़ रुपये का व्यय किया जा रहा है, कभी कभी यह देखा जाता है कि ट्यूबवेल खराब हो जाते हैं और पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। मुझे पता लगा है कि जल निगम के अधिकारी/कर्मचारी पुराने पार्ट्स को रिपेयर कर दुबारा उन्हीं को लगा देते हैं, तो मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह उस पर विशेष ध्यान दें और निश्चित रूप से वहां की जनता को पीने के पानी की जो कठिनाई हो रही है, वह दूर हो सके।

श्रीमन्, आज सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। शासन द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु धन दिया जाता है। हमारे नगर क्षेत्र में हमेशा बाढ़ आ जाने से सारे रास्ते डूब जाते हैं, इसलिए मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि वहां पर सड़कों के निर्माण हेतु ज्यादा धन दिया जाये ताकि सड़कों का रख-रखाव ठीक ढंग से किया जा सके और लोगों को चलने फिरने में असुविधा न हो।

श्रीमन्, हमारे यहां नगर का सौन्दर्यीकरण करने के लिए मैंने पिछले वर्ष एक प्रस्ताव रखा था। दरिया का पानी जो नलों द्वारा सड़क के दोनों किनारे जमा हो जाता है उसको झील के रोक में परिवर्तित करने के लिए मैंने कहा था। निश्चित रूप से यदि उसे झील का रूप दिया जाता तो जो लोगों का खाली वक्त होता है, उस वक्त वे लोग वहां पर बैठकर अपना समय पास कर लेते। आवास की सुविधा के लिए वहां पर आवास विकास की कालोनी की सुविधा दी गई लेकिन पता नहीं क्या बात है कि आज तक वहां पर आवास विकास की कालोनी नहीं बनाई जा सकी है। इसलिए माननीय मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि वहां पर आवास की सुविधा दी जाय और आवासीय कालोनी बनायी जाय।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, वहां पर जब भी सफाई की बात कहते हैं तो यह कहा जाता है कि हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है और न ही सफाई के संसाधन हैं, इसलिए मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि वहां पर सफाई की व्यवस्था हेतु ट्रैक्टर आदि सन्साधनों की व्यवस्था करने की कृपा करें ताकि सफाई का कार्य सुचारू रूप से हो सके।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री विश्वनाथ--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए मुझे जो अपने अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह नगर विकास का जो कार्यक्रम सरकार द्वारा चल रहा है, एक ऐसा कार्यक्रम है, हमको लगता है कि जनतंत्र के उन्मूलन के माध्यम से नगर विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नगर महापालिका, नगरपालिका और टाउन एरिया से जनतन्त्र समाप्त कर, सरकारी अधिकारी पंथ स्थापित किया गया है। मान्यवर, जनतांत्रिक संस्थाओं में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही शासन चलाया जाता है और उसके विकास के लक्ष्य निश्चित किये जाते हैं, किन्तु माननीय मंत्री जी ने और उनकी सरकार ने जनतंत्र की जो स्थापना की है, उससे लगता है कि जनतंत्र के यह दुश्मन हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय, नगर विकास किया है इन्होंने, इसमें दो राय नहीं, विकास को इनकी दो धारायें हैं, इससे स्पष्ट है कि इन्होंने जहां विश्व बैंक से पैसा लेकर पांच सितारा होटल का निर्माण किया है आठ मंजिले भवनों का निर्माण किया है, वहीं आजादी के इतने दिनों बाद भी आदमी को आदमी नहीं रहने दिया है, उनको मैली और गन्दगी में रहने के लिए मजबूर किया है। तो एक ओर ऊंची अट्टालिकायें पल रही हैं और ऐसी संस्कृति का निर्माण आप कर रहे हैं जो देश की सारी आमदनी को विलासिता पर व्यय कर रही है और दूसरी ओर एक वर्ग पल रहा है, भारी संख्या में पल रहा है, 80 फीसदी से ऊपर है, जिसका सांस लेना, दुर्गन्ध में जाना, मैले में जीना और गन्दा पानी पीने को मिला है, तो माननीय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विकास की इन धाराओं को क्या आप मोड़ेंगे और 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत लोगों को इन सुविधाओं को विलासिताओं को बन्द करेंगे।

माननीय, पेयजल की बात कही जा रही है। पेयजल तो सीधे-सीधे आपके बजट को पीने का, अधिकारियों की आमदनी का मद है, इसके सिवाय और कोई नहीं है एवं जनता में,

(इस समय 3 बजकर 23 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सच्चिदानन्द पीठासीन हुए।)

नागरिकों में एवं लोगों में इसका व्यय नहीं किया जाता।

मलिन बस्तियों के सुधार की बात आप कहते हैं। हम यह कहते हैं कि इस शब्द को क्यों अपने सीमित किया है, गन्दी बस्तियों सुधार की बात आप करते, तो अच्छी बात होती। लेकिन मलिन नाम लेकर अपने बचाव की कार्यवाही की है। आप कानपुर की महानगरी में मलिन बस्तियों का सुधार वहां करा रहे हैं जहां गरीब आदमी रहना न पसन्द करे, आप यह साबित कर दें कि यह गन्दे लोगों का निम्न वर्गीय लोगों का मुहल्ला है।

माननीय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों की जमीन जो आपने आवास-विकास योजना में ली है, उसको कम दाम दिया और जहां दूसरों को विला भवन बनाकर उसमें आपने अधिकतम दाम लिये। कृपया उन भवनों को देखें जो बने हुए हैं और उसमें सीमेन्ट की औसत को देखें तो पता चलता है और मुझे तो ऐसा लगता है बरसात के दिनों में जब यह मकान हर ओर से टपकते हैं, तो लगता है कि उसमें रहने वाले लोगों की जिन्दगी हर समय खतरे में है।

माननीय, जिस स्थान से मैं चुनकर आया हूं, वहां पर जैन और बुद्ध धर्म के लोग आते हैं हजारों की संख्या में जहां पर महावीर स्वामी निर्वाण प्राप्त किये हैं वह पुराना स्थान है और आप नये नगर बसा रहे हैं, इस ओर मुझे यह कहना है आप उसे टाउन एरिया कर दें और उसका विकास कर दें इससे आपका नाम भी होता और आने वाले विदेशी आपका गुणगान करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए माननीय मंत्री जी आप अपने इस प्रस्ताव को वापस लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मीर मजहर अली—

माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस नगर विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस बजट का जो माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध। माननीय, हमारे यहां दो किस्म की नगरपालिकाओं का सुपरसेशन हुआ है, एक तो वह नगरपालिकायें हैं, जो किसी गलती की वजह से सजाअत सुपरसीड की गयी थीं और दूसरी वह हैं जो जनरल सुपरसेशन में आयीं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो नगरपालिकाएं सजाअत सुपर-सीड की गयी थीं, उनकी आज हालत

आप देखें कि उनकी हालत सुपरसेशन के वक्त ठीक थी या आज ठीक है और असेट्स व लाईबिलिटीज की स्थिति उस समय की व आज की देखें और अगर आज उनकी हालत अच्छी है तो कोई बात नहीं और अगर ऐसा नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी और उसकी सजा किसको मिलेगी ?

दूसरी बात मैं सरकार की तवज्जह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों से हमारे यहां सड़कों के लिए अनुदान नहीं दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने अनुदान का मिसयूज किया था, लेकिन उनकी इस गलती पर गरीब जनता आज वहां की सजा भुगत रही है टूटी-फूटी सड़कों पर चल कर। वहां के जो जिम्मेदार हैं, आफिसर इन्चार्ज, इक्जीक्यूटिव आफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर इनकी गल्तियों की सजा को वहां की गरीब जनता भुगत रही है, जबकि इसकी सजा वहां के कर्मचारियों/अधिकारियों को मिलनी चाहिए। इसलिए इस ओर मैं सरकार की तवज्जह दिलाना चाहूंगा कि जिन नगरपालिकाओं की मिसयूज की वजह से अनुदान नहीं दिया जा रहा था, बन्द कर दिया गया था, उनको अनुदान दिया जाए लेकिन कार्य नगरपालिकाओं से न कराकर पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा करवाया जाए और टूटी-फूटी सड़कें बनवाई जायं जिससे वहां की जनता को राहत मिल सके और तमाम परेशानियों से वह बच सके।

साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा जिन नगरपालिकाओं की हालत बहुत खराब है और वहां के कर्मचारी/अधिकारी व एडमिनिस्ट्रेटर साहबान नगरपालिकाओं की जायदाद को नाजायज तौर पर बेच रहे हैं या अपने रिश्तेदारों को लीज पर दे रहे हैं, ऐसे मामलों की जांच करायी जाय और जो भी इसमें दोषी पाये जायं, उनको सजा दी जाए अगर इसी तरह की कार्यवाही चुने हुए लोग करते तो उनको सजाअन सुपरसीड किया जाता और यहां तक हो सकता है कि उनको जेल भी जाना पड़ता। लेकिन आज अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है जो लाखों और करोड़ों रु० की जायदाद को मिसयूज कर रहे हैं। मेरी अपनी नगरपालिका सहसगांव में ऐसे ही सारी जायदाद और प्राप्टी खत्म कर दी गयी है।

मेरी राय है कि सरकार इसकी जांच कराये और जितनी ऐसी बातें पायी जायं ो ऐसा काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध जो कि दोषी हैं, जांच करने के बाद उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय और उन्हें इसकी सजा दी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नगर विकास एवं ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए मौका दिया। माननीय, यह एक बड़ी विडम्बना है कि 37 वर्ष आजादी प्राप्त होने के बाद भी आज तक हम पेयजल जैसी समस्या का समाधान नहीं कर पाये हैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कल लखनऊ जैसे शहर जो कि प्रदेश का मुख्यालय भी है, में महिलाओं का प्रदर्शन, पेयजल की कठिनाई को देखते हुए घड़ा फोड़ प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी।

माननीय, पेय जल के सम्बन्ध में पर्वतीय क्षेत्र की समस्या के बारे में बार-बार इसी सदन में कहा जा चुका है। सन् 1972 में समस्याग्रस्त ग्रामों का सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में आपने एक सर्वेक्षण कराया जिसमें 7771 गांव उन्होंने अभावग्रस्त पाये। 1982-83 तक 5,600 गांवों में पेय जल उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में एक जनपद 600 गांवों को

पानी अभी तक दिया जा चुका है। मेरे पास जल संस्थान के आंकड़े हैं। जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि 403 गांव ऐसे हैं जिन्हें पेय जल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है क्योंकि उनके पास रख-रखाव के लिये धन का अभाव है। जल संस्थान को पिछले वर्ष धन आवंटित किया गया था उसमें गढ़वाल जल संस्थान के, जनरल मैनेजर व अध्यक्ष जो कमिश्नर होता है, उसने कुल धन के पाइप खरीद लिए। यद्यपि पाइप खरीदना उनका काम नहीं है क्योंकि केवल कमीशन पाने की वजह से उन्होंने पाइप खरीद लिये जबकि सारी योजना का निर्माण जल निगम करता है। इस तरह से भारी संकट पर्वतीय क्षेत्र में उत्पन्न हो गया है।

आपने 5,652 समस्याग्रस्त ग्रामों में पानी देने की बात कही है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसका 1/4 गांवों में आप पेय जल उपलब्ध नहीं करा सके हैं। इसका एक ही कारण है कि आपने इसके लिये जिम्मेदारी दो संस्थाओं को कर दी है। एक जल संस्थान और दूसरा जल निगम। यह दो अलग-अलग विभाग हो गये हैं जिनमें कोई सामंजस्य नहीं है। एक बार घोषणा हो चुकी है कि जल संस्थान और जल निगम का एकीकरण कर दिया गया है, इसका शासनादेश भी जारी हो गया था लेकिन आपके जल निगम के इंजीनियरों ने लाखों रुपए की घूस यहां सचिवों को दे दी और यह मामला जैसे का तैसा ही लटका रह गया। कैबिनेट में भी यह तय हो गया था दोनों विभागों का पर्वतीय जल परिषद बनाया जायेगा और पर्वतीय क्षेत्र में इसी के द्वारा तथा अन्य क्षेत्रों में उसी पेय जल के कार्य होंगे परन्तु वह नहीं हो सका और लटक गया।

आपने जल निगम के 11 डिवीजन खोल दिये हैं लेकिन आज भी हालत जैसी की तैसी है। इस तरह से जल संस्थान को जितनी योजना जल निगम द्वारा हैन्ड ओवर होती है और जितना सामान इस स्कीम के अगेन्सट खरीदा जाता है जीपें इत्यादि, वह उनको नहीं मिल पाती हैं, न कोई मैटीरियल ही मिल पाता है स्थानान्तरण के समय जल निगम द्वारा डिफेक्टिव स्कीम भी जबरदस्ती उनको हैण्ड ओवर करायी जाती हैं।

पौड़ी मुख्यालय की पेयजल योजना में वहां के समीपवर्ती गांवों के लिय पेयजल योजना स्वीकृत की गयी परन्तु हकीकत यह है कि एक भी गांव को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है। जितना सामान इनके लिये खरीदा गया है उसका कुछ पता नहीं। जल संस्थान के पास पूरे जनपद के लिये केवल एक जीप है जिसके कारण उसका काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है।

जल निगम की आज जितनी योजनाएं बन रही हैं, उन पर उच्च अधिकारियों की देख-रेख नहीं है द्वारिका खाल विकास खंड में रिक पेयजल योजना का मैंने निरीक्षण स्वयं किया। बी0 एफ0 जी0 में बहुत पैसा लगा है मैंने स्वयं निरीक्षण किया कि बी0 एफ0 जी0 नहीं बनी और इनमें धन का व्यय दिखाया गया है। सम्बन्धित लोगों ने बताया कि इससे सम्बन्धित जे0 ई0 का स्थानान्तरण हो गया फिर भी जे0 ई0 को एक माह की छुट्टी लेकर आना पड़ा उन्होंने बी0 एफ0 जी0 को बनाया। इस तरह से कोई भी अधिकारी अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है मंत्री जी, आपके विभाग द्वारा सीवरेज कार्य किया जाता है लेकिन आज पौड़ी मण्डल का मुख्यालय व गोपेश्वर चमोली का मुख्यालय होने पर भी इससे वंचित हैं, कृपया इन शहरों में सीवरेज योजनाएं लागू करें गोपेश्वर जो कि चमोली जिले का मुख्यालय है इसके लिये उन्होंने कोई स्कीम नहीं बनाई इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा।

इसी तरह से आवास-विकास योजना के अन्तर्गत कोटद्वार में सिंचित कृषि

योग्य भूमि को आप अधिगृहीत करने जा रहे हैं इसका आप रोकें और जो जमीन कृषि योग्य नहीं है उस पर योजना बनाएं । इस प्रकार लीची के बाग, तथा बासमती की देहरादून में जहां खेती होती है, उस भूमि को आप अधिग्रहीत करने जा रहे हैं । आप आवास विकास के लिये बंजर भूमि का अधिग्रहण करें और उपजाऊ भूमि को आप न लें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

अध्यक्षजी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नगर विकास के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया जो भाई कटौती का प्रस्ताव लाये हैं, माननीय सदस्य ने अच्छा ही किया जो बजट का समर्थन नहीं किया और कटौती का प्रस्ताव लाये क्योंकि :

तूने अच्छा किया ऐ दोस्त
समर्थन न किया
मुझको लगजिश की जरुरत थी
संभलने के लिये
रास्ता रोकने वालों
तुम्हें मालूम नहीं
तुमने पैगाम दिया है,
मुझे चलने के लिये ।

इसी सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए अपनी बात प्रारम्भ कर रहा हूं और नगर पालिका विभाग पर अपने बिचार प्रकट कर रहा हूं ।

लखनऊ में नगर महापालिका का दफ्तर जहां पर है प्रदेश की कैपिटल में वहां नगर महापालिका के बिलकुल सामने और सी ब्लाक के सामने जहां "दुर्गामां" होटल के पास सड़क पर कूड़ा-करकट का ढेर पड़ा रहता है, उधर से ही विधायकों के के आवागमन के लिये सी ब्लाक का रास्ता गया है और वहां पर सांड़ों आदि के अतिरिक्त सुअर ही सुअर घूमते नजर आते हैं । आपने मांगों के कुछ क्लास डिवाइड किये हैं जैसे एन0 एच0 1 और एन0 एच0 2 तो इटावा जिले से एम0 एच0 2 मिला हुआ है । और एन0 एच0 टू वहां से गुजरता है, इसी तरह मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि इस कूड़े और गन्दगी वाले मार्ग को एक नाम दिया है इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि इसका नाम एन0 एच0 3 रख दिया जाये, जो साइंस के विद्यार्थी हैं, वह इससे अमोनिया गैस से इसका अर्थ लगा ले और दूसरे राष्ट्रीय मार्ग नं0 3 से भी इसका अर्थ हो सकता है । जुकाम चाहे जितना हो, अमोनिया गैस के सूंघने से वह ठीक हो जाता है । उसी प्रकार से जो व्यक्ति जुकाम से पीड़ित हैं, वह अगर इस रास्ते से निकल जाये तो उनका जुकाम ठीक हो जायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दुर्गामां होटल के पास जो गन्दगी हैं, उसको दूर करें, जो सड़ान्ध है, उसको समाप्त करें और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी में और विधायक निवास के समक्ष गन्दगी का अड्डा है, वह न रहे ।

इसी तरह से श्रीमन्, लखनऊ महानगरी में गोमती नगर योजना का बड़े जोर शोर से चर्चा हो रही है और इस योजना में लाखों लोगों ने मकानों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हैं और करोड़ों रुपया रजिस्ट्रेशन का जमा हुआ है । मुझे आशा है कि जिस अपेक्षा के साथ इसका निर्माण कार्य प्रस्तावित है, वह बनी रहे और हमारी महानगरी और उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम नीचा न हो । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो योजना भवन बन रहा है, 24 सरोजनी नायडू मार्ग के सामने इसके कारण यहां की बस्ती के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है । मेरी जानकारी में यह भी आया है कि इस को केवल 4 मंजिल तक बनने की मंजूरी दी गयी थी, परन्तु यह 8 मंजिली इमारत बन रही है ।

और जिसके कारण निकटवर्ती क्षेत्र को पानी और बिजली का बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। कृपया आप इसको गम्भीरता से लें और आप इसको देखें कि यह 4 मंजिल के स्थान पर 8 मंजिल कैसे बन गया और मुझे नहीं मालूम कि 8 मंजिला ही रहेगा या और भी बनाया जायेगा।

मान्यवर, अब मैं टाउन एरियाज के बारे में कहना चाहता हूं इनको सुपरसीड कर दिया गया है, उनका निर्वाचन आपने नहीं कराया है, यही कारण है कि पहले तो टाउन एरियाज को पैसा नहीं मिलता है और दूसरे जो पैसा मिलता है उसके अधिकारी उसका दुरूपयोग कर रहे हैं और जिस आशा से टाउन एरियाज को पैसा दिया जाता है, वह उसमें खर्च नहीं होता है और जो टाउन एरियाज का विकास होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाउन एरियाज के पास अपनी इनकम का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। पहले इनको बैरियर लगाने का अधिकार था उससे इनको आमदनी हो जाती थी। मैं इसी सन्दर्भ में अपने क्षेत्र अटस और बाबतपुर अजोतमल, जिला इटावा की टाउन एरिया की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, कि जितना पैसा अनुदान के रूप में टाउन एरिया को दिया जाना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण दोनों ही टाउन एरिया का विकास नहीं हो पा रहा है। मैं देखता हूं कि जनता की इच्छा पर इन को टाउन एरिया बनाया गया था, परन्तु इनका विकास नहीं हो पा रहा है, अगर यह ग्राम सभायें ही रहतीं तो इससे अधिक विकास हो जाता। होता यह है कि जो योजना ग्राम सभा के लिए आती है, वह इन पर लागू नहीं हो पाती है क्योंकि वह योजना टाउन एरियाज पर लागू नहीं होती है।

अब मैं विधायक आवास समिति के बारे में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, इसका इस में उल्लेख किया गया है इसने दो स्थानों का चयन भी कर लिया है इस समिति की जो बैठक हुई थी उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपको अधिकृत किया था कि इसको एक्जोक्यूट करावे माननीय वित्त मंत्री जी से मेरी स्वयं बात हुई थी, वह सहमत हैं यद्यपि कि इस मद में कोई धनराशि का प्राविधान नहीं किया गया है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सहकारी आवास समिति है उसके लिए 12 करोड़ रुपये का प्राविधान है, उसमें से इस समिति के लिए धन का प्राविधान कर दिया जाये, जिससे माननीय सदस्यों को आवास का प्रबन्ध किया जा सके। इसके साथ ही आपकी जो 'हनुमान सेतु और निशात गंज पुल के बीच में गोमती नदी के सौन्दर्यीकरण की योजना स्वीकृत है उसका निर्माण करा दें। मुझे आशा है कि इसको आप उपयोगी बनावेंगे।

अब मैं मान्यवर, जल निगम के बारे में कहना चाहता हूं। आपने घोषणा की है कि 1990 तक आप 100 प्रतिशत गावों को पानी की सुविधा प्रदान कर देंगे, मुझे आशा है कि आप पानी के संकट को दूर कर देंगे, इसी सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा—

यह एक अब्र का टुकड़ा
कहां-कहां बरसे
तमाम दश्त ही प्यासा
दिखायी देता है।

मान्यवर, समस्या गम्भीर है, लेकिन जो आपके पास सीमित साधन हैं, उनको देखते हुए आप प्रयास करें और पानी की आवश्यकता को पूरा करें अब मैं आरक्षण के बारे में कहना चाहता हूं, आपके विभाग में आरक्षण पूरा नहीं है, आप को इसे पूरा कर के 18 प्रतिशत अवश्य कर देना चाहिए। ताकि ग्रामीण जनता यह न कह सके कि—

दरिया को अपनी मौज का
तुगियानियों से काम
किश्ती किसी की पार हो
या बर मियां रहे।

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

[समय 3 बजकर 43 मिनट]

*श्री बदन सिंह---

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं आगरा जनपद से आता हूं । मान्यवर, आगरा में पेय जल की बड़ी भारी समस्या है । कुछ सदस्यों ने आगरे की पेय जल के बारे में कहा है और आपने नगर विकास मंत्री जी को निर्देशित किया था कि आगरे के विधायकों को बुलाकर आगरे की समस्या पर विचार करें और उनके सुझावों को लेकर उन समस्याओं को हल किया जाये, लेकिन मैं खेद प्रकट करता हूं कि आगरे के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और जितना मिल रहा है वह गन्दगी मिला हुआ मिल रहा है । जिससे विभिन्न प्रकार के रोग फैलने की आशंकायें पैदा हो गई हैं । मान्यवर, आगरे के पेयजल की व्यवस्था बहुत खराब है और इस समस्या को हल करने के लिये अगर प्रयास किया जाय तो वह समस्या हल हो सकती है । वहां पर कुछ समय पहले इस समस्या को ध्यान में रखते हुए नगर महापालिका द्वारा हैंड पम्प लगाये गये थे लेकिन मंत्री जी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आगरे में जहां-जहां हैंड पम्प लगाये गये, वे आज खराब पड़े हुए हैं, कोई हल इस दिशा में नहीं हो रहा है । यदि इनको सुधरवा दिया जाय तो पीने के पानी की व्यवस्था वहां पर हो जायेगी और समस्या भी हल हो सकती है । आगरा नगर महापालिका के जितने भी कुयें हैं, उन सबका अतिक्रमण कर लिया गया है और सबको पाट दिया गया है । यदि उनकी गन्दगी को निकाल दिया जाय और उनमें इंजन लगा दिया जाय तो पेयजल की समस्या नहीं हो सकती है ।

आगरे की पेयजल की समस्या यमुना में जल कम होने के कारण भयंकर हो गई है । यमुना का जल इतना कम रह गया है कि वह आगरे की पेयजल की आवश्यकता की आपूर्ति नहीं कर सकता है । गत वर्षा से यमुना के पानी की कमी को कीटमझील से पानी लेकर पूरा किया जाता था, इस कीटमझील को सूर सरोवर भी कहते हैं । यह 9 किलोमीटर की परिधि में बना हुआ है जो कि यमुना के पानी की कमी को बहुत अंश तक पूरा कर देता था लेकिन दुर्भाग्य से मत्स्य विभाग की उपेक्षा और भ्रष्टाचार की नीति के कारण यह झील जलकुम्भी नमक खरपतवार से अटी पड़ी है । जिसमें जलकुंभी स्वयं सड़ रही है । इससे जल भरान की क्षमता पहले की अपेक्षा कम तो हुई है लेकिन इसके साथ ही साथ उसका पानी गन्दा और पेय योग्य नहीं रह गया है ।

मान्यवर, इस पेयजल समस्या के साथ-साथ वहां पर जल भराव की समस्या भी विकराल रूप धारण कर लेती है । वर्षा ऋतु में नगर महापालिका के सामने से निकलना दूभर हो जाता है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति उन दिनों वहां से नहीं निकल सकता है । 4-4 और 5-5 फिट तक पानी वहां पर भर जाता है । रामनगर जैसी बस्तियां वहां पर हैं, जहां 5-6 फिट तक पानी भरा रहता है । उस पानी को निकासी के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । मान्यवर, आगरा एक ऐतिहासिक नगर है । भारत की धरती पर कोई भी विदेशी पैर रखेगा तो उसके सामने गन्दगी का भयंकर रूप देखने को मिलेगा । जो विदेशी लोग अपनी गाड़ी में आगरा जाते हैं, उनकी गाड़ियां घन्टों तक रुकी रहती है । शाहगंज का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक मुहल्ला है जहां पर घंटों तक गाड़ियां पास नहीं हो सकती हैं और सड़कों पर से निकलने की जगह नहीं रह जाती है। फतेहपुर सीकरी से जब वहां आते हैं तो घंटों तक उनकी गाड़ियां पास नहीं हो सकती हैं। ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसी तरह से आगरे के बिजली घर के पास जो बस अड्डा है यदि आप उसे देखेंगे तो वहां पर घंटों तक सवारियां खड़ी रहती हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं कि वहां पर उस बस अड्डे को उखड़वा दें ताकि लोगों को आने जाने के लिये रास्ता सुलभ हो सके।

इसके साथ ही साथ मैं फतेहपुर सीकरी नगरपालिका क्षेत्र में जो पेयजल की समस्या है, उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहाड़ पर बसी हुई बस्तियां जैसे शिवपुरी, नयाबास आदि ऐसे मुहल्ले वहां पर हैं, जहां 6-6 महीने तक महिलाओं को नहाने के लिये पानी नहीं मिलता है और 15-15 दिन तक पानी पीने के लिये नहीं मिल पाता है। अछनेरा की नगरपालिका में जलोत्सारण योजना है जिसको 27 लाख रुपया खर्च कर के चालू किया गया था। लेकिन इसकी सीवर लाइनें सब जगह से रुकी पड़ी हुई हैं और गन्दे पानी की निकासी की क्षमता उनमें नहीं है। और अछोरा का गन्दा पानी बाहर नहीं निकल पाता है। इस तरह से मान्यवर, आगरा जनपद को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। आगरा इतना बड़ा पर्यटक स्थान है जहां पर देशी और विदेशी पर्यटक जाता है और वहां का बुरा नक्शा लेकर जाता है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और मेरे सुझावों पर अमल करेंगे। तभी वहां की यह समस्या हल हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बिहारी लाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नगर विकास मंत्री जी के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं दो चार सुझाव देना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पर गौर से विचार करें। अधिष्ठाता महोदय, 1977 में जनता सरकार आई और उसने ऐसा पेड़ बोकर छोड़ दिया कि सारे जिला परिषदों को और सारी नगरपालिकाओं को भंग करके पी० सी० एस० और आई० ए० एस० को प्रशासक बना दिया। तो जो दोष आज इन नगरपालिकाओं और जिला परिषदों में आया है यह इनकी देन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि नगरपालिकाओं को बचाना है तो जनप्रतिनिधियों को इन संस्थाओं को सौंपा जाय। आज समस्त उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओं के पास अपने कर्मचारियों को तनखाह देने के लिए भी पैसा नहीं है। जब जनप्रतिनिधि उसमें थे तो उनके पास काफी पैसा था।

आज इन नगरपालिकाओं के अन्दर 1977 से 1984 तक इतने इनक्रोचमेंट हुए हैं कि लोगों को चलने के लिए जगह नहीं रह गयी है। मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रशासक सरकार की तरफ से रखे गये हैं, उनके कार्यों की जांच हो कि कितने इनक्रोचमेंट उन्होंने नगरपालिकाओं में कराये।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि नैनीताल नगरपालिका या उत्तर प्रदेश की जितनी भी नगरपालिकायें हैं, उनकी जो चुंगियां हैं उनसे लाखों की आमदनी होती थी।

श्री अधिष्ठाता--

आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री बिहारी लाल--

इन नगरपालिकाओं को जनप्रतिनिधियों को दिया जाय और इनकी चुंगियों की नीलामी हो। इनमें जो छोटा झपट्टा अधिकारियों और कर्म-

चारियों में होता है, उससे बचा जा सकेगा अगर जनप्रतिनिधियों को इनका शासन दिया गया ।

मैं अपने क्षेत्र खटीमा और टनकपुर के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं । टनकपुर एक छोटी नगरपालिका है, उसको अप इतना कम धन देते हैं कि उससे नालियां भी साफ नहीं हो सकती हैं । यह अनुसूचित और जनजाति और थारू लोगों का क्षेत्र है । इसके लिए मैंने आपको लिख कर भी दिया । माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि टनकपुर और खटीमा को विशेष रुपया देने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री लल्लू सिंह चौहान—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नगर विकास के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मंत्री जी से मैनपुरी जनपद के बारे में कुछ कहना चाहता हू और विशेषरूप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैनपुरी जनपद में तीन नगरपालिकायें हैं—मैनपुरी, शिकोहाबाद और सिरसागंज यह तीनों बड़ी कंजेस्टेड हैं । यहां आवास के लिए जमीनों का रेट 30 रु0 से 50 रुपये फीट तक है । यह जमीन सस्ती हो सकती हैं अगर नगरपालिकाओं की सीमाओं में बढ़ोत्तरी कर दी जाय । सिरसागंज का दुर्भाग्य यह रहा है कि सिरसाखास जो आज से 50–60 साल पहले एक गांव था जिसकी आबादी 3 हजार थी, जो हाटगंज कहलाता था। आज वह अट्टालिकाओं से परिपूर्ण हो गया है और आज वह सिरसागंज हो गया है लेकिन सिरसाखास अंधकार में डूबा हुआ है वह सिरसागंज से केवल दो फर्लांग दूर है । अगर सिरसागंज के निकटवर्ती गांवों को सिरसागंज नगर पालिका में शामिल कर लिया जाय तो वहां की समस्या का हल हो सकता है और नागरीय सुविधायें वहां के रहने वाले प्राप्त कर सकते हैं । माननीय मंत्री जो नगर विकास मंत्री जी के साथ–साथ ग्राम्य विकास मंत्री भी हैं इसलिए उनको यह सुविधायें प्रदान करने की कृपा करेंगे ।

हमारे यहां एक टाउन एरिया धिरोर है जो माननीय मंत्री जी की कृपा से बना है लेकिन वहां पर पेय जल की बड़ी समस्या है । यहां पर 10 धान मिलें हैं और 2 कोल्ड स्टोरेज हैं और यह जिले की सबसे बड़ी मंडी है लेकिन पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है जो तत्काल की जानी चाहिये ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । मैनपुरी नगर के लिए आवास विकास कालोनी प्रस्तावित है जो राधारमण रोड पर बनाई जा रही है । राधारमण रोड बहुत कंजेस्टेड रोड है, यह मैनपुरी से डेढ़ दो कि0 मी0 दूर है, जिस पर स्टे चल रहा है । मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि इसे आगरा रोड पर या ज्योती रोड पर ले जाय जाय तो अच्छा रहेगा । यहां पर ऊसर और बंजर जमीन पड़ी हुई है, उस पर यह कालोनी बनाई जायेगी तो इससे मैनपुरी का विकास भी होगा और जो राधारमण रोड में कीमती और उपजाऊ जमीन है, उसे भी बचाया जा सकेगा ।

(लाल बत्ती होने पर)

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं । मैनपुरी नगर की जो तात्कालिक समस्या है, वह यह है कि वहां पर कोई सार्वजनिक पार्क नहीं है । वहां पर पब्लिक मीटिंग के लिए कोई गुंजायश नहीं है, कोई जन समारोह वहां नहीं हो सकता है । वहा मोतीगंज में जगह खाली पड़ी है, उसमें एक पब्लिक पार्क बना दिया जाय तो यहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर जन समारोह हो सकते हैं और वह मैनपुरी के सेंटर में भी है। मैं माननीय मन्त्री जी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इसे नोट कर लें और यह उनका कार्यक्षेत्र भी है, इसलिए इसके पूरे विकास के लिए कोशिश करें।

श्री रामयश सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट का समर्थन करने तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने का अवसर दिया है। माननीय नगर विकास मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, वह लोगों को आवास की सुविधायें देने वाला और नगरपालिकाओं की स्थिति को सुधारने वाला बजट है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए और नगरपालिका के कर्मचारियों को बोनस और पेंशन तथा सामाजिक बीमा योजना चालू करने का जो निर्णय लिया है वह वास्तव में प्रशंसनीय कदम है। मैं मंत्री जी को इस बात की भी बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा और आवास-विकास परिषद् द्वारा बनाये गये मकानों को 75 प्रतिशत कमजोर वर्गों को देने की व्यवस्था की है।

मान्यवर, सरकार ने नगरपालिका के प्रशासन को चुस्त करने के लिये कुछ और पदों का केन्द्रीयकरण किया है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि लिपिक वर्ग की सेवाओं का भी केन्द्रीयकरण कर दिया जाये चूंकि लोकल लिपिक वहां एक-एक जगहों पर 15-15 वर्षों से काम कर रहे हैं और शासन के आदेश के बावजूद भी वह नहीं हटाये जाते हैं और बिना काम किये, उनको पैसा दिया जाता है, इसलिये इस पोस्ट का केन्द्रीयकरण किया जाये।

मान्यवर, समय-समय पर नगरपालिका के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी होती रहती है, इससे नगरपालिका की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसके लिये एक रिजर्व फंड बनाया जाये या सब्सिडी जो 22 प्रतिशत दी जाती है उसको 40 प्रतिशत कर दिया जाये या सड़क अनुदान जो 25 प्रतिशत नगरपालिका अपना शेअर लगाती है उसको घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाये।

मान्यवर, हरिद्वार नगर जो गंगा तट पर बसा है, गंगा में हर-की-पौड़ी पर गंगा में तीन स्थानों से गंदे नालों की निकासी होती है। गंगा धार्मिक भावना से जुड़ी है। नगरपालिका के पास इतना फंड नहीं है कि वह उसकी व्यवस्था कर सके, इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह गंदे नालों की निकासी हर की-पौड़ी में न होकर दूसरी तरफ निकलने की व्यवस्था करायें ताकि गंगा के पवित्र जल की महत्ता बनी रहे।

मान्यवर, हरिद्वार के अन्दर मास्टर प्लान लागू किया गया है, इसके पहले भी जनता पार्टी के शासन में लागू किया गया था, लेकिन बाद में समाप्त कर दिया गया। मान्यवर, हरिद्वार के एक तरफ गंगा है और दूसरी तरफ पहाड़ी है, बीच में हरिद्वार बसा है, जहां छोटे-छोटे मजदूरों के प्लट हैं। यह मास्टर प्लान लागू करने से मजदूरों को मकान बनाने में असुविधा होती है, इसलिये निवेदन है कि मास्टर प्लान की योजना समाप्त की जाये।

मान्यवर, हरिद्वार अन्तर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थान होने के कारण वहां सड़कों के निर्माण और शहर की सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हरिद्वार में स्पेशल अनुदान देकर सड़कों का निर्माण कराया जाये, प्रकाश की व्यवस्था की जाये, गलियों और नालों की सफाई की जाये,

इसके साथ ही वहां एक स्टेडियम भी बनाया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री राम स्वरूप निम—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने अपने भाषण में हरिजनों के लिये बड़ी हमदर्दी दिखाई और मंत्री जी के यहां एक भूप सिंह, आई० ए० एस० अधिकारी थे, जो बरेली में तैनात थे और बरेली में उनकी मृत्यु हुई किन्तु आज तक उनके बच्चे को नौकरी नहीं दे पाये हैं।

मान्यवर, पेयजल की बात चल रही है तो कहना चाहता हूं कि मान्यवर, आज 'दैनिक जागरण,' लखनऊ, में समाचार छपा है कि लखनऊ में महिलाओं ने घड़े फोड़कर प्रदर्शन किया और इस विभाग के अधिकारियों की भर्त्सना की है कि जनता एक-एक घूंट पानी के लिये तरस रही है और पानी नहीं मिल रहा है। तो जहां मंत्री और अधिकारी बैठते हैं, जहां सब चीजें हैं, वहां पानी के लिये औरतें घड़े फोड़कर प्रदर्शन कर रही हैं और कह रही हैं कि सरकार कितनी निकम्मी हो गयी है।

मान्यवर, इस तरह से जो आवास विकास योजना है, मैंने सन् 1982 में एक मकान के लिए 500 रुपया जमा किया था और उसमें यह लिखा गया था कि प्राथमिकता के आधार पर विधायक को मकान दिये जायेंगे। सहारनपुर में 3 एलाट हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमारा नम्बर नहीं है। पता नहीं मिलेगा भी या नहीं। 10 हजार वाली जो हैं, उसके बारे में मंत्री जी जानें, वह भी मिलेगा या नहीं।

मैं सहारनपुर की एक और विचित्र स्थिति बता रहा हूं, वहां के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने, जो जमीन अधिग्रहण की जा चुकी थी, उसे ऊंचे कालोनाइजर से मिलकर वापस कर दिया और कह दिया कि यह जमीन उपयुक्त नहीं है, यहां पर पानी भर जाता है, बिजली के तार नीचे हैं और जमीन अच्छी नहीं है। बाद में 2 हजार रुपया देकर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उसे अपने नाम करा लिया उसमें प्लाट कट चुके हैं, सारी कालोनी बन गयी है। मन्त्री जी हर जिले में आपकी डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी बनी हुई हैं, इसमें हर विभाग आता है, पर आवास विभाग के अधिकारी नहीं आते, वह उसमें आ जांय तो उनके लेखा-जोखा का पता चल जाएगा कि कितने मकान उन्होंने बनाए हैं और क्या उनकी प्लानिंग है और क्या वह करने जा रहे हैं, जिससे विधायकों और अन्य विभागों को उसकी जानकारी रहे। म्यूनिस्पल बोर्ड में जो सीलिंग की व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत सिटी मैजिस्ट्रेट से नक्शा पास करके मकान बनाने की इजाजत दे देते हैं। म्युनिस्पिलटी उसमें कुछ कर नहीं पाती है। तीनों का उसमें कोई तालमेल नहीं है। इस तरह शहरी जमीन आज हड़पी जा रही है। जैसे उन्होंने कई करोड़ जमीन का ब्यौरा बताया और बताया कि आधे से कम जमीन पर हमारा आधिपत्य हो पाया है। यही स्थिति रही तो सीलिंग की एक इंच जमीन भी आपको मिलने वाली नहीं है।

हमारे यहां कई नामी लाला लोग हैं, जिनकी कई सौ एकड़ जमीन को एस० एस० पी०, आर० के० पंडित ने अपने हिस्से में ले लिया। जब इसकी कम्पलेंट की गयी तो पंडित जी ने कहा यह जमीन सीलिंग की नहीं है, लाला जी की है। आज वहां पर इससे हालत यह हो गई है कि हर जगह

*वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर जमीन का भारी घोटाला हो रहा है, यहां तक कि हरिजन छात्रावास के लिए भी यह सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है । तो यदि आप वास्तव में जमीन बचाना चाहते हैं तो

(व्यवधान)

इनमें आपस में तालमेल करके आप कुछ करें तभी कुछ हो सकता है । म्युनिसपल बोर्ड्स के बारे में आप खुद जानते हैं न वहां लाइट है, न सड़क है और न पानी उपलब्ध है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना स्थान ग्रहण करें, आपका समय समाप्त हो गया है ।

*श्री वृद्धि नारायण सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अपने अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं । मन्त्री जी द्वारा रखा जो बजट प्रस्ताव है, उसका मैं समर्थन करता हूं, समय कम है, इसलिए मैं आपसे बहुत थोड़े में निवेदन करूंगा । नगरपालिकाएं जो क्लास 2, 3 व 4 की हैं, जिस प्रकार से आवास विकास में सदस्यों को आपने नामजद किया है कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए, उसी प्रकार से उनमें और टाउन एरियाज में तथा नगरपालिकाओं में जहां प्रशासक नियुक्त हैं, फिलहाल जब तक क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो जाता है, आप जन प्रतिनिधियों और अन्य योग्य व्यक्तियों को उनमें नामजद कर दें, ताकि वहां का कार्य सुचारु रूप से चल सके । आज स्थिति यह है कि कोई कार्य हो ही नहीं पा रहा है । अधिकारी अपनी इच्छानुसार काम कर रहे हैं । जन प्रतिनिधियों को, चाहे वे विधान सभा के सदस्य हों अथवा लोक सभा के सदस्य हों, यहां तक पता नहीं चल पाता कि उनकी योजनायें क्या हैं । कई बार हमने लिखा भी, फिर भी कुछ पता नहीं चला । आज जो हमारे नवजवान मंत्री जी हैं, वे इतने कुशल और निपुण मंत्री हैं, कि उनसे हमें पूर्ण आशा है इस विभाग में कुछ सुधार हो सकेगा और कोई प्रभावशाली कदम वे उठायेंगे ।

मैं कुछ सुझाव अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में देना चाहता हूं । बनारस जिले में ज्ञानपुर एक तहसील है । सन् 1972 में 98 प्रतिशत गांव वहां के अभावग्रस्त, पेय जल के लिए घोषित किये गए थे । आज भी वहां 200 गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है । मार्च के महीने में आज कल स्थिति यह है कि 90 प्रतिशत गांवों में पीने का पानी नहीं है । गत वर्ष टैंकरों से और प्राइवेट नलकूपों से तथा राजकीय नलकूपों से पानी दिया गया था । मई, जून में तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि लोग जानवरों की तरह गढ्ढों से पानी निकाल कर पीते हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी ज्ञानपुर तहसील में पीने के पानी की विशेष रूप से व्यवस्था कराने की कृपा करें । सन् 1972 से पहले जो हैंडपाइप लगे थ, उनका आज कोई पता तक नहीं है ।

मान्यवर, समस्त उत्तर प्रदेश में, जहां नगर पालिकाओं द्वारा चुंगी टैक्स न लगाने का एक सर्कुलर राज्य सरकार की ओर से जारी हुआ है, वहीं हमारे क्षेत्र की गोपीगंज टाउन एरिया द्वारा एक नया टैक्स लगाया गया है और वह आस-पास की नगर पालिकाओं से चौगुना अधिक है । मैंने इस बारे में एक आवेदन-पत्र भी माननीय मंत्री जी को दिया है । यह चौगुना टैक्स लगाने के कारण वहां पर मंडी में कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करने नहीं आता ।

हमारे यहां आवास विकास विभाग की भी एक योजना बनाई जा रही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे यहां केवल 10 हजार की ही आबादी है । वह एक छोटा कस्बा है । वहां इस योजना की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां के किसानों की उपजाऊ जमीन जब ले ली जायेगी तो उससे किसानों को परेशानी होगी । उनको नुकसान पहुंचेगा । उस योजना को निरस्त किया जाये ।

श्री जटा शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया । मैं माननीय सहाय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । जिन लोगों ने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है, उन्होंने तो विभाग की कमियों को रखा है, पर जिन्होंने कटौती प्रस्ताव का विरोध किया है, उनको निगाह में ऐसा लगता है कि उनको कोई कमियां दिखाई ही नहीं पड़ती । यही कारण है कि उन्होंने बजट का समर्थन किया है । मैंने सोचा था कि समय कुछ अधिक मिलेगा और विस्तार से सारी बातें कह सकूंगा, पर आज सत्ता पक्ष के वक्ताओं की हालत देख कर यह कहना पड़ता है--

"दिल खुश हुआ मस्जिदे बोराना देख कर,
मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है ।"

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में नानपारा एक नोटीफाइड एरिया है । वहां के कर्मचारियों को 18 माह से वेतन नहीं मिला है । मान्यवर, सड़क बनाने, प्रकाश की व्यवस्था करने की बात तो बहुत दूर है वहां के जो सफाई कर्मचारी हैं जो गरीब थे और जिनके पास दूसरे समय के भोजन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों को 18-18 महीने का वेतन नहीं मिला है । तो मान्यवर, यह दुर्भाग्य का विषय नहीं है तो और क्या है । मैं फिर कहता हूं कि कुछ कहना बेकार लगता है एक महीने या दो महीने की बात नहीं है बल्कि 18-18 महीनों को तनख्वाह नहीं दे पाये हैं, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है ? मान्यवर, होली और मुहर्रम जैसे जो प्रमुख पर्व आ होते हैं तो वहां की व्यवस्था ऐसी है कि पानी की पूर्ति नहीं कर पाते हैं वहां पर 12 बजे तक होली का रंग चलता है लेकिन अबकीबार बारह बजे तक नानपारा नगर में पानी की व्यवस्था नहीं की जा सकी है ।

दूसरी बात मान्यवर, नानपारा और मिहीपुरवा को नगर पालिका घोषित किए जाने की समस्त औपचारिकताओं के बावजूद मान्यवर, सन् 1981 से लगातार मैं इस माननीय सदन में यह निवेदन करता चला आ रहा हूं, पिछली बार मुझे आश्वासन मिला था जब आप मंत्री नहीं थे आपके पहले दूसरे मंत्री थे तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नानपारा को नगरपालिका घोषित शीघ्र ही कर दिया जायगा और मिहीपुरवा को टाउन एरिया घोषित कर दिया गया। मेरी निजी जानकारी है कि इस सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति की जा चुकी है और घोषणा के अनुकूल जनपद से संस्तुति भी आ चुकी है और शासन के स्तर पर विचाराधीन है । प्रश्नों के द्वारा भी यह बताया जा चुका है लेकिन मैं नहीं समझ पता कि अधिकारियों की मेजों पर चलती हुई वह फाइल घोषणा के रूप में क्यों नहीं परिवर्तित हो पा रही है मैं समझता हूं कि वह मंत्री जो विभाग के कार्यों में अपना लगाव नहीं रखते थे, उनके समय में यह घोषणा नहीं हो सकी तो मैं विश्वास करूंगा कि कर्मठ और ध्यान देकर काम करने वाले मंत्री माननीय बलराम सिंह यादव इस ओर विशेष ध्यान देकर नानपारा नोटीफाइड एरिया को नगर पालिका और मिहीपुरवा को टाउन एरिया शीघ्र घोषित करवायेंगे । और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अभी जब आप अपना उत्तर दें तो मैंने जो

विचार रखा है उसके बारे में अपनी बात कहें ।

मान्यवर, इसके अलावा नानपारा में एक चमारन टोला मुहल्ला है वहां पर समस्त हरिजन भाई रहते हैं । उस बस्ती के विद्युतीकरण का प्रयास 2-3 वर्षों से बराबर मेरे द्वारा हो रहा है । जब विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा जाता है तो वह कहते हैं कि नियमानुसार ग्रामीण हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो सकता है पर नगर की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण नहीं हो सकता । नोटीफाइड एरिया के पास बजट नहीं है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर विशेष ध्यान दें और चमारन टोला को इलेक्ट्रफाइड करावें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, बल देता हूं और आपको समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है । माननीय नगर विकास मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं और साथ ही साथ विरोधी पक्ष की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं विरोध करता हूं । मान्यवर, जहां तक नगर विकास का प्रश्न है तो माननीय मंत्री जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने ग्राम्य विकास मंत्री के रूप में देखा है और उनकी कार्य-प्रणाली को देखते हुए उन पर पूर्ण आस्था है कि हमारे नगरों का भी इसी प्रकार विकास होगा जिस प्रकार ग्रामों का विकास हुआ है । यह सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय मंत्री जी के अन्दर काम करने वाले राज्य मंत्री जी, जिनके साथ में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर चुका हूं, उनके साथ कार्य करने में आनंद आता है, लिहाजा उनके सहयोग से नगरों का और विकास हो सकेगा ।

मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि समस्यायें भी हैं और समस्यायें वहां पर रखी जाती हैं जहां पर आस्था होती है । मान्यवर, मैं गोंडा शहर से विधायक हूं और गोंडा नगरपालिका की अपनी समस्यायें हैं । उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है । 4 महीने हो गये हैं नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है । कई बार वहां हड़ताल हो चुकी है । इस सम्बन्ध में मैंने मंत्री जी से अनुरोध किया है और अनुदान देने की वह मौखिक स्वीकृति उन्होंने दे दी है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान शीघ्र अनुदान देने के लिए आकर्षित करना चाहूंगा ।

गोंडा नगरपालिका में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई । यहां की जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो गोंडा नगरपालिका के लिए अधिशासी अधिकारी तथा अल्पकालिक प्रभारी अधिकारी ही पर्याप्त हैं । 3 हजार रुपये महीने का वेतन देकर पूर्ण कालिक प्रभारी अधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं है । इसके पहले ए० डी० एम० अल्पकालिक प्रभारी अधिकारी के रूप में काम करते थे । पेयजल की समस्या के लिए हमारे उत्तर प्रदेश जल निगम ने काफी काम किये हैं । लेकिन अभी तक समस्यायें पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकी हैं । उत्तर प्रदेश जल निगम के माध्यम से 88·36 लाख रु० के पेयजल की योजना गोंडा जनपद के लिए दी गई, जिसमें यह नगर एवं ग्राम्य दोनों के लिए थी, परन्तु यह उतना सुचारु रूप से कार्य नहीं चल रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस समस्या की तरफ विशेष ध्यान दें । नर्सरी कल के लिए अगर हर नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका नर्सरी स्कूल की व्यवस्था कर दें तो सस्ते शुल्क पर बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सकती है ।

महानगरियों के मलिन बस्तियों के लिए सड़क और बिजली की व्यवस्था के

लिए कहा गया, लेकिन छोटी नगर-पालिकाओं में, मलिन बस्तियों में उनके लिए विशेष रूप से सड़क तथा विद्युत् एवं सफाई के लिए ध्यान दिया जाय, बल्कि यह कहा जाय कि प्राथमिकता पर ध्यान दिया जाय, तो अधिक उचित होगा । मैं पुनः इस बजट का समर्थन करते हुए आपका आभार प्रकट करता हूं ।

(श्री गोपी नाथ वर्मा का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री हरदेव--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, हमारी तरफ 300 से ज्यादा माननीय सदस्य हैं और विरोधी पक्ष में 100 से ज्यादा हैं और....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री हर देव---

[ × × × ]

श्री अधिष्ठाता---

माननीय हरदेव जी आप अव्यवस्था न पैदा करें ।

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । माननीय हरदेव जी कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

यह माननीय हरदेव जी जो कह रहे हैं, यह कुछ नहीं लिखा जायगा ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय हरिवंश सहाय जी के द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं दो-तीन बिन्दुओं पर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जैसी हमारे दो-तीन माननीय सदस्यों ने जानकारी दी, जब भी किसी विभाग का बजट प्रस्तुत होता है, उस समय हम माननीय सदस्यों द्वारा कुछ जानकारियां और राय दी जाती है, उस विभाग के माननीय मंत्री जी व उनके विभाग के अधिकारियों को जांच और उचित कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन जानकारी देने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है । इससे यह देखा जाता है सरकार उचित कार्यवाही करना चाहती ही नहीं ताकि बजट जो हमारा प्रस्तुत होता है, आप बहुमत के आधार पर पास कर लेते हैं और सदस्यों की राय या जानकारी के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं करते, जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा ।

मान्यवर, प्रदेश की नगरपालिका, टाउन एरिया और महापालिका को भंग करके आई० ए० एस०, पी० सी० एस० अधिकारी प्रशासक के रूप में बैठा रखे हैं । नगरपालिकाओं व टाउन एरिया, महापालिकाओं का सम्पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये लोग इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं रखते । मान्यवर, इनका चुनाव शीघ्र करा दें, वैसे तो टाउन एरिया, नगरपालिका और महापालिकाओं का चुनाव तो करा देना चाहिए था लेकिन आपकी कुछ कमजोरी थी, जिसके कारण आप चुनाव न करा सके । इस सम्बन्ध में मेरी राय है कि जब तक आप चुनाव न कर सकें, तब तक के लिए आप व्यवस्था के तौर पर विधायक व सांसद व प्रशासक की एक कमेटी बना दें, जिससे यह कमेटी निर्माण कार्यों व अन्य विकास कार्यों की रूप-रेखा तैयार करके कार्यवाही कर सके । इससे हम कुछ विकास कार्यों में तेजी ला सकते हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अनियमितता हो रही है, उस पर रोक लगा सकते हैं । हम ज्यादा चर्चा नहीं कहना चाहते हैं ।

---

नोट---[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मैं अपने जनपद की ओर मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं । मैं फैजाबाद के टांडा निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आता हूं। टांडा नगरपालिका में सीवर लाइन लगाने व वाटर सप्लाई के लिये लाइन डालने की बात थी, नगर पालिका के जो चेयरमैन थे, उन्होंने कुछ कार्यवाही किया भी था लेकिन जब से प्रशासक बैठा है, मेरे यहां एक भी काम नहीं किया गया है । न वाटर लाइन बिछाई गई और न सीवर की व्यवस्था की गई । हमारे यहां मुहल्ला मबारकपुर में वाटर पाइप बिछाकर पानी की व्यवस्था की जानी थी । हम अधिकारियों से बराबर कहते हैं, लेकिन वह लोग कहते हैं कि बजट में पैसा नहीं है । यह सरकार, मंत्री और अधिकारी हमारे क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि मैं विरोधी दल से चुनकर आता हूं हमारे यहां की नगरपालिका के विकास के लिये बहुत कम पैसा दिया जाता है । हमारे यहां ग्राम सभा बसखारी की आबादी 5, 6 हजार की है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बसखारी में दरगाह, किछौछा को मिलाकर टाउन एरिया घोषित किया जाय ताकि वहां का विकास हो सके । आपके समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसकी पूरी छानबीन करें तथा विधायकों द्वारा दी गयी राय को देख और कार्यवाही करें अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नगर विकास के बजट पर बोलने का आपने अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं । मैं बनारस जिले से सम्बन्धित हूं । बनारस एक प्राचीनतम नगर है, ऐतिहासिक नगर भी है। वह पांच कवाल टाउन्स में एक कवाल टाउन है । वहां सारे देश से लोग आते हैं । नगर विकास के अधिकारी प्रयत्नशील जरूर हैं सड़कों को चौड़ा करने में बत्ती की व्यवस्था करने में चौराहों पर फौव्वारे लगवाने में, अवैध कब्जे को हटवाने आदि काम तो कर रहे हैं, इसके साथ-साथ सफाई की भी व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन एक विकट समस्या है । जो सीवर लाइन बनायी गयी है, वह पट गय है, बरसात के दिनों में बारिश का सारा पानी नालियों में भर जाता है और शहर डूब जाता है । आवास की समस्या का समाधान विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है । विकास प्राधिकरण के द्वारा जो आवास के मकान हायर परचेज पर बनाकर दिये जाते हैं, या जो प्लाट दिये जाते हैं, उनमें एक बात पैदा हो रही है । जिन कालोनियों को बनाया जा रहा है, वह नीची जमीन में बनाई जा रही हैं, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है । ऐसी ही समस्या गौतम बुद्ध कालोनी पहाड़िया में है । इनमें पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है । नालियों को तालाब में गिरा दिया गया था । जो अब बन्द कर दिया गया है । सेफटी टैंक भर गये हैं । सारा गन्दा पानी कालोनी में भर गया है । नीचे लोगों का रहना मुश्किल हो गया है । अगर जल निकासी की कोई व्यवस्था न की गई और जो गन्दगी वहां फैल रही है, उसको रोका न गया तो बीमारी फैल सकती है । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों को तत्काल आदेश दें कि इस कालोनी में जो गन्दगी फैल रही है, इसकी सफाई करा दवा छिड़कवायें नहीं तो महामारी, हैजा और मलेरिया की बीमारी वहां शुरू हो गयी ह ।

इसी के साथ मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में चन्दौली और सैय्यदराजा दो टाउन एरिया हैं । लेकिन जो विधिवत् व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं हुई है । वहां के लोग बताते हैं कि 2,000 से 6,000 तक अनुदान देने की बात कही जाती है, जबकि दूसरी जगहों पर 50,000 रु० से

ज्यादा दिया जाता है । वह दूसरे टाउन एरिया के बराबर रहा है तो मैं चाहता हूं कि इस टाउन एरिया के लिए भी उतने ही धन की व्यवस्था की जाए । मान्यवर, सैदपुरराजा में उत्तर की तरफ ट्यूबवेल लगा हुआ है लेकिन दक्षिणी हिस्से में जी० टी० रोड पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । वहां नये ट्यूबवेल लगाने की बात कही गई लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है । मैं चाहूंगा जो दूसरे नलकूप लगाने की बात सोची जा रही है, उसे लगवाया जाए । इसके अतिरिक्त चन्दौली में भी पानी की समस्या को दूर किया जाए । मान्यवर, नगर विकास जल निगम से भी सम्बन्धित है । चन्दौली में पेयजल योजना विचाराधीन है मैं चाहूंगा कि मदपुर गांव में पेयजल योजना को व्यवस्था करा दें । क्योंकि यह एक आदर्श गांव के रूप में सेलेक्ट किया गया है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री अकबर हुसैन—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक टाउन एरिया कुन्दरकी है । जिसकी आबादी 16 हजार के करीब है लगभग 3 हजार किसान उस बस्ती में आबाद हैं . . .

(शोर)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से टाउन एरिया, कुन्दरकी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं . . .

(श्री गौरी शंकर भैय्या के खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गौरी भैय्या अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अकबर हुसैन—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस बस्ती को टाउन एरिया कहा जाता है । लेकिन मान्यवर, एक इंच जमीन भी कुन्दरकी के नाम से रिकार्ड में नहीं है । क्योंकि यह टाउन एरिया पहिपात पर बसा है जिसका नतीजा यह होता है कि इस बस्ती के रहने वाले किसान जो इस बस्ती के वोटर हैं और हरिजन किसान जो इस बस्ती के वोटर हैं, वहां कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है । हमारे यहां चकबन्दी चल रही है । भूमिहीन मजदूरों को जमीन उपलब्ध कराने के लिये जो जमीन छोड़ी जाती है वह जिन ग्राम सभाओं से सम्बन्धित पट्टियों से छूटी है इसके प्रधान उसके मालिक हो जाते हैं । इन्हीं के प्रस्ताव से जमीन भी निकाली जाती है और वही प्रधान अपनी सख्ती से उसे नीलाम करता है यह छोटा सा मामला है इसमें शासन का ध्यान कई बार आकर्षित किया गया है । इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । इतनी छोटी सी बात को शासन नहीं देख सका है । मान्यवर, उस कस्बे में एक इंच जमीन सफाई का मैला डालने के लिए नहीं है । मेरे क्षेत्र में एक बिलारी है । जिसकी आबादी 30 हजार है उसके लिए माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है लेकिन उस 30 हजार की आबादी में जहां थाने और तहसील भी है, वहां एक छोटी सी भी डिस्पेन्सरी नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि बिलारी में एक डिसपेन्सरी बनवाने का कष्ट करें । दूसरी बात मान्यवर बिलारी में अधिशासी अधिकारी हैं जिसके बारे में मान्यवर, वहां के सभी संगठनों ने, चाहे वह कांग्रेस की हो या फिर किसी अन्य पार्टी का, अनेकों बार उसकी शिकायतें की हैं तथा माननीय मंत्री जी को ज्ञापन भी दिये हैं । उसका कई बार ट्रान्सफर हो जाने के बाद भी

स्ट हो जाता है। माननीय मंत्री जी को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री दामोदर शर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री गौरी शंकर भैरया--

मान्यवर, इस पर चर्चा का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

इस पर 15 मिनट का समय और बढ़ाया जाता है।

[समय 4 बजकर 35 मिनट]

श्री दामोदर शर्मा--

मान्यवर, हमारे नगर विकास विभाग में दो मंत्री हैं और दोनों ही नौजवान हैं, डाइनेमिक हैं और प्रगतिशील विचारधारा के हैं। जिन्होंने ग्राम्य विकास विभाग से लेकर नगर विकास विभाग तक का बजट यहां पर रखा है। निश्चित ही इन दोनों मंत्रियों के नेतृत्व में नगर व ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसकी हर कार्य में उपेक्षा की जाती रही है, आपने मेरठ नगरपालिका को महापालिका बनाया है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र भी कुछ मेरठ नगर महापालिका में आ गया है। उसमें ऐसे गांव हैं जो शहर के 2 किलो मीटर और 3 किलोमीटर के नजदीक हैं, वे महापालिका के अन्तर्गत आ गये हैं। इनमें काजीपुर, जाईदपुर, रिठानी आदि गांव हैं, जो कारपोरेशन में आ गये हैं, उनको मलिन बस्ती घोषित करके उनमें खड़ंजे बिछा दें और जल निगम के द्वारा वहां पर पानी की व्यवस्था करा दें, वहां पर सड़कें बनायी जायं और उन पर खड़ंजे बिछाये जायं।

श्रीमन्, मेरठ नगरमहापालिका को पिछले साल 63 लाख रुपये की ग्रान्ट दी गयी थी। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि वह कम से कम महापालिकाओं को एक या डेढ़ करोड़ रुपये की ग्रान्ट दें, ताकि जो गांव कारपोरेशन में आ गये हैं, उनका विकास हो सके। इसकी तरफ माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में एक टाऊन एरिया है, जिसका नाम खरखौदा है वहां पर पेयजल के लिए 13 लाख रुपये जल निगम को सैंक्शन हुए थे। एक टंकी तो बन गयी है, परन्तु माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जो दूसरी टंकी वहां पर बननी है, उसके लिए जो पैसा है, कृपया उसे आप मार्च और अप्रैल के महीने में रिलीज कर दें, ताकि उस टंकी का निर्माण हो सके।

श्रीमन्, मैं अधिक समय न लेते हुए कुछ बातें आवास विकास की कालोनी के बारे में कहना चाहता हूं। मेरठ में एक आवास विकास की कालोनी बनायी गयी है, जिसमें छोटे-छोटे कर्मचारियों के लिए 20 हजार मकान बनाये गये हैं, हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत निर्बल वर्ग के लोगों के लिए 20 हजार मकान बनाये गये हैं। हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि विधायकों के लिए कोटा नहीं है। मैं भी एक सदस्य हूं, मैंने आवास विकास की कालोनी में एक मकान लिया है। इस कालोनी का नाम है शास्त्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नगर । माननीय मंत्री जी से कहना चाहत हूं कि इत शास्त्री नगर कालोनी में जल निगम द्वारा एक पेयजल की टंकी बनाई गई है । फलस्वरूप सुबह 10 बजे के बाद पानी आना बन्द हो जात है, इसलिए मैं चाहूंगा कि शास्त्री नगर में एक दूसरी टंकी बनवा दें, ताकि वहां पर रहने वाले निर्बल वर्ग के लोगों को पीने का पानी मिल सके।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि शास्त्री नगर शहर से दूर बसाया गया है, इसलिए यहां पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो मच्छर वहां पर हैं, उनको मारने के लिए वहां पर छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । अन्त में माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका आभार प्रकट करते हुए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया है । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि आज इस विभाग में इतना एक सुयोग्य मंत्री बैठा हुआ है, जिससे निश्चय ही नगर विकास का कार्य दिन प्रति दिन तरक्की करेगा और प्रदेश का पूर्ण रूप से विकास होगा ।

धन्यवाद

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हू । मान्यवर, हमे विश्वास है कि माननीय नगर विकास मंत्री जिस प्रकार से ग्राम्य विकास मंत्री होकर काफी दिनों से चले आ रहे हैं और पंचायतों के चुनावों को कराके उन्होंने अपनी कर्मठता का परिचय दिया है उसी कर्मठता का पुनः परिचय देते हुए आज ही घोषणा कर देंगे कि प्रदेश में नगर पालिकाओं के चुनाव वे करने जा रहे हैं । मान्यवर, वे घोषणा कर देंगे, तो चुनाव हो जायेंगे । इसलिए मेरी उनसे अपेक्षा है कि आज जो स्थिति प्रदेश में विद्यमान है, ग्रामीण अंचलों की संस्थायें जिस प्रकार से बेकर पड़ी हुई थीं, उनमें चुनाव होकर, उनमें एक नया जीवन आया है, उसी तरह से नगर महापालिकाओं, नगरपालिकाओं और कवाल टाउन के चुनाव कराने की घोषणा कर, उन्हें भी एक नया जीवन प्रदान करने का कष्ट करें ।

मान्यवर, इसी संदर्भ में एक निवेदन और करना चाहता हूं गोरखपुर के सम्बन्ध में मान्यवर, गोरखपुर कवाल टाउन हो गया, लेकिन जो 1981 में हुई जनगणना की फीगर है, उसके हिसाब से वहां की जनसंख्या 3 लाख 82 हजार है, डी0 एस0 ओ0 आफिस से जो फीगर उपलब्ध हुई है, उसके अनुसार वहां की पापुलेशन 5 लाख 53 हजार हो गयी है और वहां के कलेक्टर के अनुसार वहां की जनसंख्या 5 लाख से ऊपर है । मान्यवर, नियमानुसार बी–2 श्रेणी का शहर 4 लाख की जनसंख्या के ऊपर हो जाना चाहिए । तो फिर क्या कारण है कि वहां की 5 लाख की जनसंख्या होने के बाद भी, बी–2 श्रेणी की सुविधा जो है, जो दूसरे कबाल टाउन को मिल रही है, वह गोरखपुर को क्यों नहीं मिल रही है ? बी–2 श्रेणी की सुविधा जो दूसरे कबाल टाउन को मिल रही है, वह गोरखपुर को भी मिलनी चाहिये । मान्यवर, इसी संदर्भ में एक और निवेदन करना चाहूंगा जो जल निगम के सम्बन्ध में है ।

मान्यवर, इस प्रदेश का भ्रष्टतम विभाग आपको मिला हुआ है । अगर आप जांच करायें, परीक्षण करायें या किसी व्यक्ति को भेजें हमारे क्षेत्र में महाराजगंज में, खड्डा और हाटा की बात तो हमारे कटौती के प्रस्तावक कह ही गये, एक भी पाइप वहां ठीक रूप के कार्य नहीं कर रहा है । पैसे का जिस पैमाने पर जल निगम दुरुपयोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर रहा है, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 13-13 हजार के पम्प लगाये गये हैं। अगर उसका परीक्षण, किसी भी पम्प का परीक्षण आप करायेंगे, तो प्रतीत होगा कि उनकी कीमत 5-5 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होती है। आपने उसमें 20 सूत्रीय का बोर्ड लगा दिया है। कहना चाहूंगा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम को बदनाम करने के लिये आज गांवों में पाइप लगाये हुए हैं। गांव में जब मालूम हो जाता है, कि 13 हजार रुपए में पम्प लगा हुआ है और उस पर 20 सूत्री का बोर्ड लगा हुआ है, तो बीस सूत्री के प्रति जो आस्था लोगों में थी, वह अनास्था में बदलती जा रही है। एक सुनिश्चित अधिकारी की तरफ, एक सुनिश्चित मामले में मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है, उसमें 50 लाख का गबन देवरिया में हुआ है श्री बी० बी० सिंह के यहां। मान्यवर, उनके उस कारनामें के लिये कहना चाहूंगा कि वहां के 20 सूत्रीय के जो जिला उपाध्यक्ष हैं, उनको अनशन करने के लिये मजबूर होना पड़ा। उनका यह कहना है कि अगर आज जांच की जाय, सारे रिकार्डस को वहां के सील कर दिया जाय, और इस इंजीनियर को सस्पेण्ड कर दिया जाय, तो उसमें 50 लाख का गबन प्रकाश में आ जायेगा। आप मंत्री जी इस चुनौती को बड़ी उदारता के साथ स्वीकार करें, यदि आप में स्वच्छ प्रशासन देने की भावना है।

शुरू में ग्रामीण पेयजल योजना चली थी, उसमें यह था कि पाइप लगाये जा रहे थे, ताकि छोटे-छोटे पुरवों, टोलों को पानी मिल सके, क्योंकि उसमें छोटे लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। अब जो आपने इसकी बाबत व्यवस्था की है कि उससे यह है कि बड़े-बड़े गांव में वह सुविधा उपलब्ध हो रही है, छोटे-छोटे गांव, पुरवे, टोले उससे प्रभावित हो रहे हैं। आपका 1972 में एक सर्वेक्षण हुआ था उसके आधार पर कार्य हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप इस मामले में फिर से इसका सर्वेक्षण करवा लिया जाय, ताकि अब जहां-जहां आवश्यकता महसूस की जा रही है, वह प्रकाश में आ सके। मैं यह भी कहूंगा कि इसके लिए जो आप 13 हजार लागत के हैन्ड पाइप लगा रहे हैं, उसके बजाय आप 5-5 सौ के जो देशी पाइप हैं या जो पाइप बनता है उसको लगाया जाय इससे काम चल जायेगा। एक तथ्य की ओर आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा कि 12 ऐसे शहर हैं, जिनको नगर बस्ती कहा जाता है।

नगर बस्ती में ज्वाइंट डायरेक्टर अरबन सीलिंग आप रखे हुए हैं। यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट का कानून है। मैं इसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। आप फीगर मंगाकर के जानकारी करें। मेरे पास कुछ फीगर्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं जो ज्वाइंट डायरेक्टर यानी सक्षम अधिकारी वहां बैठ हुए हैं, यह अर्बन सीलिंग कानून का पालन करने के लिये रखे गये हैं, लेकिन आज इनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई नियंत्रण नहीं है। यह भूमिपति से साजिश करके लिखवा देते हैं कि हमारी भूमि कृषि योग्य है और फिर उसको सीलिंग से मुक्त कर देते हैं। गोरखपुर शहर में जो भी सरप्लस भूमि घोषित थी, वह सारी की सारी वर्तमान सक्षम अधिकारी की साजिश से भूमिपतियों से पास ही रह गयी। इसलिए यह सेंट्रल सीलिंग एक्ट, गोरखपुर शहर के लिए बिल्कुल बे मतलब हो गया है। सरकार ने गवर्नमेंट काउन्सिल नियुक्त किया है लेकिन यह सक्षम अधिकारी उस गवर्नमेंट काउन्सिल को कोई पत्रावली ही नहीं देते हैं, नतीजा यह है कि वह वकील बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं, वह चाहते हुए भी सीलिंग एक्ट का पालन नहीं करा पा रहे हैं और न ही अतिरिक्त घोषित भूमि को बचा पा रहे हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि प्रदेश के तमाम सक्षम अधिकारियों को जिलाधीश के नियंत्रण में रखा जाए और गोरखपुर के सक्षम अधिकारी को तुरन्त

वहां से हटाया जाए और उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए। साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि घुघली महाराजगंज को टाउन एरिया घोषित किया जाए जबकि घुघली की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गयी हैं, केवल घोषणा बाकी है, इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, नगर विकास विभाग का जो बजट माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, उस पर हो रही चर्चा के शुभ अवसर पर जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

ऐसा दस्तूर दुनियां में देखा न था,
कल था कातिल वह मनसब बना
वक्त का,
कब यह सोचा था कातिल को
फेहरिस्त में,
आज मकतूल का नाम आ जायेगा।

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव जो प्रोफेसर हरिवंश सहाय ने प्रस्तुत किया है लेकिन मैं जानता हूं कि किस भावना से किया है और मैं यह भी समझता हूं कि वह इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करना नहीं चाहते थे, परन्तु किन परिस्थितियों में उनको करना पड़ा है। जो लोक तंत्र और जनतंत्र की हत्या करते हैं, वही लोकतंत्र और जनतंत्र की बात करते हैं। हमें मालूम है कि तब वह नगर पालिका टाउन एरिया और जिला परिषद् से चुन कर आए थे जन प्रतिनिधि के रूप में तो इन्होंने एक ही रात में इन्हें हटाकर किनारे कर दिया था और सारी सत्ता अधिकारियों के हाथों सौप दी थी।

साथ ही मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा आज यह विभाग संयोग से एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में आया है जिसपर जनता पूर्ण रूप से विश्वास करती है और साथ ही चाहे इस पक्ष के विधायक-गण हों या उस पक्ष के, सभी उनके प्रति सम्मोह रखते हैं जिनमें से एक का नाम बलराम है और दूसरे का नाम अरुण कुमार मुन्ना। बलराम और मुन्ना का जो दोनों में एक वात्सल्य है और एक सौम्यता है इसमें शक नहीं कि इसको भी सदस्यगण मानते हैं और इससे मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के सारे लोगों को अनुसरण करना चाहिए। साथ ही माननीय मंत्री जी से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस विभाग में कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं, जिस पर आपको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए।

मान्यवर, 1974 के बाद 1976 और 1977 में हमारे यहां पर सीवरेज की स्कीम चल रही थी, तो इनकी सरकार ने उस स्कीम को बन्द कर दिया। आपने पडरौना नगरपालिका को भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से मैचिंगमम पैसा दिलाया है, लेकिन वहां पर सीवरेज का काम ठप्प है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उस काम को तत्काल पूरा करायें और मुझे आशा है कि देवरिया का जो उत्तरांचल इलाका है, उस गरीब इलाके के लोगों को राहत दिलाये।

माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान पडरौना के गरीब लोगों की ओर दिलाना चाहता हूं, वहां पर अधिकतर लोगों के छप्परों के मकान हैं, जब गर्मी के दिन आते हैं तो वहां पर बराबर आग लगती है, जिसके कारण उनकी सारी सम्पत्ति नष्ट हो जाती है, इससे राहत दिलाने के लिए सरकार ने वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर एक फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाय, जिससे वहां के लोगों को आग लगने पर राहत पहुंचायी जा सके और छप्परों के घर जलने से बचाये जा सकें।

(इस समय 4 बजकर 49 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

माननीय, मैं आपका ध्यान पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां एक ओर नगरपालिकाओं और टाउन एरियाज के विकास का प्रयास किया जा रहा है, वहां दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो अपने उद्योगों के कारण वहां का वातावरण दूषित कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें और पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड को अधिक से अधिक पैसा दें जिससे वह वहां पर अच्छी प्रकार से काम कर सके। इन शब्दों के साथ कटौती का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करता हूं।

श्री ऊदल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय सहाय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से पहली बात यह जानना चाहता हूं कि आपके पूर्व मंत्रियों ने भी घोषणा की और आपकी सरकार ने भी घोषणा किया कि इन स्वायत्त शासी संस्थाओं यानी नगरमहापालिकाओं, नगरपालिकायें तथा टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज कमेटी के चुनाव करा दिए जायेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इन चुनावों को जल्दी से जल्दी करायेंगे या नहीं? दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूं कि यह जो प्रदेश की प्रदूषण समस्या है कि गंगा, यमुना और गोमती में मेरे ख्याल से बहुत दिनों से यह स्कीम चल रही है कि सलेज फार्म बनाकर गन्दे नालों को उसमें गिरा दिया जाब और पानी को सिंचाई के उपभोग में ले आया जाय और प्रदूषण से बचाया जायेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वाराणसी में गंगा में बहुत से गंदे नाले बह रहे हैं। इसी तरह से इलाहाबाद में, कानपुर में और लखनऊ में भी गन्दे नाले बह रहे हैं। इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। दूसरी बात यह है श्रीमन् कि मलिन बस्तियों की समस्या आज बड़ी जटिल हो गई है। आप दूर न जायें, यहीं लखनऊ म चारबाग स्टेशन के खास रेलवे लाइन को आप देख लें। उसके किनारे-किनारे जो बस्ती बन गई है, उसको आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश की स्थिति का ज्ञान हो जयेगा। इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अधिकतम भूमि सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत जिका अपने जिक्र किया कि काफी जमीन मिली है। उसके सम्बन्ध में मैं आपको बनारस का उदाहरण देना चाहता हूं। अधिकतम भूमि सीमा आरोपण अधिनियम में धारा 20 (1) कृषि कार्य के लिये और दूसरी धारा 21 (1) के अल्प आय वालों के लिये कम रुपये में मकान बना कर देने के लिये प्राविधान है। सक्षम अधिकारी ने इन दोनों दफाओं में जमीन छोड़ दी है और बनारस में बड़े-बड़े लोगों ने सैकड़ों एकड़ जमीन उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत छुड़वा ली।

मैं एक उदाहरण, महाराजा बनारस का नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीन छुड़वा ली जो नदेश्वर के आस-पास है। तो इस प्रकार के ढकोसले और धोखा-धड़ी के कानून बनाने से क्या फायदा है। आप जल निगम और जल-संस्थान के पचड़े में पड़े हुए हैं दोनों विभागों में आपस में टकराव हैं। जल निगम कोई योजना बनाता है लेकिन उसका संचालन जल संस्थान करता है। जल निगम द्वारा जो नलकूप बनाये गये हैं वह चल नहीं रहे हैं। पेयजल की समस्या गम्भीर होती जा रही है। सन् 1972 में सर्वे के आधार पर देहातों में आपने पेयजल की समस्या हल करने की बात कही थी। 10-12 साल हो गए। किसी गांव में एक हैंड पम्प लगा है तो किसी में दो लगे हैं। सर्वे कराकर देहातों में पेयजल की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त ।

श्री ऊदल--

और मेरा भाषण भी समाप्त।

श्री कन्हैया लाल महेन्द्रू--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने नगर विकास विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और राजधानी होने के नाते इसको कुछ खास सुविधायें मिलनी चाहिए क्योंकि लखनऊ की जो पहले आबादी थी वह केवल 4 लाख की थी और आज लखनऊ की आबादी 14 लाख हो गयी है । दो लाख आदमी यहां पर रोज आता है और शाम को चला जाता है । चार लाख जानवर इस लखनऊ के अन्दर पानी पीते है ।

(व्यवधान)

(श्री रणजीत सिंह जूदेव के आगे से सदन के अन्दर आने पर)

श्री अध्यक्ष--

पुलिस मंत्री जी, आपका नाम पुलिस मंत्री मैंने रखा है । मेरी 425 आंखें हैं।

श्री कन्हैया लाल महेन्द्रू--

मान्यवर, लखनऊ को पानी की कमी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है । जल निगम द्वारा गलत नियोजन होने के कारण लखनऊ पानी की बूंद-बूंद के लिये तरस रहा है । इसलिये मेरा सुझाव है कि इसके लिये एक बड़ा वाटर वर्क्स दिया जाय । क्योंकि पहले लखनऊ की आबादी 4 लाख थी और अब 14 लाख आबादी इसकी हो गई है । यहां पर दो लाख आदमी रोज आता है । इस तरह से 16 लाख आदमियों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि लखनऊ के लिये एक बड़ा वाटर वर्क्स दें । जो जल निगम के अधिकारी हैं, उन्होंने दो स्टेशन बनाये हैं लेकिन उसमें बिजली न होने के कारण रुके पड़े हुये हैं । जल निगम ने जो पाइप लाइन डाली है वह प्लास्टिक की है और इसमें प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । जब जरा भारी वाहन निकलते हैं तो उससे वह टूट जाते हैं । इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है ।

मान्यवर, हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली को एक स्पेशल दर्जा दिया जाता है उसी तरह से लखनऊ में भी जहां इतनी आबादी बढ़ रही हो, स्पेशल दर्जा दिया जाना चाहिए । इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसकी तरफ आप ध्यान दें और स्पेशल ग्रांट देकर यहां की सड़कों और सफाई की व्यवस्था की जाय । कुछ ऐसे छोटे गांव हैं जो कि जिनका न शहर की तरफ से है और न देहात की तरफ से विकास हो रहा है । वे लटके पड़े हैं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक सरकटा नाला शहर से होकर जाता है उसकी दोनों तरफ की दीवारें टूट-फूटी हैं । बहुत बुरी हालत उसकी है । उससे बरसात के दिनों में घरों के अन्दर पानी भर जाता है । इसलिये उसके ऊपर दीवार बनाकर लाखों लोगों को परेशानी से बचाने की कृपा करें । इसी तरह से मेरे क्षेत्र में महानगर की जो सीवर लाइनें थीं जो दस-बारह साल पहले पड़ी थीं । वह आज चोक हो रही हैं । उसकी जांच करा ली जाय । मेरे क्षेत्र में जो कालोनियां बनी हैं उनको नागरिक सुविधायें नहीं दी जा रही हैं, उसका नतीजा यह होता है कि उनमें रहने वाले लोग अन्य नागरिकों की तरह दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं ।

इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में विकास कार्य भी रुके पड़े हैं । जो चुंगी यहां मिलती है, उसकी जांच की जाय और उसके लिये उड़नदस्ते की व्यवस्था की जाय । चुंगी में जो घुटाला हो जाता है उससे नगरपालिका क्षेत्र की आमदनी कम हो जाती है । उसके अन्दर भ्रष्टाचार फैला हुआ है । अगर हमारी चुंगी की

आमदनी ईमानदारी से महापालिका को मिल जाय तो मैं समझता हूं कि एक आमदनी का बहुत बड़ा रास्ता निकल सकता है ।

मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने लखनऊ के विकास की तरफ, उसके सुन्दरीकरण की तरफ बहुत योगदान दिया है और जैसा कहा जाता है कि लखनऊ बागों का शहर था, वाकई में वह सपना पूरा हो रहा है । हमारे क्षेत्र में नींबू बाग की योजना और कई और इसके सुन्दरीकरण की योजनायें चल रही हैं, जिसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और इस बजट का तहे दिल से समर्थन करता हूं ।

श्री हरिवंश सहाय--

माननीय अध्यक्ष जी, कटौती के मेरे प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं....

श्री हरदेव--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष --

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ? माननीय हरिवंश सहाय जी जरा इनके व्यवस्था के प्रश्न को सुन लें ।

श्री हरदेव--

मान्यवर, मैं आपके चेयर से यह व्यवस्था चाहता हूं कि इधर से हम लोग तीन सौ से अधिक सदस्य हैं और उधर से 100 करीब माननीय सदस्य हैं....

श्री अध्यक्ष--

यह इस सदन की परम्परा रही है कि एक सदस्य इधर से बोलते हैं एक उधर से बोलते हैं । आप कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

(व्यवधान)

जो माननीय हरदेव बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री हरदेव--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

माननीय हरदेव जी को बैठायें । माननीय हरदेव जी आप अपने स्थान पर बैठें ।

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, आप सक्षम हैं और वही होगा जो आप कहेंगे । आप दो वर्गों को खास कर ध्यान दें जो आपने वर्गीकरण किया है एक महिला वर्ग और दूसरा माननीय विष्ट जी और माननीय हरदेव जी का ।

श्री अध्यक्ष--

क्या आप यह कह रहे हैं कि दोनों एक हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ।

श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

श्रीमती सुमन लता--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी मंत्री जी ने कहा कि महिलायें, श्री हरदेव और श्री जसवंत सिंह विष्ट एक विशिष्ट श्रेणी में आते हैं । तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या महिलायें उनकी श्रेणी में आती हैं ।

---

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्मार रिजवी--

हो सकता है कि वह लोग इनकी (श्रीमती सुमन लता) श्रेणी में आते हों ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि श्री हरदेव और श्री जसवंत सिंह विष्ट महिलाओं की श्रेणी में आते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

क्वेस्ट की श्रेणी में नहीं आते हैं ।

श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि चुनाव आप तत्काल करें । दूसरा सुझाव है कि मलिन बस्तियों में जहां गरीब लोग सड़कों पर घूमा करते हैं, उनके लिये हर टाउन एरिया, नगरपालिका में सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय और विश्रामालय का निर्माण कराएं । मान्यवर, मेरा तीसरा सुझाव है कि जल निगम में विजीलेन्स सेल का गठन करें । टेक्निकल आडिट सेल का गठन करें और उसमें पी० डब्ल्यू० डी० और सिंचाई विभाग से एक्सपर्ट्स मंगाकर इस सेल में रखे जायं । इसके साथ ही जल निगम में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह आई० ए० एस० और पी० सी० एस० होने चाहिये, यह मेरा सुझाव है । मान्यवर, जल निगम के कर्मचारियों को आवासीय सुविधा नहीं मिलती है । जो कर्मचारी फील्ड होस्टल में रहते हैं उनको 5 रुपये किराया देना पड़ता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि छोटे चतुर्थ और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को आवासीय सुविधा दें ।

मान्यवर, देवरिया में मेरे निर्वाचन क्षेत्र भटनी, बनकटा ब्लाक जो चारों तरफ नदियों से घिरा है वहां का पानी पीने योग्य नहीं है, इसलिये मैं चाहूंगा कि वहां हैण्ड पाइप जल निगम से लगाने का प्रबंध करें । इसी के साथ मैं यह भी चाहता हूं कि मेरे देवरिया जिले के बैनालपुर, भिगारी बाजार और सोनपुर को टाउन एरिया घोषित किया जाय ।

अब मैं कहना चाहता हूं, जैसा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने कहा, कि हमारे देवरिया जिले में एक इक्जयू-क्यूटिव इंजीनियर, श्री बी० बी० सिंह हैं, जिनके खिलाफ 50 लाख रुपये के गबन के सम्बन्ध में 10 पेज का रिपोर्ट मन्त्री जी के कार्यालय में प्रस्तुत की गयी है, मैंने और श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के हस्ताक्षर से दिया है, मैं चाहूंगा कि उनको हटाकर तत्काल इसकी पूरी जांच करायें तो पता चलेगा कि पूरे प्रदेश में जल निगम ने कैसे लूट मचा रखी है ।

मान्यवर, मथुरा जिले में मथुरा रिफाइनरी के सामने 60 एकड़ जमीन एक्वायर करने का प्रस्ताव था उसमें से 20 एकड़ जमीन निकालने का प्रस्ताव कुछ प्रभावशाली लोगों ने किया जो आपके पास आया है । आपके दल के दो विधायकों ने लिखा है कि आप इसका अनुमोदन न करें । इसके लिये वहां के लोग काफी लिखा-पढ़ी कर रहे हैं और आन्दोलन भी कर रहे हैं 500 रुपया वर्ग गज जमीन बिक रही है, उसका आप अनुमोदन न दें, यह आपसे निवेदन है । फतेहपुर सीकरी, जहां पर अक्तूबर, 1981 में सुलहकुल समारोह हुआ था और उस समय उस नगर को काफी सजाया गया था, दुलहिन की तरह सजाया गया था, लेकिन आज वहां पर भारी अंधेरा है । अतः आप वहां पर रोशनी का प्रबन्ध करें और सड़कों का प्रबन्ध करायें । उत्तर प्रदेश के 13 नगरों में अरबन सीलिंग के लिए आपने ज्वायन्ट डायरेक्टर की नियुक्ति की है, लेकिन वह एक इंच जमीन भी सीलिंग में नहीं निकाल पाये हैं । मैं चाहूंगा कि आप ऐसी कारगर कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे जो करोड़ों रुपये की जमीन बड़े-बड़े लोग हड़पे हुए हैं, वह उनसे निकल जाय और वह साधारण लोगों

में बंट जाये। इसके साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए आशा करता हूं कि इसको सब लोग स्वीकार करेंगे।

श्री बलराम सिंह यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नगर विकास की इस बजट चर्चा में माननीय हरवंश सहाय जी ने और बहुत से अन्य पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भाग लिया हैं और उन्होंने इस चर्चा में जहां सरकार की आलोचना की है, अधिकारियों और कर्मचारियों की आलोचना की है, वहीं बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी उन्होंने दिये हैं, जिसके लिए मैं समस्त माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं। मान्यवर, मेरा इस बात का प्रयास होगा कि जो भी सुझाव हमारे माननीय सदस्यों ने दिये हैं और जिन्हें हम अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत और बिना किसी कानूनी अड़चन के पूरा कर सकते हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे अधिकारी भी यहां उपस्थित हैं उन्होंने भी सारी बातें यहां नोट की हैं, हम उनसे चाहेंगे कि वह माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझते हुए जिन कामों को वह कर सकते हैं, उनको त्वरित गति से पूरा करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

आपने शिकारपुर पहुंचने का वायदा किया था। वहां पर पानी की एक टंकी है, उसका उद्घाटन कराने का आपने वायदा किया था, उस पर भी आप विचार कर लें।

श्री बलराम सिंह यादव--

आपने यह बताया नहीं है कि वहां पर शिकार किसका किया जायेगा। हुजूर का हुक्म है तो हो जायगा, पर शिकार किसका होगा?

श्री अध्यक्ष--

आपकी तो वहां पर दावत की जायगी।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

आपके सामीप्य में तो भोगांव पड़ता है।

श्री बलराम सिंह यादव--

आपके आदेश सर आंखों पर और उसका प्लान किया जायगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ मोटी-मोटी बातें कही हैं, जिनके सम्बन्ध में मैं बताये देता हूं। कुछ योजना भवन के बारे में कहा गया है कि वह बिना स्वीकृति के बनाया जा रहा है और मंजिल के आगे बनाया जा रहा है। यह बात सही है कि पहले उसका प्लन स्वीकृत नहीं हुआ था, लेकिन बाद में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी और उसमें तय हुआ था कि 6 मंजिल तक बना दिया जाय। कल मालूम हुआ कि वह फिर 6 मंजिल के ऊपर बन रहा है तो चीफ सेक्रेटरी ने नियोजन सचिव से बात की थी और अन्त में यह तय पाया गया है कि वह 6 मंजिल तक ही बनाया जायगा।

इसके बाद चुनाव वाली बात कही गई हम सभी जानते हैं कि जहां तक इनके चुनाव के सम्बन्ध हैं आप चाहे हमें अलोकतान्त्रिक कहें या हम आपको अलोकतान्त्रिक कहें, लेकिन प्रदेश की जनता जानती है कि कौन अलोकतान्त्रिक है। सन् 1978 में जितनी भी चुनी हुई संस्थायें थीं, चाहे वे स्थानीय निकाये हों, चाहे अन्य कोई संस्थायें हों सभी को एक कलम से उस समय इन्होंने (विपक्ष ने) बरखास्त कर दिया था और पौने तीन वर्ष तक यह रहें, मगर चुनाव नहीं करा सके। हमने मान्यवर, 74 हजार से अधिक पंचायतों के चुनाव कराये, लगभग एक हजार ब्लाकों के चुनाव कराये तथा कुछ विभिन्न परिस्थितियों के कारण चुनाव हम नहीं करवा सके हैं, पर उसके लिये भी हमारा प्रयास जारी है। हमारी सरकार का यह प्रयास होगा

कि निकट भविष्य में शीघ्र ही जो चुनाव रह गये हैं उनको कराया जाय ।

यह कहा गया है कि आवास-विकास परिषद् में तथा जल-निगम में भ्रष्टाचार है । मैं इसको मानता हूं कि वह है और वह रहेगा, वह आपके समय में भी था, पर उसको रोकने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है । जो शिकायतें आती हैं, उन पर जांच होती है और दोषी लोगों को दंडित भी किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में हमने गत दो वर्षों में जिन लोगों के खिलाफ जो कार्यवाही की है वह मैं बताना चाहता हूं । एक मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, 39 अधिशासी अभियन्ता, 28 सहायक अभियन्ता, 60 अवर अभियन्ता और 15 लिपिक वर्ग के लोगों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है । साथ ही एक अधीक्षण अभियन्ता, 8 अधिशासी अभियन्ता, 4 सहायक अभियन्ता, 3 अवर अभियन्ता और 2 लिपिक वर्ग के लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी और उनको दंडित किया गया ।

इसी प्रकार आवास एवं विकास परिषद् में भी 4 अभियन्ता, 3 आशु-लिपिक और 3 चौकीदार की सेवायें समाप्त की गयीं । एक अधीक्षण अभियन्ता, एक अवर अभियन्ता तथा 2 लिपिक वर्ग के लोगों को सेवा समाप्ति हेतु कारण बताओ नोटिस दिया गया है । लिपिक वर्ग के 2 लोगों की पदावनति की गई है । इसके अलावा 1 अधिशासी अभियन्ता, 2 सहायक अभियन्ता, 8 अवर अभियन्ता, 2 सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, 4 लिपिक वर्ग के लोगों को 1 वर्ष से लेकर तीन वर्ष तक वेतन वृद्धि रोक देने के आदेश दिये गये हैं और भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दी गयी है ।

अधिशासी अभियन्ता एक, सहायक अभियन्ता 6, अवर अभियन्ता 10, लिपिक वर्ग के एक कर्मचारी को भर्त्सनात्मक प्रविष्टि की गयी है ।

अधीक्षण अभियन्ता एक, अधिशासी अभियन्ता 11, सहायक अभियन्ता 7, अवर अभियन्ता 4, सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी 2, लिपिक वर्ग 1 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1 को चेतावनी दी गयी है ।

अधिशासी अभियन्ता 1, सहायक अभियन्ता 1, अवर अभियन्ता 13, लिपिक वर्ग 3, चौकीदार 16, इन लोगों से आर्थिक क्षति की वसूली की गयी है ।

अवर अभियन्ता 4, तृतीय श्रेणी कर्मचारी 1, सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी 1 को निलम्बित कर विभागीय जांच के आदेश दिये गये हैं ।

अधिशासी अभियन्ता 2, सहायक अभियन्ता 4, अवर अभियन्ता 4, सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी 1 तथा लिपिक वर्ग 3, इन लोगों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये हैं ।

इस प्रकार जब भी शिकायत आती है, जांच के आदेश दिये जाते हैं और दोषी लोगों को दंडित किया जाता है ।

कानपुर में एक वातानुकूलित बाजार बनाने का प्रस्ताव है, पर उसमें मुकदमेबाजी हो गयी जिसके कारण वह कार्य रुक गया । उसके समाप्त होने पर परेड पर एक भूखंड में उसे बनाया जायेगा ।

आगरे में पेय जल की समस्या वाकई में बहुत विकट है । गत वर्ष मैं भी जब आगरे में था तो मैंने वहां के अधिकारियों से एक मीटिंग रखी थी । इस वर्ष इस समस्या के लिये हमारे सचिव आगरा जा चुके हैं और उन्होंने वहां अधिकारियों से बातचीत भी किया है । प्रयास इस बात का है, आगरे में सामान्यतः पानी की दिक्कत नहीं रहेगी । वैसे जहां तक मीटिंग बुलाने

का प्रश्न है, हम लोग किसी दिन बैठ लेंगे, कोई दिन तय कर लेंगे और जो भी समस्यायें हैं, उन पर विचार-विमर्श कर लेंगे ।

श्री विजय सिंह राना---

मान्यवर, आगरे की पेयजल समस्या के बारे में 3 योजनायें हैं । एक तो चम्बल से पानी लेकर आगरे को देने की योजना है । दूसरी यमुना में बैराज बनाकर पानी देने की योजना है और तीसरे यमुना की बेल्ट में ट्यूबवेल लगाकर पानी देने की योजना है तो इन तीनों में से कौन सी योजना एडाप्ट की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, कीथम लेक की सफाई व्यवस्था हेतु जिला योजना में प्राविधान है । जिला मैजिस्ट्रेट से इसको शीघ्र कराने के लिए कहा गया है । आयुक्त आगरा मण्डल द्वारा दिल्ली के सिंचाई विभाग से बात की जा रही है कि वह ओखला से कुछ अधिक पानी हमारे प्रदेश को देने लगें ताकि आगरे की पानी की समस्या का निराकरण हो सके । इसके साथ ही साथ मान्यवर, विधायक आवास के बारे में कहना है कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है और आज ही आपके कक्ष में मीटिंग है । हमारा प्रयास है कि बहुत शीघ्र ही हम सुनिश्चित कर लें इस चीज को कि जो विधायक आवास चाहते हैं, उनको आवास मिल सके । मान्यवर, बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी नगरपालिकाओं और टाउन एरिया और अन्य संस्थाओं के लिये अनुदान देने की मांग की है । तो इसके लिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो क्वालीफाइड लोकल बाडीज हैं, टाउन एरियाज हैं उनको अवश्य अनुदान दिया जाय । किसी को वंचित नहीं रखा जायगा । जो भी हमारे पास साधन हैं, उसमें बांटकर जो हमारी क्वालीफाइड टाउन एरियाज हैं, उन सभी को अनुदान देने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री जटाशंकर सिंह---

नानपारा में नोटीफाइड एरिया में 18 महीनों से कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली है । माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में मैंने अभी निवेदन किया था, तो उसके बारे में आश्वासन दे दें ।

श्री सुरेन्द्र कपिल---

मान्यवर, सफाई मजदूरों का जहां तक सवाल है, सभी शहरों की जनसंख्या 3-4 गुनी हो गयी है । 20 साल पहले वहां पर सफाई कर्मचारियों की जो संख्या थी, आज भी उतनी ही है । उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है तो क्या माननीय मंत्री जी उनके पदों को बढ़ाने के बारे में विचार कर रहे हैं क्योंकि शहरों में पर्यावरण और वातावरण दूषित होता जा रहा है ?

श्री लल्लू सिंह चौहान---

मान्यवर, मैं एक नीतिगत प्रश्न के बारे में जानकारी चाहता हूं कि नगरों का एक्सवार्सन हो रहा है लेकिन उनकी सीमा वृद्धि का प्रस्ताव दो-दो वर्षों पड़ा रहता है । शिकोहाबाद-मैनपुरी और सभी जगहों के प्रस्ताव पड़े हैं और सेंक्शन नहीं हो रही है । मैनपुरी में मंडी समिति डेढ़ किलोमीटर बढ़ा दी गयी है लेकिन टोल बैरियर मैनपुरी में लगा है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

मान्यवर, गोरखपुर में एक रामगढ़ की योजना है । सिंचाई मंत्री, वीर बहादुर सिंह जी ने वहां जाकर यह कहा है कि एक घर को भी वहां उजाड़ा नहीं जायेगा । वह बड़ी योजना है । वहां के लोग असमंजस में पड़े हैं कि उनके घर उजाड़े जायेंगे या उनको नयी जगह पर बसाया जायगा उनके सामने घरबार की समस्या खड़ी हो गयी है । दूसरी बात यह है कि आपने कुछ नीतिगत बातों को रखकर टाउन एरिया घोषित किया, जिसके अन्तर्गत अभी

गोरखपुर में महाराजगंज तहसील हेड-क्वार्टर है, इसको नहीं घोषित किया गया । आप उसको घोषित करें, जबकि आजमगढ़ में मधुवन स्थान को टाउन एरिया घोषित कर दिया, जो शर्त पूरी नहीं करता है । चूंकि महराजगंज मेरा विरोधी क्षेत्र है, इसे टाउन एरिया घोषित नहीं किय जा रहा है। मान्यवर, यह दुःख की बात हैं, कृपया इसे स्पष्ट कर दें ?

श्री हरदेव--

मान्यवर, आपके माध्यम से में माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि आपके अधीनस्थ लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं अन्य जनपदों के विकास प्राधिकरणों में तथा आवास-विकास परिषद्, लखनऊ एवं अन्य जनपदों की आवास-विकास परिषदों में तथा उत्तर प्रदेश जल निगमों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में 3-4 प्रतिशत है, पूरा नहीं है ।

(श्री बच्चा पाठक के पास श्रीमती सुमनलता के बैठने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय पाठक जी, आपको छूत की बीमारी है ?

श्री हरदेव--

मान्यवर, यह कोटा पूरा नहीं है । इसको कब तक पूरा कराने की कृपा करेंगे और इसकी जानकारी देने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी, आपको कुछ कहना है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं प्रश्न ही नहीं सुन पाया, आपने ऐसी बात कह दी कि मैं भी हंस रहा था ।

श्री अध्यक्ष--

आप उस बात को दोहरा दीजिए, मैंने क्या कहा था ?

श्री मोहन सिंह--

जो इनको अभिरुचि है, वह पाठक जी पर आपने लगा दिया ।

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, अभी इनकी होली चल रही है ।

श्री हरदेव--

मान्यवर, यह बड़ा अहम सवाल है । अनुसूचित जाति की भलाई का प्रश्न है, इसका उत्तर मान्यवर, माननीय मंत्री जी से दिलाया जाय ।

श्री अध्यक्ष --

अभी 19 तारीख तक होली चलेगी ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2--आवास एवं नगर भूमि विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 2--आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,71,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22--नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 58,67,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत 9 सूचनाएं प्राप्त हुईं । इसमें मैंने माननीय रुद्र प्रताप सिंह को जो ग्राम रावतपुर, थाना कोतवाली, देवरिया को पुलिस द्वारा गांव में घुस कर लूट-पाट करने के सम्बन्ध में है स्वीकार किया है, बाकी को अस्वीकार किया है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस पर दिलाना चाहता हूं कि आइटम नं0 17 जिसमें सारे माननीय सदस्यों की रुचि है और माननीय सदस्य मित्रसेन जी मौजूद हैं, इसको आप पहले ले लें, तो ज्यादा उचित होगा ।

श्री अध्यक्ष--

सदन चाहता है कि इसको पहले ले लिया जाय ।

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)--

माननीय, सदन नहीं चाहता है, जिस नम्बर पर जो लगा है, उसी क्रम में उसे लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप चिन्ता न करें, अधिक से अधिक समय देंगे । मद संख्या 12 पहले लिया जायगा ।

[समय 5 बजकर 25 मिनट]

## श्रीमती प्रभा, निवासिनी सहपानी, बुलन्दशहर को उसके ससुराल वालों द्वारा आग लगाकर कथित हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(किसी के आपत्ति न करने पर)

गृह राज्य मन्त्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)--

[प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 18-1-1984 को श्रीमती प्रभा, पत्नी श्री विरेन्द्र गिरि, निवासी ग्राम सहपानी, थाना सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर की आग से जलने के फलस्वरूप मृत्यु हो गयी और श्रीमती प्रभा के माता-पिता अथवा पुलिस को सूचना दिये बिना ही ससुराल वालों द्वारा उसके शव का दाह संस्कार कर दिया गया ।

2--इस सम्बन्ध में दिनांक 30-1-1984 को कान्सटेबिल श्री पूरन सिंह व श्री अब्दुल गफूर, थाना सिकन्द्राबाद ने थाने पर बांट सूचना अंकित करायी । इस सूचना पर दरियाफ्त हाल पंजीकृत करके विवेचना की गयी, परन्तु श्रीमती प्रभा की मृत्यु के सम्बन्ध में कोई लाभ दायक सूचना नहीं प्राप्त हो सकी ।

---

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

3--दिनांक 31-1-1984 को मृतक के पिता श्री धर्मपाल गिरि ने थानाध्यक्ष सिकन्द्राबाद को इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र दिया कि उनकी पुत्री श्रीमती प्रभा पत्नी विरेन्द्रगिरि को उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज की कमी के कारण जलाकर हत्या कर दी गयी है । उक्त दरियापत हाल की जांच तथा प्रार्थना-पत्र के आधार पर इस घटना को धारा 302/201 भा० दं० वि० में परिवर्तित करके विवेचना की गयी । जांच से मामला आत्म-हत्या का होना पाया गया तथा विवेचक द्वारा दिनांक 16-2-1984 को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी, जिसे क्षेत्राधिकारी द्वारा रोककर पुनः जांच करवायी जा रही है ।

4--शासन ने मामले की गम्भीरता को देखते हुये अब इस घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने के आदेश दे दिये हैं ।]

श्री किरनपाल सिंह--

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मृतक प्रभा की मृत्यु के बाद जो आग लगने से हुई, उसकी सूचना अन्तिम संस्कार करने से पहले उनके परिवार वालों को जो 6 किलोमीटर दूरी पर रहता है, क्यों नहीं दी गयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

जो सूचना का मामला है, इसी की जांच हो रही है । यह चीज सन्दिग्ध है । सूचना देनी चाहिये थी, क्यों नहीं दिया इसके बारे में जांच हो रही है ।

श्री यशपाल सिंह (बुलन्दशहर)--

यह चूंकि मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है और मेरी ही प्रार्थना पर रिपोर्ट लिखी गई । वास्तव में यह जघन्य, बहुत कुत्सित एवं दिल को दहलाने वाली घटना है, जिसमें पुलिस की साजिश है और पुलिस पैसे के बल पर सब कुछ कर सकती है यह बिल्कुल सही है । 12 अखबार दिल्ली, देहरादून, बुलन्दशहर, अलीगढ़, आगरा के हैं । इनमें सारी घटना छपी है । 28 तारीख की घटना है, इसमें थोड़ा सा समय चाहूंगा ताकि स्पष्टीकरण हो जाय । जो बयान दिया है मुख्य मंत्री जी ने यह बिल्कुल सत्य से परे है, इसका सत्य से कोई वास्ता नहीं है । दो बहनें एक घर में ब्याही गयी थीं, उनको काफी परेशान किया गया तो उनके पिता उनको अपने घर ले आये थे लेकिन ससुराल वालों के आश्वासन पर फिर बिदा किया । 28 तारीख की घटना है दूसरी बहन कुसुम ...

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न करें ।

श्री यशपाल सिंह (बुलन्दशहर)--

पूरा बात सामने नहीं आयेगी तो प्रश्न साफ नहीं होगा । मेरा प्रश्न यह है कि 30-1-84 को कान्सटेबिल पूरन सिंह व अब्दुल गफूर ने थाना सिकन्द्राबाद पर सूचना अंकित करायी । लड़की के पिता को सूचना कब दी गयी और उस सूचना पर रिपोर्ट कब लिखायी गयी, थाने के अन्दर ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

जो छोटी लड़की थी उसने जो सूचना अपने पिता को दी, 31 जनवरी को दिया और रिपोर्ट 6 फरवरी को लिखी गयी ।

श्री किरनपाल सिंह--

29 की घटना है, 6 फरवरी को रिपोर्ट लिखी गयी । मृतक के पिता आये थे वह रोने लगे बताते-बताते बड़ा दुःख हुआ । मैं जानना चाहता हूं कि तमाम चीज साफ है पुलिस की साजिश थी, हत्या करने से पहले पुलिस को पैसा दिया । जिसकी हत्या की गई, वह प्रभा ऐसे समाज से थी, जहां दाह-संस्कार नहीं होता है, दफनाया जाता है लेकिन उसको जला दिया गया, दाह-संस्कार

किया गया । जो जवान बहू बेटियां मरती हैं, उनका पोस्ट मार्टम कराया जाता है और गहराई से तफसीस होती है । मैं जानना चाहता हूं कि इस केस में 8 दिन दर्ज करने के बाद कितने दिन बाद फाइनल रिपोर्ट लगायी गयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमान्, माननीय सदस्य ने कहा यह बात सही है कि इनका जो समाज है, इसमें कब्र बनाकर दफनाया जाता है और इस समाज में जलाया नहीं जाता है लेकिन विशेष परिस्थिति में प्रभा का दाह संस्कार कर दिया और किसी को बताया भी नहीं । जहां तक और बात बताई गई, तो उसमें कोई तथ्य छिपाने की कोशिश नहीं की जा रही है । जो रिपोर्ट की बात है, तो वह रिपोर्ट एस0 ओ0 ने 10 दिन के अन्दर लगायी है ।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कुसुम और उसके बाप को मारने की साजिश डी0 एस0 पी0 द्वारा कर रहे हैं उसका 164 म बयान कलमबन्द हुआ था । दूसरी बात क्या जिस बाप ने रिपोर्ट लिखाई थी उस बाप से भी जानकारी ली गई ? उससे भी कोई बात पूछी गयी ?

तीसरी बात बाप ने अपनी रिपोर्ट में सात गवाह लिखाये और सातों गवाह ने अपना सी0 जी0 एम0 दाखिल किया। तो क्या फाइनल रिपोर्ट लगा दी है उन बातों पर क्या आप ध्यान देंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, फाइनल रिपोर्ट एस0 ओ0 ने लगाई । उसको क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी ने मना कर दिया और दुबारा जांच के आदेश दिए गये । इसमें कुछ गड़बड़ी हुई इसको मैं भी स्वीकार करता हूं । इसलिए इस मामले को सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस पूरे प्रकरण को देखते हुये मैं साफ पूछना चाहता हूं कि पुलिस खुद इस मामले में इनवाल्व है । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जांच के आधार पर 302 में परिवर्तित किया गया । विवेचना की गयी । मान्यवर, जब यह 302 में परिवर्तित हो, या तो जिनकी नामजद रिपोर्ट थी, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया । इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह भाग गये होंगे । इससे साफ पता चलता है कि पुलिस उनको संरक्षण दे रही है । पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी, जिन्होंने 302 में फाइनल रिपोर्ट लगा दी ? क्या पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, इसीलिए ही तो इसमें सी0 आई0 डी0 के आदेश दिये हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप नियम 30 देखें । मैं प्रश्न का साफ उत्तर चाहता हूं । सी0 आई0 डी0 की जांच हो रही है । यह इसलिये हो रही है क्योंकि यह आत्महत्या का केस था। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 302 धारा लगायी गयी, जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, उसके आधार पर कह रहा हूं, बाद में भी फाइनल रिपोर्ट लग सकती है, तथ्यों के आधार पर । लेकिन उस समय तत्काल गिरफ्तारी नहीं हुई । फिर पुलिस ने बयान कैसे ले लिया, जब वह जेल ही नहीं गए ? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जानबूझ कर पुलिस द्वारा तथ्यों को छिपाने की कोशिश की जा रही है । तो क्या आप उन पुलिस के लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, 302 लगा हुआ है। उसकी इन्क्वायरी हो रही है और उसके बाद सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी हो रही है। जहां तक तथ्यों की बात है, अलग-अलग तथा इस मामले में सामने आये हैं। जो प्रभा के पति थे, उनके कुछ नाजायज सम्बन्ध अपनी साली कुसुम से थे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर।)

आप सुन तो लीजिए। झूठ क्या है और सच क्या है, यह तथ्य सी0 आई0 डी0 से निकल आयेगा। जहां तक दहेज की बात आयी। अगर दहेज के बारे में उन्होंने लिखवायी है कि दहेज की वजह से प्रभा को जलाया गया है। अगर दहेज की वजह से प्रभा को जलाया होता तो छोटी बहन कुसुम को उसी घर में क्यों ब्याहा जाता ?

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

जैसा कि माननीय मन्त्री जी बता रहे हैं कि कुसुम और प्रभा की शादी अलग-अलग दिन हुई है। इस सम्बन्ध में मैं मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इन दोनों बहिनों की शादी एक ही दिन और एक ही साथ हुई है। दूसरा आपने बताया कि कुसुम और प्रभा के पति के नाजायज सम्बन्ध थे। तो इस मामले में कुसुम के बयान लिये जाने चाहिए थे ? पुलिस कर्मी जब इस मामले में दोषी हैं तो आप इस केस को सी0 आई0 डी0 को देकर इस मामले को दफना रहे हैं, चूंकि सी0 आई0 डी0 में भी वही अधिकारी/कर्मचारी होते हैं जो पुलिस में होते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस मामले की जांच किसी दूसरी एजेन्सी से करवाने की कृपा करें ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं कि सी0 आई0 डी0 के कर्मचारी और अधिकारी करप्ट होते हैं। हमारे सी0 आई0 डी0 के अधिकारी और कर्मचारी ईमानदार होते हैं और वे सही तथ्यों को सामने लायेंगे, इसीलिए सी0 आई0 डी0 से जांच कराने वाली बात हो रही है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं प्रदेश के एक गृह राज्य मन्त्री जी से बात कर रहा हूं न कि किसी दरोगा से। मैं उम्मीद करता हूं कि वह गृह राज्य मन्त्री की तरफ से उत्तर देंगे न कि एक दरोगा की तरह से। मान्यवर, 8 दिन के अन्दर फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी। उसकी बहन कुसुम के बयान लिये गये कि नहीं लिये गये ? जो एफीडेविट दाखिल किए गये थे, उन पर विचार किया गया कि नहीं किया गया ? आपने स्वयं कहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है जरूर। अगर आप गड़बड़ी मानते हैं और इतने महत्वपूर्ण बिन्दु पर उदासीनता दिखाई गई है, तो क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि जिन अधिकारियों ने इस केस की तफतीश की, उनका भी इसमें इनवाल्वमेंट है ? तो क्या आप उस अधिकारी को निलम्बित करने पर विचार नहीं करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस ए0 ओ0 ने इस मामले में इन्क्वायरी की है, उसके प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। उसने गलत किया है, उसको मैं निलम्बित करूंगा। माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि सी0 आई0 डी0 से जांच न करवाई जाय क्योंकि उसमें सारे आदमी बदनाम होते हैं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। जिस एस0 ओ0 ने 10 दिन के अन्दर फाइनल रिपोर्ट लगायी है, उसके खिलाफ में अवश्य कार्यवाही करूंगा और इसकी इन्क्वायरी करने के बाद में आपको अवगत कराऊंगा।

## कानपुर जिले में देशी शराब के ठेके की नीलामी में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(किसी के आपत्ति न करने पर ।)

आबकारी मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)--

[दिनांक 26 मार्च, 1984 को कानपुर नगर जनपद की समस्त देशी शराब व भांग के फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 1984-85 के लिए नीलाम जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । जिलाधिकारी के सहायतार्थ अपर जिलाधिकारी, कानपुर नगर, जिला आबकारी अधिकारी, कानपुर नगर तथा उप आबकारी आयुक्त, कानपुर प्रभार कानपुर व अपराध निरोधक क्षेत्रों के सभी आबकारी निरीक्षकगण नीलाम पर उपस्थित रहे । कानपुर नगर क्षेत्र की 32 देशी शराब की दुकानें व कानपुर के देहात क्षेत्र की 17 देशी शराब की दुकानों का नीलाम पहले अलग-अलग किया गया । यह सब ही दुकान एक ही तहसील में स्थित हैं । दुकानों का अलग-अलग नीलाम किए जाने पर दुकानों के आंकलित मूल्य से पर्याप्त कम धनराशि की बोली आयी ।

2--दुकानों के अलग-अलग नीलाम किये जाने पर पर्याप्त बोली न आने पर प्रत्येक सेक्टर की सभी देशी शराब की दुकानों का छोटा-छोटा ग्रुप बनाकर नीलाम किया गया । इस प्रकार सेक्टर वार दुकानों के ग्रुप को नीलाम किए जाने पर भी वर्ष 1983-84 के अनुज्ञापन शुल्क से आंशिक वृद्धि की ही बोली आयी ।

3--दुकानों के सेक्टरवार ग्रुप बनाकर नीलाम किये जाने पर वर्ष 1984-85 के अनुज्ञापन शुल्क में पर्याप्त वृद्धि न हो पाने पर सभी 49 देशी शराब की दुकानों का ग्रुप बनाकर नीलाम किया गया । इस ग्रुप पर सबसे बड़ी बोली 4,80,00,000 रुपयों की सर्वश्री राम प्रकाश जायसवाल, रघुनाथ प्रसाद जायसवाल, शंकर प्रसाद जायसवाल, विमल कुमार जयसवाल, महादेव प्रसाद जयसवाल, राम नारायन साहू, विनेश कुमार जयसवाल व गुरु प्रसाद जयसवाल की आयी जिसे स्वीकार किया गया । बोली स्वीकार होने पर सफल नीलाम क्रेताओं द्वारा 62,02,000 रुपयों के बैंक ड्राफ्ट जमा किये गये व 3,78,000 रुपया नगद अग्रिम धनराशि जमा की गयी । शेष 14,20,000 रुपये की अग्रिम धनराशि निम्न प्रकार से जमा की गई हैं :—

| | | |
|---|---|---|
| 27-3-84 | 5,20,000 | नकद । |
| 27-3-84 | 3,00,000 | बैंक ड्राफ्ट । |
| 28-3-84 | 2,75,000 | नकद (चालान सं0 23, दिनांक 28-3-84 द्वारा) |
| 29-3-84 | 2,25,000 | नकद (चालान सं0 35, दिनांक 29-3-84 द्वारा) |
| 29-3-84 | 1,00,000 | नकद (चालान सं0 56, दिनांक 29-3-84 द्वारा) |
| योग.. | 14,20,000 | |

कुल अग्रिम धनराशि 29-3-84 तक जमा हो गई थी ।

4--वर्ष 1984-85 के देशी शराब की समस्त 49 देशी शराब की दुकानों को एक ग्रुप में बनाकर नीलाम करना इसलिये आवश्यक हो गया कि दुकानों को अलग-अलग नीलाम किये जाने पर

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वर्ष 1983-84 के अनुज्ञापन शुल्क से कम की बोलियां आयी और दुकानों का सेक्टरवार नीलाम किये जाने पर भी अनुज्ञापन शुल्क में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई थी । अतः राजस्व के हित में तथा तस्करी रोकने हेतु तहसील कानपुर की समस्त 48 देशी शराब की दुकानों का एक ग्रुप बनाकर नीलाम किया गया । फलतः देशी शराब से सरकारी राजस्व में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । नीलाम सम्पन्न कराने में कोई अनियमितता सम्बन्धी शिकायत के बारे में छानबीन के उपरान्त निर्णय लिया जाएगा ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी सत्य बोलने में पारंगत हैं और मेरा ख्याल है कि जो मैंने आरोप लगाया था, उस सत्य को उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है । मान्यवर, आप देखें, इसमें लिखा हुआ है कि ठेके की नीलामी में सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अग्रिम धनराशि के एकमुश्त जमा न किये जाने पर जिस दिन आबकारी बजट प्रस्तुत कर रहे थे माननीय मन्त्री जी, तो उस दिन उन्होंने दो महत्वाकांक्षी और मजबूत उद्घोषणायें की थीं कि हमने एक नियमावली बनायी है । उन्होंने कहा था कि सालवेन्सी सार्टीफिकेट लेने के बाद, जो हमारे ठेके की नीलामी लेने वाले व्यक्ति हैं, जो आज तक हमारे धन का अपहरण कर लिया करते थे, उनके ऊपर दो पाबन्दियां लगा दी गयी हैं । पहला जिसकी अन्तिम बोली आयेगी, उसका छठां हिस्सा, ज्योंही नीलामी की 1, 2 और 3 खत्म हो जायेगी तत्काल जमा हो जायेगा और उसे 12 परसेन्ट बैंक गारन्टी भी देनी होगी सम्बन्धित व्यक्ति की जो नीलामी लेने वाला है । इसमें मान्यवर, आप देखें, जो ठेका नीलाम हुआ वह 4 करोड़ 80 लाख रुपये का था और इसका छठां हिस्सा 80 लाख रुपये होता है । 26 मार्च, 1984 को यह नीलामी हुई ज्योंही यह नीलामी खत्म हुई तो उसी दिन यह पैसा जमा हो जाना चाहिए था ।

मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि कुल 62 लाख रुपयों के ड्राफ्ट जमा हुए और 3 लाख 78 हजार रुपया नगद अग्रिम धनराशि जमा की गई । जोकि 14,20,000 रु0 की बाबत उन्होंने कहा कि उस दिन नहीं हुआ । उसकी सूची माननीय मंत्री जी ने दी है । 27 तारीख को 5 लाख 20 हजार रुपया, 27 तारीख को ही 3 लाख रुपया, 28 तारीख को 2 लाख 75 हजार रुपया, 29 तारीख को 2 लाख 25 हजार रुपया और फिर 29 तारीख को ही एक लाख रुपया जमा हुई यानि यह 14 लाख 20 हजार की धनराशि तीन दिन बाद जमा हुई । जो इतनी बड़ी अनियमितता, नियमों के विपरीत, मर्यादाओं के विपरीत और आपकी घोषणाओं के विपरीत हुआ, उसके बाद भी उस व्यक्ति के हाथ में ठेका रखा, तो इसके पीछे क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह--

इसके पीछे यही बात है कि वह एक मात्र बोली बोलने वाला था । किसी व्यक्ति के साथ यदि बोली बोलने में अन्याय हुआ हो, तो जो कार्यवाही कहेंगे, वह करेंगे ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, किसी बोली बोलने वाले के साथ अन्याय हुआ, ऐसा मैंने आरोप नहीं लगाया । आरोप यह लगा रहा हूं कि बोली बोलने वाले ने ही शासन के साथ अन्याय कर दिया । कानून है, नियम यह है कि जो अन्तिम बोली होगी और जिसको ठेका मिलेगा, जो अन्तिम बोली का हकदार होगा, उसको उसका छठा अंश तत्काल जमा करना होगा और वह यहां जमा नहीं हुआ है । इन तथ्यों के प्रकाश में आने के बाद भी, उसके ठेके को न कैंसिल किये जाने का क्या कारण है ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, मोहन सिंह जी ने प्रश्न भी किया और उत्तर भी दे दिया। फिर भी उनको शंका है। लेकिन, फिर भी मैं वक्तव्य के अंतिम वाक्य की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करूंगा--"नीलाम सम्पन्न कराने में कोई अनियमितता सम्बन्धी शिकायत के बारे में छानबीन के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा।" इसमें हमने यह कह दिया है। अब और क्या कार्यवाही माननीय सदस्य चाहते हैं।

## औरंगाबाद-बादशाहपुर तालाब, जिला बुलन्दशहर नामक प्रस्तावित ड्रेन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर स्पष्टीकरण (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, बुलन्दशहर जिले में जो यह प्रस्तावित ड्रेन है, इसकी बाबत 20 ग्राम सभाओं में से 19 ग्राम सभाओं ने मना कर दिया है, वहां की जनता नहीं चाहती है। वहां पर कोई वाटर लागिंग नहीं है। वहां के विधान सभा सदस्य नहीं चाहते हैं, तो क्या इस मामले को बन्द करके, इसे समाप्त करने पर विचार करेंगे ?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सिंह)--

मान्यवर, जन भावनाओं का आदर किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

क्या आदर किया जायेगा, इसे बन्द कर दिया जायेगा ?

श्री गुलाब सिंह--

मान्यवर, बन्द कर दिया जायेगा।

†दिनांक 31 मार्च, 1984 की कार्यवाही से।

## मानव उपयोग के लिये अनुपयुक्त घोषित गेहूं राज्य सरकार द्वारा आटा मिलों को जबरन दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

इस वक्तव्य को क्या पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(किसी के आपत्ति न करने पर।)

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

[दिनांक 29 मार्च, 1984 को माननीय श्री किरन पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा ने निम्नलिखित नियम 56 की सूचना दी है :--

"आजकल उ0 प्र0 में खाद्य विभाग द्वारा आटा मिलों को सड़ा-गला गेहूं बेचा जा रहा है। इस गेहूं को भारतीय खाद्य निगम ने जहरीला गेहूं बता कर रिजेक्ट कर दिया है। मालूम चला है कि यह गेहूं सरकारी विक्रय मूल्य से भी कम दाम पर बेचा जा रहा है। सरकारी मूल्य 208 रु0 प्रति कुन्तल है जबकि यह गेहूं आटा मिलों को 184 रु0 प्रति कु0 की दर से बेचा जा रहा है। इस गेहूं को आटा के रूप में खाने से जन-स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। यह बात भारतीय खाद्य निगम ने चेतावनी के रूप में कही है। इस आटा को खाने से तरह-तरह की बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। यदि समय रहते इसको नहीं रोका गया तो जन-स्वास्थ्य के लिए अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो जायेगी।"

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 29 मार्च, 1984 को माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य विधान सभा ने निम्नलिखित नियम 56 की सूचना दी है :—

"वर्ष 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खरीद गया गेहूं घटिया किस्म तथा मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त समझ कर भारतीय खाद्य निगम ने लेने से मनाकर दिया है । यह स्टाक 50 हजार टन है । परन्तु अब वही गेहूं कम मूल्य (208 रुपये के बजाय 188 रुपये में) पर प्रदेश की आटा मिलों को राज्य सरकार जबरिया दे रही है । आटा मिल वाले उसे पीस कर आटा बनायेंगे तथा बाजार में बेचेंगे । ज्ञातव्य है कि रोलर आटा मिलों को सरकार के अलावा किसी भी अन्य स्रोत से गेहूं खरीदना बन्द है । यह खराब गेहूं वह नहीं ले रहे हैं । इससे जहां आटा मिल बन्द होकर श्रमिक संकट उत्पन्न होगा वही प्रदेश की जनता को विषैला आटा खिलाया जायगा । दुर्व्यवस्था से सरकार को आर्थिक क्षति भी होगी ।

सरकार द्वारा घटिया गेहूं आपूर्ति करने से जनता में भीषण असन्तोष तथा उत्तेजना है । अतएव लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर विचार करने के लिए मैं कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना देता हूं ।"

उपरोक्त सूचना एक ही विषय से, सम्बन्धित है । अतएव इसका संयुक्त वक्तव्य दिया जा रहा है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह सूचित करना है कि खाद्य विभाग द्वारा रोलर फ्लोर मिलों को कोई सड़ा गेहूं नहीं दिया जा रहा है तथा यह भी गलत है कि भारतीय खाद्य निगम ने यह गेहूं जहरीला कहकर अस्वीकृत किया है । तथ्य यह है कि जब गेहूं की खरीद किसानों से की जाती है तो क्रय संस्थाओं के पास विश्लेषण साधनों के अभाव में उनके द्वारा दृष्टि निरीक्षण के आधार पर गेहूं खरीदा जाता है । कभी-कभी वह गेहूं गुण-निर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं होता है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह गेहूं जहरीला है तथा मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त है । इस सम्बन्ध में शासन ने पहले यह निर्णय लिया था कि जो गेहूं भारतीय खाद्य निगम द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए उसे सरकार अपने गोदाम में रख लें और रोलर फ्लोर मिलों को या सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से बिकवा दें । इस प्रकार के गेहूं की मात्रा लगभग 13,000 टन है । यह गेहूं वर्ष 1983-84 की रबी खरीद का है । तदुपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि क्रय संस्थाएं इसे या तो रोलर फ्लोर मिलों को 208 रु0 में बेंच दें या इसे प्रदेश से बाहर बेचें । शासन द्वारा 18 अगस्त, 1983 को शासनादेश में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जिस रोलर फ्लोर मिलों को यह गेहूं दिया जाय उनसे यह लिखित ले लिया जाये कि वह गेहूं पी0एफ0ए0 रूल्स के अनुरूप न होने की दशा में सफाई कर अथवा अच्छा गेहूं मिलाकर पी0 एफ0 ए0 रूल्स के अधीन लेने के बाद ही गेहूं उत्पाद में परिवर्तित करेंगे ।

भारतीय खाद्य निगम में इस प्रकार की कोई चेतावनी नहीं दी है जिसे माननीय सदस्य ने कहा है ।

उपरोक्त गेहू का निस्तारण न होने की वजह से शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 18 अगस्त, 1983 के क्रम में 9 मार्च, 1984 को यह आदेश दिया गया कि ऐसा गेहूं 188 रु0 प्रति कुंतल की दर से रोलर फ्लोर मिलों को दे दिया जाय । इसमें यह स्पष्ट रूप से लिख दिया गया था कि केवल इसी सीमा तक शासनादेश दिनांक 18 अगस्त, 1983 को संशोधित समझा

जाए । अतः पी० एफ० ए० रूल्स के अन्तर्गत उत्पाद की सुनिश्चितता बनी रहे ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कोई जहरीला गेहूं सरकार द्वारा नहीं बेचा जा रहा है और इस बात के स्पष्ट निर्देश हैं कि रोलर फ्लोर मिलें गेहूं की पी० एफ० ए० रूल्स के अन्तर्गत लाने के बाद ही उसका उत्पाद बनायें इससे यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त आदेशों के रहते हुए इसके आटे से तरह-तरह की बीमारियां फैलने का प्रश्न नहीं उठता है । रोलर फ्लोर मिलों को मासिक कोटा दिया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की गयी है और यदि रोलर फ्लोर मिलें ऐसा गेहूं न लेंगे तो उनकी मिलों के बन्द होने पर श्रमिकों के बेकार होने का प्रश्न नहीं उठता है । उनको भारत सरकार द्वारा नियमित कोटा मिलता रहेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी ने मेरे आरोप को स्वीकार किया, मात्रा में थोड़ा सा फर्क है । मैं माननीय मन्त्री जी ने मेरे आरोप को मान्यवर, जानना चाहता हूं कि जब इनको जानकारी मिल गयी आज से करीब-करीब एक साल पहले कि यह सामान सड़ा हुआ है, क्योंकि खाद्य निगम ने इसे लेने से मना कर दिया था । उस सामान, उस गेहूं का कोई योग्य डिस्पोजल क्यों नहीं किया गया ? आज एक साल से उनको मजबूर किया जा रहा है, उसे दूसरों के लिये, जो कि स्वास्थ्य के लिये अहितकर होगा । दूसरी बात सीधे-सीधे यह भी जानना चाहता हूं कि इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जो आटा मिल हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से आपसे 208 रुपए में खरीदना पड़ता है, जब कि आप 152 रुपए में गेहूं खरीदते हैं । इतना प्राफिट लेकर के मान्यवर, आटा मिलों को यह बाध्यता कर दी गयी है कि वे अनिवार्य रूप से खाद्य निगम से ही, सरकार से ही गेहूं लेंगे, उससे उसकी कीमत बढ़ जाती है और उससे उपभोक्ता का भी अहित होता है । अगर इसमें खुले बाजार से उनको मौका मिल जाता, तो उससे उपभोक्ता को भी लाभ होता, काश्तकार को भी अच्छी कीमत मिल जाती, तो इस बात को भी न करने का क्या कारण है ? और तत्काल उसका डिस्पोजल क्यों नहीं किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, जरा प्रश्न दोहरा दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने पहला सवाल यह किया था कि जब शासन को इस बात की जानकारी मिल गयी एक साल पहले ही कि यह सामान खराब है, और उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया था, तो उसी समय खराब सामान का डिस्पोजल होना चाहिए था ।

एक साल और रखे रहकर उसकी खराबी की मात्रा और बढ़ा दी गयी, मैं जानना चाहता हूं कि इस देरी के लिये कौन जिम्मेदार हैं ? दूसरी बात, यह जो फ्लोर मिल वाले हैं, इनको 208 रु० में अनिवार्य रूप से गेहूं देते हैं और किसी सूत्र से वह खरीद नहीं सकते । हमसे नहीं मिलता तो 252 रु० में बाजार से बढ़कर लेते हैं । अगर उनको बाजार से खरीदने का मौका मिलता तो काश्तकार को भी बढ़ी हुई कीमत मिलती ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्य ने यह विचार प्रगट किया कि सड़ा हुआ गेहूं बेचा गया, तो यह बात सही नहीं है, इस तरह का कहीं नहीं बेचा गया है । मालूम होता

है माननीय सदस्य को 83-84 का जो खाद्यान्न का प्रश्न है गेहूं का, उस वक्त तमाम संस्थायें खरीदती हैं, वह खरीदकर खाद्य निगम को बेचती हैं। खाद्य निगम उसमें से कुछ को अस्वीकार कर देता है, वह स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। वितरण के सवाल में या तो फ्लोर मिलों को दें या जो सोसायटीज हैं वितरण की उनके माध्यम से वितरण करें। जो कुछ नगण्य जो तादाद माननीय सदस्य ने दी है, जो हमारे पास था, पहले मन्त्रि परिषद् से हुआ कि बेचने के लिये 208 रु0 कीमत रखी गयी, लेकिन फ्लोर मिल वालों ने स्वीकार नहीं किया, वह कम कीमत पर चाहते थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वह गेहूं खराब था।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी नहीं, भाव की वजह से नहीं खरीदा। जहां तक प्रश्न है बेचने का कुछ हमारे संस्थान हैं, उनको 170 से 185 रु0 तक बेचा। लेकिन यह जो फैसला हुआ यह 208 रु0 का हुआ, उस पर गवर्नमेन्ट ने इन संस्थानों को ..

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इनका फैसला तो है नहीं यह फैसला तो केन्द्र सरकार का है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्य समझ नहीं रहे हैं। जो अस्वीकार वाला गेहूं था, वह खरीदा नहीं था। यह तो हर साल ही होता है। जो खाद्य निगम अस्वीकार कर देता है, वह गेहूं उसको बेचा नहीं जाता है। उसकी दशा देखकर उसे खाद्य निगम ने अस्वीकार कर दिया, किन्तु यह नहीं है कि वह खराब था। यह भी प्रश्न नहीं है कि अगर फ्लोर मिल न लेती तो वहां की जनता ले लेती। इस बात का कोई क्लू नहीं है कि वह खराब गेहूं था।

(श्री किरनपाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरे दूसरे पार्ट का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें मैंने श्री किरन पाल सिंह को बुला लिया है।

श्री किरनपाल सिंह--

मेरी निश्चित जानकारी है कि यह गेहूं जो उत्तर प्रदेश की संस्थाओं ने खरीदा था, वह बरसात में बाहर पड़ा रहा और इस तरह गेहूं सड़ने की नौबत तक पहुंचा। प्रमाण भी दे सकता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर क्या माननीय मन्त्री जो इस बात को फिर से दिखलायेंगे कि जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में आरोप लगाया था, उसकी सत्यता से, हमारे पास तो प्रमाण है हमनें खुद देखा है, क्या इस बात की फिर से जांच करवायेंगे कि जो सस्ता गेहूं दिया गया है, वह "सब स्टैन्डर्ड" है, सड़ा है? क्या जांच करवायेंगे कि जो गेहूं उपभोक्ताओं ने सहकारिता विभाग से खरीदा था, वह ज्यादा मात्रा में खराब हो गया था?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

यह असत्य है कि वह गेहूं खराब था। खाद्य निगम ने उसको अस्वीकार इसलिये नहीं किया था कि वह खराब था बल्कि खाद्य निगम के मानकों के आधार पर, गुण-दोष के आधार पर उसको अस्वीकार किया गया था।

तो यह कहना कि वह गेहूं खराब बेचा जा रहा है। उचित नहीं है। जब फ्लोर मिल में गेहूं जाता है, तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, वहां जाकर उसकी क्वालिटी देखा जाती है, फिर

पूरी तरह सफाई होती फिर उसमें यदि आवश्यकता होती है तो चना आदि मिलाकर उसे पीसा जाता है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह देखते हुए कि जब सन् 83--84 में यानी पिछले साल गहूं खरीदा गया था, वह खेतों म पड़े रहने की वजह से बरसात से पहले खराब हो चुका था, इसी वजह से फिर उसे सब--स्टैन्डर्ड करार दिया गया तभी उसे किसानों से रेट घटाकर 1.52 पैसे में खरीदा गया, फिर उस पर यह हुआ कि आपका विभाग उस गेहूं का प्रबन्ध ठीक से नहीं कर सका गोडाऊन में रखने की जिसकी वजह से और खराब हुआ और फिर उसे खुले बाजार में न फौरन निकालकर उपभोगताओं के सुपुर्द किया गया । इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मेरी मांग ह कि आप मान्यवर, पहले जांच करवायें और इस सम्बन्ध में जो भी अधिकारी दोषी पाये जायं, उनके खिलाफ कार्यवाही करन की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह सत्य नहीं है । यह गेहूं मैं फिर कह रहा हूं कि बरसात की वजह से खराब नहीं हुआ था बल्कि किन्हीं और वजहों से उस गेहूं को सब--स्टैन्डर्ड किया था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने जो दो बातें पहले कहीं थीं, वही इस पूरे वक्तव्य में नीति सम्बन्धी बिन्दु हैं और उसी बात को रियासत साहब ने भी अपने ढंग से कहा है । आपने अपने वक्तव्य में यह बात स्वयं स्वीकार की है यह सब--स्टैन्डर्ड होने की वजह से आटा मिल को दे दिया था, फिर सरकारी गल्लों की दुकानों पर दिया ताकि वहां यह बंटवाया जाए और उससे आम आदमी प्रभावित हो । मेरा जो इसमें नीति सम्बन्धी एक प्रश्न है वह यह जिसका जवाब माननीय मन्त्री जी नहीं दे रहे हैं कि जब यह खराब हो गया था तो इसका डिस्पोजल फौरन क्यों नहीं कर दिया गया ? क्या इसकी जांच करायेंगे और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? और दूसरा प्रश्न यह है कि उसको खुलेबाजार में क्यों नहीं बेचा गया बजाए आटा मिल को देने की कोशिश करने और जब उसने नहीं लिया तो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर उसे बेचने के लिए मजबूर किया गया क्या ऐसा करने वाले अधिकारी के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

नहीं मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बताया वह ऐसी बात नहीं है, वह माल बरसात की वजह से खराब न होकर किसी अन्य वजूहात से खराब हुआ था और उन लोगों ने जो इसे रिजेक्ट किया था, वह अपने हिसाब से चेक करते हैं, उनके अपने चेक करने की एक प्रक्रिया है, इसलिए किसी दूसरी वजह से इसे नहीं लिया था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, क्योंकि मेरी नीति सम्बन्धी जो बात थी, उसका जवाब नहीं आ रहा है ।

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो वह उत्तर दे रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इसी पर तो मेरी व्यवस्था है कि मंत्री जो उत्तर के नाम पर जो उत्तर दे रहे हैं, हम लोगों में करीब--करीब सभी सदस्यों ने एक ही बात जाननी चाही है जब सरकार को सड़े गेहूं का पता लगा तो उसका तुरन्त डिस्पोजल क्यों नहीं किया गया और फ्लोर मिल को खुले बाजार से क्यों नहीं गेहूं लेने दिया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

208 पर यह पड़ता नहीं क्योंकि इसमें ही सब हिसाब शामिल था। इस कीमत के हिसाब से फ्लोर मिल—

श्री कुबेर भण्डारी—

सड़ा नहीं था तो जरा उसका नमूना तो दिखाइये।

श्री अध्यक्ष—

जब माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं तो आपको नहीं खड़े होना चाहिये। भण्डारी जी, आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, जो मैंने अर्ज किया कि फ्लोर मिल 208 रु0 प्रति क्विन्टल के हिसाब से नहीं लेना चाहती थी, वह चाहती थी कि एफ0 सी0 आई0 गवर्नमेन्ट को 172 रु0 के हिसाब से गेहूं देती है और आगे जाकर फिर कंज्यूमर से कीमत को बढ़ा देते हैं। इस बहाने से उन्होंने इन्कार किया। लेकिन माननीय सदस्यों का जो यह है कि सड़ा हुआ गल्ला एफ0 सी0 आई0 ने लेने से इन्कार किया, यह बात गलत है। इसलिय इसकी जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

## उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थाओं में एक अरब रुपये से अधिक के घोटाले के सम्बन्ध में वक्तव्य

अध्यक्ष—

क्या इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय?

श्री मोहन सिंह—

हां मान लिया जाय। नहीं तो मंत्री जी को पढ़ने में कष्ट होगा।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)—

[1 जुलाई, 1953 से 30 जून, 1983 तक समस्त सहकारी संस्थाओं द्वारा 11,312 करोड़ रु0 का व्यवसाय किया गया है। उक्त व्यवसाय का लेखा परीक्षण उत्तर प्रदेश सहकारी लेखा परीक्षण संगठन द्वारा करने पर अवशेष 1,29,960 आपत्तियों में 87,01,46,000 रु0 की धनराशि सन्निहित है, जिसमें अपहरण की धनराशि 23,10,87,000 रु0 मात्र है तथा शेष धनराशि वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित है। स्पष्ट है कि उपर्युक्त 87,01,46,000 रुपये की धनराशि का लगभग तीन-चौथाई भाग केवल प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से सम्बन्धित है।

वित्तीय अनियमितताओं के प्रकाश में आने के फलस्वरूप 1604 सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सहकारी पर्यवेक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई और इनमें से 1436 को दंडित किया गया। अपहरण के मामलों में दोषी कर्मचारियों की निष्पक्ष जांच एवं कार्यवाही हेतु पुलिस की विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) का वर्ष 1972 में सृजन किया गया था। इस शाखा द्वारा वर्ष 1983 तक 6351 अभियोगों की विवेचना की गयी, जिसमें से 3643 अभियोग न्यायालय को निर्णय हेतु भेजे गये तथा 917 अभियोग न्यायालय द्वारा निर्णीत किये गए। इन 917 अभियोगों में से 634 मामलों में अभियुक्तों को दण्डित किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि 1972 से जून, 1983 तक 2,92,75,384.37 रु0 की अपहृत धनराशि अभियुक्तों से जमा करा ली गयी।

समस्त सहकारी संस्थाओं की आडिट आपत्तियों का शोष प्राथमिकता के

---

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आधार पर परिपालन कराने के उद्देश्य से निबन्धक द्वारा यह आदेश दिये गये हैं कि यदि किसी स्तर पर कर्मचारी द्वारा अनुपालन में विलम्ब होगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। समय-समय पर शासन स्तर से भी आयुक्तों तथा उप निबन्धकों को विशेष लेखा प्रतिवेदनों के अनुपालन हेतु निर्देश भेजे गये हैं।

ज्ञातव्य है कि अधिकतर आडिट आपत्तियां प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से सम्बन्धित हैं, जिसका मुख्य कारण यह है कि विभाग में वर्ष 1953 से समितियों के लेखे-जोखे के रख-रखाव पर मार्गदर्शन हेतु एवं लेखों के सामयिक निरीक्षण तथा आडिट आपत्तियों के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए अलग से कोई लेखा वर्गीय कर्मचारी नहीं है। वर्ष 1953 से पूर्व सहकारी लेखा परीक्षक, विभागीय कर्मचारी होने के नाते, इस कार्य को भी करते थे। इस सम्बन्ध में आंतरिक लेखा निरीक्षकों की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं।

पाम आयल, रेपसीड आयल की कालाबाजारी की दो शिकायतें, जो गोरखपुर व लखनऊ जनपदों से सम्बन्धित हैं, प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच की जा रही है। यदि कालाबाजारी के आरोप सिद्ध पाये गये, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायगी।]

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, यह प्रश्न नियम 56 में आया था और आपने कृपा करके मुझे इस पर बोलने की भी अनुमति दी थी। उस समय माननीय सहकारिता मंत्री जी ने कहा था कि 87 करोड़ रु0 के गबन की जानकारी उन्हें नहीं है। आज आप स्वीकार करते हैं 87 करोड़ रुपये जब 30 जून, 1983 को आडिट किया गया तो उसमें यह अनियमितता पायी गयी।

(श्री पुरुषोत्तम के श्री सीताराम निषाद के पास बैठने पर।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ये आप क्या कर रहे हैं? मंत्री जी वहीं पर बैठे हुए हैं और आप लोग ऐसा कर रहे हैं? यह जो पद्धति है, दो सदस्यों के बैठने के लिये कुर्सी बनी हुई है उस पर आप लोग तीन-तीन बैठते हैं, यह बात गलत है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

श्रीमन्, जो मेरा आरोप था जिसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कह दिया था कि ये हवाई फायर करते हैं। संयोग से मेरा वह हवाई फायर आज सत्य साबित हो गया है कि 1,29,960 आपत्तियों में 87 करोड़ रु0 की वित्तीय अनियमितता पायी गयी। क्या इस आडिट आबजेक्शन का तुरन्त निस्तारण नहीं किया जाना चाहिये? और इस अनियमितता से सम्बन्धित जो सरकारी कर्मचारी व अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध तत्काल कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री बच्चा पाठक---

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात कही कि उस दिन मैंने इन्कार किया था। हमें जहां तक याद है मैंने कहा था कि अगर इस तरह की गड़बड़ी होगी तो इसकी जांच करा लेंगे। और जहां तक यह जो 83 की बात है, माननीय सदस्य कहते हैं, यह रिपोर्ट है वह 1953 से 1983 की है, 30 वर्षों की है। मान्यवर, इस साल में 11,312 करोड़ रुपये का बिजनेस हुआ है और जिसमें से आपत्तियां जो आयी हैं वह 87,01,46,000 रुपये की है। इसमें गबन की आपत्तियां बहुत कम हैं, जो फाइनेन्शियल आपत्तियां हैं वह ज्यादा हैं और जो कर्मचारी दोषी पाये गये उनके विरुद्ध समय-समय पर कार्यवाही की गयी। 3,643 अभियोग न्यायालय को निर्णय हेतु भेजे गये तथा 917

अभियोग न्यायालय द्वारा निर्णीत किए गए । इन 917 अभियोग में से 634 मामलों में अभियुक्तों को दन्डित किया गया । यह भी उल्लेखनीय है कि 1972 से जून, 1983 तक 2,92,75,384837 रु0 की अपहृत धनराशि अभियुक्तों से जमा कर ली गयी ।

श्री रियासत हुसेन--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन मामलों में स्पष्ट गबन है, मामले सबित हुए है उनके बारे में एफ0 आई0 आर0 लाज कराने के लिए निर्देश देने की कृपा करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

जहां पर आवश्यक समझा गया वहां पर दिया गया और जहां पर आवश्यक नहीं समझा गया वहां पर नहीं किया गया और जहां पर आवश्यक समझा जायेगा, वहां पर एफ0 आई0 आर0 लाज करायी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--

श्री तेज बहादुर गंगवार अगर नहीं हैं तो उनको बुलवाया जाय ।

श्री रियासत हुसैन--

मैं माननीय मंत्री जी की इस बात को मानता हूं कि इसमें अधिकतर फाइनेन्शियल इर्रेगुलैरिटीज हैं, लेकिन जिन आपत्तियों में स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि गबन का मामला है, तो ऐसे मामलों की एफ0 आई0 आर0 लिखाने की कृपा करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

मैंने मान्यवर, अभी कहा कि जहां आवश्यक समझा गया, वहां किया गया और जो गबन के मामले हुए हैं, उनमें कार्यवाही हुई है और जिन पर आवश्यक समझा जायेगा इन पर कार्यवाही की जायेगी ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, वक्तव्य की आखिरी लाइन में है पाम आयल, रेपसीड आयल की कालाबाजारी की दो शिकायतें जो गोरखपुर व लखनऊ जनपदों से सम्बन्धित हैं, प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनकी कौन जांच कर रहा है, तथा वह शिकायतें क्या हैं और रिपोर्ट कब तक मिल जायेगी ?

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, जो माननीय सदस्य का सवाल था, रेपसीड और पाम आयल के बारे में, जो विभाग को जानकारी थी उसके अनुसार मैंने कहा था । इसकी जांच हेड आफिस के डिप निबन्धक के माध्यम से करायी जा रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, जहां से मामला शुरू हुआ था, वहीं पर फिर आ गया, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि 53 लाख का बिजनेस हुआ था । आपने कहा था 53 लाख का बिजनेस हुआ है । मान्यवर, मैंने 12 तारीख को कार्य-स्थगन दिया था । उसको भी आप देख लें और जो मेरा प्रश्न था 30 तारीख को, उसको भी देख लें । मैंने 81-82, 82-83 और 83-84 की बात कही थी कि तीन वित्तीय वर्षों में 7 करोड़ रुपये से ज्यादा का रेपसीड आयल का आयात हुआ था जिसकी बाजार में कीमत 13/14 करोड़ रुपये होती है । इसको आपने इन्कार किया था । मैं अपनी बात पर पुनः बल देता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि जो आपने इस आदरणीय सदन में एक सूचना दी थी 12 तारीख को और आपने कहा था कि कोई अनियमितता वहां पर नहीं हुई है, वितरण ठीक हुआ है...

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, प्रश्न कर रहा हूं । तो यह कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि

आप इस बात को नकार रहे हैं, शासन का अधिकार कैसे गलत बोलेगा। इसीलिये मैंने कहा था कि 7 करोड़ का रेपसीड आयल जिसका बाजार में 13 करोड़ रुपया मूल्य है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए क्योंकि विभागीय अधिकारी जांच नहीं कर सकता है। क्या माननीय मंत्री जी राजनीतिक नैतिकता के तहत इस बात को स्वीकार करेंगे कि गोरखपुर के इस मामले में आप किसी न्यायाधीश से जांच कराने का आश्वासन सदन को देंगे ?

श्री बच्चा पाठक—

माननीय, विभागीय जांच हो रही है। न्यायिक जांच का कोई सवाल नहीं है क्योंकि विभागीय जांच ठीक होगी और मैं माननीय सदस्य से कहता हूं कि और उस जांच में कोई व्यक्ति दोषी होगा तो वह मेरे हाथों से बच नहीं सकता।

श्री लल्लू सिंह चौहान—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनके वक्तव्य में 11 हजार से अधिक करोड़ रुपये का व्यवसाय इन संस्थाओं ने किया है और 87 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में आपने कहा कि यह गबन तो कम हुआ है। यह आपने स्वीकार किया है कि गबन हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गबन के सम्बन्ध में किसी राजपत्रित अधिकारी को टर्मिनेट किया गया है, कोई सजा आपने दी ?

श्री बच्चा पाठक—

मैंने निवेदन किया कि इतने अभियुक्त हैं, इतने अभियुक्तों को दंडित किया गया है इतने न्यायालय में हैं और लोगों के ऊपर कार्यवाही की गई है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय, आप संरक्षण दें। मैंने बार-बार इस बात को दुहराया कि जब शासन एक बात को मान चुका है और शासन के अध्यक्ष मंत्री जी हैं, उनका एक बयान इस आदरणीय सदन में आ चुका है फिर विभागीय अधिकारियों से जांच कराने का क्या औचित्य है ? मैं फिर जानना चाहूंगा कि यदि न्यायाधीश नहीं, तो इस आदरणीय सदन की एक कमेटी आप अपनी अध्यक्षता में बना लें, उसकी जो रिपोर्ट होगी, जो फैसला वह कमेटी करेगी, वह हमें मान्य होगा। अगर 7 करोड़ रुपये की मेरी बात गलत होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो आप चले जाइये।

श्री बच्चा पाठक—

मैंने कहा कि विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा जांच हो रही है उसके उपरान्त ही कोई कार्यवाही की जा सकेगी। जहां तक सवाल है इस्तीफे का माननीय सदस्य तो इधर से भी वेतन पाते हैं और उधर से भी वेतन लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, आप संरक्षण दें। उत्तर देख लें। श्रीमन्, यह नियम और व्यवस्था भी है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच होती है तो जांच करने वाला अधिकारी उससे वरिष्ठ होना चाहिए। जो वक्तव्य है उसमें लिखा है कि जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है। उत्तर में कहा है कि जांच की जा रही है। तो मैंने जानना चाहा था कि जांच कौन कर रहा है वह उन्होंने बताया नहीं। जांच ए0 आर0 कर रहा है डिप्टी रजिस्ट्रार कर रहा है या ज्वाइंट रजिस्ट्रार कर रहा है मुख्यालय से किससे जांच कराई जा रही है ? यह सही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इस समय सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और आमदनी इस पाम आयल से हो रही है, वह पैसा ब्लाक से लेकर

ऊपर तक पहुंचता है । सब माननीय सदस्यों का एक तर्क है और हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि जांच कौन कर रहा है, वह हमें बता दें क्योंकि इसमें लिखा है कि जांच कर रहे ह तो हमारा जानने का हक बनता ह । जो व्यक्ति अपराधी है, उससे वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा जांच होनी चाहिये क्योंकि इसमें इतने व्यक्तियों का इनवाल्वमेन्ट है कि रजिस्टार तक इनवाल्वड हैं । इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति से या न्यायिक जांच न कराने का क्या कारण है ?

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, मैंने कहा कि एक जो सवाल उठाया गया माननीय गुप्ता जी ने सहायक निबन्धक के खिलाफ बात कही । तो डिप्टी रजिस्टार के माध्यम से इसकी जांच कराई जा रही है ।

## इनायत नगर, फैजाबाद के थाना इचार्ज व पुलिस कर्मियों की ज्यादतियों के विरुद्ध किये जा रहे कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य

(मद संख्या 17 पुकारने पर तथा श्री रणजीत सिंह जूदेव के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

(श्री तेज बहादुर गंगवार से) माननीय गंगवार जी आप बिना आज्ञा के जायेंगे नहीं ।

क्या मद संख्या 17 को पढ़ा समझा जाय ?

श्री मित्रसेन--

ठीक है पढ़ा समझा जाय ।

[समय 6 बजकर 13 मिनट]

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)--

[दिनांक 2 अप्रैल, 1984 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक श्री मित्रसेन यादव ने थाना इनायत नगर जनपद फैजाबाद के क्षेत्र में प्रदर्शन तथा एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जिसमें स्थानीय पुलिस के थानाध्यक्ष की आलोचना की गई तथा उसे अपशब्द कहे गये । सार्वजनिक सभा की समाप्ति पर सभा के संयोजकों ने थाने के सामने प्रदर्शन किया । कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता पास के एक स्थान पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में बैठक कर रहे थे । इस पर प्रदर्शकारियों ने कांग्रेस (आई) कार्यकर्ताओं तथा पुलिस को अपशब्द कहे, उनकी भर्त्सना की, उनके विरुद्ध नारे लगाये तथा कुछ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थर फेंके । पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर प्रदर्शकारियों ने उन पर भी पत्थर फेंके । उन्होंने थाने पर भारी पथराव किया और पुलिस के जवानों के लिए बनी फूस की रसोई में भी आग लगा दी ।

इनायत नगर के थानाध्यक्ष की श्री मित्रसेन यादव, विधायक के सामने उनके समर्थकों द्वारा पिटाई की गई जिससे उनके टखने की हड्डी पर गम्भीर चोट आई । जब एक कांस्टेबिल को प्रदर्शनकारियों ने पकड़कर घसीटा तो उसने आत्मरक्षार्थ अपनी निजी 12 बोर की बन्दूक से हवाई फायर किये जिससे कोई हताहत नहीं हुआ । थानाध्यक्ष तथा पुलिस फोर्स को बचाने के लिए पुलिस ने अश्रुगैस के गोले छोड़े तथा भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास किया । घटना में थानाध्यक्ष, एक उप निरीक्षक, पांच कांस्टेबिल तथा 14 अन्य लोगों को चोटें आईं । डाक्टरी मुआयने से पता चला कि थानाध्यक्ष को लगी चोटों में

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

से एक चोट गम्भीर थी । एक कांस्टेबिल के सिर में गम्भीर चोट आई । अन्य पुलिस कर्मियों को भी साधारण चोटें आईं।

पुलिस ने इस घटना के सम्बन्ध म 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया । प्रदर्शनकारियों में से एक को 12 बोर की बन्दूक के साथ घटनास्थल पर ही गिरफ्तार किया गया ।

इस घटना के सम्बन्ध में निम्न-लिखित तीन अपराध दर्ज किये गये

1--इनायत नगर के थानाध्यक्ष द्वारा श्री मित्रसेन यादव तथा कुछ अन्य के विरुद्ध भा0 दं0 वि0 की धारा 147/148/ 332/333/435/ 307/336 के अधीन दर्ज अपराध संख्या 118/84 ।

2--कांग्रेस (आई) के नेता श्री वंशगोपाल दुबे श्री मित्रसेन यादव तथा कुछ अन्य प्रदर्शकारियों के विरुद्ध भा0 दं0 वि0 की धारा 147/148/149/ 307/332/333 के अधीन दर्ज अपराध संख्या 119/84 ।

3--कांस्टेबिल संख्या--711 द्वारा भा0 दं0 वि0 की धारा 147/148/ 149/342/353/323 के अधीन दर्ज अपराध संख्या 120/84 ।

उपर्युक्त तीनों अपराधों की विवेचना प्रचलित है ।

यह कहना सही नहीं है कि पुलिस ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित प्रदर्शन में अशान्ति पैदा करने की कोई योजना बनायी थी । यह भी सही नहीं है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदर्शकारियों के पहुंचने से पहले थाना इनायतनगर ने अराजक तत्वों को थाने के सामने जमा करके कोई सभा आयोजित की थी । अतः तथाकथित सभा से नारे लगाये जाने का प्रश्न नहीं उठता । प्रदर्शनकारियों ने अवश्य ही उत्तेजक नारे लगाये थे । यह कहना भी सही नहीं है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सभा शान्ति पूर्ण ढंग से विसर्जित हो गयी थी । प्रदर्शनकारियों पर ईंट अथवा पत्थर नहीं फेंके गये थे । इसके विपरीत प्रदर्शनकारियों द्वारा ही पथराव किया गया था । पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिये अश्रुगैस छोड़ी तथा हल्के बल का प्रयोग किया । पुलिस द्वारा अन्धाधुन्ध गोलियां चलाने की बात सही नहीं है और न ही पुलिस की गोली से कोई व्यक्ति घायल हुआ है । श्री मित्रसेन यादव विधायक को लाठी से पीटे जाने की बात भी सही नहीं है । यह भी सही नहीं है कि इस घटना से क्षेत्र में क्षोभ तथा निराशा का वातावरण व्याप्त है । पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिये बड़ी सूझ-बूझ एवं संयम से काम लिया है और इस प्रकार पुलिस के आतंक तथा उसके प्रति जनता के आक्रोश में वृद्धि होने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस समय स्थिति सामान्य है और प्रशासन के नियंत्रण में है ।]

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, जो मद संख्या 17 का मामला है जिससे मेरा सम्बन्ध है । मान्यवर, हमारे यहां थाना इनायतनगर के दरोगा गरीबों को मार-मार कर झूठे मुकदमों में फंसा कर और अपराधिक तत्वों से पैसा लेकर और कुछ सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्त्ताओं के इशारे पर झूठे मुकदमों में लोगों को गिरफ्तार करता है और इसके विरोध में हमारी पार्टी ने एक प्रदर्शन आयोजित किया जिसकी सूचना मैंने अपने जिलाधिकारी और पुलिस आफिसरों को दी थी और उसे अखबार में भी प्रकाशित करा दिया था । इसके बावजूद रातों रात कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और कुछ लाइसेन्सी अराजकतत्वों को बुला कर एक सभा थाने के सामने आयोजित करा दी और मेरे पूर्व घोषित प्रोग्राम में अराजकतत्वों के द्वारा विघ्न डालने का आयोजन किया गया और हमारे

ऊपर हमला करने की उस दरोगा ने योजना बनाई । मैं जब उससे मिला तो उसने कहा आप जो कुछ करना चाहते हैं वह विधान सभा में उठायें यहां हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते । इस बात को मैंने एस० पी० से कही तो उसने कहा हम वही करते हैं, जो हमसे सरकार अपेक्षा करती है । तो इस तरह की बात सुनने के बाद हमने 12 बजे के प्रदर्शन के प्रोग्राम को दो बजे किया जो थाने से 5 कि० मी० दूर शान्तिपूर्ण ढंग से ले जाकर आयोजित किया । थाने के सामने दोनों तरफ पुलिस खड़ी थी ।

श्री अध्यक्ष--

आप आपस में बात न करें । माननीय मित्रसेन जी आप संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री मित्रसेन--

जो समय आप निर्धारित करेंगे उसी में कहूंगा । तो शान्तिपूर्ण ढंग से ब्लाक बिल्डिंग के सामने सभा की और 4 बजे सी० ओ० ने कहा आप एल० आई० यू० के माध्यम से मेमोरंडम दे दें । मैंने कहा मैं जब दूंगा जब कांग्रेस (आई) की सभा समाप्त हो जायेगी नहीं तो वह हमें मारेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री मित्रसेन--

अगर मुझे अपनी बात कहने का अवसर नहीं देंगे तो जो सही बात है, वह कैसे आयेगी ? मैं जिस मामले में मुल्जिम हूं और मुझे जिसमें फंसाया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है । माननीय, प्रदर्शन समाप्त हो गया था, उसके जाते समय कोई झगड़ा नहीं हुआ किन्तु जब प्रदर्शनकारी घर जा रहे थे तो उन पर लाठियां और गोलियां चलायी गयीं, जिससे कुल 55 लोग घायल हुए । घायलों में एक स्वतन्त्रता सग्राम सेनानी श्री राज बली जिनकी आयु 72 वर्ष है, उनको लाठियों से मारा गया और पेशाब पिलाया गया । थाने पर उनको पटका गया । मैं किसी तरह भागकर बच पाया और थाने गया तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि सादे कागज पर दस्तखत करके दे रहा हूं और कहता हूं कि जो बयान मंत्री जी का आया है, वह सही साबित हो जाय तो मैं स्तीफा दे दूंगा और यदि सही न हो तो मंत्री जी इस्तीफा दें : मान्यवर, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं । मैं आपके अलावा किससे यह बातें करें । यह एक अदालत है जिसमें मैं कह सकता हूं कि आप चाहे जो मुझे सजा दें, चाहे फांसी दें लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह मंत्री जी का बयान झूठा बयान है । इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से और शासन से मांग करता हूं और चाहता हूं कि इसकी सी० आई० डी० जांच करे या न्यायिक जांच करवा दें या सदन की कमेटी बना दें जो इसकी जांच करे लेकिन हमारी गिरफ्तारी, हमारे कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी और उनकी बहू बेटियों की बेइज्जती न करवायें, यही मेरा कहना है ।

श्री शेर बहादुर--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या उक्त प्रदर्शन में पुलिस कर्मचारियों को भी चोटें लगीं ?

(व्यवधान)

(विपक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जांय । आप लोग शांत रहें ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने भाषण किया है और कोई प्रश्न नहीं किया, इसलिए प्रश्न करें तो उत्तर हम दें ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं ।

(व्यवधान)

आप लोग बैठ जायं ।

श्री मित्रसेन ने प्रश्न यह किया है कि क्या इस मामले की सी० आई० डी० इंक्वायरी या जुडीशियल इंक्वायरी कराने पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, जो कार्यवाही होगी, वह उचित और सही होगी ।

श्री शेर बहादुर--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उक्त प्रदर्शन में क्या पुलिस कर्मचारियों को चोटें आयी हैं ।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे ।)

श्री गोपी नाथ वर्मा--

(व्यवधान)

सदन का यह समय नष्ट कर रहे हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

(व्यवधान)

मान्यवर, यह सदन का समय बरबाद कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं । आप लोग शांत रहें । क्या उनको प्रश्न करने का अधिकार नहीं है ? वह भी प्रश्न कर सकते हैं । आप लोग बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री शेर बहादुर--

उन पुलिस कर्मियों को कैसे चोट आयीं ? क्या उन्होंने अपने आप स्वयं अपने शरीर पर चोटें लगा लीं और जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता पकड़े गये, क्या उनका भी कोई पूर्व अपराधिक इतिहास है ? और है तो क्या उनकी चरित्र-पंजिका मंगाकर वह सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं । इस मामले पर शान्तिपूर्वक बहस होने दें, स्पष्टीकरण होने दीजिये । कितना ही समय लग जाए नियमों के अनुसार, लेकिन यह कोई तरीका नहीं है । एक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, उनको अधिकार है, क्या उत्तर देना चाहते हैं यह शासन जाने । इसी प्रकार आपको भी मौका मिलेगा । इस प्रकार का वातावरण रखेंगे तो हमारे लिए सम्भव नहीं होगा कि मैं सदन चला सकूं ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

7 पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई हैं । जहां तक उनके अपराधिक इतिहास की बात है, उसमें मेरे पास सूची है । कहें तो पढ़े देता हूं ?

श्री मीखा लाल--

यह बयान जिस घटना पर आया है, यह बिलकुल झूठ का पुलिन्दा है । कल माननीय संतरी, संसदीय मंत्री. ..

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, इन्होंने मुझे संतरी कहा है, यह वाजिब है।

श्री अध्यक्ष--

क्या सड़ा हुआ आपको कह दिया ?

श्री अम्मार रिजवी--

इन्होंने 'सन्तरी' कहा है, आप कुछ और भी आगे कह रहे थे।

श्री भीखा लाल--

यह संसदीय कार्य मंत्री हैं और मंत्रियों के संतरी जरूर हैं, क्योंकि उनको लाते हैं, बुलाते हैं। कल जब यह विषय आया था तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस पर एक सूचना दी थी और एक बात उन्होंने यह कही थी कि थाने के सामने कांग्रेस (आई) की 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक सभा हो रही थी। पर आज उनके वक्तव्य को देखें तो उसमें दिया है कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता पास के एक स्थान पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में बैठक कर रहे थे।' तो इन दोनों में अब यह अन्तर आ गया। मैंने कल ही यह कहा था कि वहां पर कोई, बीस सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंग नहीं थी और थानाध्यक्ष ने केवल हमारे प्रदर्शन में गड़बड़ी कराने के लिए, झगड़ा कराने के लिए यह किया है, वह बात सच हो जाती है। इसका सबूत में वहां के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का जो बयान प्रेस में आया है उसके हवाले से देना चाहता हूं, उसमें है कल इंका जिला अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ बता रहे थे कि इंका को किसी जनसभा की उन्हें कोई सूचना नहीं दी गयी। सूचना पूछ रहे थे। वे जानना चाहते थे कि जनसभा किसने आहूत की।

श्री अध्यक्ष--

इसको मेरे पास भेज दीजिये।

श्री भीखा लाल--

मैं अभी भेजता हूं। मैंने कल कहा था और मंत्री जी ने उस पर कहा था कि हम इसकी जांच करा लेंगे। मैंने कल कहा था कि मित्रसेन यादव ने 31 मार्च को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को यह सूचना दे दी थी कि उनके प्रदर्शन में बाधा पैदा करने के लिए, भंग करने के लिए थानाध्यक्ष साजिश कर रहा है और अराजकतत्वों को जमा कर रहा है, और झगड़ा करा दिया जायगा। तो वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने उस पर क्या कार्यवाही की कि वहां पर कोई झगड़ा न हो सके ? क्यों दोनों के समय का बटवारा नहीं किया गया ? क्यों उन्होंने एक मीटिंग रोक नहीं दी ? इसके मायने यह है कि अराजकतत्वों को वहां जमा किया गया और जानबूझकर वहां झगड़ा कराया गया और पार्टी के लोगों को मारा गया ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

भीखा लाल जी का यह कहना सही है कि मित्रसेन जी ने जिलाधीश से इजाजत ली थी, लेकिन उन्होंने इसके साथ यह भी लिखा था कि मित्रसेन यादव और उनकी पार्टी के समर्थक लोग प्रायः हिंसक हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने विशेषकर एक प्लाटून पी0ए0सी0 और थाने से पुलिस की व्यवस्था की थी। जिस समय जुलूस लेकर मित्रसेन जी निकले थाने के सामने से उसके सामने एक मंदिर था जहां कांग्रेसी लोग 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपनी बैठक कर रहे थे उसी समय

(व्यवधान)

जब माननीय मित्रसेन जी जुलूस लेकर निकले तो पुलिस की एक दीवार खड़ी कर दी गयी। जुलूस शान्तिपूर्वक चला गया। जाते समय माननीय यादव जी ने यह कहा कि वे अधिकारियों से वापस आकर कुछ बात करेंगे। उनको कुछ व्यक्तिगत

शिकायतें वहां के थानाध्यक्ष से थीं, जिनके बारे में बात करने के लिए वे लौट कर आये । उनके साथ 400, 500 आदमी भी थे और जब वे आये तो हल्ला-गुल्ला मचाने लगे । माननीय मित्रसेन यादव जी ने कोई गाली आदि दी, यह मैं नहीं कहता, लेकिन जो उनके साथ अराजकतत्व थे, उन्होंने गाली आदि दी और हल्ला मचाया । उस समय वहां पर उपस्थित मैजिस्ट्रेट ने एस0 ओ0 से कहा कि जाकर शांति व्यवस्था करो । जैसे ही एस0 ओ0 उनके पास जाकर बात करते हैं, एस0ओ0 के पांव में 2-3 लाठियां मारी गयी जिससे वे गिर पड़े । उनके पांव में चोट आयी । उसके बाद दंगा फसाद शुरू हो गया ।

(शोर-व्यवधान)

उसके बाद कुछ अराजकतत्वों ने थाने की एक झोपड़ में, जहां सिपाहियों का खाना बनता था, आग लग दी । मैं नहीं कहता कि माननीय मित्रसेन जी का उसमें हाथ था, लेकिन कुछ अराजकतत्वों का उसमें हाथ था और इसकी जांच करायी जा रही है ।

श्री किरनपाल सिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब थानाध्यक्ष गम्भीर रूप से घायल हो गये तो क्या उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया ? क्या वे अब भी भर्ती हैं ? जिस झोपड़ी में आग लगी वह थाने से कितनी दूर है ? क्या थाने के अन्दर 50 गज की दूरी पर है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

उनके पांव में घुटने के नीचे चोट आयी, एड़ी में चोट आयी, चल फिर वे नहीं पा रहे हैं । डा0 ने एक्सरे के लिये एडवाइज किया है, वह रिपोर्ट अभी नहीं आयी है । झोपड़ी कितनी दूर है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन थाने से लगी हुई है । जब 500 आदमी आयेंगे और प्रदर्शन करेंगे तो यह कोई ऐसी बात नहीं है कि वे आग न लगा सकें ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मित्रसेन जी मेरे पुराने मित्र हैं और मैं उनका सहयोगी भी रहा हूं । गलत बात अगर उनके साथ कोई हुई है तो मैं उनका सहयोगी रहा हूं ।

(व्यवधान)

उनके साथ हुये गलत काम के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी है और उनका साथ दिया है ।

(एक कागज दिखाते हुये) जनता शासन काल में एक यह नोटिस निकला । इसमें कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा

(शोर-व्यावान)

मेरे कहने का मतलब यह है कि राजनैतिक व्यक्तियों के साथ कुछ ऐसे लोग भी घुस जाते हैं जिनका चरित्र खराब होता है, जो क्रिमिनल हिस्ट्रीशीटर होते हैं....

(शोर-व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

मेरा निवेदन है कि आप लोग स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न करें ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, मैं सवाल कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आशा नहीं दे रहा हूं । आप केवल स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न करें ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

अप क्या प्रश्न उठा रहे हैं ? कहिये ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, आप इस पर व्यवस्था दें कि यह वक्तव्य है और इस पर इधर के और उधर के माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण करने का अधिकार है । क्या आपने इसके ऊपर चर्चा की अनुमति दे दी है ? यदि हां, तो मेरा प्रस्ताव है कि 2 घंटे सदन का समय बढ़ा दिजिये और जैसा कि माननीय जेतली जो कह रहे हैं कि कौन कौन असमाजिक तत्व हैं, उस विषय को लेकर यहां चर्चा करा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य श्री भोला लाल और श्री मित्रसेन आये थे और मुझसे प्रार्थना की थी कि कुछ हमको समय अवश्य दे दिया जाय क्योंकि वह मौके पर थे । केवल इसी बात के लिये थोड़ा सा समय दिया गया । मेरी प्रार्थना है कि आप सभी माननीय सदस्य केवल स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न करेंगे और दूसरी बात नहीं कहेगें ।

श्री प्रियदशों जेतली—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मुल्जिम गिरफ्तार किये गये हैं, उनमें दो लोग, एक श्री श्याम लाल यादव और दूसरे श्री बबू लाल यादव की क्रिमिनल हिस्ट्री रही है । क्या वह ताजारात हिंद की दफाओं में गिरफ्तार हुए मुल्जिम रहे हैं ?

श्री विजय सिंह राना—

आप सब लोग खुद क्रिमिनल हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप यह नहीं कह सकते ह ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं फिर व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

(शोर)

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, इनका बहुत लम्बा अपराधिक इतिहास है ।

(शोर)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यह जो वक्तव्य दिया गया है उसी के बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य के बारे में ही प्रश्न होने चाहिए । भविष्य में ध्यान रखें ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहूंगा । इसके ऊपर चाहे आप एक घन्टे की चर्चा करा लीजिये लेकिन इस घटना से हटकर किस आदमी का क्या इतिहास रहा है क्या ऐसे प्रश्न को आज्ञा दी जायगी ? क्या आप हमको भी ऐसे प्रश्नों को पूछने की आज्ञा देगें ?

श्री अध्यक्ष—

आपने सुना नहीं है । मैंने यह कहा है कि जो वक्तव्य दिया गया है उसी के बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिये ।

श्री रियासत हुसैन—

तो फिर आपने इस प्रश्न की आज्ञा कैसे दे दी ?

(शोर)

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मेरे प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी नहीं दे रहे हैं ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

इनका बहुत लम्बा अपराधिक इतिहास रहा है। कहें तो पढ़ दूं। मान्यवर, धारा 395/397, धारा 147/148/352/223/436 आदि-आदि के मुल्जिम रहे हैं ।

(शोर)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप लोग बैठें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मंत्री जी लड़कपन कर रहे हैं ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मेरे प्रश्न का जबाब मंत्री जी नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

देखिये मैंने पहले भी यह कहा था कि शुद्ध वातावरण में इस पर कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, क्षुब्ध वातावरण हो गया ।

श्री अध्यक्ष--

बैठ जाइये आप, क्या होता है क्षुब्ध वातावरण ? यह गलत बात है । हर बात पर अध्यक्ष पर टीका-टिप्पणी नहीं की जा सकती । यह सदन की अवमानना है अध्यक्ष पर कोई आरोप नहीं किया जा सकता । आपको सब के साथ बठना चाहिए । मैं पूरा मौका दूंगा कि स्पष्टीकरण पूरा हो । जो वक्तव्य आया है, उसी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाय । दूसरे मसले को इसमें न उठाया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जाइये ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, मैंने जो आरोप लगाया था कि यह बयान सत्यता पर आधारित नहीं है, सत्यता से बिलकुल परे है, किसी असत्य बात पर चाहे कितना ही सत्य का मुलम्मा चढ़ायें, उसमें कहीं न कहीं कुछ रह ही जाता है । मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि प्रदर्शन हो रहा था, आशंका थी कि झगड़ा न हो जाय, तो पी० ए० सी० लगा दी गयी, दोनों तरफ पी० ए० सी० की दीवाल बना दी गयी और प्रदर्शन शांतिपूर्वक निकल गया । उसके बाद सभा हुई, सभा के बाद माननीय मित्रसेन ने अधिकारियों से मिल कर कुछ बात करनी चाही थी, ये गये और इनके साथ इनके कुछ साथी भी गये । प्रदर्शन पहले हुआ, सभा बाद में हुई । मान्यवर, जो दिया है, उसकी पंक्ति 4 में लिखा है कि सार्वजनिक सभा की समाप्ति पर सभा के संयोजकों ने थाने के सामने प्रदर्शन किया । मान्यवर, ये सत्य को छुपा नहीं पाये । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ आदमियों ने दरोगा के पैरों में डंडे मारे, जिससे उनके पैर में चोट आ गयी । मैं जानना चाहता हूं, निष्पक्ष रूप से आप मंत्री हैं, प्रशासन का पक्ष आप लें, लेकिन ऐसा न लें कि लोग आप पर अंगली उठायें । वह दरोगा 16/17 की रात में होली के एक दिन पहले पलिया प्रताप शाह गांव में दबिश पर गया था, बदमाशों का पीछा करते हुए दौड़ रहा था और गिरने पर उसके पैर में चोट आई थी, तबसे पट्टी बन्धी हुई है और आज भी पट्टी बन्धी है ।

इसकी माननीय मंत्री जी आप पता लगायेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया और वह बुजुर्ग सदस्य हैं इस हाउस के, मैं बड़ा भाई उनको मानता हूं । जो बात मैंने कहा थी कि मीटिंग के बाद प्रदर्शन थाने के सामने हुआ । जो अन्त में बात कही कि सही तरीके से, इमानदारी से बतायेंगे कि इनके पांव पर लाठी मारा या नहीं मारा । यह आपके बारे में बात होती, माननीय भीखा लाल जी के बारे में कोई बात कहता, तो मैं इसको सत्य न मानता । लेकिन जब मैं माननीय मित्रसेन यादव का आपराधिक इतिहास देखता हूं, तो मुझे ताज्जुब होता है । उनकी हर बात में मुझे विश्वास मानना पड़ता है ।

श्री भीखा लाल--

यह मैंने नहीं पूछा है ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

आपने यह आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन को न बचाते हुए, ईमानदारी से बतायें । तो मैं यह कहता हूं कि अगर आपके स्वयं की बात होती, तो मैं इसका विश्वास न करता, क्योंकि आपका आपराधिक इतिहास नहीं है । जहां तक माननीय मित्रसेन यादव का प्रश्न है, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आप उनके बारे में पूछें, तो मैं उनका आपराधिक इतिहास बता सकता हूं ।

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल--

मैंने जो बात पूछी, मान्यवर, उसका जवाब नहीं आया ।

श्री सुग्रीव सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मित्रसेन यादव को आजीवन कारावास की सजा हुई थी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो बयान माननीय मंत्री जी ने दिया, उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना, जो अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दिया, उसको सुना । मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह बयान सत्य पर आधारित नहीं है । मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्री जी ने बताया मेडिकल रिपोर्ट में दरोगा कि एड़ी में चोट आयी है । दरोगा नंगे पैर था, जहां तक मैं पुलिस की सामान्य ड्रेस समझता हूं, आन्दोलन हो रहा था, पुलिस यूनीफार्म में रही होगा । उसमें पुलिस बूट पहनती है, वह कपड़े का नहीं होता है, चमड़े का होता है । मैं जानना चाहता हूं कि वह दरोगा बर्दी में था या नहीं ? अगर बर्दी में था तो एड़ी में चोट कैसे लगी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

माननीय सदस्य का प्रश्न अजीब है । बूट पहन कर कोई खड़ा हो जाय और किसी को लाठी दे दी जाय, देखिये चोट लगती है या नहीं ।

श्री माधव प्रसाद--

जहां तक मेरी जानकारी है जब कम्युनिस्टों का प्रदर्शन हो रहा था, तो वह एक ही नारा लगा रहे थे, कांग्रेस को एक दवाई जूता चप्पल से करो पिटाई । इसके कारण झगड़ा हुआ । मैं जानना चाहता हूं कि इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा कितने कांग्रेसी कार्यकर्ता चोटिल हुए और कितने अस्पताल में भरती हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

7 कार्यकर्ताओं को चोट लगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जो ने जो वक्तव्य दिया है, मैं इसके संदर्भ में जानना चाहता हूं। एक बार एमरजेन्सी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम उभरा था, उससे जनता में इनके प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई थी, आज फिर हर जगह 20 सूत्रीय कार्यक्रम लड़ाई झगड़े में, थाने में हर जगह 20 सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का पता लगवायेंगे कि कांग्रेस के नाम को बदनाम करने के लिये 20 सूत्रीय कार्यक्रम को बदनाम करने के लिये, जिन लोगों को कांग्रेसी बताया गया है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वह कांग्रेसी नहीं है ? वह पुलिस के दलाल हैं, गुन्डे हैं, हिस्ट्रीसीटर हैं। क्या इसकी जांच करायेंगे ? क्योंकि भीखा लाल जी ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष का कहना है कि कोई सभा कांग्रेस की नहीं हुई। कांग्रेस का कोई पदाधिकारी उसमें शामिल नहीं हुआ। तो इसकी जांच करायेंगे कि यह पुलिस के दलाल थे, गुन्डे थे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

जांच हो रही है, इसकी भी जांच करवा लेंगे कि उनका इतिहास क्या है ?

श्री गोपीनाथ वर्मा--

इसके पूर्व मैं जानकारी देना चाहता हूं कि साल भर पहले कांग्रेस के लोग फर्जी केस बनाकर...

श्री अध्यक्ष--

वक्तव्य के बारे में पूछें।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

फर्जी केस बनाकर इनकी गिरफ्तारी करायी थी। इनके तमाम प्रभुत्व को देखते हुए, इनके दल के बढ़ावा को देखकर कांग्रेस के लोग फर्जी मुकदमों में इनको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी जानकारी है कि माननीय विधायक की हत्या करने की साजिश थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप स्पष्टीकरण मांगें।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम की जो जनसभा हो रही थी और माननीय विधायक जी की जनसभा हो रही थी, तो दोनों जन सभायें करने के लिये पुलिस की व्यवस्था रही होगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जानबूझ कर कुछ सदस्यों ने इनकी सभा का गड़बड़ करने के लिए 20 सूत्री मीटिंग लगाई और जो तथाकथित गुण्डे मीटिंग में आये थे, उन्होंने जो गड़बड़ी की उसकी क्या मंत्री जी जांच करायेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, यह कैसे बोले मेरी समझ में नहीं आया। शायद इनका गला खराब है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सरकार तथ्यों को छिपा रही है। सरकार का इरादा खराब है। यह पूरे प्रतिपक्ष का सवाल है शासन की इस नीति के विरुद्ध मैं अपने पूरे बल के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस पर स्पष्टीकरण काफी हो चुके हैं और

करीब 40 मिनट इस पर चर्चा हो चुका है । तो मैं समझता हूं कि इतने स्पष्टीकरण इसमें हो चुके हैं इसको समाप्त कर दें ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, इसमें एक भी सवाल करने का मौका मुझे नहीं दिया । मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि तीन रिपोर्टें जो दर्ज करायी गई, उसमें एक ने दर्ज करायी 122 आदमियों पर, एक ने दर्ज करायी 3 आदमियों पर एक ने दर्ज करायी 20 आदमियों पर, कुल 150 पर रिपोर्ट दर्ज हुई हैं । तो क्या वह पहले से डेढ़ सौ आदमियों के नाम जानते थे, पहले से ही डेढ़ सौ नाम जानने के बाद ही वह नाम लिख सकते हैं । मान्यवर, जब नोटिस दी जा चुकी थी, सूचना दी जा चुकी थी, तो या तो पहले मुझे रोक दिया जाता, मेरा प्रदर्शन रोक दिया जाता या जुलूस रोक दिया जाता । जब यह आशंका हो गयी कि झगड़ा हो जायेगा तो जिला प्रशासन ने उसको व्यवस्था क्यों नहीं करी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, एफ० आई० आर० लिखाने का हर व्यक्ति को अधिकार है । जिसको कोई चोट पहुंची हो, उसको एफ० आई० आर० लिखाने का अधिकार है । मान्यवर, तीन एफ० आई० आर० लिखाई गई थीं । एक तो एस० ओ० ने लिखाई । दूसरी एक सिपाही ने लिखाई जो अपनी ड्यूटी से चला आ रहा था । उसका नाम है उमेश चन्द्र रावत । वह किसी और ड्यूटी से आ रहा था उसको प्रदर्शनकारियों ने मारना-पीटना चाहा । और तीसरी रिपोर्ट बंशगोपाल दुबे ने लिखायी ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात से इन्कार है कि माननीय मित्रसेन यादव इस माननीय सदन के माननीय सदस्य हैं और एक बार नहीं दूसरी बार चुनकर आये हैं, यह मेरा पहला प्रश्न है । दूसरा प्रश्न है यह जो वक्तव्य है....

श्री अध्यक्ष--

आपस में बातचीत न करें ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, आप वक्तव्य को देखें । ताजीरात हिन्द में तीन मुकदमें दर्ज हुए । किन्तु अब वक्तव्य में यह है कि मित्रसेन यादव के सी० पी० आई० के लोग और कांग्रेस जनों में पथराव और झगड़ा हुआ जो पुलिस वहां पर मौके पर थी उसे दफा 151 लगाकर उन दोनों को गिरफ्तार करना चाहिए था, वह तो पुलिस ने नहीं किया । तीसरी चीज यह है कि आपका वक्तव्य हमने सुना, उस वक्तव्य में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि थाने के अन्दर भी माननीय श्री मित्रसेन यादव और उनके साथी घुसे थे ? तो फिर 50 गज की दूरी पर थाने के अन्दर जो झोपड़ी है, वह कैसे जल गई, उसके बारे में भी आपने कहीं पर वक्तव्य में नहीं लिखा है । इन चीजों को देखते हुए इस सारी घटना की माननीय मंत्री जी न्यायिक जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, जहां तक नियमों का सम्बन्ध है, उसकी भी एक हद होती है । यदि कोई चीज उस सीमा तक रहे तो नियमों के अन्दर काम होता है । नियम 151 लगाया जाता, यदि स्थिति काबू से बाहर नहीं होती । जब स्थिति बाहर हो गई तो दूसरी धारायें लगाई जाती हैं । इसलिये मैं इसमें न्यायिक जांच करना आवश्यक नहीं समझता हूं जो कार्यवाही चल रही है और जो जांच चल रही है, वह ठीक है ।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, मैंने भी थोड़ा सा कानून पढ़ने की कोशिश की है, उसी के आधार पर मैं 3 सवाल माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं—पहला, जब पुलिस को पहले इत्तला दे दी गई थी, तो वहां पर दूसरी मीटिंग करने के लिए इजाजत क्यों दे दी गई ? दूसरा, अगर दूसरी मीटिंग करने की इजाजत दे दी गई थी, तो वह मीटिंग किसने कराई और किसके नेतृत्व में हुई ? जहां तक 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंग का प्रश्न है, इसे कोई चलता-फिरता आदमी नहीं कर सकता है । यदि इसी की मीटिंग थी तो इसकी कार्यवाही किस आदमी ने की । तीसरा, जब हालत इतनी खराब हो गई थी, तो धारा 144 क्यों नहीं लगाई गई ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने पहला जो प्रश्न किया है वह कांग्रेसी मीटिंग के बारे में है । वहीं पर एक गोष्ठी हो रही थी, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है ।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, सरकार का उत्तर निराधार है और सत्य से परे है, लिहाजा मैं अपने दल के साथ सदन से वाकआउट करता हूं ।

(श्री फखरे आलम अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री भीखा लाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा कल भी कहा था कि पुलिस प्रदर्शन में साजिश करा रही है झगड़ा कराने का । माननीय श्री मित्रसेन यादव ने जिलाधिकारी को पहले ही सूचना दे दी थी, किन्तु इसके बावजूद भी कोई व्यवस्था नहीं करायी गयी जिससे टकराव न हो सके । मान्यवर, मैंने यह भी कहा था कि हमारे कार्यकर्त्ताओं ने जब इसकी सूचना दी तो पुलिस ने 4 दिन पहले से ही उनकी सूची बनानी शुरू कर दी नतीजा यह हुआ है कि 122 आदमियों की एफ0 आई0 आर0 उनके पिता के नाम सहित और उनके गांवों के नाम सहित लिखा दी गई । माननीय मंत्री जी इस मामले पर न्यायिक जांच कराने के पक्ष में नहीं है । माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि थानेदार को मारा-पीटा गया । मान्यवर, दिनांक 16/17 तारीख की रात को इस थानेदार ने पत्रिया प्रताप शाह में दबिश दी थी, एक बदमाश का पीछा करने के कारण यह थानेदार जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसके पांव में चोट आ गयी । माननीय मंत्री जी का यह कहना कि उसको मारा-पीटा गया जिससे उसके पांव में चोट आ गयी, बिलकुल निराधार और गलत है । सरकार इस पर न तो सी0 आई0 डी0 से जांच कराना चाहती है और न ही न्यायिक जांच, इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री भीखालाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इसी तरह मैं भी अपने दल के साथ इस सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री रियासत हुसैन भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पूर्वाह्न फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 58 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ
4 अप्रैल, 1984

भालचन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नमूना प्रति

नत्थी "क"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर ।)

वर्ष 1983-84 में स्वीकृत प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों की संख्या आदि का विवरण :

| जनपद का नाम | शासनादेश, दिनांक 19 अप्रैल, 1983 द्वारा स्वीकृत प्राइमरी स्कूलों की संख्या | शासनादेश, दिनांक 30 नवम्बर, 1983 द्वारा स्वीकृत जूनियर हाई स्कूलों की संख्या | जनपदों द्वारा कब विद्यालय स्थापित किये गये | |
|---|---|---|---|---|
| | | | प्राइमरी स्कूल | जूनियर हाई स्कूल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1--नैनीताल | 15 | 4 | दिसम्बर, 1983 | फरवरी, 1984 |
| 2--देहरादून | 5 | 2 | दिसम्बर, 1983 | जिला स्तर पर आदेश दिये जा रहे हैं । |
| 3--उत्तरकाशी | 3 | 2 | जुलाई, 1983 | जुलाई, 1983 |
| 4--टिहरी गढ़वाल | 10 | 1 | जनवरी, 1984 | जनवरी, 1984 |
| 5--पौड़ी गढ़वाल | 8 | 2 | दिसम्बर, 1983 | दिसम्बर, 1983 |
| 6--चमोली | 12 | 3 | सितम्बर, 1983 | मार्च, 1984 |
| 7--पिथौरागढ़ | 12 | 3 | अगस्त, 1983 | अगस्त, 1983 |
| 8--अल्मोड़ा | 20 | 4 | दिसम्बर, 1983 | जनवरी, 1984 |

वर्ष 1983–84 में 30 जूनियर हाई स्कूल खोलने का लक्ष्य निर्धारित था। शासनादेश, दिनांक 30 नवम्बर, 1983 द्वारा 21 जूनियर हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी। शेष 9 जूनियर हाई स्कूलों के खोलने की स्वीकृति शासनादेश, दिनांक 30 मार्च, 1984 द्वारा प्रदान की गयी है जिनका जिलावार विवरण निम्न प्रकार है :

| | | |
|---|---|---|
| (1) | देहरादून | 1 |
| (2) | टिहरीगढ़वाल | 1 |
| (3) | पौड़ीगढ़वाल | 2 |
| (4) | चमोली | 2 |
| (5) | पिथौरागढ़ | 1 |
| (6) | अल्मोड़ा | 1 |
| (7) | नैनीताल | 1 |
| | | 9 |

पी0 एस0 यू0 पी0—13 वि0 सभा—24-8-84—813 (पी0 डी0)।